



लाखों लोगों को मुस्कुराहट देने के 100 साल.
100 years of making millions smile.

वार्षिक रिपोर्ट
2007-08
Annual Report


100 YEARS
banking with passion

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank

www.bankofbaroda.com

निदेशक-मंडल / BOARD OF DIRECTORS *



बाएं से दाएं - श्री रंजीत कुमार चटर्जी, श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी, श्रीमती मसरत शाहिद, श्री अमरजीत चोपड़ा, डॉ. अतुल अगरवाल, श्री मौलिन ए. वैष्णव, श्री एस.सी.गुप्ता - कार्यकारी निदेशक, श्री एम.डी.मल्या - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री वी.सन्तानरामन - कार्यकारी निदेशक, श्री जी. सी. चतुर्वेदी, डॉ. दीपक बी. फाटक, श्री मनेश पी. मेहता, श्री ए. सोमसुन्दरम, डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी

L to R - Shri Ranjitt Kumar Chatterjee, Shri Milind N Nadkarni, Smt Masarrat Shahid, Shri Amarjitt Chopra, Dr. Atul Agarwal, Shri Maulin A Vaishnav, Shri S. C. Gupta - Executive Director, **Shri M. D. Mallia - Chairman & Managing Director**, Shri V. Santhanaraman - Executive Director, Shri G C Chaturvedi, Dr. Deepak B. Phatak, Shri Manesh P Mehta, Shri A Somasundaram, Dr. Dharmendra Bhandari

निदेशक-मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री एम.डी.मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri M. D. Mallya
Chairman & Managing Director



श्री वी.सन्तानरामन
कार्यकारी निदेशक
Shri V. Santhanaraman
Executive Director



श्री एस.सी.गुप्ता
कार्यकारी निदेशक
Shri S. C. Gupta
Executive Director



श्री अमिताभ वर्मा
Shri Amitabh Verma*



श्री ए. सोमसुन्दरम
Shri A. Somasundaram



श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी
**Shri Milind N.
Nadkarni**



श्री रंजीत कुमार चटर्जी
**Shri Ranjit Kumar
Chatterjee**



श्री अमरजीत चोपड़ा
Shri Amarjit Chopra



श्रीमती मसरत शाहिद
**Smt. Masarrat
Shahid**



श्री मौलिन ए. वैष्णव
**Shri Maulin A.
Vaishnav**



डॉ. अतुल अगरवाल
Dr. Atul Agarwal



डॉ. धर्मन्द्र भंडारी
**Dr. Dharmendra
Bhandari**



श्री मनेश पी. मेहता
**Shri Manesh P.
Mehta**



डॉ. दीपक बी. फाटक
**Dr. Deepak B.
Phatak**

टीम बढावा / TEAM BARODA



श्री एम. डी. मल्या - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री वी. सन्तानरामन - कार्यकारी निदेशक तथा श्री एस. सी. गुप्ता - कार्यकारी निदेशक, कार्पोरेट महाप्रबंधकों, अंचल एवं क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ.

Shri M. D. Mallya - Chairman & Managing Director, Shri V. Santhanaraman - ED and Shri S. C. Gupta - ED with Corporate General Managers, Zonal and Regional Heads.

महाप्रबंधक General Managers

एम. बी. सामंत	M. B. Samant
आर.के. गर्ग	R.K. Garg
जे.के. चंदर	J.K. Chandar
बी.ए. प्रभाकर	B.A. Prabhakar
एस.पी. अग्रवाल	S.P. Agarwal
एस.सी. कालिया	S.C. Kalia
जी.जी. जोशी	G G Joshi
असित पाल	Asit Pal
वी.के. वर्मा (डॉ.)	V.K. Varma (Dr.)
रामदास शेणाय के.	Ramadas Shenoy K
पी.एस. जोशी	P.S. Joshi
डी. सरकार	D. Sarkar
के. एन. सुवर्णा	K.N. Suvarna
अजय कुमार	Ajai Kumar

वी. शेषाद्री	V. Seshadri
एन. रमणी	N. Ramani
एस.के. श्रीवास्तव	S.K. Srivastava
दीपांकर मुखर्जी	Dipankar Mookerjee
ए.के. गुप्ता	A.K. Gupta
आर. के. बंसल	R.K. Bansal
जी. नागमल रेड्डी	G. Nagmal Reddy
एस. एस. मूंदड़ा	S.S. Mundra
नन्दन श्रीवास्तव	Nandan Srivastava
एन. आर. बद्रिनारायणन	N.R. Badrinarayanan
एस. के. भार्गव	S.K. Bhargava
बी.एल. श्रीवास्तव (डॉ.)	B.L. Srivastava(Dr.)
मीनल भगत (सुश्री)	Minal Bhagat (Ms.)
के. वी. वच्छराजानी	K.V. Vachhrajani

लेखा परीक्षक Auditors

रे एंड रे
सनदी लेखाकार

Ray & Ray
Chartered Accountants

जी. बासु एंड कं.
सनदी लेखाकार

G. Basu & Co.
Chartered Accountants

जी. पी. कपाडिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

G. P. Kapadia & Co.
Chartered Accountants

बी.सी. जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार

B. C. Jain & Co.
Chartered Accountants

गुप्ता नायर एंड कं.
सनदी लेखाकार

Gupta Nayar & Co.
Chartered Accountants

ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार

A. Sachdev & Co.
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वड़ोदरा 390 006.

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग

आठवां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. 46, एवेन्यू 4, स्ट्रीट नं. 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500 034.

Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Investor Services Department

8th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. 46 Avenue 4, Street No.1, Banjara Hills, Hyderabad 500 034.

विषय सूची Contents

	पृष्ठ
अध्यक्षीय वक्तव्य.....	28
निदेशकों की रिपोर्ट.....	31
बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण.....	52
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक.....	66
शब्दावली.....	68
तुलन-पत्र.....	70
लाभ-हानि लेखा.....	71
नकदी-प्रवाह विवरणी.....	111
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....	113
समेकित वित्तीय विवरणियां.....	116
कार्पोरेट-नियंत्रण.....	143
नोटिस.....	173
ईसीएस / प्रॉक्सी फार्म / उपस्थिति पर्ची.....	177

	Page
Chairman's Statement.....	2
Directors' Report.....	5
Basel II Pillar 3 disclosures.....	52
Key Financial Indicators.....	66
Glossary.....	68
Balance Sheet.....	70
Profit & Loss Account.....	71
Cash Flow Statement.....	111
Auditors' Report.....	113
Consolidated Financial Statements.....	116
Corporate Governance.....	143
Notice.....	173
ECS / Proxy Form / Attendance Slip.....	177

CHAIRMAN'S STATEMENT



Moving Ahead to Create Sustainable Growth...

**Bank on the path of
consolidating its position
as a premier Public Sector Bank.**

M. D. Mallya
Chairman & Managing Director

Dear Stakeholder,

Despite the fact that the year 2007-08 was a tough and challenging year for the banking industry on account of rising inflationary tendencies, sustained monetary tightening and consequent pressures on margins and profitability, the Bank could very well maintain its growth momentum and overall progress set in the recent past. Touching its global clientele base at 33 million, the Bank comfortably achieved the global business level of Rs 2,58,735.45 crore by the year-end. I am also happy to report that the Bank achieved all the SOI (Statement of Intent) targets pertaining to business, profitability and asset quality that it had committed to the Government of India for 2007-08.

New Initiatives

In the pursuit of becoming a “multi-specialist bank”, the Bank took a slew of business oriented and customer-centric initiatives. The spree of CBS rollout covering over 1,700 branches in India and overseas, accounting for more than 90.0 per cent of the Bank's total business, and expansion of ATM network to touch the count of 1,100 continued in the year 2007-08. The Bank launched biometric ATMs and took many other technology-

driven initiatives such as online payment of direct taxes, Baroda Easypay and online Railway booking facility. During 2007-08, the Bank opened a record number of 125 branches, merged four branches and opened two Gen Next Branches focusing on young IT professionals in Pune and Bangalore.

Amidst various sales and marketing campaigns during the year, the total number of Retail Loan factories reached 15 and SME Loan Factories 27. The Bank believed that, in tune with the spirit of "multi-specialist banking", the product offerings should largely cater to the varied life cycle and life style needs of different customer groups. In this backdrop, a number of new assets and liability products were launched. Adding further to the stream of new wealth management products, the Bank entered into tie-up arrangements with India Infoline Ltd. for offering to its customers online e-trading facility in equity and derivatives, and with a few more global asset management companies for distribution of mutual fund products.

Fully aware of its social role, the Bank contributed materially to the cause of the rural development of the country in terms of major initiatives taken in rural and agricultural banking. The Bank identified 500 villages for 100.0 per cent financial inclusion and adopted many rural areas for their integrated and overall development.

Business Performance Highlights

The Bank continued scaling new heights of business size recording global business growth of 24.07 per cent during 2007-08. Its domestic deposits increased by 22.82 per cent and domestic advances rose by 25.63 per cent. The priority sector credit more than comfortably attained the

mandatory requirement and formed 47.10 per cent of the Bank's net credit. The Bank recorded a growth of 31.11 per cent in SME credit with farm credit increasing by 28.0 per cent and Retail credit by 17.97 per cent despite a noticeable deceleration in credit growth at the banking industry level.

During 2007-08, the Bank's overseas business grew by 24.56 per cent primarily due to a substantial increase of 35.70 per cent in overseas advances. The overseas business contributed 20.0 per cent to total business and 23.8 per cent to net profit. The level of net profit at Rs 1,435.52 crore for the year 2007-08 reflected a robust year-on-year growth of 39.9%.

On the front of asset quality management, while the Gross NPA in domestic operations stood at 2.18 per cent at end-March 2008, the same for Overseas Operations was just 0.55 per cent. The global Net NPA was pegged at 0.47 per cent by the year-end 2007-08 in line with the promise given by the Bank to its stakeholders.

The Centenary Year

On the 20th July 2007, the Bank entered its Centenary year. In its quest to become a world-class bank with global best practices, the Bank is, now, well poised to take-off with the most modern business and HR systems and processes. The Bank

has already initiated myriad HR interventions with special thrust on internal talent discovery, upgrading the managerial skills through training, and improving the motivational level of the employees of the bank. The Bank engaged the services of a world-class HR Consultancy firm for the next-generation leadership management in the Bank.

The foundation for a comprehensive web-enabled HR System called HRnes was laid as one of the key innovative projects in the Bank. Your Bank also

2007-08 Highlights

**+ Rs. 250,000 Crore
Global Business Size**

**+ 24%
Worldwide Business
Growth**

**+ Rs. 1435 Crore
Net Profit**

**+ 33 Million
Global Customer Base**

**+ 1700
CBS Branches**

**+ 1100
ATMs**

completed the process of KHOJ-II identifying talent in various critical functional areas like Credit, Forex, Treasury, I.T. , Marketing and Retail Banking.

The Challenges Ahead- Regaining the Leadership Position

Backed by the great vision of the founding father, Maharaja Sayajirao Gaekwad III, your Bank has a rich heritage of many flagship achievements, pioneering endeavours and an undisputedly strong place in the Indian Banking industry today. The Bank has seen many ups and downs over a period of 100 years but stood undaunted to surmount all hurdles, coming out with flying colours and reinforcing its strong fundamentals. The world was convinced time and again that this is the Bank with impregnable foundation and immense potential to forge ahead to contribute to the nation's economic growth.

Business transformation is an unabated process with regular adjustments in business strategies in accordance with the market demands and Bank's set objectives. The Bank has built up a strong business regime touching the global business level of Rs 2,58735.45 crore. The future business growth has to be broad based and sustainable on basic banking principles of expansion and consolidation. Cost Control and technological advancement as enablers in dispensation of best quality customer service shall be the focal point of the Bank's business plan.

I am sure, in the back of HR reforms and continuous improvements in various systems, processes, and structures in the Bank, the Bank shall make an immaculate concerted effort to regain the market leadership in the banking industry in near future.

Our Corporate Goals & Strategy

“To leverage technology as an enabler for providing superior customer experience and broad-based business expansion with cost consciousness”. Our strategies to achieve our corporate goals and objectives will be as follows :

- Primary thrust on protecting the NIM by improving the CASA share.
- Improving the share of Retail/SME business in total business without compromising the asset quality.
- Leveraging technology/re-branding exercise to extract maximum benefits, recruitment of specialised marketing staff.
- Targeting on improving non-interest income through innovative Wealth Management Products.
- Special focus on improving “relations” with the existing corporate customers as well as efforts to add new quality customers to the Bank's Book.
- Thrust on business process reengineering to reduce the “transaction costs”.
- A dedicated effort to add 2.5 to 3.0 million quality customers to Bank's book in FY09 and in subsequent years.

In our future journey, I solicit your continued cooperation and patronage.

M. D. Mallya

Chairman & Managing Director

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundredth Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2008 (FY08).

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business (Deposit+ Advances) increased to Rs 2,58,735.45 crore reflecting a growth of 24.07%.
- Gross Profit and Net Profit were Rs 3,028.55 crore and Rs 1,435.52 crore respectively. Net Profit registered a growth of 39.85% over previous year.
- Credit-Deposit Ratio stood at 77.32% as against 74.35%.
- Retail Credit posted a decent growth of 17.97% constituting 19.79% of Gross Domestic Credit against 20.98% last year.
- Net Interest Margin (NIM) as per cent of interest earning assets was at the level of 2.90%.
- Net NPAs to Net Advances declined from 0.60% last year to 0.47%.
- Capital Adequacy Ratio (CAR) as per Basel I stood at 12.91% & as per Basel II at 12.94%.
- Net Worth improved to Rs 9,526.97 crore registering a rise of 12.93%.
- Book Value improved from Rs 231.59 to Rs 261.54
- Business per Employee moved up from Rs 548 lacs to Rs 704 lacs.

SEGMENT-WISE PERFORMANCE

The Segment Results for the year 2007-08 of Rs. 3,301.52 crore have been contributed by the Treasury Operations to the extent of Rs.788.79 crore, Rs.175.14 crore by Corporate/ Wholesale banking, Rs 937.37 crore by Retail Banking and Rs 1,400.22 crore by Other Banking Operations. The Bank earned Profit after Tax of Rs.1,435.52 crore after deducting Rs.1,094.37 crore of unallocated expenditure and Rs.771.63 crore as provision for tax.

DIVIDEND

The Directors have proposed a dividend of 80.0% for the year ended March 31, 2008. Total outgo in the form of dividend, including taxes, will be Rs 340.94 crore.

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) is comfortable at 12.91% on 31st March 2008. During the year, the Bank strengthened its capital-base by raising Rs 2,703.62 crore through Tier –II bonds out of which Rs 1,203.62 crore were raised overseas. As per the Basel-II, Capital Adequacy Ratio works out to 12.94%.

The Bank's Net Worth as at 31st March 2008 was Rs 9,526.97 crore comprising of paid-up equity capital of Rs 365.53 crore and reserves (excluding revaluation reserves) of Rs 9,161.44 crore. An amount of Rs.1,094.58 crore was transferred to reserves from the profits earned.

KEY FINANCIAL RATIOS

Particulars	2007-08	2006-07
Return on Average Assets (ROAA) (%)	0.89	0.80
Average Interest Bearing Liabilities (Rs crore)	1,37,324.72	1,11,429.22
Average Cost of Funds (%)	5.75	4.87
Average Interest Earning Assets (Rs crore)	1,34,896.47	1,17,105.08
Average Yield (%)	8.76	7.69
Net Interest Margin (%)	2.90	3.05
Yield Spread (%)	3.00	2.82
Cost-Income Ratio (%)	49.21	51.30
Book Value per Share (Rs)	261.54	231.59
EPS (Rs)	39.41	28.18

OTHER PRUDENTIAL MEASURES

As a prudent measure, the Bank has made provision towards contribution to gratuity (Rs 78.60 crore), pension funds (Rs 365.00 crore), leave encashment (Rs 53.20 crore) and additional retirement benefits (Rs 60.40 crore) on actuarial basis. The total provisions under these four categories amounted to Rs 557.20 crore during the year, against Rs 486.46 crore during 2006-07. The total corpus available with the Bank at end March 2008 under these heads is: Rs 711.43 crore (gratuity), Rs 2,062.70 crore (pension funds), Rs 240.64 crore (leave encashment), and Rs 193.54 crore (additional retirement benefits).

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Scenario in 2007-08

Indian economy grew by 9.0 per cent in 2007-08 supported by the growth of 4.5 per cent in agriculture, 8.5 per cent in industry and 10.8 per cent in services. The current growth phase of the economy is powered by the rise in capital investments. During April-February, 2007-08 the capital goods production recorded a robust growth of 17.5 per cent. The continued capacity addition by manufacturing firms helped this growth of capital goods.

Corporate activity remained quite healthy during 2007-08, though in comparative terms, it witnessed some moderation in growth over the previous year. While the sales of a representative sample of private sector companies grew by 17.4 per cent in April-December 2007, the net profits grew by a robust 29.8 per cent.

Inflation, however, emerged as the major macro risk towards the end of 2007-08. On an annual average basis, inflation (measured in terms of WPI) at 4.7 per cent during 2007-08 was lower than 5.4 per cent in 2006-07. However, on a year-on-year basis, it stood at 7.4 per cent at end-March 2008 as against 5.9 per cent a year ago. Major contributors to rising inflation have been high prices of foodgrains, fruits, vegetables, edible oils, crude oil and metals. International crude oil prices have been rising sharply since June 2007, reflecting tight supply situation, geo-political tensions, weakening of the dollar, etc. During the year 2007-08, the global crude oil price reached a high of \$110.2 a barrel on March 13, 2008 on the back of a sharp decline in the U.S. crude inventories.

Global financial markets witnessed turbulent conditions during 2007-08 as a result of deepening crisis in the U.S. sub-prime mortgage market. The Indian financial markets remained largely orderly during 2007-08 except the equity market, which witnessed bouts of volatility in tandem with trends in major international equity markets. The domestic stock markets, which remained strong till early January 2008, witnessed a sharp correction beginning January 11, 2008 due to rising concerns over the severity of sub-prime crisis and its spill-over to other countries. As a result of the huge volatility witnessed

during the year 2007-08, the Sensex gained 19.7 per cent and Nifty added 23.9 per cent on an annual basis. The Foreign Institutional Investors (FIIs) invested \$12.7 billion in the Indian stock markets during 2007-08 as against net purchases of \$5.7 billion during 2006-07. The Mutual funds made net investments of Rs 15,775 crore during 2007-08 as against Rs 9,062 crore in 2006-07. The major gainers in the stock markets during 2007-08 were metals, oil & gas, capital goods, fast moving consumer goods, public sector undertakings, banking and consumer durable stocks. Resources raised through public issues by the corporate sector increased sharply by 158.5 per cent to Rs 83,707 crore in 2007-08 over those in last year. All public issues during 2007-08 were in the form of equity except three, which were in the form of debt.

According to the Ministry of Commerce, total foreign direct investment (FDI) inflows into India rose to \$24.6 billion in 2007-08 from \$21.9 billion in 2006-07. The Commerce Ministry expects FDI inflows to India to rise to \$35 billion in 2008-09 despite the growing uncertainties in the world economy.

Even though the rupee appreciated 7.8 per cent against the U.S. dollar in 2007-08, India's merchandise exports grew 23.02 per cent in 2007-08 to \$155.51 billion. The imports, however, stood at \$235.91 billion primarily due the pressure of high oil import bill. The India basket of crude oil witnessed a rise of 27.0 per cent in 2007-08. As a result, the trade deficit for 2007-08 expanded to \$80.40 billion from \$59.32 billion a year ago.

India's total external debt was placed at \$201.5 billion at end-December 2007. However, foreign exchange reserves remained in excess of the stock of external debt at end-December 2007. India's foreign exchange reserves were \$309.7 billion as at end-March 2008, showing an increase of \$110.5 billion over end-March 2007. India holds the third largest stock of reserves among the emerging market economies.

The government's fiscal deficit in the first eleven months of 2007-08 declined 13.5 per cent on year-on-year basis and accounted for 73.4 per cent of the revised budget target for the entire financial year. In the Union Budget for 2008-09, the government has projected that the central government's fiscal deficit would narrow from 3.1 per cent of GDP in 2007-08 to 2.5 per cent in 2008-09.

Banking Sector: Performance, Opportunities & Challenges in 2007-08

Credit Penetration

Indian banking industry witnessed some slowdown in credit expansion during 2007-08. The non-food credit extended by the scheduled commercial banks (SCBs) increased by 22.3 per cent as against 28.5 per cent the previous year. The incremental non-food credit-deposit ratio of the banking system declined to 72.3 per cent from 83.2 per cent in the previous year. The sectoral deployment of credit shows that the credit

to services sector recorded the highest growth (28.4%, Y-o-Y), followed by industry (25.9%) and agriculture sector (16.4%). However, the growth in personal loans decelerated to 13.2 per cent (30.6% last year). Growth in housing and real estate loans decelerated to 12.0 per cent (25.8%) and 26.7 per cent (79.0%), respectively. Within the industrial sector, there was a sizeable credit pick-up in respect of infrastructure (42.1% as against 28.2% a year ago), food processing (32.0% as against 27.6%) and engineering (26.2% as against 18.1%). There was a moderation in credit growth to basic metals and metal products (19.0% as against 33.3%), textiles (23.0% as against 35.5%), petroleum (23.3% as against 64.4%), and chemicals (13.9% as against 19.2%).

Investment by SCBs

While SCBs' investment in bonds/debentures/shares of public sector undertakings and the private corporate sector and commercial paper (CP) increased by 14.2 per cent in 2007-08, their investment in government and other approved securities increased by 22.9 per cent. This raised the proportion of SLR securities in net demand and time liabilities to 27.4 per cent in 2007-08.

Resource Mobilisation

Aggregate deposits of SCBs increased by 22.2 per cent during 2007-08 as against 23.8 per cent the previous year. While the demand deposit growth at 20.2 per cent was higher than 17.9 per cent in 2006-07, the time deposit growth moderated to 22.6 per cent from 25.1 per cent the previous year. In addition to the mobilization of deposits, the banking sector's lendable resources were augmented substantially by capital raised through public issues and innovative capital instruments.

Challenges and Opportunities for Banks in 2007-08

During the year 2007-08, successive increases in the CRR and zero interest on CRR balances have had significant impact on interest yields for banks. According to CRISIL, the SCBs had to take a hit of 7 basis points (annualized) on their spreads and net profit margins solely due to these RBI measures. Operating cost pressures weighed on banks throughout 2007-08 due to higher investments in franchise, manpower, etc. The state-owned banks still face a greater burden due to the impending wage agreement.

Despite these challenges, Indian banking industry continues to remain strong on structural ground on the back of relatively stronger macro fundamentals, under-tapped potential in rural and semi-urban areas for credit penetration, favourable demographic profile and a stronger institutional and regulatory framework. During the year 2007-08, infrastructure and SME segments emerged as the major growth drivers for the Indian banking industry. The banks witnessed an encouraging fee income momentum as well. In the backdrop of relatively benign liquidity conditions, the banks significantly reduced their dependence on higher-cost funds. On the whole, the

outlook for the sector remains positive despite heightened uncertainties in the economic environment.

Risk Management

The management of risk is a major determinant of success in any business and therefore your Bank places particular focus on actively managing and controlling the Bank's risk exposures. In the financial services industry, the three main risk exposures the Bank faces are credit risk, market risk and operational risk. For all of these risks, the Bank has devised and implemented policies, procedures, organisational structures and control systems for their identification, measurement, monitoring and control. These systems are not static but are flexible enough to allow modifications, when necessary, in accordance with changes in the Bank's risk profile.

Risk Management Architecture in the Bank consists of Risk Management Structure, Risk Management Policies and Risk Management implementation and monitoring systems. The Board of the Bank is the ultimate authority to provide strategies and policies on risk management system in the Bank. The Board is supported by the Sub-committee of the Board on ALM and Risk Management which in turn is assisted by the Asset Liability Management Committee, the Credit Policy Committee and the Operational Risk Management Committee.

In order to provide ready reference and guidance to the various functionaries of the Risk Management System in the bank, the bank has in place Asset Liability Management Policy, Domestic Loan Policy, Mid Office Policy, Off Balance Sheet Exposure Policy (domestic), Business Continuity Planning Policy, Pillar III Disclosure Policy, Stress Test Policy and Stress Test Framework, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy duly approved by the Board.

CREDIT RISK

Credit risk is a risk inherent in the banking business and involves the risk of loss arising as a result of the diminution in credit quality of a borrower or counter-party and the risk that the borrower or counter-party will default on contractual repayments under an advance. The Bank has a sub-committee of Directors constituted by the Board of Directors who specifically oversee and co-ordinate the Bank's credit risk management functions. Reporting to this sub-committee is a Credit Policy Committee, whose role is to formulate and implement various risk management strategies and monitor the Bank's risk management functions on a regular basis.

There are several credit risk management cells which work together to identify, measure, monitor and control the Bank's credit risk exposure. These are the Corporate Research Cell, Portfolio Review Cell and Credit Review Cell.

Corporate Research Cell

The primary function of the Corporate Research Cell is the preparation and update of industry reports, which are used by credit officers at all levels, central management, zonal management, regional management, as well as at each branch. This cell conducts studies of all industries identified by the RBI for controlling sectoral deployment of credit and prepares over 135 industry and product reports, updated annually or half yearly, for use by the Bank.

Portfolio Review Cell

The role of the Portfolio Review Cell is to conduct studies on various aspects of credit risk management at the portfolio level, such as sectoral credit deployment, monitoring single borrower/group borrower exposure and monitoring industry-wide credit exposures. The functions of this cell include conducting studies on the performance of specific loan portfolios and submission of reports to the Credit Policy Committee and Sub Committee of the Board on ALM and Risk Management

Credit Review Cell

The primary responsibility of the Credit Review Cell is to monitor the credit risk management techniques the Bank deploys and to provide recommendations for improvements to current credit management practices encompassing, among other responsibilities, the necessary policy preparation and roll out of credit rating models.

The bank has a robust rating model for various types of segments of borrowers for assessing risk at individual level at the time of appraisal of the loan. Risk measurement for the business portfolio is assessed on a risk rated basis and for the consumer portfolio on a scoring basis. An independent rating validation team functioning at various levels in the bank is validating the rating. The bank has a well-defined credit process, which encompasses the pre sanction process as well as post sanction processes.

Credit Exposure Ceilings

Credit exposure ceilings are a prudential measure mandated by RBI aimed at improving risk management and avoiding concentration of credit risks. Ceilings are set in relation to single/group borrowers, unsecured borrowers and with respect to each industry sector.

The Bank has set its own credit exposure ceilings based on the guidelines for substantial exposure limits set by RBI, but which are typically more conservative than those prescribed by RBI. Broadly, the Bank's credit exposure ceilings are as follows:

The aggregate substantial exposure limit is set at 500 per cent of the Bank's capital funds as per the previous year's balance sheet. For the purposes of aggregating single borrower exposure for substantial exposure limit the threshold is 5% or more of capital funds.

As per RBI's guidelines, the credit exposure ceiling is fixed in relation to the Bank's capital funds under capital adequacy standards (Tier I and Tier II capital).

MARKET RISK

Market risk is the risk that exposure to price movements of financial instruments arising as a result of changes in market variables, such as interest rates, exchange rates and other asset prices, will result in loss suffered by the Bank. The objective of market risk management is to avoid excessive exposure of the Bank's earnings and equity to loss and to reduce the Bank's exposure to the volatility inherent in financial instruments such as securities, foreign exchange contracts, equity and derivative instruments, as well as balance sheet or structural positions. The primary risk that arises for the Bank as a financial intermediary is interest rate risk due to the Bank's asset-liabilities management activities. Other market related risks to which the Bank is exposed are foreign exchange risk on foreign currency positions, liquidity, or funding risk, and price risk on trading portfolios.

The Bank has a clearly articulated integrated treasury management policy and asset liability management policy to address market risk. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are revised periodically in line with changes in financial and market conditions.

Interest rate risk is measured through interest rate sensitivity gap report and Earning at Risk. Further, Bank is calculating duration, modified duration, Value at Risk for its investment portfolio consisting of fixed income securities, equities and Forex positions on monthly basis. The bank monitors the short term Interest rate risk by NII (Net Interest Income) perspective and long term interest rate risk by EVE (Economic Value of Equity) perspective. Value at Risk for the treasury positions is calculated for 10 days holding period at 99% confidence level. Stress testing of fixed interest investment portfolio through sensitivity analysis and equities through scenario analysis is regularly conducted. Based on the RBI directions the bank is also estimating the Economic value of equity impact on a quarterly basis.

Liquidity Risk

The primary aim of the Bank's liquidity management is to maintain the Bank's liquidity level in order to meet its liabilities as they become due and also to ensure that it is sufficient for the Bank's normal operations as well as to overcome any liquidity crisis that may arise. The Overall responsibility for managing and monitoring the liquidity risk rests with Asset Liability Management Committee (ALCO) and Asset Liability management (ALM) Cell.

To ensure that adequate liquidity is maintained consistently, the RBI has stipulated that in the time buckets of 1day, 2 to 7

days, 8 to 14 days and 15 to 28 days, the cumulative negative liquidity gap should not exceed 5, 10, 15 and 20 per cent of cash outflows in the respective time periods. The Bank reviews the liquidity position on a daily basis to ensure that the negative liquidity gap does not exceed the tolerance limit in the first four time buckets.

As a part of its liquidity risk management, the Bank focuses on a number of internal and external variables, including all available sources of liquidity, preserving necessary funding capacity and contingency planning. Maturity gap reports and liquidity assessment reports are prepared to facilitate the maintenance of an appropriately liquid combination of assets and liabilities. Liquidity risk is managed by flow approach as well as by stock approach process. Liquidity risk is measured by flow approach on a daily basis through Structural liquidity Gap reports and on a dynamic basis by Dynamic Gap reports on fortnightly basis for the next three months. In the stock approach, the Bank has established a series of caps on activities such as daily call lending, daily call borrowings, net short term borrowings and net credit to customer deposit ratio and prime asset ratio.

OPERATIONAL RISK

The Bank faces operational risk on account of inadequate or failed internal process, people and systems or external events. To monitor operational risk on an on-going basis, the Bank has established an Operational Risk Management Committee (ORMC) under the overall supervision of Sub-Committee of Board on ALM and Risk Management. ORMC meets on a regular basis to review matters relating to operational risk.

The Bank monitors operational risk by reviewing whether its internal systems and procedures are duly complied with. The Bank collects and analyses data on operational risk based on various different parameters on a half yearly basis and, where necessary, corrective steps are taken.

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II:

Your Bank has the largest overseas presence amongst the Indian banks and hence it was required to implement the Basel-II Guidelines from 31st March 2008. In keeping with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for operational risk, and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR. The Bank has therefore been computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on parallel basis under Basel-I and Basel-II Guidelines. Your bank is happy to report that it has attained the status of Basel II Compliance as on 31.03.2008 with a healthy CRAR of 12.91% under Basel I and 12.94% after providing for the additional capital charge for operational risk under Basel II.

Roadmap:

The Bank has laid roadmap for implementing the advanced approaches under Basel-II Guidelines. With an objective to move to "Internal Rating Based Approach" the bank has already started rating of borrowal accounts in a New Credit Rating Model. The New Basel II compliant Rating Model is integrated with Core Banking Solution and facilitates estimation of "Migration of Rating", "Calculation of PD (Probability of Default)" and "LGD (Loss Given Default)". Therefore with build up of data over a period of time, the bank shall smoothly migrate to Internal Rating Based Approach under Basel-II in due course.

Economic Intelligence Unit

At the Corporate Office of the Bank, a specialized Economic Intelligence Unit supports the Top Management in critical areas like Strategic Business Planning, Investor Relations and Credit and Market Risk Management. The Unit regularly provides the Top Management and the Bank's various operational units a periodic outlook on key macro variables like industrial and infrastructural growth, inflation, interest rates, credit penetration and resource mobilization of the banking industry, liquidity and exchange rates. By providing better understanding of macroeconomic aspects, corporate sector health and financial sector policies, this department supports the Bank's efforts in tapping business opportunities and swiftly responding to market dynamics.

Internal Control Systems

The Bank has a well established Central Inspection and Audit Division that examines the adherence to systems, policies and procedures of the Bank. The guidelines received on various issues of internal control from Reserve Bank of India, Government of India, Board and Audit Committee of the Board (ACB) have become part of the internal control system for better risk management. The Central Inspection & Audit Division through -10- Zonal Inspection Centres carry out inspection of branches/offices as per the periodicity decided by the ACB and examine adherence to such systems of internal control and risk management including various aspects like KYC/AML (i.e., Know Your Customers and Anti-money laundering) etc.

The Regular Branch Inspection Report is the most comprehensive feed back to the Management about the degree of compliance of the Bank's norms at the operational level and hence the most important tool for control. The compliance is monitored through Rectification Certificate.

In 2007-08, all the branches were covered under Risk Based Internal Audit. The assessment of the level of risk and its directions is as per the risk matrix prescribed by RBI which helps the management in identifying areas of high risk requiring attention on priority basis. The position of the risk categorization of branches is reviewed by the ACB on quarterly basis.

Besides regular inspection of the branches, various other inspections are also carried out in the Bank like inspection of subsidiaries, associate units, functional departments at Corporate, Head Office, Training Centres, Administrative Offices and Overseas branches through Bank's Internal Auditors posted at those centres & the Management Audit of the Controlling Offices of the Bank, its subsidiaries and RRBs.

The Central Inspection and Audit Division oversees the credit risk management through the Credit Audit. It covers large borrowal accounts both fund-based and non-fund-based as per the direction of the RBI.

All the reports during the current year of the eligible accounts for credit audit have been attended and closed after compliance/necessary directions to the concerned Zones.

In 2007-08, 2,214 Regular Branch inspections of domestic branches were carried out by inspecting officers attached to various Zonal Inspection Centres across the country, 434 inspections of overseas branches by Internal Inspectors posted overseas besides the Management Audit at Brussels branch. The Concurrent Audit of the Bank covers 461 branches including Specialized Integrated Treasury Branch which handles funds and investment management and forex dealing operations of the Bank.

The Concurrent Audit covers more than 63.0 per cent of the total business of the Bank besides 100.0 per cent business of forex dealing and domestic investments.

The Central Inspection and Audit Division compiles Risk Profile Templates on quarterly basis as per the direction of the RBI. As per the risk Profile templates of the RBI, the Bank's overall risk level is low and the direction is stable.

The Central Inspection and Audit Division also shoulders the crucial responsibility of IS Audit and Data Migration Audit of branches shifting to the CBS platform.

In 2007-08, the Bank upgraded its data base ASCROM for entire domestic credit portfolio from fox Pro to window. The migration has been audited by the IS auditors attached to CIAD.

The Bank conducted training programme of its Inspecting Officers attached to Zonal Inspection Centres on IS Audit, Data Migration Audit and Risk Based Internal Audit.

The Audit Committee of the Board comprises of five Directors. The Chairman is an Independent Non-executive Director.

The Inspection and Audit Division also ensures the Compliance of the Provision of SEBI (Prohibition of Insider Training) Regulations, 1992.

The Agenda placed before the Audit Committee of the Board for review includes total audit function of the Bank.

The compliance of direction of the Audit Committee of the Board is monitored through Action Taken Report System (ATRS).

The compliance of direction received from the Reserve Bank of India, Government of India are placed before the Audit Committee of the Board for review.

In 2007-08, the Bank framed "The Compliance Policy" as per the direction of the RBI with due approval of the Board.

OPERATIONS AND SERVICES

Compliance

The Bank has initiated measures for implementation of "Banking Codes & Standards Board of India" (BCSBI). The Bank has proactively implemented the Code for widespread awareness about the Code amongst its staff. The Bank has got printed a large number of copies of the Code for distribution amongst the customers for their awareness and benefit. This has also been put up on the Bank's website. The branches are now distributing the "Guidance Note" on deposits and advances to new customers.

Customer-centric Initiatives taken in 2007-08

In order to offer the basic banking services (such as issuance of drafts, remittance of funds and other essential banking services) to individuals, the relevant service charges have been reduced.



Shri N. R. Narayana Murthy, Chief Mentor, Infosys inaugurating the Business Centre at Mumbai Main Office, Mumbai

The Bank has introduced the following four Model Policy Documents, which have also been placed on the Bank's web site.

- Model Policy on cheque collection
- Model Policy on compensation
- Model Policy on collection of dues and repossession of security
- Model Policy on grievance redressal mechanism.

Customer Service Committee

In order to strengthen the corporate governance, the Bank has set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services having -4- General Managers of the Bank and -3- other eminent public personalities as

members. The Committee is chaired by the Chairman and Managing Director of the Bank.

This Committee has been set up to focus on inadequacies in banking services available to common person and looking into the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timeliness and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate incentives to facilitate change on an ongoing basis.

The Bank has also constituted a sub-committee of the Board, known as the 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members:

1. The Chairman and Managing Director
2. Executive Directors
3. Shri A. Somasundaram - Director

The functions of the sub-committee of the Board include suggesting and implementing innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all the categories of clientele, at all times. Apart from the above, the terms of reference of the committee are as follows.

- i. to oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also the compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- ii. to review the status of the Awards remaining unimplemented for more than three months from the date of Awards and also the deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman therein.
- iii. to review the status of the number of deceased claims remaining pending/outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors/locker hirers/depositor of safe custody articles.

The details of the attendance of the meeting of 'Customer Service Committee of the Board' during the year ended 31.03.08 is as under:

Name	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Dr. Anil K. Khandelwal Chairman & Managing Director	06.09.2007 05.03.2008	---- 05.03.2008
Shri V. Santhanaraman Executive Director	06.09.2007 05.03.2008	06.09.2007 05.03.2008
Shri S. C. Gupta. Executive Director	06.09.2007 05.03.2008	06.09.2007 05.03.2008
Shri A. Somasundaram Director	06.09.2007 05.03.2008	06.09.2007 05.03.2008

Know Your Customer (KYC)/Anti-Money Laundering (AML) Measures

The Bank has been implementing KYC-AML Policy as approved by its Board of Directors in accordance with the PMLA 2002 (Prevention of Money Laundering Act 2002) and RBI/IBA (Reserve Bank of India/Indian Banks' Association) guidelines. Accordingly, Cash Transaction Reports (CTR) are being submitted electronically every month for the entire Bank to Financial Intelligence Unit (FIU), New Delhi. The Bank receives error free validation report from FIU-IND of CTRs submitted to them. The Bank is also expected to go live shortly with AML solution for the purpose of generating Alerts and detecting / reporting of Suspicious Transactions (STR) to FIU, New Delhi, presently attended manually.

The Bank has also implemented Risk Categorization of Accounts considering the money laundering risk perceptions to enable its branches to effectively monitor "high risk" accounts. The KYC/AML Department has been established at the Bank's Head Office with trained/experienced officers. The audit of KYC compliance by branches is carried out during branch inspection by Internal Inspectors/Concurrent Auditors on continuous basis. The staff members are imparted training on KYC/AML aspects at the Bank's Staff College at Ahmedabad and its various Training Centres. Senior level executives are regularly deputed to workshops/ seminars conducted by RBI, IBA and NIBM (National Institute of Bank Management) to enhance their awareness in these aspects.

Vigilance

The vigilance activity is a part of the success story of the Bank. It is used as an aid to quality decision making with an objective of instilling confidence in the employees.

A careful distinction is made between cases with malafide intentions/gross negligence, which put the Bank's funds into avoidable jeopardy and cases of business decisions gone awry. More pragmatic view is taken while dealing with cases of bonafide business decisions, which has resulted in removing fear psychosis amongst operational functionaries at various levels. This has had a salutary effect on the confidence level of decision making authorities.

The various initiatives/proactive steps taken towards improvement of vigilance administration have led to significant reduction of pending vigilance cases in general and long pending enquiries beyond six months in particular, which have drastically come down to a bare minimum.

The ongoing review of systems and procedures in vogue is undertaken with a view to minimizing severity and recurrence of frauds. It is heartening to note that with the extraordinary alertness and vigil displayed by the operating staff, -63-attempts of defrauding the Bank by unscrupulous elements were thwarted during the year 2007-08, which saved the Bank from substantial monetary losses.

Business Performance

Resource Mobilisation

The share of the Bank's deposits to total resources was at 84.65 per cent as of 31st March 2008. Total deposits grew from Rs 1,24,915.98 crore to Rs 1,52,034.12 crore, reflecting a growth of 21.71% over the previous year. Of this, Savings Bank Deposits – an important constituent of low cost deposits – grew by Rs 4,199.1 crore from Rs 31,577.28 crore to Rs 35,776.38 crore. The share of low cost deposits (Current and Savings) in Global (Total) Deposits stood at 31.22 per cent and in Domestic Deposits at 35.93 per cent. The banking industry as a whole witnessed a movement from low cost deposits to term deposits during the year 2007-08, as a result of a sharp increase in the term deposits rates.

Composition of Funds – Global

Particular	End-March 2008 (Rs crore)	End-March 2007 (Rs crore)	Growth %
Deposits	1,52,034.12	1,24,915.98	21.71
- Domestic	1,22,479.35	99,725.62	22.82
- Overseas	29,554.77	25,190.36	17.33
Borrowings	3,927.05	1,142.56	243.71

Global Advances

Particular	End-March 2008 (Rs crore)	End-March 2007 (Rs crore)	Growth %
Advances	1,06,701.33	83,620.87	27.60
- Domestic	84,503.31	67,262.69	25.63
- Overseas	22,198.02	16,358.18	35.70

Wholesale Banking

Wholesale Banking business has emerged as one of the most competitive business segments due to the aggressive role being played by large private and foreign banks. However, considering the fact that half of the Bank's lending business is generated from Wholesale Banking, a strategy was adopted to penetrate into this segment with a different kind of business model, service standards, faster response and better accessibility.

The setting up of Wholesale banking branches for large corporates and mid corporates separately, Centralised Processing Center at the Bank's Corporate Office, Client Service Teams at field level are some of the steps in this direction. During the current year ending March 2008, the Bank has already added more than 50 new clients and expects more additions to the list.

With a view to retain and improve the asset quality by effective credit monitoring as well as containment of slippages, the

Credit Monitoring and Assets Health Check System (CREMAS) and Early Warning Alert System (EWAS) are extensively used. While 'Hunting Limit Policy' is used for securing new corporate business, 'Exit Policy' is used for shedding weak assets. The Bank has adopted Basel-II compliant risk rating model and has migrated to 'Standardized Approach' by end-March 2008 as per the regulatory norms.

Considering the importance of higher skill requirement in the fast changing environment, effective steps have been taken to groom a talent pool in the area of credit through extensive in-house training and by nominating them to external training establishments.

Retail Business

Retail continued to be the thrust area for achieving business growth during the year 2007-08. For achieving sustained growth on both liabilities and assets side, the Bank initiated various customer centric measures besides launching special products. The performance highlights for the year 2007-08 are as under:

The Bank's overall Retail Credit stood at Rs 16,892.32 crore as at the end of March, 2008, registering the growth of Rs 2,573.31 crore over previous year. The primary objective of the Bank during the period was to maintain or improve the quality and to build a healthy "Retail Loan" portfolio, and, therefore, the emphasis was laid on Baroda Car Loan and mortgage-based products viz. Baroda Home Loan, Baroda Traders Loan and Baroda Advance against Property. In our quest to bring youth into the Bank's fold, the thrust was also given on Baroda Education Loan product during the year.

Home Loans for the Bank increased by Rs 1,195.88 crore during the year, registering the growth rate of 19.66 per cent over March, 2007. Traders Loan, Advances against Mortgages, Education Loans and Car Loans achieved a spectacular growth of 39.35 per cent, 56.06 per cent, 35.59 per cent and 37.61 per cent during the year ended March, 2008, respectively.

It has always been the endeavour of the Bank to review the norms and features of all existing products on an ongoing basis and modify, wherever required, to suit the changing needs of the customers. New products have also been launched during the year to cater to the needs of different segments of the society/clientele.

New Retail Products

As a part of the Bank's Centenary Year celebrations, the Bank had launched following new deposits products with effect from 20 July, 2007.

1. Baroda Centenary Savings Account – An improved version of our existing Super Savings Account product, having following distinguishing features, was introduced in all the CBS branches.

- (a) Default threshold limit for triggering auto sweep to term deposits reduced to Rs 10,000 from Rs 20,000. This, we feel would increase the yield to Centenary Savings Accounts holders.
- (b) The customer has been given liberty to decide the amount of auto sweep subject to minimum amount of Rs 5,000 and, thereafter, in multiple of Rs 1,000 and the frequency of triggering auto sweep during a month.

Thus, a wide choice was given to our customers to customize the product by themselves suiting their individual needs.

2. Baroda Centenary Term Deposit – A new term deposit product was made available for a limited period offering higher rate of interest.
3. In terms of guidelines circulated by the National Housing Bank (NHB), Baroda Ashray, a Reverse Mortgage Loan product was launched on the eve of the Annual Bankers' Conference – Bancon, i.e., 26 November 2007. The product provides loan to Senior Citizens against residential properties acquired by and standing in their name and also self occupied.
4. Economic reforms have opened up huge opportunities for young executives to take up challenging positions. Therefore, many working executives generally go for pursuing Business Management courses. For catering to the financial needs of such working executives, a special product known as Baroda Career Development was launched on 6 December 2007.



Brand Ambassador Shri Rahul Dravid and Executive Directors, Shri V. Santhanaraman and Shri S.C. Gupta launching the new product - Baroda Gold Coin.

Products Modification

Baroda Traders Loan - a product meant for providing hassle free credit to traders, has received a good response from the target segment. For enlarging the scope of the product, credit limit ceiling was raised to Rs 2 crore.

Similarly, a single rate of interest was introduced for Baroda Car Loan to make it more competitive.

Campaigns organized:



Brand Ambassador Shri Rahul Dravid presenting a memento to the winners of the SB campaign - "Play with Rahul".

Centenary Retail Loan Festival

In order to canvass a large number of retail loan accounts, the Bank organized special campaigns across all the domestic branches from 17 September 2007 to 31 December 2007. The Bank provided concession in the rate of interest and processing charges to customers during the campaign period. The Bank sanctioned 21,707 loans amounting to Rs 1,891.93 crore under this campaign.

Traders Loan Campaign

A special campaign for Baroda Traders Loan was organized from 1 January 2008 through 25 March 2008. The branches sanctioned 5,603 loans aggregating Rs 992 crore during the campaign period.

Structural Changes

1. In order to strengthen the Retail Credit Delivery System, the Bank opened two new Urban Retail Loan Factories (URLFs) at Varanasi and Indore during the year, thus raising the total URLFs to 15.
2. Gen-Next Branch - Focusing the youth segment, the Bank launched Gen-Next branch, a new format of branch banking for the youth and young IT professionals at Pune (April, 2007) and Bangalore (November, 2007). The branches are equipped with modern gadgets, ambience and all other facilities, which a youth requires in today's modern era. Encouraged with the response, the Bank plans to open more branches at other centers in the country.

Other Initiatives

Technology Enabled Delivery Channels

Online Education Loan Application facility – To facilitate the student community in getting hassle free loans for pursuing higher education, the Bank has introduced



Education Loan @ click of mouse

an “On Line Education Loan Application Facility”. This facility will enable applicants to apply online and get in principle approval within 48 hours through the system.

Baroda Easy Pay – This is an electronic bill presentment and payment service launched from 4th June 2007. This system enables our customers to pay their bills online.

Promotion of Internet Banking – The Bank aggressively promoted Baroda Connect, an e-Banking channel, during the year. The response from its retail customers has been very encouraging.

Online booking of Railway Tickets - In our pursuit of providing convenience to our customers, a technology enabled online booking of Railway Tickets facility has been launched in collaboration with Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. The Bank’s customers can now make an on line payment of their Railway Bookings through the Bank’s Gateway.



Baroda Connect (e Banking)

Other Strategic Initiatives

The Bank also launched the Sale of Gold coins as a new initiative to augment its non-fund-based income from 23 October 2007 through select branches, presently 250 branches acting as POS across various Regions/Zones.

SME Business

The Small and Medium Enterprises (SMEs), are the primary growth engine for Indian Economy. This segment plays a vital role and has contributed significantly in the progress of the Indian Economy since independence. The sector has provided a sound industrial base to exports as well as to Gross Domestic Product. The SMEs in India contribute over 46.0 per cent of industrial output and about 50.0 per cent of the country’s exports.

The Bank has always been a forerunner in the development of small-scale industries and has formulated liberal and comprehensive SME Loan Policy for the SME customers. Furthermore, to give a focused attention to emerging SMEs in India besides the enterprises covered under the regulatory definition of SMEs, the Bank has been considering other commercial units also with a turnover up to Rs 100 crore at par with the SMEs.

SME Loan Factories

The Bank has introduced a SME Loan Factory (SLF) model as a fast delivery channel for the benefit of SME units. This



SME Loan Factory at New Delhi being inaugurated by our Director Shri G. C. Chaturvedi.

“model” incorporates an innovative concept of “Sale & Delivery Model” based on the assembly line principle, engaging the Bank’s staff and supported by simplified processes and technology. The SLF has two separate branches, viz., “Sales” and “Credit” for credit marketing and credit processing. The concept has been received quite well by the business communities. The Bank opened a record number of eleven new factories on foundation day of the Bank, i.e., 20th July 2007 taking the total number of SLFs to 27.

At present, the Bank has SLFs at several business centres across the country. The centres are Agra, Ahmedabad, Bangalore, Baroda, Bhilwara, Bulsar, Chennai, Coimbatore, Delhi, Ghaziabad, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jamshedpur, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Mumbai (3 SLFs), Nagpur, Noida, Pune, Rajkot and Surat.

Bank has planned to establish five new SME Loan Factories during the year 2008-09 including one additional Loan Factory at New Delhi.

In aggregate, total loan sanctioned through SME Loan Factories during the year ended March 2008 increased to Rs 5956 crores from Rs 2016 crores in previous year.

SME Credit Growth

Bank has maintained the growth rate of more than 31.0 per cent in financing the SME segment during the year 2007-08. The total outstanding in SME sector worked out to Rs 11808.0 crore as on 31st March 2008 as per the regulatory definition of SMEs. It comprised 13.83 per cent of the gross domestic credit of the Bank. The Bank’s performance in the SME segment is as follows.

Sector	Credit growth (%)	
	2006-07	2007-08
Total SME	31.40	31.11

Initiatives taken during the year in SME financing

- The Bank entered into a MOU with “Dun & Bradstreet” in May 2007 for carrying out credit rating of SSI units at concessional rate.

- The Bank redesignated 22 general branches as specialized SME branches. With this, the Bank has 60 Specialized SME branches across the country.
- The Bank introduced many new customer centric area specific products to suit the local needs of the SME clusters.
- The Bank liberalized systems and procedures with a view to provide a simplified process for faster credit appraisal.
- The Bank designed Special Training Programme for grooming its officers in the SME business.
- The Bank tied up with Bhartiya Yuva Shakti Trust to impart training to SME entrepreneurs for sponsoring them to Bank for finance.
- The Bank organised customers' meets by all SLFs. It also undertook continuous knowledge updating and skill building of officers attached to SLFs.

Rural and Agricultural Lending

The Bank has always been a frontrunner in the area of Priority Sector and Agriculture Lending, harnessing the vast potential of the rural market through its wide network of 1,097 rural branches and 624 semi-urban branches. The Bank has opened 60 new branches in rural and semi-urban areas during 2007-08.



Smt. Sonia Gandhi, Chairperson UPA and Shri P. Chidambaram, Hon'ble Finance Minister launching 1000 SHGs and 151 Farmers' Club in a function at Raebareli.

The Bank is the convener of State Level Banker's Committee (SLBC) in UP and Rajasthan. The Bank has Lead Bank Responsibility in 43 districts in the states of Gujarat (12), Rajasthan (12), Uttar Pradesh (14), Uttaranchal (2), Madhya Pradesh (1), and Bihar (2).

The Bank has sponsored five Regional Rural Banks (RRBs) in various states with a branch network of 1,190 branches and total business of Rs 11,999.70 crore as of end-March 2008.

Performance of Priority Sector Lending in 2007-08

Priority Sector Advances of the Bank surged from Rs. 25,290.84 crore as at end-March 2007 to Rs 31,681.26 crore as at end-March 2008 and formed 47.10 per cent of the

Net Bank Credit (NBC) against the mandated target of 40.0 per cent. The Agriculture Advances of the Bank recorded a growth of 28.0 per cent over the previous year and rose to Rs 13,269 crore as at end-March 2008.

Under its flagship agriculture loan product "Baroda Kisan Credit Card", the Bank issued as many as 1,48,547 credit cards during 2007-08 to provide credit to farmers. The Bank has financed as many as 1,90,511 new farmers during the year 2007-08. As a part of its microfinance initiatives, the Bank credit linked 13,256 Self Help Groups with an amount of Rs122.77 crore during 2007-08, out of which 77.0 per cent are women SHGs, thereby taking the total number of credit linked SHGs to 70,995 amounting to Rs 422.28 crore.

Business Initiatives and Strategies

The Bank introduced various initiatives/strategies during 2007-08 to harness the emerging opportunities for rural/agricultural lending such as:

- To augment the Agriculture advances, the Bank has conducted special campaigns, viz., Kharif campaign for crop loans and Investment Credit Campaign disbursing Rs 950.53 crore and Rs 926.28 crore respectively.



View of gathering at Raebareli function.

- The Bank organised 2,108 Village Level Credit Camps and disbursed Rs1,293 crore to penetrate/capture the rural markets. The Bank has also conducted 30 Mega Credit Camps disbursing Rs 508.88 crore.

- The Bank identified 350 Thrust Branches across India to enhance agricultural lending which constituted 37.0 per cent of total agricultural lending as at end-March 2008. These Thrust Branches have achieved a growth of 34.23 per cent during 2007-08.

- The Bank formulated various area-specific schemes tailor made to the needs of local requirements, particularly where there is a concentration of industries like Rice Mills,

Cold Storages, Poultry Units, etc. Suitable concessions in the rate of interest, charges, etc., were allowed under these schemes to garner maximum business outsmarting competition.

- Towards effective use of technology in rural agricultural lending during 2007-08, the Bio-metric ATMs were installed in Gujarat and Uttar Pradesh. The Bank initiated efforts to introduce IT-enabled smart card based technology. Currently, the Bank has about 247 ATMs in Rural/Semi-urban areas and 157 rural branches and 452 semi-urban branches are under the Core Banking Solution.
- The Bank organized Centenary Year Gramotsav and National Level exhibition of SHGs at Rae Bareilly on 20th February 2008, which was inaugurated by Smt. Sonia Gandhi, Chairperson, UPA. The Hon'ble Finance Minister P. Chidambaram also graced the occasion. The SHGs from various states displayed their products in the exhibition. Moreover, around 1000 SHGs, 151 Farmers Clubs, one BSVS centre, one BGPK Centre, one Biometric ATM were inaugurated during the occasion in addition to disbursement of loans to the tune of Rs 341 crore.
- The Bank during its Centenary Year launched many other initiatives. The Bank adopted Dungarpur district (a district in Rajasthan, which is primarily a tribal district and one of the most backward districts in the country), for "Total Integrated Rural Development and 100.0 per cent Financial Inclusion". The project was launched on 1st October 2007. It may be noted that 100.0 per cent Financial Inclusion in Dungarpur district has already been achieved. The Bank now plans to provide financial assistance to 20,500 families with an outlay of Rs 54.50 crore under Dairy Development, High Value Crops, Vegetable cultivation, etc. Various other developmental activities are also being done under the project.
- The Bank adopted 101 villages (101 "Baroda Centenary Year Villages") for Total Integrated Development spread over three years and 100.0 per cent Financial Inclusion.
- 42 Baroda Grameen Paramarsh Kendra (BGPK) – This was an initiative to help the rural community by providing credit counseling and other services like information on the prices of agricultural products, scientific farming, etc.- were set up during the year.
- With an additional Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS) Centre at Raebareilly exclusively for women entrepreneurs, 12 such centres in four states are functioning as of today. These are exclusive institutes for training the youth and imparting knowledge and skills required for taking up self-employment ventures. During 2007-08, around 5,577 youth/beneficiaries have been trained out of which 3,449 have successfully established self-employment ventures.

- The Bank has initiated various measures to achieve Financial Inclusion. Bank had adopted 500 villages for 100.0 per cent Financial Inclusion and 100.0 per cent Financial Inclusion has already been achieved in all these 500 villages. The Bank has also achieved 100.0 per cent financial inclusion in Dungarpur District (Rajasthan), Nainital, Udamsinghnagar Districts (Uttarakhand,) Dang, Dohad Panchmahal districts (Gujarat). Besides, the Bank has achieved 100.0 per cent Financial Inclusion in 8,160 villages in various districts identified by the State Level Bankers' Committee (SLBC).
- The Business Facilitators' Model has been implemented across the country to accelerate Financial Inclusion of the excluded segment as well as to augment agriculture portfolio. The Business Facilitators will mainly canvass loan applications for the Bank for which Bank will pay them compensation. Individuals, NGOs, Farmers' Clubs and SHGs are engaged as agents to greatly improve the Bank's outreach in the rural /semi-urban areas.
- The Bank has established a separate Microfinance Cell to deal with Microfinance portfolio exclusively. The Bank has also signed a MoU with CmF (Centre for Microfinance) to focus on skill up-gradation for Micro Finance activities for rural and agri business and formation of quality Farmers' Clubs/ Self Help Groups and providing special training to them through CmF.

Performance of Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank

The Bank has Sponsored five RRBs as under.

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Head Office : Raebareilly.
- Baroda Rajasthan Gramin Bank, Head Office : Ajmer.
- Baroda Gujarat Gramin Bank, Head Office : Bharuch.
- Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank, Head Office: Haldwani.
- Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank, Head Office : Jhabua.

The Aggregate Business of these five RRBs rose to Rs 11,999.70 crore as of March, 2008 from Rs 10,184.31 crore as of end-March, 2007, registering a growth of 17.83 per cent.

These five RRBs together posted a net profit of Rs 49.99 crore during 2007-08. The "Net Worth" and the "Reserves and Surplus" of all these RRBs together improved from Rs 275.63 crore at end-March, 2007 to Rs 325.22 crore at end-March, 2008 and from Rs 173.11 crore at end-March, 2007 to Rs 208.69 crore at end-March, 2008 respectively.

Asset Quality Management

The Bank continued its journey in improving its performance in the area of NPA management in the year 2007-08 as well. Through the well co-ordinated and sustained efforts, the

Global Gross NPA level was brought down from 2.47 per cent to 1.84 per cent and also the Net NPA from 0.60 per cent to 0.47 per cent as per the promise made by the Bank to its stakeholders.

It is worth reporting that not only the Gross NPA and Net NPA were brought down in percentage terms but were also reduced in absolute terms to the level of Rs 1,981.38 crore and Rs 493.55 crore as at the end-March 2008 from the opening portfolio of Rs 2,092.14 crore (for Gross NPA) and Rs 501.67 crore (for Net NPA) respectively.

During the year 2007-08, the asset quality improved further with the rise in the share of standard advances from 97.53 per cent at the end of the previous year to the present level of 98.16 per cent as per the table given below:

Advance Category (Gross)	31 st March 2008		31 st March 2007	
	Amount (Rs crore)	% to total	Amount (Rs crore)	% to total
Loss	366.12	0.34	312.69	0.37
Doubtful	887.65	0.82	1,147.68	1.36
Sub-Standard	727.61	0.68	631.76	0.74
Gross NPA	1,981.38	0.68	2,092.13	2.47
Standard	1,05,690.44	98.16	82,622.15	97.53
Total loan assets	1,07,671.82	100.00	84,714.28	100.00

The Bank's NPA coverage ratio is at a comfortable level of 75.09%. The slippages were contained at 1.21 per cent of the Opening Standard Advances of the year.

The aggressive and focused efforts in "Recovery and NPA Management" could result in the recovery of Rs 588.73 crore in the NPA and, additionally, accounts worth Rs 133.05 crore were upgraded.

It is pertinent to note that the recovery in the prudentially-written-off accounts amounted to Rs 363.33 crore as against Rs 258.90 crore in the previous year.

During the year 2007-08, the Bank adopted a route of sale of old hard core financial assets and realized Rs 269.79 crore.

Other recovery measures undertaken by the Bank include Maha Samjhaatha Abhiyan, under which the recovery was Rs 60.22 crore in accounts with outstandings of Rs 5 lacs and below.

Treasury Operations

The year 2007-08 witnessed one of the worst crises hitting the global financial sector in the form of subprime collapse. There were large write downs by the world's major banks and some hedge funds collapsed as the spreads on the bonds they held increased. There was a liquidity crisis in the U.S. corporate bond markets as the investors stayed away from the corporate bonds. A concerted action was taken in the form of

increased funding limits by the central banks across the world to improve the liquidity but to little help. In order to restore normalcy, the Federal Reserve went on to cut its Fed funds rate aggressively.

The Indian Bond markets too saw yields moving up in the first half-year owing to the big supply of Government securities as well as the MSS (Market Stabilisation scheme) auctions by the RBI as liquidity remained excess in the system. While the Reserve Bank kept its rate unchanged in its April policy review, it withdrew the ceiling of Rs 3,000 crore on the reverse repo. The RBI increased the CRR (Cash Reserve Ratio) twice during the year effective August 4, 2007 and November 10, 2007 by 50 bps each. The sentiment improved a bit during the second half of the financial year 2007-08 after an aggressive cut in the Fed Funds rate brought an expectation of a rate cut in the domestic market. The yield on the 10-year benchmark, which had started the year at 7.99%, touched a low of 7.36% in the month of January 2008. But an increase in inflation towards the end of the year, which touched a high of 7.41% on 14th March 2008, again led to selling spree in the market. The inflation crossing the RBI comfort level of 5.0 per cent led the participants into further monetary tightening.

The yield on the 10 year benchmark, which started the year at 7.99%, moved to a low of 7.36% on 24th January 2008 but closed the year at 7.94%. The corporate bond markets too saw the spread widening vis-à-vis the comparable government securities. In order to protect the portfolio, the Bank shifted its SLR securities from AFS to HTM at the start of the year. A major portion of the portfolio was kept in the short-tenure securities in order to keep the duration lower and to protect the portfolio from adverse movement in yields.

The Bank was, however, active in the Money Market, earning healthy income in the short-term operations, apart from exploiting arbitrage opportunities that existed between different markets, for augmenting its earnings.

The Equity Market witnessed high volatility during the year. The benchmark sensex, which was 13,072 on 31st March 2007 rose up to 21,207 on 10th January 2008 on the back of robust economic growth as reflected by the GDP growth and good corporate results. However, it nose dived to 14,677 points on 18th March 2008 as a result of a global meltdown. During the last quarter of the year, the markets remained highly volatile. They showed some strength towards the end of the year and moved up and closed at 15,644 points on 31st March 2008. However, the Equity Desk of the Bank remained active and has earned substantial growth in equity income through prudent market operations.

In the Foreign Exchange Market, Indian rupee appreciated by 7.26% against the US Dollar during the year. It moved from Rs 43.26 per USD to Rs 40.12 per USD mainly on account of accelerated inflows of foreign capital during the first nine months. It oscillated between a high of Rs 43.30 and a low

of Rs 39.20 against the US Dollar. The Bank's integrated Treasury continued to be a prominent market maker in USD/INR and USD/Euro. The Bank's Foreign Exchange Dealing Room took advantage of the increasing foreign exchange volume triggered by steady foreign exchange inflows and enhanced the volume of merchant transactions to earn good profit for the Bank.

State-of-the-Art Dealing Room of the Bank at Mumbai handles the entire gamut of foreign exchange transactions and derivative products. The advanced technology environment is being leveraged by the Bank to offer a variety of products to its clients by way of hedging instruments such as Interest Rate Swaps, Currency Swaps and Options. Through the Automated Dealing System, the Bank quotes auto generated real time foreign exchange rates to its customers at all authorized branches in India, thereby providing them the feel of the real time market. A new system to provide live rates to customers is also on the anvil.

As part of its business reengineering, the Bank is in the process of implementing Global Treasury Solution across main money centers. It was implemented successfully in London in November 2007. The rollout for other centers is in progress. When implemented, the Bank will have better Global Risk Management setup and can achieve optimum deployment of resources.

The Bank has set up an active Derivatives' Desk at its Treasury Branch, which offers customized products to meet the requirement of corporates in hedging their interest rate and currency risks.

A full-fledged Mid-office in the Treasury Division monitors and manages various exposures and limits fixed by the Board of Directors on real time basis, using advanced technology. The Risk Management Tool such as Value at Risk (VaR) is used to measure the Market risk on all portfolios. Furthermore, the back testing of VaR number is conducted on daily basis to confirm the veracity of the forecasted values. The Stress Testing of all portfolios is also done to complement the VaR analysis.

Overseas Business

The Bank's presence in different geographies and markets around the world was further strengthened by opening of 11 new overseas offices during the year 2007-08. This is a landmark in the 54 years history of International Operations of Bank of Baroda. The year had been marked with economic turmoil, rising oil prices, appreciation of Indian Rupee, liquidity crunch etc. Despite the difficult economic situation in various overseas territories, the business and profit performance during the year has been good.

In the year 2007-08, the Bank's footprints were extended to four new countries, i.e., Australia, Bahrain, Ghana and Trinidad & Tobago besides extending network in seven existing

countries. Raising of resources from international markets; pursuing other expansion opportunities around the globe, active participation in overseas loan syndication, arranging of funds, assisting Indian corporates and funding their requirements for acquisition finance, aggressive marketing campaigns, technology upgradation and strengthening of risk management systems abroad were some of the landmark developments during the year.

Business & Profit Performance

Total Business (Deposits + Advances) of the Bank's overseas branches (excluding overseas subsidiaries and joint venture) registered a growth of 24.56 per cent - Deposits by 17.33 per cent and Advances by 35.70 per cent during the year. The Bank's international operations contributed 20.00 per cent to the Bank's global business.

Total Assets

Total assets of the Bank's international operations grew by 31.68 per cent over the previous year.

Net Profit

The Net Profit from international operations, however, remained at the same level, mainly due to a sharp appreciation of rupee and additional provision requirements on investments. The contribution of international operations to the Bank's global Net Profit stood at 23.79 per cent in 2007-08.

Asset Quality

The Gross NPAs in overseas business were brought down to 0.55 per cent from 0.73 per cent in the previous year. The Net NPA was at almost zero level. The Gross NPA level of the Bank's international operations at 0.55 per cent is comparable to the best international standards.

International Presence

The Bank's international presence covers 25 countries through its 71 branches/offices:

Bank's Overseas Branches	46
Bank's Representative Offices	04
Branches of Bank's Overseas Subsidiaries	21
TOTAL	71

In addition to the above, the Bank's associate in Zambia has nine branches.

Overseas Expansion

During the year, the Bank opened 11 new overseas offices, which included four branches/offices of the Bank, and one Representative office at Sydney, Australia. The branches of two new subsidiaries commenced operations at Trinidad & Tobago and Ghana and four branches of existing Subsidiaries were opened.



Governor of Central Bank of Kenya, Prof. Njuguna Ndung'u inaugurating 7th branch of Bank of Baroda (Kenya) in Eldoret.

The upgradation of Hong Kong operations: The Bank's operations in Hong Kong through its subsidiary – with Restricted Bank License - were upgraded to Full Service Bank. The Bank's two branches in Hong Kong commenced full service banking operations from April 2007.

Future Plans

The Bank has drawn further ambitious plans for expansion abroad, besides penetration in countries where it has presence to serve its 33 million global customers still better. Other countries, where the process is under way are Canada, New Zealand, Russia, GCC countries - Qatar, Kuwait, Saudi Arabia and Mozambique in Africa.

The Bank is also planning to upgrade/expand its existing network in countries like China (branches – Guangzhou and Shanghai); Malaysia (Joint Venture); Kenya (Nakuru); UAE (Fujairah) and Oman (Sohar).

The Bank has plans to extend its service area in UAE, where it is the only Indian Bank with full banking license, by opening five Electronic Banking Service Units (EBSUs) and installation of additional ATMs.

Syndication Center



Dr. Anil K. Khandelwal, the then CMD, Ms. Salma Ali Saif Hareb, CEO, Jabel Ali Free Zone Authority & Economic Zones World, Jabel Ali and H. E. Venu Rajamony, Consul General of India, Indian Consultate, Dubai inaugurating Electronic Banking Service Unit at Jabel Ali, Dubai.

The Bank already had two specialized outfits at Global Syndication Center at London and International Merchant Banking Cell (IMBC) - at International Division, Mumbai focusing on the business of syndicated loans and Credit-Linked Notes (of Indian corporates only) in the international market for both Indian and Non-Indian corporates. The Bank has played a major role in overseas “acquisitions & mergers” of Indian companies through active participation.

Another Syndication Centre was set up at Dubai during the year, with a view to tap growing business opportunities in the Middle East. The Bank is in the process of setting up one more Regional Syndication Center at Singapore to capture the opportunities of South Asian market.

Products and Services

The Bank continues to expand its vast array of international banking products and services for meeting the needs of its global customers. These include – customer-centric assets & liabilities products, international trade finance – buyers/suppliers credit, treasury products, arranging funds from international markets through foreign currency loans, syndications for large foreign currency requirements, debt instruments like FRN/Bonds, structured/tailor-made financial solutions, payments and receipts, remittances, merchant banking/advisory services for foreign currency convertible bonds/ ADR/GDR, full banking services to joint ventures/ wholly-owned subsidiaries (WOS) of Indian corporates in the countries where it operates.



RapidFunds2India - an instant remittance facility

The Bank launched many customer-centric initiatives during the year with a view to enhance customer service and convenience. A retail shoppe; SME loan factory, central processing cell were opened in UAE.

Various value-added services for NRIs were launched during the year. “RapidFunds2India” an instant remittance facility to India was extended to US, Seychelles and Mauritius besides existing countries of UAE, Oman and UK. Through this facility, money can be transferred instantly to over 1,700+CBS branches of the Bank in India and for near-instant remittances to RTGS/NEFT-linked branches of other banks in India.

Steps were also taken to tie up with various Exchange Houses in the Middle East to increase the collection points for inward remittances.

Realty sector in India has been booming. With a view provide margin money to NRIs seeking Home Loans in India, a special product was launched in UAE & Oman.

Technology Upgradation

As part of its technology upgradation programme, the Bank's all overseas offices except USA, Belgium, and OBU Mumbai were brought under Centralized Core Banking Solution (CBS) – connecting them to the Bank's Global Data Center in Mumbai and Disaster Recovery Site at Hyderabad.

Besides the CBS platform, overseas territories have taken steps to expand various e-delivery channels like ATM network, tele and mobile banking, internet banking, in order to provide world-class banking experience to the customers. Also, e-banking was inaugurated at Mauritius and will be extended to all the overseas centres in a phased manner. The number of ATMs in UAE were increased from 8 to 18 besides installing 8 new ATMs in Fiji.

Risk Management

With substantial growth of business of international operations in last three years and complex financial derivatives products available in the market, risk management has assumed greater importance. There has been a basic shift in the paradigm of the Bank's risk management practices and greater emphasis has been placed on the successful identification, quantification, mitigation and control of risks. Special risk-management cells are being created in the U.S., U.K., UAE and Belgium to strengthen its risk management systems and comply with Basel II guidelines.

Regulatory Compliance

Over the years, the Bank has built up a reputation of being a regulatory-compliant Bank and a good corporate citizen in various overseas territories.

The Bank is putting in place systems to scrupulously adhere to the Anti-Money Laundering Guidelines of the host country regulators.

Overseas Subsidiaries & Associates of Bank of Baroda as of March 31, 2008

(Rs crore)

	Total Assets	Net Profit/ Loss	Staff No.	Dividend %
Subsidiary:				
1. Bank of Baroda (Uganda) Ltd*	561.87	25.06	149	70% Proposed
2. Bank of Baroda (Kenya) Ltd*	925.06	31.31	124	10% Proposed
3. Bank of Baroda (Tanzania) Ltd *	210.57	2.52	19	-
4. Bank of Baroda (Botswana) Ltd**	418.58	6.51	21	(Proposed 10% subject to their board approval)
5. Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd**\$	126.24	2.64		-
6. Bank of Baroda (Guyana) Ltd**	108.53	1.11	16	-
7. Bank of Baroda(T&T) Ltd.	47.32	-1.83	11	
8. Bank of Baroda (UK) Ltd**	0.03	0	-	-
9. Bank of Baroda (Ghana) Ltd. \$\$	35.77	-0.50	8	-
Total	2398.20	67.32	348	
Associate:				
1. Indo-Zambia Bank Ltd (Lusaka)**	839.70	25.59	222	30% (Interim already paid) (Proposed 30% final dividend subject to their Board approval). Total dividend will be 60%
* Audited Figures belong to year ended 31 st Dec 2007.				
** Audited Figures belong to the year ended 31 st March 2008				
\$ The Subsidiary stopped taking fresh business w.e.f.31.03.2007 and winding up is underway.				
\$\$ The Subsidiary commenced operations w.e.f. 11.02.2008. (Accounting year Jan-Dec.)				

Technology Upgradation

In the year 2005-2006, the Bank embarked on an IT enabled Business Transformation Project to reposition itself in the intensely competitive banking environment. The Project envisaged a host of applications to be implemented in the Bank over a five year period ending March 2010, which would help the Bank to transform itself into a customer-centric organization and reduce the cost of its services.

To support the integrated transformation project, the Bank set up its own state-of-art Data Centre on 10th December 2005 conforming to Uptime Institute Tier-3 standard. The Bank also established a 1:1 replicant Disaster Recovery Site at Hyderabad taking into account international requirements of 500 km distance and different seismic zone.

Technology Progress in 2007-08

- **Core Banking Solution:** As of 31st March 2008, 1,718 branches in India are on the CBS. This covers 908 centers in 34 states/union territories and approximately 92.0 per cent of the Bank's domestic business. Additionally, 41 branches in 11 countries and 21 branches of seven overseas subsidiaries are on Finacle CBS. The overseas branches on CBS account for about 75.0 per cent of total overseas business.
- **Wide Area Network:** The implementation of CBS and other centralized applications requires a robust Wide Area Network (WAN) with adequate redundancy built in at every layer. The Bank's WAN architecture is built on the three layer model of Core, Distribution and Access. As on March 2008, 2,044 offices and 65 overseas offices are on the Bank's WAN.
- **Internet Banking:** The Bank has launched a full-fledged transaction-enabled Internet Banking in India, which has received good response from both retail and corporate customers. Through this platform, our customers have the facility to pay both direct and indirect taxes online, make payment of utility bills and also book rail tickets. The corporates also have the facility of direct salary uploads. A view-based internet banking has also been launched in Mauritius, UAE, Oman and Seychelles.
- **ATM Network:** The Bank's ATM network has increased to 1,106, which includes two Biometric ATMs installed at Gandevi in Bulsar district and Malik Mau in Rae Bareilly district. The Bank has also installed 42 ATMs at Railway stations.

The Bank has a network of 31 ATMs in its overseas territories, mainly in UAE, Oman, Mauritius, Fiji, Uganda and Tanzania. The Bank's inter-connected ATM network now stands fully migrated to world-class BASE-24 Switch,

except for the two biometric ATMs. The Bank, being a member of National Financial Switch (NFS), its ATM cards can be used by the customers through ATMs of other banks, who are also members of the NFS. The Bank's ATM network is also affiliated to VISA Electron and is Master Card compliant. As a value added service, school fee payments in UAE are enabled through the ATMs and BASE 24.

- **RTGS/NEFT:** All CBS branches are enabled for inter bank remittances through RTGS and NEFT.
- **Online Money Transfer Service:** An online money transfer service - Rapid Funds2India – has been enabled in the Bank's branches of UAE, Oman, UK, USA, Mauritius and Seychelles. The NRI's in these territories can avail of this service, which facilitates almost instant credit to their accounts in any CBS branch in India. Also, wherever they maintain accounts with other banks, same day or next day credit is facilitated through RTGS/NEFT.
- **Global Treasury:** The Global Treasury solution is implemented in the UK.
- **City Back Offices (CBOs):** In order to relieve branches of cumbersome back office operations, 17 Service Branches and 21 Main Offices are functioning on the City Back Office model. These offices handle the entire clearing and collection functions of all branches in the city.
- **Help Desks:** A "24x7x365 Global Help Desk" is functioning at the Data Centre, which is manned by HP personnel and supported by other application vendors and the Bank's application team. The Bank has also set up Local Help Desks (LHDs) at all zonal centers manned by the Bank's trained officers to handle day-to-day operational issues and these LHDs function from 8 am to 10 pm. All branches are connected to Global Help Desk and Local Help Desks by the VOIP phones.
- **IS Security:** A robust Information Security Management System has been put in place to protect the technology against security threat.
- **Other IT Initiatives:** The Bank has developed in-house six software applications viz., Defence Pension software, Estate Management System, CRR computation software, STR (Suspicious Transactions Report) software, XRECON (Exchange House Drafts Reconciliation System), FCNR Link Cell software.
- **Anti Money Laundering:** The AML has been implemented in UAE, Oman and Fiji. It is pertinent to mention that in Fiji, Bank of Baroda is the first bank submitting CTR (Cash Transaction Report) and EFTR (Electronic Fund

Transfer Report) in electronic form to the FIU. The Bank has received commendation from the Fijian Authorities for this unique effort.

- **Human Resources:** The Bank's training establishments have trained nearly 15,000 employees on the CBS modules and other technology applications. Moreover, refresher courses are also conducted on week-ends covering specific Finacle modules and other applications.

Future Plans on Technology Front

- 1,919 domestic branches will be brought on the CBS platform by September, 2008 and two overseas branches in New York and Brussels will be brought on the CBS platform by December, 2008.
- Internet Banking will be launched in Fiji, Tanzania and Hong Kong during the current year.
- During the period April –September 2008, RTGS and NEFT will be interfaced with the Bank's internet banking portal. This will give the Bank's customers the facility of making inter bank money transfers without approaching the branch.
- AML will be implemented in India during April–June 2008 along with two to three other overseas territories.
- Three Regional Back Offices (RBOs) are expected to be operational during the period July-December 2008. These will be at Baroda, Chennai and Jaipur. The remaining two RBOs are planned for the first calendar quarter of 2009. The RBOs will cater to a cluster of 350 – 400 branches for back office activities, such as, account opening, signature scanning, cheque book issue, statement printing, FDR renewals, TDS certificates and some part of MIS.
- Single integrated Global Treasury covering India as well as the Bank's Treasury Operations at overseas locations in Singapore, HongKong, UAE, Oman, Mauritius, Bahamas and Bahrain will be completed by December 2008.
- Several other Projects like Corporate Cash Management, Online Trading and Centralised Pension Processing Cell will also be enabled during 2008-09.

The implementation of "IT-enabled Business Transformation Project" provides "Anytime, Anywhere and Anyhow Banking" to the Bank's customers and an organized and better work set up to its operational staff at branches. The Bank's ultimate objective is to reorient itself as a highly technology enabled Bank to emerge as a leader in the global market place.

Human Resources

In an environment where technology, business models are

being replicated and a level playing field is created, people factor becomes the key differentiator in achieving business excellence. The Bank, foreseeing this emerging scenario conceptualized and initiated numerous HR interventions. Aligning Human Resources with the Business Transformation demands at Corporate and local levels in different areas like hiring, performance management, and talent identification and employee engagement. The technology up gradation in HR is also a major development in the year 2007-08.

HRnes (Human Resources network for employees' services & Employee Payroll System)

The HRnes (Human Resources network for employees' services), the web-enabled enterprise wide HR solution and the Employee Payroll System, was launched on 26 November 2007 by Mr. P.K.Bansal, Honorable Minister of State for Finance on the occasion of the Annual Bankers' Conference (BANCON - 2008) jointly organized by the IBA and the Bank of Baroda. These HR solutions are expected to ensure greater efficiencies in HR operations and also make it highly user friendly.

Leadership Development – Project LEAP

Post-2009 technology environment, competitive compulsions, entry of foreign banks, M&A will all tend to change the course of banking necessitating new breed of leaders at different levels. Managing and leading a financial services organization in such an environment would be a new challenge for future leaders.

Furthermore, one of the key drivers for market leadership will be the Bank's internal leadership. It is in response to this, the Project LEAP (Leadership enhancement and appreciation process) was conceived and launched aimed to groom our executives in leadership and capability building.

Around 300 executives are being groomed by the Bank in the leadership in a phased manner. This process involves:

- Identifying a competency framework for future leaders in the Bank.
- Administration of psychometric instruments and 360 degree feedback for each identified executive for building on their strength and working in the areas where development is needed.
- Classroom orientation & action learning projects.
- Succession planning.

Centenary Year KHOJ

KHOJ was initially launched as an in-house talent identification and development exercise in 2005. An element of self development and career planning is built into the system as

this is a voluntary exercise where aspiring employees apply for selection for grooming in various areas they perceive as their areas of strength.

Encouraged by the huge response to the initiative, KHOJ exercise was repeated in 2006 and in 2007 it was named as the 'Centenary Year KHOJ'. The selected candidates are groomed, placed in the area of operation of their choice. As part of their development, many are identified as change champions in many of the new initiatives. The Banks has also assigned mentors for their grooming.

Exclusive conclaves of KHOJ selectees, giving due weightage of their contribution in career progression and rewards, special assignments, etc. make the KHOJ selectees a vibrant and visible group.

Career Progression

To meet the Bank's growth requirements and aspirations of employees, avenues for career growth have been numerous. Special efforts have been made to maintain relatively younger employees manning key positions. Following promotion exercises were completed during the year:

Clerical to Officer	661
MMG/S III to MMG/S IV (Sr. Manager to Chief Manager)	187
SMG/S IV to SMG/S V (Chief Manager to Asst. General Manager)	100
SMG/S V to TEG/S VI (Asst. General Manager to Dy. General Manager)	19
TEG/S VI to TEG/S VII (Dy. General Manager to General Manager)	9

Training

To keep up with the fast changing business scenario, product profile, customer preferences, numerous technology applications and compliance & regulatory requirements, training has become a centre-stage activity.

The Bank conducted 511 training programmes in the areas of Sales and Marketing covering 11,733 employees. In the area of information Technology, 304 training programs on CBS (Core banking technology) have been organized covering 5,360 staff members. In addition, 73 other programs in niche areas covering 1,353 staff members were part of the training activity this year.

Specialized and intensive orientation in credit, forex, risk management, new financial services and new avenues of business totaling to 273 programs covering 4,732 staff members were also conducted during the year 2007-08.



A view of employee conclave at BCC, Mumbai.

Employee Conclaves

The Corporate vision and strategies to yield results should reach and get institutionalized at the operational unit levels. The very nature of widespread and distributed pattern of our operating units pose challenges for smooth percolation and we need to have conscious, focused, planned localized interventions for the corporate vision and strategies to reach effectively and get translated to business results. As one of the interventions to address these challenges, "Employee Conclaves" were organized at different centers for cluster of branches covering all staff members of such branches. This facilitated brain storming, jointly thought-out action processes and ownership of the plans chalked out. This initiative also achieved more involvement at all levels, generating excitement, awareness and passion for performance. The response of employee to "Conclaves" organized in five centers was highly encouraging generating tremendous enthusiasm and positive energy.

Staff Strength

	Year ended March				
	2004	2005	2006	2007	2008
Officers	11,996	11,848	12,345	13,636	13,840
Clerks	19,302	19,284	18,231	16,979	15,777
Sub-staff	8,505	8,397	8,198	7,989	7,643
Total	39,803	39,529	38,774	38,604	37,260

Composition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Employee Strength

Cadre	SC %	ST %
Officers	17.93%	6.23%
Clerks	14.90%	4.88%
Sub-staff	34.65%	9.64%

Marketing

The brand "Baroda" has steadily gained the mind share over the past two years driving the Bank towards higher growth trajectory. During the last two years, the Bank's focus was on quality reach. Towards this, the marketing department put in place a progressive sales structure on the one hand and had conceived and implemented sales campaigns with specific business targets, and lead generation programs. As a part of best practice initiatives, the endeavor has been to impact an attitudinal change across the operational level where customer interface takes place through consistent sales and soft skills training.



Motor cycle rally at Udaipur

The specific product campaigns in liability and asset products have helped the Bank achieve higher business growth. The Centenary Savings Bank Campaign fetched Savings Bank deposit of Rs1,593 crore, while the Centenary Current Account Campaign mobilized Rs1,098 crore. The Traders' Loan and Retail Loans Campaigns generated business to the tune of Rs 2,884 crore.

As the Bank stands at the threshold of its next century, marketing would become a key growth driver. The thrust areas



Mobile outdoor display in Mumbai.

would be on enhancing sales, raising brand equity through continuous market research for information. The existing sales structure needs to be expanded. The department is working out a strategic mass communication and events plan for the financial year 2008-09 focused towards brand enhancement. Significant initiatives in customer education are also envisaged in the coming year for our CRM initiatives.

As a result of above initiatives, the Bank has received recognitions both nationally and internationally. The Baroda brand is ranked at Number One among nationalized banks by Brand Finance. The Bank moved up to 258th rank, improving by 158 positions over the previous year in "The Banker" a magazine published from U.K. Besides these, the Baroda brand won many industry level awards for its marketing and business initiatives and strives to optimize its competitive edge in the banking space.



Brand Ambassador Shri Rahul Dravid addressing the winners of SB campaign - "Dine with Rahul" at Corporate Office, Mumbai.

The Baroda brand positioning was entrenched in the consumer mind as "India's International Bank", balancing its time tested values over its 100 years of existence with the contemporary challenges of being market sensitive and responsive as it marches tirelessly towards its next century.

Premises Re-Engineering & Ambience Enhancement

The following construction and other activities have been undertaken by the Bank during the year 2007-08.

Construction Projects completed during the year and are in use/operation:

- i) **Baroda Aditya** -53- residential flats for Bank's Executives and Bank's Guest House at Bandra Kurla Complex
- ii) **Baroda Towers at Salt Lake, Kolkata** for Eastern zonal Office, three Regional offices, Training Center etc.

The following construction projects are in progress

- i) Corporate Center at C-34, Bandra Kurla Complex, Mumbai
- ii) Administrative building at Gomtinagar, Lucknow
- iii) Administrative building at Jamshedpur, Jharkhand

Refurbishment

During 2007-08, the Bank took several steps for refurbishment, up gradation, face-lifting, redesigning and improved ambience of key CBS and other branches around the country, for facilitating convenience banking to customers. About 180 branches during the year and more than 450 branches during last four years were refurbished. The Bank has also initiated important steps for standardization of the interior of branches and offices.

Besides, the Mumbai Main Office Building at Fort was thoroughly refurbished in 2007-08 along with a plush Business Center and converted the same to One Stop Center for Financial Services.

Branch Network: Brick & Mortar Distribution Channels Closer to the Customer

Area Classification (India)	No of branches	% to total
Metro	613	21.48
Urban	519	18.19
Semi-urban	624	21.87
Rural	1097	38.45
Total Domestic	2853	100.00
Overseas	46	--

Domestic Subsidiaries & Associate Bank

The performance of the "Subsidiaries" and the "Associate Bank" of the Bank during 2007-08 was good except for that of the BOBCARDS Ltd., which incurred a loss of Rs 21.20 crore, due to stringent application of IRAC norms (Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning).



Mr. Dario Frigerio, Global CEO of Pioneer Investments and the then CMD, Dr. Anil K. Khandelwal exchanging the documents of MoU for Indian Asset Management Operation.

A turnaround strategy is being evolved for the BOB Capital Markets Ltd., by commencing Stock Broking operations and for BOB Asset Management Co. Ltd., by converting it into a Joint Venture Company with the Pioneer Group of Italy.

Implementation of Official Language Policy



Shri S. C. Gupta, Executive Director, receiving the Gandhi Rajbhasha Shield from Hon'ble Union Home Minister Shri Shivraj Patil.

During 2007-08, the Bank made significant progress in promoting and propagating the use of Official Language and ensured compliance of various other statutory requirements

Summary of performance of the Subsidiaries:

(Rs lacs)

Entity (with date of registration)	Country	Owned Funds	Total Assets	Net Profit	Offices	Staff
BOB Capital Markets Ltd. 11 Mar. 1996	India	10237.82	10417.14	842.59	1	12
BOB Asset Mgmt. Co. Ltd., 5 Nov. 1992	India	3087.19	3087.19	218.69	1	11
BOBCARDS Ltd. 29 Sept. 1994	India	8021.30	24497.68	(-)2120.02	38	185
Nainital Bank Ltd. 31 st Jul 1922	India	14563.93	205914.90	2713.72	87	627

besides recommendations of Parliamentary Committee on Official Language. The Bank could achieve all major targets set by the Government of India. In recognition of the Bank's outstanding performance, the Bank was appreciated at various levels and awarded with prestigious Indira Gandhi Rajbhasha Shield on all India level.

The Town Official Language Implementation Committees functioning at Baroda and Jaipur under the convenorship of the Bank have performed their responsibilities excellently and provided suitable guidance to their member Banks.

The Bank has introduced innovative incentive scheme for the meritorious students and awarded two students of Mumbai University and SNTD University who secured First position in MA Hindi. Such students were also awarded at Rajasthan University and Vansthali Vidhyapeeth, Jaipur.

During the year, the Bank conducted two Hindi essay-writing competition at all-India level. One competition was for the staff members of Public Sector Banks and Financial Institutions and the other was Inter-University competition for the students at the Post Graduation level. The Bank gave away attractive cash prizes to winners of these Hindi competitions.

The Third Sub-committee of Parliament on Official Language visited Puri and Mandapam (Rameshwaram) branches of the Bank and appreciated the efforts/work done by the Bank in Official Language Implementation.

The Bank's in house Hindi magazine "Akshayam" was awarded three prizes by Association of Business Communicators of India under the special column (Language). Besides, the Bank's House Journal "BOBMAITRI" was awarded by the Reserve Bank of India under bilingual House Journal competition.

Board of Directors

Dr. Anil K. Khandelwal, ceased to be Chairman and Managing Director on reaching superannuation on 31.03.2008. Shri M. D. Mallya was appointed as Chairman & Managing Director of the Bank w.e.f. 07th May, 2008 to 30th November, 2012.

Shri Satish C. Gupta, was appointed as Whole time Director w.e.f. 06th June 2007 by Government of India under section 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Milind N. Nadkarni, was nominated as Director w.e.f. 1st May, 2007 by Govt. of India under section 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing workmen. He is appointed on the Board

for a period of 3 years.

Shri T. K. Balasubramanian, ceased to be Director w.e.f. 01st July, on his superannuation. Shri Ranjit Kumar Chatterjee, was nominated as Director w.e.f. 20th December 2007 by Government of India under section 9(3)(f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing non-workmen. He is nominated on the Board for a period of 3 years.

Dr. Atul Agarwal, was nominated as Director w.e.f. 23rd November, 2007 by Govt. of India under section 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 .

Shri G. C. Chaturvedi, ceased to be a Director with effect from 10th June, 2008 and Shri Amitabh Verma has been nominated as Director representing Government of India in his place under section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2008:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of financial year and of the profit of the Bank for the year ended on March 31, 2008;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

Acknowledgement

The Board of Directors of the Bank is pleased to place on record its deep appreciation for the valuable contribution made by Dr Anil K. Khandelwal during his stint as Chairman and Managing Director of the Bank, who could provide effective leadership in creating best brand value for the Bank in the

industry, good business growth by doubling the business and winning many accolades and laurels for the Bank in various sphere of Banking.

The Board also places on record its appreciation for the contribution made by Shri T. K. Balasubramanian, Director representing non-workmen.

The Board of Directors of the Bank placed on record their appreciation for the valuable services rendered by Shri G. C. Chaturvedi during his tenure as a Director representing Government of India from 31st October, 2006 to 9th June, 2008.

The Bank has taken in the recent year a number of initiatives on the marketing, technology, customers' and HR fronts. Successful translation of these initiatives into business and earnings growth has been primarily due to the staff of the Bank, which has embraced the philosophy of change to help the Bank emerge as a modern and customer-centric bank. We are grateful to our people for their continued commitment and dedication towards the Bank. Our customers have always supported us in all our endeavors. If in the process of transformation, a few of our customers have been inconvenienced, they have borne the same with patience

and equanimity. We are grateful to them for their continued patronage and encouragement.

Our shareholders have been our Key Partners in progress. We are grateful to them for their support and "confidence" that they have placed in us. The Board of Directors of the Bank places on record its appreciation for the continued support and patronage received from its customers, shareholders and well-wishers in India and abroad.

The Board is also indebted to the Government of India, RBI, SEBI, other regulatory authorities, various financial institutions, banks and correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance to the Bank from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors




M. D. Mallya

Chairman and Managing Director

Mumbai
20th June, 2008

अध्यक्षीय वक्तव्य



निरन्तर वृद्धि के लिए आगे बढ़ते कदम...

सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी
बैंक के रूप में बैंक अपनी स्थिति
को सुदृढ़ करने की राह पर.

एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय हितधारको,

वर्ष 2007-08 मुद्रास्फीति की बढ़ती प्रवृत्तियों, सतत मौद्रिक नियंत्रण तथा मार्जिन एवं लाभप्रदता पर अनुवर्ती दबावों की वजह से बैंकिंग उद्योग के लिए एक कठिन और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा, इसके बावजूद बैंक अपनी विकास गति तथा समग्र प्रगति को पूर्ववत बनाए रखने में सफल रहा. अपने वैश्विक ग्राहक आधार की संख्या को 33 मिलियन तक पहुँचाते हुए, बैंक ने वर्ष के अंत तक 2,58,735.45 करोड़ रुपये के वैश्विक कारोबार स्तर को सहजता से प्राप्त किया. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए कारोबार, लाभप्रदता तथा आस्ति गुणवत्ता से संबंधित भारत सरकार को दी गई वचन बद्धता के अनुरूप सभी लक्ष्यों (स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट) को प्राप्त किया है.

नई पहलें

“बहु विशेषज्ञ बैंक” बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए, बैंक ने कारोबार एवं ग्राहकोन्मुखी कई पहलें शुरू कीं. वर्ष 2007-08 में सीबीएस रोल आउट प्रक्रिया जारी रखते हुए भारत तथा विदेशों में 1700 से अधिक शाखाओं में सीबीएस रोलआउट किया, जो कि बैंक के कुल कारोबार का 90% भाग कवर

करता है. साथ ही, बैंक ने एटीएम नेटवर्क का विस्तार करते हुए उनकी संख्या 1100 के पार पहुंचाई. बैंक ने बायोमेट्रिक एटीएम का शुभारंभ तथा प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन भुगतान, बड़ौदा ईजी पे तथा रेलवे टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग जैसी कई अन्य प्रौद्योगिकी युक्त पहलें भी की हैं. वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने रिकार्ड 125 शाखाएं खोलीं, 4 शाखाओं का विलय किया तथा पुणे व बेंगलूर में युवा आईटी व्यावसायिकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 2 जेन-नेक्स्ट शाखाएं खोलीं.

वर्ष के दौरान विभिन्न बिक्री एवं मार्केटिंग अभियानों के बीच, बैंक की रिटेल लोन फैक्टरियों की कुल संख्या 15 तथा एसएमई लोन फैक्टरियों की संख्या 27 तक पहुंच गई. बैंक का मानना है कि "बहु विशेषज्ञ बैंकिंग" की मूल भावना को आत्मसात करते हुए उत्पादों की पेशकश विभिन्न ग्राहक समूहों की जीवन शैली तथा जीवनचक्र संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए. इस पृष्ठभूमि में कई नए आस्तियां एवं देयता उत्पाद शुरू किये गये, नए धनसंपदा प्रबंधन उत्पादों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बैंक ने अपने ग्राहकों को ईक्विटी तथा डेरिवेटिव्स में ऑनलाइन ई-ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इंडिया इंफोलाइन लि. के साथ तथा म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए कुछ और वैश्विक आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ करार किया है.

अपनी सामाजिक भूमिका के प्रति जागरूक रहते हुए, बैंक ने ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग के क्षेत्र में कई पहलें कर देश के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है.

बैंक ने शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए 500 गांवों की पहचान की है तथा कई ग्रामीण क्षेत्रों को उनके समग्र एवं एकीकृत विकास के लिए गोद लिया है.

व्यवसाय निष्पादन की विशेषताएं

बैंक ने व्यवसाय आकार की नई ऊँचाईयों को निरंतर स्पर्श करते हुए वर्ष 2007-08 के दौरान अपने वैश्विक व्यवसाय में

24.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. बैंक की देशीय जमा-राशियों में 22.82% तथा देशीय अग्रिमों में 25.63% की वृद्धि हुई. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अनिवार्य लक्ष्य सहजता से अर्जित कर बैंक के ये अग्रिम शुद्ध अग्रिमों के 47.10 प्रतिशत हो गए. बैंक ने कृषि ऋण में 28.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जबकि एसएमई ऋण में 31.11 प्रतिशत और रिटेल ऋण में 17.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक के विदेशी व्यवसाय में 24.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि मुख्यतः विदेशी अग्रिम में 35.70 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई. विदेशी व्यवसाय का कुल व्यवसाय में 20.0 प्रतिशत और शुद्ध लाभ में 23.8 प्रतिशत का योगदान रहा. वर्ष 2007-08 में शुद्ध लाभ 1435.52 करोड़ रुपये हुआ जो वर्ष-दर-वर्ष 39.9% की जबरदस्त वृद्धि को प्रदर्शित करता है.

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में मार्च 2008 के अंत में देशीय परिचालन में सकल एनपीए का स्तर 2.18 प्रतिशत रहा जबकि विदेशी परिचालन में यह मात्र 0.55 प्रतिशत था. अपने हितधारकों को बैंक द्वारा दिये गये वायदे के अनुसार वर्ष 2007-08 के अंत में वैश्विक शुद्ध एनपीए 0.47 प्रतिशत रहा.

शताब्दी वर्ष

बैंक ने 20 जुलाई 2007 को अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया. वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियों के साथ विश्व स्तर का बैंक बनने के अपने सतत प्रयासों से बैंक अब अत्यधिक आधुनिक व्यवसाय तथा मानव संसाधन

पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं के साथ पूर्णतः तैयार है. बैंक ने आंतरिक प्रतिभा खोज, प्रशिक्षण के माध्यम से प्रबंधकीय कौशल का उन्नयन और बैंक के कर्मचारियों के प्रोत्साहन स्तर में सुधार के साथ कई मानव संसाधन प्रयासों का पहले ही शुभारंभ कर दिया है. बैंक ने अगली पीढ़ी के नेतृत्व प्रबंधन के लिए एक विश्वस्तरीय मानव संसाधन सलाहकार फर्म की सेवाएं ली हैं.

वर्ष 2007-08 की विशेषताएं

रु. 250,000 करोड़ से अधिक का वैश्विक कारोबार

24% से अधिक की व्यवसाय वृद्धि

रु. 1435 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ

33 मिलियन अधिक से वैश्विक ग्राहक आधार

1700 से अधिक सीबीएस शाखाएं

1100 से अधिक एटीएम

व्यापक वेब सुविधा युक्त एच आर पद्धति एच आर एन ई एस की स्थापना बैंक की मुख्य नवोन्मेषी परियोजनाओं में से एक रही। आपके बैंक ने ऋण, विदेशी विनिमय, ट्रेजरी, सूचना प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग तथा रिटेल बैंकिंग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में प्रतिभा पहचान के लिए खोज-II की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है।

भावी चुनौती - लीडरशिप की भूमिका पुनः प्राप्त करना

महान् संस्थापक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़-III की दूरदृष्टि से मार्ग-दर्शित आपका बैंक, कई उल्लेखनीय उपलब्धियों, पथ प्रदर्शक भूमिकाओं, भारतीय बैंकिंग उद्योग में निर्विवाद रूप से सशक्त स्थिति की समृद्ध विरासत संजोए हुए है। बैंक ने 100 वर्षों की अवधि में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं किन्तु तमाम अड़चनों पर विजय प्राप्त करके वह अपने सशक्त मूलभूत कारकों के बल पर अधिक शक्तिशाली बन कर उभरा है। हमने विश्व को समय-समय पर यह अहसास कराया है कि यह एक ऐसा बैंक है जिसकी बुनियाद अत्यन्त सुदृढ़ है और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने की इसमें असीम संभावनाएं विद्यमान हैं।

व्यवसाय रूपांतरण, बाजार मांग और बैंक के नियत उद्देश्यों के अनुरूप व्यवसाय कार्य नीति में नियमित समायोजन की अक्षुण्ण प्रक्रिया है। बैंक ने ₹. 2,58735.45 करोड़ के वैश्विक व्यावसायिक स्तर को पार करते हुए एक सुदृढ़ व्यवसाय व्यवस्था का निर्माण किया है। भावी कारोबार का आधार व्यापक होना चाहिए तथा यह विस्तार लक्ष्य प्रतिफल के मूल बैंकिंग सिद्धान्तों पर निरन्तर बने रहने वाला होना चाहिए। लागत नियंत्रण एवं श्रेष्ठ गुणवत्तापरक ग्राहक सेवा प्रदाता के रूप में प्रौद्योगिकी उन्नयन, बैंक की व्यवसाय नीति के प्रमुख बिन्दु होंगे।

मुझे विश्वास है कि बैंक में एचआर सुधारों और विभिन्न पद्धतियों, प्रणालियों और मूल संरचना में निरन्तर सुधार से, निकट भविष्य में बैंक समन्वित प्रयासों द्वारा बाजार में अपना प्रभुत्व पुनःस्थापित करने का प्रयास करेगा।

हमारा कार्पोरेट लक्ष्य एवं कार्य नीति

“प्रतिष्ठित ग्राहक होने का अहसास करवाने एवं लागत नियंत्रण के लिए व्यापक आधार युक्त व्यवसाय विकास के लिए सेवा प्रदाता के रूप में प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करना”.

कार्पोरेट लक्ष्यों और उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए हमारी कार्य नीति निम्ननुसार है :

- चालू खाता-बचत खाता (कासा) हिस्सेदारी बढ़ाकर शुद्ध ब्याज मार्जिन बनाए रखने पर विशेष जोर.
- आस्ति गुणवत्ता से समझौता किए बिना कुल व्यवसाय में रिटेल / एस एम ई व्यवसाय का अंशदान बढ़ाना.
- अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग/ रि-ब्रांडिंग प्रक्रिया, विशेषज्ञ मार्केटिंग स्टाफ की नियुक्ति.
- नवोन्मेषी संपदा प्रबंधन उत्पादों के माध्यम से गैर-ब्याज आय में सुधार पर अधिक ध्यान देना.
- बैंक बही में नये प्रतिष्ठित ग्राहकों को जोड़ने के प्रयासों के साथ-साथ वर्तमान कार्पोरेट ग्राहकों के साथ संबंध बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना.
- “लेन देन संबंधी लागत” को कम करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रिया को पुनर्गठित करने पर जोर देना.
- वित्तीय वर्ष 09 तथा आगामी वर्षों में बैंक के साथ 2.5 से 3.0 मिलियन उत्कृष्ट ग्राहकों को जोड़ने की दिशा में समर्पित प्रयास करना.

बैंक की भावी विकास यात्रा में, मैं आपके सतत सहयोग एवं संरक्षण की अपेक्षा रखता हूँ.

एम. डी. मल्या

एम. डी. मल्या

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण बैंक की 100वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 08) के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं.

कार्यनिष्पादन की विशेषताएं :

- कुल कारोबार (जमा + अग्रिम) 24.07% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2,58,735.45 करोड़ रुपये करोड़ हो गया.
- सकल लाभ और शुद्ध लाभ क्रमशः 3,028.55 करोड़ रुपये और 1,435.52 करोड़ रुपये हुआ. शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 39.85% की वृद्धि दर्ज हुई है.
- ऋण जमा अनुपात 74.35% की तुलना में 77.32% रहा.
- रिटेल ऋण में 17.97% की वृद्धि दर्ज हुई जिससे कि पिछले वर्ष के 20.98% सकल घरेलू ऋण की तुलना में वृद्धि 19.79% है.
- ब्याज अर्जन आस्तियों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.90% के स्तर पर रहा.
- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के 0.60% से कम होकर 0.47% हो गया.
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासेल I के अनुसार 12.91% और बासेल II के अनुसार 12.94% रहा.
- शुद्ध मालियत 12.93% की वृद्धि दर्ज करते हुए सुधरकर 9,526.97 करोड़ रुपये हो गई.
- बहीमूल्य 231.59 रुपये से सुधरकर 261.54 रुपये हो गया.
- प्रति कर्मचारी कारोबार 548 लाख रुपये से बढ़कर 704 लाख रुपये हो गया.

खंडवार कार्यनिष्पादन :

वर्ष 2007-08 के खंडवार परिणामों में 3,301.52 करोड़ रुपये में ट्रेजरी परिचालन ने 788.79 करोड़ रुपये, कार्पोरेट / होलसेल बैंकिंग ने 175.14 करोड़ रुपये, रिटेल बैंकिंग ने 937.37 करोड़ रुपये और अन्य बैंकिंग परिचालन ने 1400.22 करोड़ रुपये का योगदान किया. बैंक ने कर के बाद लाभ 1435.52 करोड़ रुपये अर्जित किया जो अनाबंटित खर्च के 1094.37 करोड़ रुपये तथा कर के लिए प्रावधान के 771.63 करोड़ रुपये घटाने के बाद था.

लाभांश :

निदेशकों ने 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए 80% लाभांश प्रस्तावित किया है. इसमें कर सहित कुल व्यय 340.94 करोड़ रुपये होगा.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर):

31 मार्च, 2008 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.91% के संतोषजनक स्तर पर रहा. वर्ष के दौरान बैंक का पूंजी आधार टियर-II बाण्डों के माध्यम से 2703.62 करोड़ रुपये की उगाही से मजबूत हो गया जिसमें से 1203.62 करोड़ रुपये विदेश से उगाहे गये. बासेल-II के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.94% बनता है.

31 मार्च, 2008 को बैंक की शुद्ध मालियत 9526.97 करोड़ रुपये थी जिसमें 365.53 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी और 9161.44 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) शामिल है. अर्जित लाभ में से 1094.58 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई.

प्रमुख वित्तीय अनुपात

विवरण	2007-08	2006-07
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) (%)	0.89	0.80
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (रु. करोड़)	1,37,324.72	1,11,429.22
निधियों की औसत लागत	5.75	4.87
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (रु. करोड़)	1,34,896.47	1,17,105.08
औसत प्रतिफल (%)	8.76	7.69
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.90	3.05
प्रतिफल अंतर (%)	3.00	2.82
लागत आय अनुपात (%)	49.21	51.30
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	261.54	231.59
प्रति शेयर आय (रु.)	39.41	28.18

अन्य विवेकसम्मत उपाय :

विवेकसम्मत उपाय के रूप में बैंक ने उपचित आधार पर ग्रेज्युटी (78.60 करोड़ रु.), भविष्य निधि (365.00 करोड़ रु.), अवकाश नकदीकरण (53.20 करोड़ रु.) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (60.40 करोड़ रुपये) के अंशदान का प्रावधान किया है। इन चार श्रेणियों में 2006-07 के दौरान किये गए 486.46 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान की तुलना में इस वर्ष 557.20 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया। मार्च, 2008 के अंत में बैंक के पास इन शीर्षों के तहत उपलब्ध कुल आधारभूत निधि हैं. 711.43 करोड़ रु. (ग्रेज्युटी), 2062.70 करोड़ रुपये (भविष्य निधि), 240.64 करोड़ रुपये (अवकाश नकदीकरण), 193.54 करोड़ रु. (अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ).

प्रबंधकीय विवेचन एवं विश्लेषण

2007-08 में आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2007-08 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.0% की वृद्धि हुई जिसमें कृषि में 4.5%, उद्योग में 8.5% और सेवा में 10.8% का योगदान रहा है। अर्थव्यवस्था में मौजूदा वृद्धि के दौर को पूंजी निवेश में वृद्धि का लाभ मिल रहा है। अप्रैल-फरवरी, 2007-08 के दौरान कैपिटल गुड्स उत्पादन में 17.5% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई। विनिर्माण फर्मों की निरंतर बढ़ती क्षमता ने कैपिटल गुड्स की इस वृद्धि में काफी सहायता की है।

वर्ष 2007-08 के दौरान कार्पोरेट गतिविधियां यद्यपि तुलनात्मक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ रहीं तथापि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि में कुछ मंदी रही। हालांकि निजी क्षेत्र की कंपनियों के एक प्रतिनिधि मॉडल की बिक्री में अप्रैल- दिसंबर, 2007 में 17.4% की बढ़ोत्तरी हुई तथापि शुद्ध लाभ में 29.8% की शानदार वृद्धि दर्ज हुई।

तथापि, 2007-08 के अंत में मुद्रास्फीति एक प्रमुख समष्टि जोखिम के रूप में उभरी है। वार्षिक औसत आधार पर वर्ष 2007-08 के दौरान 4.7% की मुद्रास्फीति (थोक मूल्य सूचकांक के रूप में) वर्ष 2006-07 के 5.4% से कम थी। तथापि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एक वर्ष पहले के 5.9% की तुलना में मार्च, 2008 के अंत में 7.4% हो गई। बढ़ती मुद्रास्फीति में खाद्यान्न, फलों, सब्जियों, खाद्य तेलों, कच्चा तेल और धातु की बढ़ी हुई कीमतों का प्रमुख योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें जून, 2007 से तेजी से बढ़ रही हैं जो कि अपेक्षाकृत कम सप्लाई स्थिति, क्षेत्रीय-राजनीतिक तनाव, डॉलर के मूल्य में कमी इत्यादि को दर्शा रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान, अमेरिकन तेल इन्वेंटरी में तेज गिरावट के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 13 मार्च, 2008 को 110.2 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गईं।

अमेरिकन सब-प्राइम मॉर्टगैज बाजार में गहराते संकट के परिणामस्वरूप वर्ष 2007-08 के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव हुए। भारतीय वित्तीय बाजार 2007-08 के दौरान शेयर बाजार को छोड़कर, जोकि अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रवृत्तियों के दौरान काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, कुल मिलाकर ठीक-ठाक रहा। घरेलू शेयर बाजारों में, जो जनवरी, 2008 की शुरुआत तक काफी मजबूत रहे थे, सब प्राइम संकट की गंभीरता से बढ़ती चिंता और दूसरे देशों पर इसके दुष्प्रभाव के कारण 11 जनवरी, 2008 से तेज गिरावट का दौर शुरू हुआ। वर्ष 2007-08 के दौरान जबरदस्त उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप वार्षिक आधार पर शेयर सूचकांक में 19.7% और निफ्टी में 23.9% की बढ़ोत्तरी हुई। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में 2006-07 के दौरान 5.7 बिलियन डॉलर की खरीद की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 12.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया। म्यूचुअल फंडों ने 2007-08 के दौरान 15,775 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया जबकि वर्ष 2006-07 के दौरान उन्होंने 9062

करोड़ रुपये का निवेश किया था। 2007-08 के दौरान शेयर बाजारों में धातु, तेल एवं गैस, कैपिटल गुड्स, तेजी में बिकने वाले कैपिटल गुड्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग और उपभोक्ता टिकाउ सामान के शेयर सर्वाधिक लाभ में रहे। कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा पब्लिक इश्यू के माध्यम से उगाहे संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में 158.5% की तीव्र बढ़ोत्तरी के साथ 83,707 करोड़ रुपये हो गये। 2007-08 के दौरान केवल 3 को छोड़कर, जो कि ऋण के रूप में थे, सभी पब्लिक इश्यू शेयर के रूप में थे।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2006-07 के 21.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2007-08 में 24.6 बिलियन डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह 2008-09 में 35 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद कर रहा है।

हालांकि 2007-08 में अमेरिकन डॉलर की तुलना में रुपया 7.8% बढ़ा, तथापि 2007-08 में भारत का व्यापारिक निर्यात 23.02% की वृद्धि के साथ 155.51 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। तथापि आयात मुख्यतः बढ़ते तेल आयात बिल के दबाव के कारण 235.91 बिलियन डॉलर के स्तर पर रहा। वर्ष 2007-08 में कच्चे तेल पर भारत के खर्चों में 27.0% की बढ़ोत्तरी हुई। इसके परिणामस्वरूप 2007-08 में व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 59.32 बिलियन डॉलर से बढ़कर 80.40 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

भारत का कुल विदेशी ऋण दिसंबर, 07 के अंत में 201.5 बिलियन डॉलर था। तथापि, विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर, 2007 के अंत में विदेशी ऋण से अधिक रहा। मार्च, 2008 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 309.7 बिलियन डॉलर था जो कि मार्च, 2007 के अंत के स्तर में 110.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारत तीसरा सबसे बड़ा मुद्रा भंडार वाला देश है।

2007-08 के पहले 11 महीनों में सरकार के वित्तीय घाटे में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.5 की गिरावट हुई और यह समग्र वित्तीय वर्ष के संशोधित बजट लक्ष्य का 73.4% बनता है। 2008-09 के केंद्रीय बजट में सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि केंद्रीय सरकार का वित्तीय घाटा 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.1% से कम होकर 2008-09 में 2.5 हो जाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र - 2007-08 में कार्यनिष्पादन, अवसर एवं चुनौतियां: ऋण विस्तार :

2007-08 के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग में ऋण विस्तार की दृष्टि से कुछ कमी रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर खाद्य ऋण विस्तार पिछले वर्ष के 28.5% की तुलना में 22.3 प्रतिशत बढ़ा। बैंकिंग प्रणाली का वृद्धिशील गैर-कृषि ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 83.2% से गिरकर 72.3% हो गया। ऋण का क्षेत्रीय अभिनियोजन दर्शाता है कि सेवा क्षेत्र में ऋण में उच्च वृद्धि (28.4, वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज हुई। उसके बाद उद्योग (25.9%) और कृषि क्षेत्र (16.4%) में वृद्धि हुई। तथापि वैयक्तिक ऋणों में वृद्धि 13.2% (गत वर्ष 30.6%) रही। आवास तथा रियल इस्टेट ऋणों में वृद्धि गिरकर क्रमशः 12.0% (25.8%) एवं 26.7% (79.0%) रही। औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत क्षेत्र (पिछले वर्ष के 28.2% की तुलना में 42.1%), खाद्य प्रसंस्करण (27.6% की तुलना में 32.0%) और इंजीनियरिंग (18.1% की तुलना में 26.2%) में भारी मात्रा में ऋण वृद्धि हुई। मूलभूत धातुओं तथा धातु उत्पादों (33.3% की तुलना में 19.0%), टेक्स्टाइल (35.5% की तुलना में 23.0%) पेट्रोलियम (64.4% की तुलना में 23.3%) और केमिकल (19.2% की तुलना में 13.9%) में ऋण वृद्धि में नरमी रही।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश

हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनी क्षेत्र के बाण्डों /डिबेन्चरों/ शेयरों तथा वाणिज्यिक पत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश 2007-08 में 14.2% बढ़ गया। सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में उनका निवेश 22.9% तक बढ़ गया। इससे वर्ष 2007-08 में निवल मांग तथा मीयादी देयताओं में एसएलआर प्रतिभूतियों का अनुपात बढ़कर 27.4% हो गया।

संसाधन संग्रहण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में पिछले वर्ष के 23.8% की तुलना में 2007-08 के दौरान 22.2% की वृद्धि हुई। हालांकि मांग जमा बढ़ोत्तरी 2006-07 के 17.9% की तुलना में 20.2% थी, मीयादी जमा वृद्धि में नरमी रही और उसमें पिछले वर्ष के 25.1% की तुलना में 22.6% की वृद्धि हुई। जमाराशियों के संग्रहण के अतिरिक्त बैंकिंग क्षेत्र के उधार देने योग्य संसाधन पब्लिक इश्यू और नवोन्मेषी पूंजी लिखतों के माध्यम से उगाही गई पूंजी से काफी बढ़ गये।

2007-08 में बैंकों के लिए चुनौतियां एवं अवसर :

वर्ष 2007-08 के दौरान सीआरआर में बारम्बार वृद्धि और सीआरआर बैलेन्स पर शून्य ब्याज का बैंकों की आय पर काफी असर रहा है। क्रिसिल के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के इन कदमों के कारण केवल अपने स्प्रेड और शुद्ध लाभ मार्जिन पर 7 बेसिस प्वाइंट (वार्षिकीकृत) का दबाव झेलना पड़ा है। फ्रेंचाइज, मानवशक्ति इत्यादि में उच्च निवेश के कारण 2007-08 के दौरान बैंकों पर परिचालन लागत के भार का दबाव रहा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अभी निकट भविष्य में होने वाले वेतन समझौते के कारण जबरदस्त भार का सामना करना है।

इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय बैंकिंग उद्योग तुलनात्मक रूप से सशक्त समष्टि मूलभूत कारकों, ऋण विस्तार के लिए ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में संभावनाओं के कम दोहन, अनुकूल जनसांख्यिकी प्रोफाइल और सशक्त संस्थागत एवं नियामक ढांचे पर होने के कारण निरंतर मजबूत बना रहा। वर्ष 2007-08 के दौरान आधारभूत सुविधाएं और एसएमई सेगमेंट भारतीय बैंकिंग उद्योग के बड़े वृद्धि प्रचालक के रूप में उभरे। बैंकों की शुल्क आय में काफी वृद्धि हुई। तुलनात्मक रूप से अनुकूल नकदी स्थितियों की पृष्ठभूमि में बैंकों ने उच्च लागत निधियों पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी। कुल मिलाकर आर्थिक परिवेश में बढ़ती अनिश्चितताओं के बावजूद क्षेत्र के लिए संभावना सकारात्मक रही।

जोखिम प्रबंधन

किसी भी व्यवसाय में सफलता का प्रमुख निर्धारक जोखिम प्रबंधन होता है और इसलिए आपका बैंक जोखिम एक्सपोजर के प्रबंधन एवं नियंत्रण पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करता है। वित्तीय सेवा उद्योग में बैंक, तीन प्रकार के मुख्य जोखिम एक्सपोजर का सामना करते हैं - ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम। इन सभी जोखिमों के लिए बैंक ने उनकी पहचान, उपाय, निगरानी एवं नियंत्रण के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं, संगठनात्मक संरचना और नियंत्रण प्रणाली निर्मित करके उन्हें कार्यान्वित किया है। ये प्रणालियां बैंक की जोखिम प्रोफाइल में परिवर्तनों के अनुसार आवश्यक होने पर संशोधन करने के लिए पर्याप्त लचीली हैं।

बैंक में जोखिम प्रबंधन के स्वरूप एवं प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन नीतियां और जोखिम प्रबंधन क्रियान्वयन तथा अनुवर्तन प्रणाली शामिल हैं। बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रणाली की कार्यनीतियां एवं नीतिनिर्धारण हेतु बैंक का निदेशक मण्डल अन्तिम प्राधिकारी होता है। अस्तित्वदेयता प्रबंधन एवं जोखिम

प्रबंधन पर बोर्ड की उपसमिति बोर्ड को आवश्यक सहयोग प्रदान करती है जबकि उपसमिति को अस्तित्व देयता प्रबंधन समिति, ऋणनीति समिति तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाता है।

बैंक में जोखिम प्रबंधन पद्धति के विभिन्न कार्यपालकों के सुलभ संदर्भ तथा मार्गदर्शन के लिए बैंक के पास बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कुछ नीतियां हैं। ये नीतियां हैं; अस्तित्वदेयता प्रबंधननीति, घरेलू ऋण नीति, मिड ऑफिस नीति, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर नीति (घरेलू), व्यवसाय निरन्तरता आयोजन नीति, पिलर-II प्रकटीकरण नीति, दबाव परीक्षण नीति, दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) ऋण जोखिम उन्मूलन तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति

ऋण जोखिम

बैंकिंग व्यवसाय में ऋण जोखिम अंतर्निहित होता है और इसमें उधारकर्ता या प्रति-पार्टी की ऋण गुणवत्ता में कमी के परिणामस्वरूप होने वाले घाटे का जोखिम शामिल होता है और ऐसा जोखिम रहता है जिसमें उधारकर्ता या प्रति-पार्टी अग्रिम के तहत संविदागत चुकौती में चूक करती है। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशक उप समिति है जोकि बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों को खास तौर पर देखेगी और उनका समन्वय करेगी। इस उप समिति को रिपोर्टिंग वरिष्ठ महाप्रबंधकों की ऋण नीति समिति करती है जिसकी भूमिका विभिन्न ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों का निर्माण एवं उन्हें लागू करने के साथ-साथ बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित रूप से निगरानी करने में है।

कुछ ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष ऋण जोखिम एक्सपोजर की पहचान, उपाय, निगरानी तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं। ये हैं - कार्पोरेट अनुसंधान कक्ष, पोर्टफोलियो समीक्षा कक्ष तथा ऋण समीक्षा कक्ष।

कार्पोरेट अनुसंधान कक्ष

कार्पोरेट अनुसंधान कक्ष का मुख्य कार्य उद्योग रिपोर्टों को तैयार करना और उन्हें अद्यतन करना है। इनका केंद्रीय प्रबंधन, अंचल प्रबंधन, क्षेत्रीय प्रबंधन और शाखा सभी स्तरों पर ऋण अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह कक्ष ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन के नियंत्रण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए सभी उद्योगों के अध्ययन का कार्य करता है और बैंक के उपयोग के लिए 135 से अधिक उद्योग एवं उत्पाद रिपोर्टों को तैयार करता है और उन्हें वार्षिक या छमाही रूप से अद्यतन करता है।

पोर्टफोलियो समीक्षा कक्ष

पोर्टफोलियो समीक्षा कक्ष का कार्य पोर्टफोलियो स्तर पर जैसे क्षेत्रीय ऋण अभिनियोजन, एकल उधारकर्ता /समूह उधारकर्ता एक्सपोजर निगरानी और उद्योगवार क्रेडिट एक्सपोजर निगरानी पर ऋण जोखिम प्रबंधन के पहलुओं पर अध्ययन करना है। इस कक्ष के कार्यों में विशिष्ट ऋण पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन पर अध्ययन करके सम्बद्ध रिपोर्ट ऋण नीति समिति तथा अस्तित्वदेयता प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उपसमिति को प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

ऋण समीक्षा कक्ष :

ऋण समीक्षा कक्ष का मुख्य उत्तरदायित्व ऋण जोखिम प्रबंधन तकनीक को माँ निटर करना है जिन्हें बैंक प्रयुक्त करता है और चालू ऋण प्रबंधन पद्धतियों में सुधार के लिए आवश्यक नीति निर्माण एवं क्रेडिट रेटिंग मोड्यूल के रोलआउट की सिफारिश करता है।

बैंक ने ऋण का मूल्यांकन करते समय व्यक्तिगत स्तर पर ऋणी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा हेतु कड़े रेटिंग मानदण्ड नियत किए हैं ताकि जोखिम का सही आकलन हो सके. व्यवसाय पोर्टफोलियों में जोखिम का आकलन जोखिम रेटिड आधार पर, उपभोक्ता के संदर्भ में जोखिम का आकलन स्कोरिंग आधार पर किया जाता है. रेटिंग की वैधता हेतु बैंक में विभिन्न स्तरों पर स्वतन्त्र रेटिंग वैधीकरण टीम कार्यरत हैं. बैंक की एक सुव्यवस्थित ऋण प्रक्रिया है जिसके तहत स्वीकृति पूर्व तथा स्वीकृति उपरान्त निरीक्षण सुनिश्चित किए जाते हैं.

ऋण एक्सपोजर उच्चतम सीमा :

'ऋण एक्सपोजर उच्चतम सीमा' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित विवेकसम्मत उपाय है जिसका लक्ष्य जोखिम प्रबंधन में सुधार करना और ऋण जोखिमों की भरमार को रोकना है. ये उच्चतम सीमा एकल/समूह उधारकर्ताओं, गैर जमानती उधारकर्ताओं और प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के संबंध में हैं.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्याप्त एक्सपोजर सीमाओं के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों पर आधारित अपनी स्वयं की उच्चतम एक्सपोजर सीमाएं तय की हैं किंतु वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं की तुलना में अधिक संकीर्ण हैं. बैंक की ऋण एक्सपोजर उच्चतम सीमा इस प्रकार हैं -

गत वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार कुल पर्याप्त एक्सपोजर सीमा बैंक की पूंजी निधियों के 500 प्रतिशत पर निर्धारित हैं. बैंक की पर्याप्त एक्सपोजर सीमाओं हेतु एकल ऋण/एक्सपोजर के आकलन के लिए प्रारम्भिक सीमा (ग्रेशहोल्ड) पूंजी का 5% अथवा अधिक रखी जाती है.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप ऋण एक्सपोजर उच्चतम सीमा पूंजी पर्याप्तता मानदंडों (टीयर I तथा टीयर II) के तहत बैंक की पूंजीगत निधियों के अनुसार निर्धारित की जाती है.

बाजार जोखिम :

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार को प्रभावित करने वाली वस्तुओं अर्थात् ब्याज दरें, विनिमय दरें और अन्य परिसंपत्ति मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय लिखतों के मूल्य उतार-चढ़ाव में एक्सपोजर जो बैंक को क्षति पहुंचाएगा. बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बैंक की आय और इक्विटी के साथ तुलन-पत्र एवं संरचनात्मक स्थिति को क्षति पहुंचाने वाले अत्यधिक एक्सपोजर से बचने और वित्तीय लिखतों जैसे प्रतिभूतियां विदेशी विनिमय संविदाएं, इक्विटी तथा डेरीवेटिव लिखतों में निहित उतार-चढ़ाव में बैंक के एक्सपोजर को कम करना है. वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक के समक्ष मुख्य जोखिम बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन कार्यकलापों के कारण ब्याज दर जोखिम है. बैंक के बाजार से सम्बद्ध अन्य जोखिमों में विदेशी मुद्रा स्थिति पर विदेशी मुद्रा जोखिम नकदी अथवा निधिगत जोखिम और ट्रेडिंग पोर्टफोलियों पर मूल्य जोखिम है.

बैंक ने बाजार जोखिम से बचने के लिए स्पष्ट समन्वित ट्रेजरी प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति बनाई है. इन नीतियों में प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं, विवेकसम्मत ऋण सीमाओं, समीक्षा मैकेनिज्म और रिपोर्टिंग पद्धतियों का समावेश है. वित्तीय और बाजार स्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप इन नीतियों में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है.

ब्याजदर जोखिम का आकलन ब्याजदर अस्थिरता अन्तर रिपोर्ट तथा जोखिम आय के आधार पर किया जाता है. इस के अलावा बैंक अवधि, संशोधित अवधिक, निवेश पोर्टफोलियो हेतु जोखिम मूल्य जिसमें स्थायी आय प्रतिभूतियां, इक्विटीज तथा मासिक आधार पर विदेशी विनिमय स्थिति की गणना करता है. बैंक अल्प अवधि ब्याज दर जोखिम की मानिटरिंग शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) तथा दीर्घ अवधि ब्याज जोखिम की मानिटरिंग इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) को ध्यान में रखते हुए करता है. ट्रेजरी के संदर्भ में वेल्यू एट रिस्क की गणना 99%

कॉन्फिडेंस लेवल पर 10 दिन की होलिंड अवधि के आधार पर की जाती है। अस्थिरता विश्लेषण तथा इक्विटीज के माध्यमसे स्थिर ब्याज निवेश पोर्टफोलियों की स्ट्रेस जांच परिस्थितिगत विश्लेषण के माध्यम से नियमितरूप से की जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक इक्विटी प्रभाव के आर्थिक मूल्य का तिमाही आधार पर आकलन कर रहा है.

नकदी जोखिम :

बैंक में नकदी प्रबन्धन का मुख्य उद्देश्य बैंक का नकदी स्तर समुचित रूप में इस प्रकार बनाए रखना है कि देयताओं की यथास्थिति पूर्ति हो सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास सामान्य परिचलनों तथा किसी भी प्रकार के नकदी संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नकदी व्यवस्था है. नकदी जोखिम की व्यवस्था तथा मानिटरिंग की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (ए एल सी ओ) तथा आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएस) कक्ष की है.

पर्याप्त नकदी निधि निरंतर बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह नियत किया है कि पहले दिन, 2 से 7 दिन, 8 से 14 दिन और 15-28 दिनों की समयावधि में संचयी नकारात्मक नकदी अंतर संबंधित समयावधि में नकदी बहिर्प्रवाह के 5,10,15 और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. बैंक सतत आधार पर नकदी स्थिति और दैनिक आधार पर आस्ति देयता प्रबंधन टिप्पणियों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नकारात्मक नकदी अंतर प्रथम चार समयावधियों में छूट सीमा से अधिक न हो.

बैंक अपने नकदी प्रबंधन के एक भाग के रूप में नकदी के सभी उपलब्ध स्रोतों, आवश्यक निधिगत क्षमता सुरक्षित रखने और आकस्मिक योजना सहित नई आंतरिक एवं बाह्य अंतरों पर ध्यान केन्द्रित करता है. परिपक्वता अंतर रिपोर्टों और नकदी निर्धारण रिपोर्टों आस्ति और देयताओं के समुचित रूप से नकदी संयोजन के रख-रखाव की सुविधा के लिए तैयार की जाती है. बैंक की नकदी स्थिति का आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार दैनिक आधार पर किये गये संरचनात्मक नकदी अंतर विश्लेषण के माध्यम से निगरानी की जाती है और प्रत्येक पखवाड़े में गतिशील नकदी विवरण तैयार किया जाता है ताकि अगले तीन महीने के लिए नकदी प्रवाह का मूल्यांकन किया जा सके. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने दैनिक कॉल-लेंडिंग, दैनिक कॉल उधार, निवल अल्पावधि उधार और ग्राहक जमा अनुपात एवं मूल आस्ति अनुपात में निवल ऋण जैसे कार्यकलापों पर कई रोक लगायी हैं.

परिचालन जोखिम :

बैंक अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोग और पद्धति अथवा बाह्य घटनाओं के कारण परिचालनगत जोखिम का सामना करता है. बैंक ने सतत आधार पर परिचालन जोखिम पर निगरानी रखने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन की उप समिति के समग्र पर्यवेक्षण में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित की है. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति परिचालन जोखिम से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर बैठक करती है.

बैंक परिचालन जोखिम की समीक्षा की निगरानी इस आधार पर करता है कि क्या अपनी आंतरिक पद्धतियों और प्रक्रियाओं का भलीभांति अनुपालन हो रहा है. बैंक छाहरी आधार पर विभिन्न अलग-अलग पैरामीटरों पर आधारित परिचालन जोखिम के डाटा का संग्रहण एवं विश्लेषण करता है और जहां कहीं जरूरी हो वहां सुधार उपाय किये जाते हैं.

बॉसेल II का बैंक द्वारा अनुपालन :

बैंक की भारतीय बैंकों के बीच सबसे बड़ी विदेशी उपस्थिति है और इसलिए, 31 मार्च, 2008 से बासेल II दिशा-निर्देशों को लागू करना जरूरी था. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत

दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और सीआरएआर की गणना हेतु बाजार जोखिम के अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है। अतः बैंक ने बासेल I तथा बासेल II दिशा निर्देशों के तहत समानान्तर आधार पर जोखिम भार आस्थि अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी की गणना की है। आपका बैंक सहर्ष सूचित करता है कि इसने 31.03.2008 को बासेल II की अनुपालन कर ली है। बासेल I के तहत हमारा जोखिमभार आस्थि अनुपात (सीआरएआर) 12.91% हो गया है जबकि बासेल II के तहत परिचालन जोखिम हेतु आतिरिक्त पूंजी प्रभार का प्रावधान करने के पश्चात यह 12.94% है जोकि अनुकूल स्थिति है।

रोडमैप

बैंक ने बासेल II दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए रोडमैप निर्धारित किया है।

“आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण” की ओर उन्मुख होने के उद्देश्य के साथ बैंक ने क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग मोड्यूल में उधार खातों की रेटिंग करना पहले ही शुरू कर दिया है। क्रिसिल रेटिंग मोड्यूल “खातों की क्रेडिट रेटिंग, “रेटिंग के अंतरण”, चूक संभावना की गणना” पर डाटा ग्रहण करके प्रस्तुत करता है। अतः समयावधि में डाटा निर्माण के साथ बैंक बासेल II के तहत बाद में आसानी से आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण में अंतरित हो जायेगा।

आर्थिक सतर्कता यूनिट :

बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में एक विशेष आर्थिक सतर्कता यूनिट है, जो नीतिगत कारोबार आयोजना, निवेशक संबंधों और ऋण एवं बाजार जोखिम प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर उच्च प्रबंधन की सहायता करती है। यह इकाई उच्च प्रबंधन तथा बैंक की विभिन्न परिचालन इकाइयों को औद्योगिक व संरचनागत वृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, अग्रिम विस्तार तथा बैंकिंग उद्योग के संसाधन संग्रहण, नकदी एवं विनिमय दरों जैसे परिवर्तनशील मुद्दों पर आवधिक विवेचना भी उपलब्ध करवाती है। समष्टिगत आर्थिक अवधारणाओं, कार्पोरेट क्षेत्र की स्थिति और वित्तीय क्षेत्र की नीतियों को बेहतर समझ उपलब्ध करवाते हुए विभाग कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने तथा बाजार गणित के अनुरूप कार्य करने में बैंक के प्रयासों में सहायता करता है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति :

बैंक में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय निरीक्षण व लेखा परीक्षा विभाग है जो कि पद्धतियों, नीतियों और प्रणालियों के अनुपालन की जांच में बैंक की मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न मामलों पर प्राप्त दिशा-निर्देश बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण पद्धति का एक हिस्सा बन गए हैं। केन्द्रीय निरीक्षण व लेखा परीक्षा प्रभाग, अपने 10 अंचल निरीक्षण केन्द्रों के माध्यम से निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा तय निर्धारित आवश्यकता के अनुरूप शाखाओं / कार्यालयों का निरीक्षण करता है। केवाईसी / एएमएल (अर्थात नो योर कस्टमर्स तथा एंटी मनी लांडरिंग) इत्यादि विभिन्न आयामों सहित जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण की ऐसी पद्धतियों के पालन की जांच करता है।

नियमित शाखा निरीक्षण रिपोर्ट नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह परिचालन स्तर पर बैंक के मानदण्डों के अनुपालन की स्थिति से बैंक के उच्च प्रबंधन को विस्तृत फीडबैक प्रदान करती है। इसके अनुपालन की मॉनिटरिंग सुधार प्रमाण-पत्र के माध्यम से की जाती है।

वर्ष 2007-08 में, सभी शाखाएं जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के तहत कवर थीं, जोखिम तथा उनकी दिशा के स्तर का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मेट्रिक्स के अनुसार है, जो कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों

पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए छंटने में प्रबंधन की मदद करता है। शाखाओं के जोखिम वर्गीकरण की स्थिति की समीक्षा एसीबी द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।

शाखाओं के नियमित निरीक्षण के अतिरिक्त, बैंक में कई अन्य निरीक्षण जैसे अनुषंगियों, सहायक इकाइयों, कार्पोरेट, प्रधान कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशासनिक कार्यालयों तथा विदेशी शाखाओं के निरीक्षण भी किए जाते हैं। ये निरीक्षण उन केन्द्रों पर नियुक्त बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए जाते हैं तथा बैंक के नियंत्रक कार्यालयों, इसकी अनुषंगियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है।

केन्द्रीय निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा प्रभाग अग्रिम लेखापरीक्षा के माध्यम से अग्रिम जोखिम प्रबंधन को देखता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुरूप निधि आधारित तथा गैर निधि-आधारित दोनों प्रकार के बड़े ऋण खातों को कवर करता है।

मौजूदा वर्ष के दौरान ऋण लेखापरीक्षा के लिए पात्र खातों की सभी रिपोर्टों को देखा गया तथा संबंधित अंचलों को अनुपालन आवश्यक निर्देश देने के पश्चात् बंद कर दिया गया।

देशभर में विभिन्न अंचल निरीक्षण केन्द्रों से संबद्ध निरीक्षण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2007-08 में घरेलू शाखाओं के 2214 नियमित शाखा निरीक्षण किये गये तथा ब्रुसल्स शाखा में मैनेजमेंट ऑडिट के अतिरिक्त विदेशों में नियुक्त आंतरिक निरीक्षकों द्वारा विदेशी शाखाओं के 434 निरीक्षण किये गये। बैंक की समवर्ती लेखा परीक्षा विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, जो कि निधियां तथा निवेश प्रबंधन तथा बैंक के विदेशी मुद्रा विनिमय परिचालन का संचालन करती है, सहित 461 शाखाओं को कवर करती है।

समवर्ती लेखापरीक्षा बैंक के 100.0 प्रतिशत विदेशी मुद्रा डीलिंग तथा घरेलू निवेशों के कारोबार के अतिरिक्त बैंक के कुल कारोबार के 63.0 प्रतिशत से अधिक को कवर करती है।

केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रभाग भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार तिमाही आधार पर जोखिम प्रोफाइल टेम्पलेट्स समेकित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के जोखिम प्रोफाइल टेम्पलेट्स के अनुसार, बैंक का समग्र जोखिम स्तर कम तथा दिशा स्थिर है।

केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा प्रभाग सीबीएस प्लेटफार्म में तब्दील होने वाली शाखाओं की आईएस लेखापरीक्षा तथा डाटा माइग्रेशन लेखापरीक्षा भी करता है।

वर्ष 2007-08, में बैंक ने अपने समस्त घरेलू अग्रिम पोर्टफोलियो के लिए डाटाबेस एस्ट्रॉम को फोक्स प्रो से विन्डोस में अपग्रेड कर दिया है। इस माइग्रेशन की केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा विभाग से जुड़े आईएस लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षकों की गई है।

बैंक ने अंचल निरीक्षण केन्द्रों से जुड़े अपने निरीक्षण अधिकारियों के लिए आईएस लेखापरीक्षा, डाटा माइग्रेशन लेखापरीक्षा तथा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं।

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में 5 निदेशक हैं। इस समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक हैं।

निदेशक एवं लेखा परीक्षा प्रभाग सेबी (प्रोहिविशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) अधिनियम, 1992 के प्रावधान के अनुपालन को भी सुनिश्चित करता है।

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाने वाली कार्यसूची में समीक्षा हेतु बैंक के कुल लेखा परीक्षा कार्य भी शामिल होते हैं।

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन की मॉनिटरिंग एक्शन टेकन रिपोर्ट सिस्टम (एटीआरएस) के माध्यम से की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन को निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए रखा जाता है।

वर्ष 2007-08 में, बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार "अनुपालन नीति" बनाई।

परिचालन एवं सेवाएं :

अनुपालन

बैंक ने "भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड" (बीसीएसबीआई) के क्रियान्वयन के लिए उपाय शुरू कर दिये हैं। बैंक ने अपने स्टाफ में संहिता के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने के लिए संहिता को क्रियान्वित किया है। बैंक ने ग्राहकों में संहिता के बारे में जागरूकता लाने तथा उनके हित में संहिता को बड़ी संख्या में छपवाकर वितरित किया है। इसे बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। शाखाएं अब नए ग्राहकों को जमाओं एवं अग्रिमों पर मार्गदर्शन नोट (Guidance Note) वितरित कर रही हैं।

2007-08 में ग्राहकोंमुखी पहलें :

वैयक्तिकों को मूलभूत बैंकिंग सेवाएं (जैसे ड्राफ्ट जारी करना, निधियों का प्रेषण जमा करना तथा अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाएं) उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से संबद्ध सेवा प्रभागों में कमी की गई।



मुंबई मुख्य शाखा, मुंबई में बिजनेस सेंटर का शुभारंभ करते हुए श्री एन. आर. नारायणन मूर्ति, मुख्य परामर्शदाता, इंफोसेस.

बैंक ने निम्नलिखित चार मॉडल नीति दस्तावेजों की शुरुआत की है, जिन्हें बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

अ) चेक संग्रह पर मॉडल नीति

ब) मुआवजे पर मॉडल नीति

स) प्रतिभूति के पुनर्कब्जा तथा देयों की वसूली पर मॉडल नीति.

द) शिकायत निवारण मैकनिज्म पर मॉडल पॉलिसी.

ग्राहक सेवा समिति :

कार्पोरेट गवर्नेन्स को सशक्त बनाने की दृष्टि से, बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर स्थाई समिति का गठन किया है जिसमें बैंक के 4 महाप्रबंधक तथा सदस्य के रूप में 3 अन्य जानीमानी हस्तियां हैं। समिति की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं।

इस समिति का गठन आम आदमी को उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं में अपर्याप्तताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए तथा (i) मौजूदा सेवा स्तर को सुधारने (ii) प्रगति की आवधिक समीक्षा करने (iii) समय पाबंदी तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाने (iv) प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं को ठीक करने तथा (v) लगातार हो रहे परिवर्तनों में हेतु उचित सुझाव देने की आवश्यकता को देखते हुए किया गया है।

बैंक ने निदेशक मंडल की एक उप-समिति का भी गठन किया है, जिसे "निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति" के नाम से जाना जाता है। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं -

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. कार्यकारी निदेशकगण
3. श्री ए. सोमसुन्दरम - निदेशक

निदेशक मंडल की उप-समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नये उपायों का सुझाव एवं क्रियान्वयन तथा सभी अवसरों पर ग्राहकों के सभी वर्गों के संतोष के स्तर को सुधारना शामिल है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, समिति के कार्यदायित्व इस प्रकार हैं :

- I) लोकसेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी स्थायी समिति की कार्यप्रणाली तथा ग्राहक सेवाओं पर स्थायी समिति की सिफारिशों के साथ अनुपालन को देखना.
- II) दिये गये अधिनिर्णय (Award) की तारीख से 3 माह से अधिक समय के बाद भी कार्यनिष्पादन के लिए शेष अवार्डों की स्थिति तथा बैंकिंग सेवाओं में बैंकिंग लोकपाल द्वारा बतायी गई कमियों की समीक्षा.
- III) मृत जमाकर्ताओं /लॉकर धारकों /सेफ कस्टडी वस्तुओं के जमाकर्ताओं से संबंधित 15 दिनों से अधिक समय के लिए लंबित / बकाया मृतक दावों की संख्या की स्थिति की समीक्षा.

दिनांक 31.03.08 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान "निदेशक ग्राहक सेवा समिति" की बैठक में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

नाम	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया
डॉ. अनिल के. खंडेलवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	06.09.2007 05.03.2008	05.03.2008
श्री वी. सन्तानरामन, कार्यकारी निदेशक	06.09.2007 05.03.2008	06.09.2007 05.03.2008
श्री एस.सी. गुप्ता, कार्यकारी निदेशक	06.09.2007 05.03.2008	06.09.2007 05.03.2008
श्री ए. सोमसुन्दरम, निदेशक	06.09.2007 05.03.2008	06.09.2007 05.03.2008

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) /कालेधन के वैधीकरण निवारक उपाय (एंटी मनी लाण्ड्रिंग)

बैंक पी.एम.एल.ए., 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम 2002) के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक /भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन के अनुरूप निदेशक

मंडल द्वारा यथा अनुमोदित के.वाई.सी./ भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित के.वाई.सी./ए.एम.एल. नीति को लागू करता रहा है। तदनुसार संपूर्ण बैंक की नकदी लेन-देन रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में वित्तीय सतर्कता इकाई (एफ.आई.यू.), नई दिल्ली को प्रत्येक माह प्रस्तुत की जा रही है। बैंक द्वारा एफआईयू - आईएनडी को प्रस्तुत की गई सीटीआर के एफआईयू - आईएनडी से त्रुटिरहित रिपोर्ट वैधीकरण रिपोर्ट प्राप्त करता है, बैंक के जल्दी ही संदेहास्पद संव्यवहारों एफआईयू लेन-देन की रिपोर्टिंग/पता लगाने और अलर्ट जनरेट के प्रयोजन हेतु एएमएल सोल्यूशन से जुड़ने की संभावना है जो वर्तमान में हाथ से बनाकर भेजी जाती है।

बैंक ने काले धन के वैधीकरण के जोखिम को ध्यान में रखते हुए खातों का जोखिम संवर्गीकरण किया है ताकि उसकी शाखाएं "उच्च जोखिम" वाले खातों की प्रभावी निगरानी कर सकें। बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रशिक्षित /अनुभवी अधिकारियों के साथ केवाईसी / एएमएल विभाग की स्थापना की गई है। शाखाओं द्वारा केवाईसी अनुपालन की लेखापरीक्षा शाखा निरीक्षण के दौरान आंतरिक निरीक्षकों /संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से की जाती है। केवाईसी /एएमएल अवधारणा पर अहमदाबाद स्थित बैंक के कर्मचारी महाविद्यालय तथा इसके विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है। उच्चस्तरीय कार्यपालकों को भारतीय रिजर्व बैंक, आई.बी.ए. तथा एनआईबीएम (राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान) द्वारा आयोजित कार्यशालाओं /सेमिनार में इन पर अपनी जानकारी बढ़ाने हेतु नियमित रूप से प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सतर्कता :

सतर्कता गतिविधि बैंक की सफलता की कहानी का एक भाग है। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों में आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य के साथ गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायक के रूप में किया जाता है।

दुर्भावनापूर्ण इरादे / घोर लापरवाही के कारण बैंक की निधियों को परिहार्य आशंका में डालने वाले मामलों तथा गलत कारोबारी निर्णयों के मामलों में सावधानीपूर्ण विभेद किया जाता है। निष्कपट व्यावसायिक निर्णयों के मामलों के साथ व्यवहार करते समय अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिससे विभिन्न स्तरों पर परिचालन कार्यकारियों के बीच मानसिक भय हटाने में मदद की है, इसने निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों के आत्मविश्वास स्तर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला है।

सतर्कता प्रशासन में सुधार की दिशा में की गई विभिन्न पहलों /सकारात्मक कदमों ने लंबित सतर्कता मामलों में सामान्य रूप से तथा 6 माह से अधिक पुरानी पूछताछ में विशेष रूप से कमी आई है।

मौजूदा समीक्षा पद्धति तथा प्रक्रियाएं धोखाधड़ी के मामलों को कम करने तथा धोखाधड़ी गंभीरता को न्यूनतम करने की दृष्टि से अपनायी गई है। यह बहुत ही हर्ष की बात है कि परिचालन स्टाफ द्वारा बरती गई असाधारण सावधानी तथा सतर्कता ने वर्ष 2007-08 के दौरान अनैतिक तत्वों द्वारा किये गये धोखाधड़ी के 63 प्रयासों को विफल किया जिसने बैंक को होने वाली आर्थिक हानि से बचाया।

कारोबार कार्यनिष्पादन

संसाधन संग्रहण :

कुल संसाधनों में बैंक की जमाराशियां का भाग 31 मार्च, 2008 को 84.65% था। कुल जमाराशियां 1,24,9015.98 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,52,034.12 करोड़ रुपए हो गई जो गत वर्ष की तुलना में 21.71% अधिक थी। इसमें बचत बैंक जमाराशियों - जो अल्प लागत वाली जमाराशियों का एक महत्वपूर्ण भाग है - में 4199.1 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और यह 31, 577.28 करोड़ रुपए

से बढ़कर 35,776.38 करोड़ रुपए हो गई। अल्प लागत वाली जमाराशियों (चालू व बचत) का भाग वैश्विक (कुल)जमाराशियों में 31.22% और घरेलू जमाराशियों में 35.93% था। मीयादी जमाराशियों की दरों में काफी वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंकिंग उद्योग ने समग्र रूप से वर्ष 2007-08 के दौरान अल्प लागत वाली जमाराशियों से आवधिक जमाराशियों की ओर वृद्धि का रुझान देखा।

निधियों का संमिश्रण - वैश्विक

विवरण	मार्च 2008 के अंत में (रु. करोड़)	मार्च 2007 के अंत में (रु. करोड़)	वृद्धि (%)
जमाराशियां	1,52,034.12	1,24,915.98	21.71
- घरेलू	1,22,479.35	99,725.62	22.82
- विदेशी	29,554.77	25,190.36	17.33
उधारियां	3,927.05	1,142.56	243.71

वैश्विक अग्रिम :

विवरण	मार्च 2008 के अंत में (रु. करोड़)	मार्च 2007 के अंत में (रु. करोड़)	वृद्धि (%)
अग्रिम	1,06,701.33	83,620.87	27.60
- घरेलू	84,503.31	67,262.69	25.63
- विदेशी	22,198.02	16,358.18	35.70

होलसेल बैंकिंग

बड़े निजी तथा विदेशी बैंकों द्वारा निभायी गयी जबरदस्त भूमिका के कारण होलसेल बैंकिंग कारोबार सर्वाधिक प्रतिस्पर्द्धी बैंकिंग सेगमेंट के रूप में उभर कर सामने आया है। तथापि, बैंक के अग्रिम कारोबार का आधा हिस्सा होलसेल बैंकिंग से जनित होता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस सेगमेंट में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय मॉडल, सेवा मानदंडों, त्वरित प्रतिक्रिया तथा बेहतर पहुंच के साथ प्रवेश करने की रणनीति अपनायी गई।

बड़े कार्पोरेटों तथा मध्यम स्तर के कार्पोरेटों के लिए अलग-अलग होलसेल बैंकिंग शाखाओं, बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर तथा कार्यक्षेत्र स्तर पर ग्राहक सेवा टीमों का गठन इस दिशा में उठाये गये कुछ कदम हैं। मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, बैंक ने 50 से अधिक नए ग्राहक जोड़े लिए हैं तथा इस सूची और अधिक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

प्रभावशाली अग्रिम मॉनिटरिंग के माध्यम से आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने एवं सुधारने तथा स्लीपेज को रोकने की दृष्टि से, क्रेडिट मॉनिटरिंग एण्ड एसेट्स हेल्थ चेक सिस्टम (सीआरईएमएस) तथा अर्ली वार्निंग एलर्ट सिस्टम (ईडब्ल्यूएस) का व्यापक इस्तेमाल किया जाता है। जबकि 'हंटिंग लिमिट पॉलिसी' का उपयोग नए कार्पोरेट कारोबार को प्राप्त करने हेतु तथा 'एक्सिट पॉलिसी' का उपयोग कमजोर आस्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। बैंक ने नियामक मानदंडों के अनुरूप मार्च, 2008 तक बासेल-II जोखिम रेटिंग मॉडल अपना लिया है तथा 'मानकीकृत दृष्टिकोण' को ओर माइग्रेट कर लिया है।

तेजी से बदलते परिवेश में उच्च कौशल आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए अग्रिम के क्षेत्र में एक टैलेंट पूल को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें गहन इनहाउस प्रशिक्षण तथा बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में नामित कर प्रशिक्षित करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

रिटेल कारोबार

वर्ष 2007-08 के दौरान भी कारोबार वृद्धि को प्राप्त करने के लिए रिटेल प्रमुख क्षेत्र रहा. देयताएं एवं आस्तियों, दोनों में स्थायी वृद्धि प्राप्त करने के लिए, बैंक ने विशेष उत्पाद शुरू करने के अतिरिक्त विभिन्न ग्राहकोन्मुख उपायों की पहल की है. वर्ष 2007-08 के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन झलकियां इस प्रकार हैं :-



बैंक का समग्र रिटेल अग्रिम मार्च, 2008 के अंत तक पिछले वर्ष की तुलना में 2573.31 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज कर 16892.32 करोड़ रुपए हो गया. इस अवधि के दौरान बैंक का प्राथमिक लक्ष्य गुणवत्ता को बनाए रखना, उसमें सुधार करना तथा एक अच्छा 'रिटेल लोन' पोर्टफोलियो तैयार करना रहा तथा इसलिए, बड़ौदा कार ऋण तथा मोर्टगेज आधारित उत्पाद जैसे कि - बड़ौदा आवास ऋण, बड़ौदा ट्रेडर्स ऋण तथा बड़ौदा एडवांस एग्रेस्ट प्रॉपर्टी पर अधिक जोर दिया गया, बैंक के दायरे में युवावर्ग को लाने के लिए वर्ष के दौरान बड़ौदा शिक्षा ऋण उत्पाद पर भी काफी जोर दिया गया.

वर्ष के दौरान बैंक के आवास ऋण में 1195.88 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और इस प्रकार इसमें मार्च 2007 की तुलना में 19.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. मार्च 2008 में समाप्त वर्ष के दौरान ट्रेडर्स लोन, बंधक के पेटे अग्रिम, शिक्षा ऋण, कार ऋण में क्रमशः 39.35 प्रतिशत, 56.06 प्रतिशत, 35.59 प्रतिशत तथा 37.61 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई.

बैंक का हमेशा यह प्रयास रहा है कि सभी मौजूदा उत्पादों के मानदंडों एवं विशेषताओं की समीक्षा तथा उनमें यथावश्यक संशोधन सतत आधार पर किये जायें. वर्ष के दौरान नये उत्पादों का भी शुभारंभ किया गया ताकि समाज/ग्राहक समुदाय के विभिन्न सेगमेंटों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके.

नए रिटेल उत्पाद :

बैंक के शताब्दी वर्ष समारोहों के एक भाग के रूप में, बैंक ने 20 जुलाई, 2007 से निम्नलिखित नए जमाराशि उत्पादों का शुभारंभ किया है.

1. **बड़ौदा शताब्दी बचत खाता** - सभी सीबीएस शाखाओं में हमारे मौजूदा सुपर सेविंग खाता उत्पाद के संशोधित संस्करण की शुरुआत की गई, जिसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं :

अ) मीयादी जमाराशियों में स्वतः स्वीप ट्रिगरिंग के लिए डिफॉल्ट प्रारंभ सीमा 20,000 रु. से घटाकर 10,000 रुपए कर दी गई. हमें लगता है कि यह कदम शताब्दी बचत खाता धारकों की संख्या में बढ़ोत्तरी करेगा.

ब) ग्राहक को ऑटो स्वीप राशि का निर्णय लेने की छूट दी गई है. बशर्ते न्यूनतम राशि रु.5000 हो तथा तदोपरान्त 1000 रुपए के गुणक में तथा एक माह के दौरान ऑटो स्वीप किया जा सकेगा.

अतः इस प्रकार हमारे ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद में परिवर्तन करने के व्यापक विकल्प दिए गए.

2. **बड़ौदा शताब्दी मीयादी जमाराशि** - उच्च ब्याज दर देने वाला एक नया मीयादी जमाराशि उत्पाद सीमित अवधि के लिए उपलब्ध करवाया गया.
3. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसार 26 नवंबर, 2007 को वार्षिक बैंकर्स सम्मेलन- बैंकॉन के अवसर पर एक रिवर्स मोरगोज लोन उत्पाद - 'बड़ौदा आश्रय' का शुभारंभ किया गया. यह उत्पाद वरिष्ठ नागरिकों को उनके नाम पर तथा उनके द्वारा अधिग्रहित तथा स्वयं के कब्जे में विद्यमान आवासीय संपत्तियों के एवज़ में ऋण उपलब्ध करवाता है.
4. आर्थिक सुधारों ने युवा कार्यपालकों के लिए चुनौतीपूर्ण पद ग्रहण करने के व्यापक अवसर खोल दिए हैं. अतः सामान्यतः कई वर्तमान कार्यपालक व्यवसाय प्रबंधन पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर हो रहे हैं. ऐसे वर्तमान कार्यपालकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ौदा कैरियर डेवलपमेंट नामक एवं विशेष उत्पाद का 6 दिसंबर, 2007 को शुभारंभ किया गया.

उत्पाद संशोधन :

ट्रेडर्स को बाधा रहित ऋण उपलब्ध करवाने के लिए बनाए गए उत्पाद - **बड़ौदा ट्रेडर्स** ऋण को लक्षित सेगमेंट से अच्छा प्रतिसाद मिला है. उत्पाद के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, इसकी ऋण सीमा सीलिंग बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई.

इसी प्रकार, बड़ौदा कार ऋण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एकल ब्याज दर की शुरुआत की गई.

आयोजित अभियान :

शताब्दी रिटेल ऋण फेस्टीवल :



बैंक के ब्रान्ड एम्बेसेडर श्री राहुल द्रविड़ बचत खाता अभियान - "डाइन विद राहुल" के विजेताओं को प्रतीक चिह्न प्रदान करते हुए.

बड़ी संख्या में रिटेल ऋण खाते संगृहीत करने के उद्देश्य से, बैंक ने 17 सितंबर, 2007 से 31 दिसंबर, 2007 तक अपनी सभी घरेलू शाखाओं में विशेष अभियान का आयोजन किया. बैंक ने अभियान अवधि के दौरान ग्राहकों को ब्याज दर एवं प्रोसेसिंग प्रभारों में रियायत उपलब्ध करवायी. बैंक ने इस अभियान के तहत 1891.93 करोड़ रुपये राशि के 21,707 ऋणों को मंजूरी प्रदान की.

ट्रेडर्स ऋण अभियान :

दि. 1 जनवरी, 2008 से 25 मार्च, 2008 तक बढ़ावा ट्रेडर्स लोन के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया. अभियान अवधि के दौरान शाखाओं ने 992 करोड़ रुपए की राशि के 5603 ऋणों को मंजूर किया.

दांचागत परिवर्तन :

- रिटेल ऋण डिलीवरी सिस्टम को सशक्त बनाने की दृष्टि से, बैंक ने वर्ष के दौरान वाराणसी एवं इंदौर में दो नई शहरी रिटेल ऋण फैक्ट्रियां (यूआरएलएफ) खोलीं, इस प्रकार यूआरएलएफ की कुल संख्या बढ़कर 15 हो गई.
- जेन-नेक्स्ट शाखा - युवा सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने पुणे (अप्रैल, 2007) तथा बेंगलूर (नवंबर, 2007) में युवाओं तथा युवा आईटी व्यावसायिकों के लिए, शाखा बैंकिंग के एक नए फार्मेट, जेन-नेक्स्ट शाखा का शुभारंभ किया. ये शाखाएं आधुनिक उपकरणों, परिवेश तथा उन अन्य सभी सुविधाओं से युक्त हैं, जिनकी युवावर्ग आज के आधुनिक युग में चाह रखता है. इसके बारे में प्राप्त प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर, बैंक की देश के अन्य केंद्रों पर और अधिक शाखाएं खोलने की योजना है.

अन्य पहलें :

प्रौद्योगिकी समर्थित डिलीवरी चैनल:

ऑनलाइन शिक्षा ऋण आवेदन सुविधा - विद्यार्थी समुदाय को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध करवाने हेतु, बैंक ने "ऑनलाइन शिक्षा ऋण आवेदन सुविधा" की शुरुआत की है. इस सुविधा से आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने तथा सिस्टम के माध्यम से 48 घंटों के भीतर सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलेगी.

बढ़ावा ईजी पे - यह 4 जून, 2007 को शुरू की गई एक इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुतीकरण एवं भुगतान सेवा है. यह प्रणाली हमारे ग्राहकों को अपने बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है.

इंटरनेट बैंकिंग को प्रोत्साहन - बैंक ने वर्ष के दौरान ई-बैंकिंग चैनल, बढ़ावा कनेक्ट को व्यापक रूप में प्रोत्साहित किया. रिटेल ग्राहकों से इसकी प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहवर्द्धक रही.

रेल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग - अपने ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे कैंटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन लि. के सहयोग से प्रौद्योगिकी समर्थित रेलवे टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है. बैंक के ग्राहक अब बैंक के गेट-वे के माध्यम से अपनी रेलवे बुकिंग का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.

अन्य कार्यनीति पहलें :

बैंक ने अपनी गैर निधि आधारित आय को बढ़ाने के लिए 23 अक्टूबर, 2007 से चुनिंदा शाखाओं के माध्यम से सोने के सिक्कों की बिक्री के रूप में एक नई पहल का शुभारंभ किया है. वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों/अंचलों में 250 शाखाएं पीओएस के रूप में कार्य कर रही हैं.

एसएमई कारोबार :

लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई), भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक विकास इंजन हैं. यह सेगमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा स्वतंत्रता से अब तक

इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में सार्थक योगदान दिया है. इस सेक्टर ने निर्यातों के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद को एक सशक्त औद्योगिक आधार प्रदान किया है. भारत में एसएमई औद्योगिकी उत्पादन में 46% से अधिक तथा देश के निर्यात में करीब 50% योगदान करती है.

बैंक हमेशा से ही लघु उद्यमों के विकास में अग्रगण्य रहा तथा इसने एसएमई ग्राहकों के लिए लचीली एवं विस्तृत एसएमई ऋण पॉलिसी निर्मित की है. साथ ही, एसएमई की नियामक परिभाषा के अंतर्गत शामिल उद्यमों के अतिरिक्त भारत में उभरते एसएमई की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक एसएमई के साथ सममूल्य पर 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली अन्य व्यावसायिक इकाइयों पर भी विचार कर रहा है.

एसएमई लोन फैक्ट्रियां :

बैंक ने एसएमई इकाइयों के हित के लिए एक तीव्र डिलीवरी चैनल के रूप में एसएमई लोन फैक्ट्री (एसएलएफ) मॉडल की शुरुआत की है. यह मॉडल क्रमिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित "बिक्री एवं डिलीवरी मॉडल" को नवोन्मेषी संकल्पना पर आधारित है, जिसमें बैंक स्टाफ शामिल होता है तथा यह सरलीकृत प्रक्रियाएं तथा प्रौद्योगिकी समर्थित है. एसएमई लोन फैक्ट्री की ऋण मार्केटिंग एवं ऋण प्रोसेसिंग के लिए 'ऋण' तथा 'अग्रिम' नामक दो अलग-अलग शाखाएं हैं. इस संकल्पना को कारोबारी समुदायों ने उत्साह के साथ स्वीकारा है. बैंक ने अपने स्थापना दिवस अर्थात् 20 जुलाई, 2007 को 11 नई फैक्ट्रियों की रिकार्ड शुरुआत की तथा अब यह संख्या बढ़कर 27 हो गई है.

वर्तमान में, देशभर में विद्यमान विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रों पर बैंक की एसएमई लोन फैक्ट्रियां हैं. ये केन्द्र हैं- आगरा, अहमदाबाद, बेंगलूर, बढ़ावा, भीलवाड़ा, बलसाड़, चेन्नै, कोयंबतूर, दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जमशेदपुर, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई (3 एसएलएफ), नागपुर, नोएडा, पुणे, राजकोट तथा सूरत.

बैंक की वर्ष 2008-09 के दौरान नई दिल्ली में एक अतिरिक्त लोन फैक्ट्री सहित पांच नई एसएमई लोन फैक्ट्रियां स्थापित करने की योजना है.

कुल मिलाकर, मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान एसएमई लोन फैक्ट्रियों के माध्यम से स्वीकृत कुल ऋण पिछले वर्ष के 2016 करोड़ रुपये से बढ़कर 5956 करोड़ रुपये हो गया.

एसएमई ऋण विकास :

बैंक ने वर्ष 2007-08 के दौरान एसएमई सेगमेंट की वित्तीयन में 31.0 प्रतिशत से अधिक की विकास दर को बनाए रखा है. एसएमई की नियामक परिभाषा के अनुसार 31 मार्च, 2008 तक एसएमई क्षेत्र में कुल बकाया 11808.0 करोड़ रुपये हैं. यह बैंक के सकल घरेलू ऋण का 13.83 प्रतिशत भाग है. एसएमई सेगमेंट में बैंक का कार्य-निष्पादन इस प्रकार है.

क्षेत्र	ऋण वृद्धि (%)	
	2006-07	2007-08
कुल एसएमई	31.40	31.11

वर्ष के दौरान एसएमई वित्तपोषण में उठाये गये कदम

- बैंक ने रियायती दर पर लघु उद्यम इकाइयों की ऋण रेटिंग करने के लिए मई 2007 में "डन एवं ब्रेडस्ट्रीट" के साथ समझौता किया है.

- बैंक ने 22 सामान्य शाखाओं को विशेषीकृत एसएमई शाखाओं के रूप में पुनःनिर्धारित किया है, इसके साथ, बैंक की देशभर में 60 विशेषीकृत एसएमई शाखाएं हैं।
- बैंक ने एसएमई समूहों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई नए ग्राहकोन्मुख क्षेत्र विशिष्ट उत्पाद शुरू किये हैं।
- बैंक ने तीव्र ऋण मूल्यांकन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को लचीला किया है।
- बैंक ने एसएमई व्यवसाय में अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है।
- बैंक ने एसएमई उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट के साथ समझौता किया है ताकि वे उन्हें बैंक से ऋण लेने हेतु प्रायोजित कर सकें।
- बैंक सभी एसएमई ऋण फैक्टरियों द्वारा ग्राहक सम्मेलन आयोजित करता है। इसके साथ यह एसएमई ऋण फैक्टरियों के साथ जुड़े अधिकारियों के ज्ञान को निरंतर अद्यतन करने तथा कौशल-निर्माण पर भी ध्यान देता है।

ग्रामीण एवं कृषि ऋण

बैंक ग्रामीण बाजार की सम्भावनाओं को देखते हुए अपनी 1097 ग्रामीण और 624 अर्ध शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण सुविधा और कृषि वित्त पोषण हेतु सदैव अग्रणी रहा है। बैंक ने वर्ष 2007-08 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60 नयी शाखाएं खोली हैं।



डॉ. अनिल के. खण्डेलवाल तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इंगूरपुर परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर इंगूरपुर जिले के निवासियों के भारी जन-समूह को संबोधित करते हुए।

बैंक उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) का संयोजक है। बैंक 43 जिलों में गुजरात (12), राजस्थान (12), उत्तर प्रदेश (14), उत्तरांचल (2), मध्य प्रदेश (1), और बिहार (2) में अग्रणी बैंक का दायित्व निभा रहा है।

बैंक ने विभिन्न राज्यों में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया है तथा मार्च 2008 के अन्त में इनकी कुल 1190 शाखाएं तथा कुल कारोबार रु.11999.70 करोड़ था।

वर्ष 2007-08 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का कार्यानिष्पादन

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम मार्च 2007 के रूपये 25,290.84 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2008 में रूपये 31,681.26 करोड़ हो गये। और ये अग्रिम 40% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में निवल बैंक ऋण (एन वी सी) का 47.10% रहे। बैंक के कृषि अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 28% की वृद्धि दर्ज की गयी तथा यह बढ़ कर मार्च 2008 की समाप्ति पर रु.13,269 करोड़ हो गए।

अपने कृषि ऋण उत्पाद "बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड" के तहत बैंक ने किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 148547

क्रेडिटकार्ड जारी किए। वर्ष 2007-08 के दौरान 1,90,511 नये किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी है। अपने माइक्रोवित्त प्रयासों के रूप में बैंक ने वर्ष 2007-08 के दौरान 13.256 स्वयं सहायता समूहों को रु.122.77 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की है। जिनमें से 77.0 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह है, इस प्रकार 70,995 स्वयं सहायता समूहों को रु.422.28 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

व्यवसाय हेतु पहल तथा कार्य नीतियां

बैंक ने वर्ष 2007-08 के दौरान ग्रामीण / कृषि क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर विभिन्न पहलों / कार्यनीतियों की शुरुआत की है। जैसे

- कृषि अग्रिमों को बढ़ाने की दिशा में बैंक ने विशेष अभियान जैसे, फसली ऋणों के लिए खरीफ अभियान तथा निवेश ऋण अभियान चलाए तथा इनके तहत क्रमशः रु.950.53 करोड़ तथा रु.926.28 करोड़ का ऋण वितरण किया।
- बैंक ने ग्रामीण बाजार में अपनी दखल बढ़ाने के लिए 2108 स्तरीय ऋण शिविरों का आयोजन कर रूपये 1,293 करोड़ की राशि वितरित की। बैंक ने 30 मेगा क्रेडिट कैम्पों का आयोजन कर रु.508 करोड़ की ऋण राशि वितरित की।
- बैंक ने भारतभर में कृषि क्षेत्र के ऋणों को बढ़ाने के लिए 350 थ्रस्ट शाखाओं का चयन किया है जिन्होंने मार्च 2008 की समाप्ति को कुल कृषि ऋणों का 37% ऋण वितरित किया है, इन थ्रस्ट शाखाओं की 2007-08 के दौरान वृद्धिदर 34.23% रही।
- बैंक ने विभिन्न एरिया विशेष योजनाओं की शुरुआत की है जो कि स्थानीय आवश्यकताओं, विशेष रूप से जहां चावल मिलों, कोल्ड स्टोरेज, पोल्ट्री इकाइयों आदि जैसे उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इन योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज दर प्रमाणों आदि में समुचित रियायतें प्रदान की गयी हैं, ताकि कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अधिकतम कारोबार हासिल किया जा सके
- वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने ग्रामीण कृषि उधार में तकनीकी का प्रभावी उपयोग किया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में बायो-मेट्रिक एटी एम स्थापित किए गए। बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी युक्त स्मार्ट कार्ड तकनीक की शुरुआत के प्रयास किए हैं। बैंक के 247 एटीएम ग्रामीण / अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित है तथा बैंक की 157 ग्रामीण शाखाएं हैं और 452 अर्धशहरी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अन्तर्गत आ गई है।
- बैंक ने 20 फरवरी, 2008 को रायबरेली में शताब्दी वर्ष ग्रामोत्सव तथा स्वयं सहायता समूहों की राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिस का उद्घाटन श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्ष, यूपीए द्वारा किया गया। माननीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम भी इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों ने अपने-अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी किया। इस के अलावा इस अवसर पर रु.341 करोड़ राशि के ऋणों के वितरण के साथ-साथ लगभग 1000 स्वयं सहायता समूहों, 151 कृषक क्लबों, एक बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बी एस वी एस) केन्द्र, एक बी जी पी के केन्द्र, एक बायो मेट्रिक एटीएम का भी उद्घाटन किया गया।
- बैंक ने शताब्दी वर्ष के दौरान अन्य अनेक नवोन्मेषी प्रयासों की शुरुआत की है। बैंक ने इंगूरपुर जिले को (राजस्थान में एक ऐसा जिला, जो कि मुख्यतः एक आदिवासी जिला है और देश अत्यन्त पिछड़े हुए जिलों में से एक है यह

परियोजना 1 अक्टूबर, 2007 को प्रारंभ की गयी। उल्लेखनीय है कि डूंगरपुर जिले के लिए शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। बैंक की अब डेयरी विकास उच्च मूल्य फसलों, सब्जियों आदि के लिए 20500 परिवारों को 54.50 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। इस परियोजना के सहित अनेक अन्य विकास गतिविधियां भी सम्पन्न की जा रही हैं।

- बैंक ने 101 गांवों को (101 "बड़ौदा शताब्दी वर्ष गांव") उनके समग्र एकीकृत विकास हेतु 3 वर्षों के लिए और 100% प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए गोद लिया है।
- 42 बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र (बीजीपीके)- वर्ष के दौरान की गयी ऐसी शुरुआत जिसमें कृषि उत्पादों के मूल्यां, वैज्ञानिक फार्मिंग आदि पर जानकारी देने हेतु ग्रामीण समुदाय को ऋण प्रदान करने संबंधी परामर्श एवं अन्य सेवाएं देना शामिल है, प्रारम्भ किए गए।
- रायबरेली में केवल महिला उद्यमियों के लिए एक अतिरिक्त बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बीएमवीएस) केन्द्र सहित आज चार राज्यों में 12 ऐसे केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान केवल युवा वर्ग को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण एवं जानकारी तथा दक्षता प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 5,577 युवाओं / लाभन्वितों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 3,449 ने सफलता पूर्वक अपना स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिए हैं।
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयास प्रारम्भ किए हैं। बैंक ने 100.0 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए 500 गांवों को गोद लिया है और इन सभी 500 गांवों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है बैंक ने डूंगरपुर जिला (राजस्थान), नैनीताल, उदमसिंह नगर जिलों (उत्तराखंड), डांग, दोहद पंचमहल जिलों (गुजरात) में भी 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति करली है। इसके साथ ही बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) द्वारा चयनित विभिन्न जिलों में 8,160 गांवों में भी 100.0 प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- देशभर में पिछड़े वर्ग के साथ-साथ कृषि संविभाग के वित्तीय समावेशन के लिए व्यवसाय समर्थित (ट्राइबिजनेस - फेसलिटेटर) मॉडल को लागू किया गया है। व्यवसाय साधक मुख्य रूप से बैंक के लिए ऋण आवेदन पत्रों को प्राप्त करेंगे जिस के लिए उन्हें बैंक उचित मानदेय राशि देगा। गैर सरकारी संस्थाएं, कृषक क्लब और स्वयं सहायता समूहों को एजेंट की रूप में रखा गया है ताकि वे ग्रामीण / अर्ध शहरी शाखा क्षेत्रों में बैंक की पहुंच बढ़ा सकें।
- बैंक ने अलग से एक माइक्रो फायनांस सेल की स्थापना अलग से माइक्रो फॉ यनेस संविभाग देखने के लिए की है। बैंक ने ग्रामीण और कृषि व्यवसाय हेतु माइक्रो फायनांस गतिविधियों के लिए दक्षता को बढ़ाने और बेहतर कृषक क्लबों / स्वयं सहायता समूहों की स्थापना और सी एम एफ के माध्यम से उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में सी एम एफ सेन्टर फॉर माइक्रो फायनांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) का कार्यनिष्पादन

बैंक द्वारा निम्न पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों प्रयोजित किए गए हैं।

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक - प्रधान कार्यालय : रायबरेली
- बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक - प्रधान कार्यालय : अजमेर



श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्ष यूपीए, रायबरेली में शताब्दी वर्ष ग्रामोत्सव के अवसर पर जन-समुदाय को संबोधित करते हुए।



ग्रामोत्सव में उपस्थित विशाल महिला जनसमूह

- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक - प्रधान कार्यालय : भरुच
- नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्रधान कार्यालय : हल्द्वानी
- झाबुआ - धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्रधान कार्यालय : झाबुआ

इन पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सकल व्यवसाय मार्च, 2007 की समाप्ति पर रुपये 10,184.31 करोड़ से बढ़ कर मार्च, 2008 में रुपये 11,999.70 करोड़ हो गया, जो 17.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इन पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2007-08 के दौरान रु. 49.99 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। तथा इन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुद्ध मालियत तथा आरक्षित निधियां एवं अधिशेष क्रमशः मार्च 2007 समाप्ति पर रुपये 275.63 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2008 की समाप्ति पर रु. 325.22 करोड़ तथा मार्च 2007 की समाप्ति पर रु. 173.11 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2008 की समाप्ति पर रुपये 208.68 करोड़ हो गए।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

बैंक ने वर्ष 2007-08 में एनपीए प्रबंधन के क्षेत्र में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने का प्रयास जारी रखा है। बेहतर एवं समान्वित तथा सघन प्रयासों के फलस्वरूप, वैश्विक सकल एन पी ए स्तर 2.47 प्रतिशत में कमकर 1.84 प्रतिशत तक लाया गया और साथ ही बैंक द्वारा अपने स्टॉक धारकों को किए गए वायदे के अनुसार एन पी ए को 0.60 प्रतिशत से 0.47 प्रतिशत तक कम किया गया।

उल्लेखनीय है कि न केवल सकल एन पी ए तथा शुद्ध एन पी ए के प्रतिशत में कमी हुई बल्कि मार्च 2008 की समाप्ति पर रु. 2,092.14 करोड़ (सकल एन पी ए) तथा रु. 501.67 करोड़ (शुद्ध एन पी ए) को क्रमशः रुपये 1981.35 करोड़ तथा रु. 493.53 करोड़ के स्तर पर लाया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान, मानक अग्रिमों के अंश में पिछले वर्ष के अन्त में उनके स्तर (97.53) की तुलना में मौजूदा वर्ष के अन्तमें उनके स्तर (98.16) के फलस्वरूप आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ जो कि निम्नांकित तालिका में उल्लिखित है।

अग्रिम की श्रेणी (सकल)	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
	राशि (रूपये करोड़ों में)	कुल का %	राशि (रूपये करोड़ों में)	कुल का %
हानि	366.12	0.34	312.69	0.37
संदिग्ध	887.65	0.82	1,147.68	1.36
अवमानक	727.61	0.68	631.76	0.74
सकल एन पी ए	1,981.38	0.68	2,092.13	2.47
मानक	1,05,690.44	98.16	82,622.15	97.53
कुल ऋण आस्तियां	1,07,671.82	100.00	84,714.28	100.00

बैंक का एन पी ए कवरेज अनुपात 75.09% अनुकूल स्तर पर है। स्लिपेजेस को वर्ष के प्रारम्भिक मानक अग्रिम स्तर 1.21% पर रोका गया।

एन पी ए प्रबंधन और वसूली हेतु उत्साह पूर्ण एव सघन तथा केन्द्रित प्रयासों के फलस्वरूप एन पी ए में रु.588.73 करोड़ वसूली हुई और इसके अलावा रु. 133.05 करोड़ के खाते अपग्रेड किए गए।

उल्लेखनीय है कि विवेक सम्मत रूप में बट्टे खाते डाले गए खातों में पिछले वर्ष रु. 258.90 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु. 363.33 करोड़ की वसूली की गई।

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने पुरानी हार्डकोर वित्तीय अस्तियों की बिक्री की प्रक्रिया के माध्यम से रु 269.79 करोड़ की राशि प्राप्त की।

बैंक द्वारा वसूली के संबंध में किए गए अन्य प्रयासों में महा समझौता अभियान भी शामिल है जिसके अन्तर्गत रु. 5 लाख तथा उससे कम राशि के बकाया वाले खातों में रूपये 60.22 करोड़ की वसूली की गयी।

ट्रेजरी परिचालन

वर्ष 2007-08 के दौरान वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था को सब प्राइम जैसी विकट परिस्थितियों के दौर से गुजराना पड़ा। विश्व के प्रमुख बैंकों को बड़ी मात्रा में राशि अवलेखित (राइट डाऊन) करनी पड़ी। चूंकि इन बैंकों के पास रखे बांड्स का कीमत लागत अन्तर (स्प्रेड) बढ़ जाने के कारण बचाव व्यवस्था हेतु रखी वायदा खरीद / बिक्री स्थिति अनुकूल नहीं रही। अमरीकी कार्पोरेट बांड मार्केट में नकदी की कमी उत्पन्न हो गई चूंकि निवेशकों ने कार्पोरेट बांड से दूरी बनाई रखी अर्थात् उन्होंने इन बांडों में निवेश नहीं किया। विश्व भर के केन्द्रीय बैंकों ने नकदी स्थिति में सुधार हेतु निधीयन सीमा (फंडिंग लिमिट) बढ़ाते हुए सम्मिलित प्रयास किया जिनका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से फेडरल रिजर्व (अमरीकी बैंकिंग प्रणाली) व्यवस्था के तहत इन निधियों (फेड फंड्स) की दरों में भारी कटौती की गई।

बड़ी मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्केट स्टेबलाइजेशन योजना (एम एस एस) के तहत बिक्री के कारण चूंकि नकदी अत्यधिक रही, फलस्वरूप भारतीय बांड मार्केट में भी वर्ष की प्रथम छः माही में आय / प्राप्तियों में वृद्धि देखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अग्रणी की संवीक्षा

नीतिगत में दर अपरिवर्तनीय रखी, बैंक ने रिजर्व रेपो में रु. 3000 करोड़ की सीलिंग सीमा वापस ले ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) में दो बार वृद्धि की जो 4 अगस्त 2007 तथा 10 नवम्बर 2007 प्रत्येक 50 बी पी एस थी। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2007-08 की द्वितीय छः माही में, स्थिति में कुछ सुधार हुआ जबकि फेड फंड दर में अत्यधिक कमी की गई। फलतः देशीय मार्केट में दरों में प्रत्यक्षित कटौती हुई। 10 वर्षीय बेंचमार्क पर आय जो कि वर्ष के प्रारम्भ में 7.99% थी जनवरी 2008 में और कम हो कर 7.36% रह गई। लेकिन वर्ष के अन्त में मुद्रास्फीति में वृद्धि जो कि 14 मार्च 2008 को बढ़ कर 7.41% हो गई जिसके कारण मार्केट में अनावश्यक व्ययों (सैलिंग स्त्री) में वृद्धि हुई। मुद्रा स्थिति की दर भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं 5% से अधिक हो जाने के कारण मौद्रिक नियन्त्रण पुनः बढ़ाना पड़ा।

10 वर्षीय बेंचमार्क पर आय जो कि वर्ष के प्रारम्भ में 7.99% थी। 27 जनवरी 2008 को कम हो कर 7.36% हो गई लेकिन वर्ष के अन्त में यह 7.94% थी। कार्पोरेट बांड मार्केट तथा सरकारी प्रतिभूतियों में परस्पर अन्तर बढ़ता गया। इसे बचाए रखने के लिए बैंक ने एस एल आर प्रतिभूतियों को वर्ष के प्रारम्भ में ए एफ एस से एच टी एम को शिफ्ट किया। आय पर प्रतिकूल प्रभाव से उक्त स्थिति को बचाए रखने के लिए इसका प्रमुख भाग अल्पावधि प्रतिभूतियों के रूप में रखा गया ताकि अवधि को कम रखा जा सके।

तथापि बैंक ने विवाचन अवसरों जो विभिन्न बाजारों के बीच उपस्थित थे, मनी मार्केट में सक्रिय रह कर अल्पावधि परिचालनों से अच्छी कमाई कर अपनी आमदनी बढ़ाई।

वर्ष के दौरान इक्विटी बाजार में भारी अस्थिरता रही। बेंचमार्क सूचकांक जो कि 31 मार्च 2007 को 13072 था, सन्तुलित आर्थिक वृद्धि, जैसा कि सकल देशी उत्पाद अच्छे कार्पोरेट परिणामों से परिलक्षित है, के फलस्वरूप 10 जनवरी 2008 को 21,207 हो गया। तथापि 18 मार्च 2008 को यह वैश्विक कमी के कारण कम होकर 14677 रह गया। वर्ष की अन्तिम तिमाही में मार्केट अत्यधिक अस्थिर रहा। वर्ष के अन्त में कुछ मजबूती दिखाई थी तथा यह 31 मार्च 2008 को 15644 पर बंद हुआ। तथापि बैंक का इक्विटी डेस्क सक्रिय रहा तथा इसने विवेकपूर्ण मार्केट परिचालनों से यथोचित आय अर्जित की।

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में रूपए का मूल्य अमरीकी डालर की तुलना में 7.26% बढ़ गया। यह प्रति यू एस डालर रु. 43.26 से 40.12 प्रति यू एस डालर हो गया जो मुख्यतः वर्ष के प्रथम 9 महीनों के दौरान देश में आनेवाली मुद्रा में वृद्धि के कारण हुआ। यू एस डालर की तुलना में रूपए का मूल्य अधिकतम रु. 43.30 तथा न्यूनतम रु. 39.20 के बीच रहा। यूएस डालर / भारतीय रूपए तथा यू एस डालर / यूरो मुद्रा में बैंक की एकीकृत ट्रेजरी की बाजार निर्धारण में अहम भूमिका रही। बैंक के विदेशी विनियम विभाग ने बढ़ती विदेशी मुद्रा आवक के फलस्वरूप मजबूत विदेशी मुद्रा स्थितियों का लाभ उठाते हुए व्यापारिक संव्यवहारों को बढ़ाया तथा बैंक के लिए अच्छा लाभ अर्जित किया।

मुम्बई में स्थित बैंक का आधुनिकतम 'स्टेट ऑफ डी आर्ट' डीलिंग रूम समस्त विदेशी मुद्रा संव्यवहारों तथा डेरिवेटिव उत्पादों का संचालन करता है। इसके द्वारा अपने ग्राहकों को इंटररेस्ट रेट स्वैप, करेसी स्वैप तथा ऑपशन्स जैसे हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से अनेकानेक उत्पाद मुहैया कराने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को भारत में अपनी सभी अधिकृत शाखाओं में स्वचालित डीलिंग सिस्टम के माध्यम से स्वतः निर्धारित त्वरित विदेशी मुद्रा दरों की जानकारी देने जैसी सुविधा प्रदान कर रहा है। इस सुविधा से ग्राहक स्वतः त्वरित सेवाओं / रियल टाइम मार्केट का अहसास कर सकते हैं। ग्राहकों को तात्कालिक दरों की जानकारी देने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की गई है।

व्यावसायिक पुनर्विन्यास के रूप में बैंक प्रमुख मुद्रा केन्द्रों पर ग्लोबल ट्रेजरी सोल्यूशन सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। इसे नवम्बर 2007 में लंदन में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। अन्य केन्द्रों पर इसका क्रियान्वयन कार्य प्रगति पर है, लागू होने के पश्चात बैंक बेहतर ग्लोबल जौखिम प्रबन्धन तथा संसाधनों को प्रभावी ढंग से कारगर बनाने में सक्षम होगा।

बैंक ने अपनी ट्रेजरी शाखा में कार्यशील डेरिवेटिव डेस्क की स्थापना की है जो ब्याज दर तथा करेंसी जौखिम से बचाव हेतु कार्पोरेट्स की सम्बद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कस्टमाइज्ड उत्पाद उपलब्ध कराता है।

बैंक द्वारा ट्रेजरी प्रभाग में स्थापित स्वतन्त्र मिड आफिस स्थापित किया गया है जो देखरेख करने के साथ-साथ उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा नियत मानदण्डों के तहत सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करता है। सभी मामलों / विभागों में बाजार जौखिम के आकलन के लिए जौखिम मूल्य (VaR) साधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भावी मूल्यों की यथार्थता से लिए जौखिम मूल्य की पड़ताल दैनिक आधार पर की जाती है। वैल्यू एट रिस्क को प्रभावी बनाने के लिए सभी मामलों / विभागों की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल की जाती है।

विदेशी कारोबार

वर्ष 2007-08 के दौरान 11 नए विदेशी कार्यालय खोलकर बैंक ने अपनी वैश्विक उपस्थिति स्थिति के और सुदृढ़ किया है। यह बैंक ऑफ बड़ौदा के 54 वर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन के इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला वर्ष रहा। यह वर्ष आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति, भारतीय रूपए के मूल्य में वृद्धि, नकदी संकट आदि जैसी घटनाओं से भरा रहा। विदेशों में विकट आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वर्ष के दौरान व्यवसाय एवं लाभ अर्जन सम्बंधी कार्यनिष्पादन अच्छा रहा।



तन्जानिया में अरुषा शाखा के उद्घाटन अवसर पर बैंक के नवोन्मेषी उत्पाद 'बड़ौदा SHULE' अकाउंट का शुभारंभ करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. अनिल के खंडेलवाल तथा कार्यकारी निदेशक, श्री वी. सन्तानरामन.

वर्ष 2007-08 के दौरान 7 विद्यमान देशों में अपने नेटवर्क में विस्तार के अलावा बैंक ने चार नए देशों - आस्ट्रेलिया, बेहरीन, घाना तथा त्रिनिदाद एव टोबेगो में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से संसाधन जुटाना, वैश्विक विस्तार की और सम्भावनाओं का पता लगाना ओवरसीज लोन सिंडिकेशन में सक्रिय सहभागिता, निधियों की व्यवस्था, भारतीय कार्पोरेट्स को सहयोग प्रदान करना तथा अधिग्रहण वित्त हेतु उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, प्रभावी मार्केटिंग अभियान, तकनीकी / प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विदेशों में जौखिम प्रबन्धन प्रणाली को मजबूत बनाना आदि वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहे।

व्यवसाय एवं लाभ - कार्यनिष्पादन

वर्ष के दौरान बैंक की विदेशी शाखाओं (विदेशी अनुषंगियों तथा संयुक्त उपक्रमों

को छोड़ कर) का कुल व्यवसाय में (जमा + अग्रिम) 24.56% की वृद्धि दर्ज की गई, जमाओं में यह वृद्धि 17.33% तथा अग्रिमों में 35.70% दर्ज की गई। बैंक के वैश्विक व्यवसाय में बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों का योगदान 20.00 प्रतिशत रहा।

कुल आस्तियां

पिछले वर्ष की तुलना में बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों की कुल अस्तियों में 31.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

शुद्ध लाभ

अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों से शुद्ध लाभ रुपये के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा निवेशों पर अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता के कारण पूर्वस्तर पर बना रहा। वर्ष 2007-08 में बैंक के वैश्विक शुद्ध लाभ में अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन का अंशदान 23.79 प्रतिशत रहा।

आस्ति गुणवत्ता

विदेशी कारोबार में सकल एन पी ए गतवर्ष के 0.73 प्रतिशत के मुकाबले कम हो कर 0.55 प्रतिशत हो गया। सकल एन पी ए लगभग शून्य के स्तर पर रहा। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों का सकल एन पी ए स्तर 0.55 प्रतिशत रहा। जो कि उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के तुल्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थिति

अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थिति के रूप में बैंक की 25 देशों में 71 शाखाएं/कार्यालय कार्यरत हैं:

बैंक की ओवरसीज शाखाएं	46
बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय	04
बैंक की विदेशी अनुषंगियों की शाखाएं	21
कुल	71

उपरोक्त के अलावा जांबिया में बैंक की सहयोगी इकाई की 9 शाखाएं कार्यरत हैं।

ओवरसीज विस्तार :



सिडनी आस्ट्रेलिया में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन करते हुए माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री पवन कुमार बंसल.

वर्ष के दौरान बैंक ने 11 नयी ओवरसीज शाखाएं खोली, जिन में बैंक की चार शाखाएं / कार्यालय और एक प्रतिनिधि कार्यालय सिडनी, आस्ट्रेलिया में शामिल हैं। दो नयी अनुषंगियों की शाखाओं ने त्रिनीदाद एवं टोबैगो तथा घाना में अपना कार्य आरंभ कर दिया है तथा वर्तमान अनुषंगियों के 4 कार्यालय भी खोले गए।

हांगकांग में सीमित बैंक लाइसेंसवाली अनुषंगी के माध्यम से चलाए सजा रहे बैंकिंग परिचालन पूर्ण शाखा के रूप में अपग्रेड किए गए। हांगकांग में बैंक की दो शाखाओं ने अप्रैल, 2007 से सम्पूर्ण सेवा बैंकिंग परिचालन प्रारंभ कर दिया है।

भावी योजनाएं :

बैंक विश्व के विभिन्न देशों में अपने 33 मिलियन वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है, अपने ग्राहकों को और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने विदेश में अपने और विस्तार की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। अन्य देशों, जहां शाखाओं को खोलने की योजना प्रक्रिया में है वे हैं - कनाडा, न्यूजीलैंड, रूस, जीसीसी देश - कतार, कुवैत, साउदी अरब और अफ्रीका में मोजम्बिक शामिल हैं।

बैंक की चीन (गुओगझाओ और शंघाई); मलेशिया (संयुक्त उपक्रम); केन्या (नकूरू); यूएई (फुजाइराह) और ओमान (सोहर) जैसे देशों में अपने वर्तमान नेटवर्क को अपग्रेड / विस्तृत बनाने की भी योजना है।

बैंक का ने यू ए ई में अपनी सेवा क्षेत्र बढ़ाने की भी योजना है जहां यह एक मात्र भारतीय बैंक है जिसे पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त है। यहां पांच इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस यूनिट (इ बी एम यू) खोलने, तथा अतिरिक्त एटीएम का लगाना शामिल है।

व्यवसाय समूहन (सिंडीकेशन) सेंटर :

भारतीय तथा गैर भारतीय कार्पोरेट्स के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में समूहगत (सिंडीकेट) ऋणों तथा क्रेडिट लिंकड नोट्स (केवल भारतीय कार्पोरेशन्स) की उपलब्धता संबंधी कारोबार पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए दो विशिष्ट आऊट फिट लंदन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मर्चेन्ट बैंकिंग सेल (आइ एम बी सी) अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुम्बई में स्थापित किए गए हैं। बैंक ने सक्रिय सहभागिता के माध्यम से भारतीय कम्पनियों के ओवरसीज अधिग्रहण एवं मर्जर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

मध्य पूर्व में व्यवसाय की बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर व्यवसाय अर्जन हेतु वर्ष के दौरान बैंक ने दुबई में एक अन्य व्यवसाय समूहन स्थापित किया है। बैंक साऊथ एशिया बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए सिंगापुर में एक और क्षेत्रीय सिंडीकेशन को स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

उत्पाद तथा सेवाएं

बैंक अपने वैश्विक स्तर के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत हैं। इन उत्पादों में - ग्राहक केन्द्रित आस्तियां और देयताएं उत्पाद, अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड वित्त, क्रेता / आपूर्तिकर्ता ऋण, ट्रेजरी उत्पाद, विदेशी मुद्रा ऋणों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से निधियों की व्यवस्था, बड़ी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के लिए सिंडीकेशन, ऋण लिखितों यथा एफ आर एन / बांडस, स्टकट्रैड / टेलरमेड फायनेसियल सोल्यूशन, भुगतान एवं प्राप्तियां, प्रेषण, मर्चेन्ट बैंकिंग / विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाइंड्स / ए डी आर / जी डी आर के लिए सलाहकार सेवाएं भारतीय कार्पोरेट्स जहां वे कार्यरत हैं के संयुक्त उद्यमों /

पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों (डब्ल्यू ओ एस) को सम्पूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

बैंक ने वर्ष के दौरान ग्राहक सेवाओं तथा सुविधाओं में वृद्धि के लिए अनेक ग्राहकोन्मुख पहलों की शुरुआत की। यू ई में रिटेल शॉपी, एस एम ई लोन फैक्टरी, सेन्ट्रल प्रोसेसिंग सेल खोले गए।

अनिवासी भारतीयों के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाएं प्रारम्भ की गयीं। "रेपिड फंड टू इंडिया" नामक भारत से त्वरित प्रेषण सुविधा को यू एस., सेशल्लर और मारिशस में (यू ए इ, ओमान और यू के अलावा) विस्तार किया गया। इस सुविधा के तहत भारत में बैंक की 1700 से अधिक सीबीएस शाखाओं में तुरन्त ही धन प्रेषित किया जा सकता है और भारत में अन्य बैंकों की आर टी जी एस / एन ई एफ टी लिंकड शाखाओं को भी त्वरित रूप से धन प्रेषण किया जा सकता है।

मध्य पूर्व देशों में विभिन्न एक्सचेंज हाऊसों से आवक प्रेषणों के लिए वसूली बिंदुओं में वृद्धि हेतु टाइप अप प्रयास किए गए।

भारत में सम्पदा (रियल्टी) सेक्टर में तेजी आ रही है। भारत में आवास ऋण प्राप्त करने वाले अनिवासी भारतीयों को मार्जिन राशि उपलब्ध करवाने की दिशा में यू ए ई एवं ओमान में एक विशेष उत्पाद की शुरुआत की गयी है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन:

बैंक के प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के तहत, यू एस ए, बेल्जियम, और ओबीयू मुम्बई के अलावा बैंक को ओवरसीज कार्यालयों को केन्द्रीय कृत कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सी बी एस) के तहत लाया गया। इन्हें मुम्बई स्थित बैंक के ग्लोबल डाटा सेंटर तथा हैदराबाद स्थित आपदा प्रबंधन केन्द्र के साथ जोड़ा गया है।

सी बी एस प्लेटफार्म के अलावा ओवरसीज टेरिटरिज ने एटीएम नेटवर्क, टेलि और मोबाईल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग जैसी इ-डिलीवरी चैनलों के विस्तार के लिए कदम उठाए हैं ताकि वे ग्राहकों को वैश्विक स्तरीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा सके। मारिशस में ई-बैंकिंग की शुरुआत की गयी तथा इसे चरण बद्ध रूप से सभी ओवरसीज केन्द्रों पर आरंभ किया जाएगा। यू ए ई में एटीएम की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 की गई। इसके अलावा फिजी में 8 नए एटीएम लगाए गए।

जोखिम प्रबंधन

पिछले तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन व्यवसाय में हुई व्यापक वृद्धि तथा बाजार में उपलब्ध जटिल वित्तीय डेरिवेटिव्स उत्पादों के साथ जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है। बैंक की जोखिम प्रबंधन पद्धतियों के प्रतिमानों में मूलभूत परिवर्तन आया है और जोखिमों की सफलतापूर्वक पहचान, मात्रा-निर्धारण, अल्पीकरण और जोखिमों के नियन्त्रण पर अधिक जोर दिया गया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने और बासेल II दिशा - निर्देशों का अनुपालन करने के लिए यूएस, यूके, यूएई तथा बेल्जियम में विशेष जोखिम प्रबंधन कक्ष स्थापित किए गए हैं।

नियामक अनुपालन

पिछले वर्षों के दौरान बैंक ने नियामक अनुपालक बैंक और विभिन्न विदेशी टेरिटरिज में अच्छे कार्पोरेट नागरिक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है।

बैंक ने मेजबान देश के विनियमों के धन शोधक निवारक दिशा-निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन किया है।

31 मार्च 2008 को बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशी अनुषंगियाँ तथा सहयोगी इकाइयाँ

(रुपए करोड़ में)

	कुल आस्तियाँ	शुद्ध लाभ / हानि	स्टाफ संख्या	लाभांश %
अनुषंगी				
1. बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. *	561.87	25.06	149	70% प्रस्तावित
2. बैंक ऑफ बड़ौदा (कीनिया) लि. *	925.06	31.31	124	10% प्रस्तावित
3. बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. *	210.57	2.52	19	-
4. बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. * *	418.58	6.51	21	(बोर्ड द्वारा अनुमोदन किए जाने पर 10% प्रस्तावित)
5. बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लि. **\$	126.24	2.64		-
6. बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) लि. **	108.53	1.11	16	-
7. बैंक ऑफ बड़ौदा (टी एंड टी) लि.	47.32	-1.83	11	-
8. बैंक ऑफ बड़ौदा (यू के) लि. **	0.03	0	-	-
9. बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. \$\$	35.77	-0.50	8	-
कुल	2398.20	67.32	348	
सहयोगी				
1. इंडो जाम्बिया बैंक लि. (लुसाका) **	839.70	25.59	222	(30% अन्तरिम भुगतान किया जा चुका है.) (30% अन्तिम लाभांश बोर्ड के अनुमोदन की शर्त पर प्रस्तावित है.) कुल लाभांश 60% होगा.
* लेखा परीक्षित आंकड़े 31 दिसम्बर 2007 से समाप्त वर्ष के हैं.				
** लेखा परीक्षित आंकड़े 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के हैं.				
\$ अनुषंगी ने 31.03.2007 से नया व्यवसाय लेना बन्द कर दिया है और समापन प्रक्रिया चल रही है.				
\$\$ अनुषंगी ने 11.02.2008 से परिचालन कार्य शुरू किया है (लेखा वर्ष जनवरी - दिसम्बर)				

प्रौद्योगिकी उन्नयन

वर्ष 2005-06 में बैंक ने बैंकिंग उद्योग में गहराती प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत स्वयं को पुनःस्थापित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यावसायिक रुपान्तरण परियोजना प्रारंभ की. इस परियोजना के तहत आगामी -5- वर्षों के दौरान अर्थात् मार्च 2010 तक इससे सम्बद्ध अनेक कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य सामने रखा गया. इससे बैंक को स्वयं को ग्राहकोन्मुख संगठन के रूप में रुपांतरित करने तथा बैंक की सेवा लागत कम करने में मदद मिलेगी.

एकीकृत रुपान्तरण परियोजना को सहजतापूर्वक लागू करने के लिए बैंक ने 10 दिसम्बर, 2005 को अपना स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर स्थापित किया जो कि उच्चस्तरीय टीयर-3 मानक संस्थान के अनुरूप है. बैंक ने हैदराबाद में अपनी प्रतिरूप आपदा निवारण साइट (रेप्लिकेन्ट डिजास्टर रिकवरी साइट) भी स्थापित की है जो कि 500 कि.मी. की दूरी तथा विभिन्न भूकम्पीय अंचलों (साइसैनिक जोन) की अपेक्षाओं के अनुरूप है.

वर्ष 2007-08 के दौरान प्रौद्योगिकी प्रगति स्थिति :

- **कोर बैंकिंग सोल्यूशन** : 31 मार्च, 2008 को बैंक की भारत में 1718 शाखाएं सीबीएस के तहत आ गई थी. इस प्रकार 34 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 908 केन्द्र तथा बैंक का लगभग 92% देशीय व्यवसाय सीबीएस के तहत आ गया है. इसके अलावा 11 देशों की 41 शाखाएं तथा -7- विदेशी अनुषंगियों की 21 शाखाएं फिनाकल सीबीएस के तहत आ गई हैं. बैंक के कुल विदेशी कारोबार का लगभग 75% भाग विदेशी सीबीएस हुई शाखाओं के तहत आ चुका है.
- **व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (WAN)** : सीबीएस के कार्यान्वयन तथा अन्य केन्द्रीयकृत व्यवस्थाओं के लिए सुदृढ़ वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) की आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक स्तर / परत पर पर्याप्त एवं प्रचुर रूप में नेटवर्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई हो. बैंक की वेन (WAN) नेटवर्किंग व्यवस्था तीन परतोंवाली मॉडल व्यवस्था है जो कि कोर, डिस्ट्रीब्यूशन तथा

एक्सेस पर आधारित है। मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार बैंक के 2044 कार्यालय तथा 65 विदेशी कार्यालय बैंक की वेन (WAN) नेटवर्किंग के तहत आ गए हैं।

- **इंटरनेट बैंकिंग** : बैंक ने भारत में संपूर्ण लेनदेन आधारित इंटरनेट बैंकिंग प्रारंभ की है जिसे बैंक के रिटेल एवं कार्पोरेट दोनों प्रकार के ग्राहकों ने अपेक्षाओं के अनुरूप पाया है। इसके माध्यम से हमारे ग्राहकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के ऑनलाइन भुगतान, यूटिलिटी बिलों के भुगतान तथा रेलवे टिकट बुक करने की सुविधा हो गई है। इसके फलस्वरूप, कार्पोरेट्स को सीधे वेतन अपलोड करने की भी सुविधा हो गई है। मॉरिशस, यूएई, ओमान तथा सेशल्स में व्यूबेसड इंटरनेट सुविधा प्रारम्भ की गई है।

- **एटीएम नेटवर्क** : बैंक के एटीएम नेटवर्क की संख्या बढ़ कर 1106 हो गई है जिसमें बलसार जिले में गणदेवी तथा रायबरेली जिले में मलिक माऊ में स्थापित दो बायोमेट्रिक एटीएम भी शामिल हैं। बैंक ने रेलवे स्टेशनों पर भी -42- एटीएम स्थापित किए हैं।

बैंक के विदेश में विभिन्न स्थलों पर -31- एटीएम लगाए गए हैं जोकि मुख्यतः यूएई, ओमान, मारिशस, फिजी, यूगांडा तथा तंजानिया में स्थित हैं। केवल दो बायोमेट्रिक एटीएम के अलावा बैंक के इंटर कनेक्टेड एटीएम नेटवर्क को अब विश्वस्तरीय बेस-24 स्विच में पूर्णतया माइग्रेट कर दिया गया है। चूंकि बैंक नेशनल फाइनेशियल स्विच (NFS) का सदस्य है, बैंक के एटीएम कार्ड अन्य बैंकों के एटीएम जो कि एनएफएस के सदस्य हैं, में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बैंक का एटीएम नेटवर्क वीजा इलेक्ट्रॉन से भी सहबद्ध है तथा यह मास्टर कार्ड सुविधा सम्पन्न है। मूल्यवर्धित सेवाओं के रूप में यूएई में स्कूल फीस का भुगतान एटीएम तथा बेस-24 के माध्यम से किया जा रहा है।

- **आरटीजीएस/एनइएफटी** : सभी सीबीएस शाखाएं आरटीजीएस तथा एनइएफटी के माध्यम से अन्तः बैंक प्रेषण कर सकती है।
- **ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सेवा** : बैंक की यूएई, ओमान, यूके, यूएसए, मारिशस तथा सेशल्स स्थित शाखाओं में एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सेवा रेपिड फंडस टू इंडिया प्रारंभ की गई है। इन स्थानों में यहां रहने वाले अनिवासी भारतीय इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके द्वारा इन शाखाओं से भारत में बैंक की सीबीएस शाखाओं में उनके खातों में तत्काल धन अन्तरण किया जा सकता है।
- **ग्लोबल ट्रेजरी** : यू.के. में ग्लोबल ट्रेजरी समाधान क्रियान्वित किया गया है।
- **सिटी बैंक आफिस (सीबीओ)** : शाखाओं को दुफ्कर बैंक आफिस परिचालनों से निजात दिलाने के उद्देश्य से 17 सेवा शाखाएं तथा 21 मुख्य कार्यालय (मेन ऑफिस) सिटी बैंक आफिस मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये कार्यालय शहर में स्थित सभी शाखाओं के समाशोधन एवं संग्रहण संबंधी कार्य करते हैं।
- **हैल्प डेस्क** : बैंक के डाटा सेंटर पर एक "24 x 7 x 365 ग्लोबल हैल्प डेस्क" कार्यरत है जोकि एच.पी.कार्मिकों द्वारा संचालित किया जाता है तथा एप्लीकेशन वेन्डरों तथा बैंक की एप्लीकेशन टीम द्वारा भी इसके संचालन में सहयोग प्रदान किया जाता है। बैंक ने सभी अंचल कार्यालयों में लोकल हैल्प डेस्क की भी स्थापना की है जो कि दैनिक परिचालनों संबंधी मामलों को नियंत्रित / संचालित करते हैं। इनका संचालन बैंक के प्रशिक्षित अधिकारी

करते हैं और ये प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य करते हैं। सभी शाखाएं वीओआईपी फोन्स के माध्यम से ग्लोबल हैल्प डेस्क तथा लोकल हैल्प डेस्क से सहबद्ध की गई हैं।

- **आइएस सिक्योरिटी** : प्रौद्योगिकी को किसी भी आशंका से सुरक्षित रखने के लिए एक प्रभावशाली सूचना सुरक्षा प्रबंध व्यवस्था प्रणाली विकसित की गई है।
- **अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहलें** : बैंक ने -6- आंतरिक (इन हाउस) साफ्टवेयर यथा डिफेंस पेंशन साफ्टवेयर, सम्पदा प्रबंधन सिस्टम, सीआरआर कंप्यूटेशन साफ्टवेयर एसटीआर (ससपिथियस ट्राजेक्शनस रिपोर्ट) साफ्टवेयर, एक्सचेंज हाउस ड्राफ्ट रिकंसिलियेशन सिस्टम (XRECON) एफसीएनआर लिंक सेल साफ्टवेयर विकसित किए हैं।
- **काले धन को वैध बनाने पर रोक लगाना (AML)** : यूएई, ओमान तथा फिजी में काले धन पर रोक लगाने संबंधी कार्यवाही (AML) की गई है। उल्लेखनीय है कि फिजी में बैंक ऑफ बड़ौदा पहला ऐसा बैंक है जिसने नकदी संव्यवहार (सीटीआर) तथा इलेक्ट्रॉनिक धन अन्तरण रिपोर्ट (इएफटीआर) इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध कराई है। फिजी प्राधिकारियों ने बैंक के इस अनूठे प्रयास की सराहना की है।
- **मानव संसाधन** : बैंक के प्रशिक्षण केन्द्रों ने लगभग 15000 कर्मियों को सीबीएस माइज्यूल्स तथा अन्य टेक्नोलॉजी एप्लीकेशनस के लिए प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा निर्दिष्ट फिनाकल माइज्यूल्स तथा अन्य एप्लीकेशनस पर सप्ताह के अंतिम दिवसों में रिफरेशर पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए।

प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी भावी योजनाएं :

- सितम्बर, 2008 तक 1919 देशीय शाखाओं को सीबीएस के तहत लाया जाएगा तथा -2- विदेशी शाखाओं न्यूयार्क तथा ब्रसलस को दिसम्बर, 2008 तक सीबीएस के तहत लाया जाएगा।
- मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान फिजी, तंजानिया तथा हांगकांग में इंटरनेट बैंकिंग प्रारंभ कर दी जाएगी।
- अप्रैल-सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान आरटीजीएस तथा एनइएफटी को बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लाया जाएगा। इससे बैंक के ग्राहकों को बिना शाखा परिसर में गए अन्तः बैंक धन अंतरण की सुविधा प्राप्त हो जाएगी।
- काले धन के वैधीकरण पर रोक लगाने (AML) की प्रक्रिया अप्रैल-जून, 2008 के दौरान भारत तथा दो से तीन विदेशी केन्द्रों/स्थानों पर क्रियान्वित की जाएगी।
- जुलाई-दिसम्बर, 2008 की अवधि के दौरान -3- क्षेत्रीय बैंक आफिस (RBOs) प्रारम्भ किए जाने की संभावना है। ये बड़ौदा, चेन्नई तथा जयपुर में प्रारंभ किए जाएंगे। शेष -2- क्षेत्रीय बैंक आफिस वर्ष 2009 की प्रथम तिमाही में खोले जाने की योजना है। क्षेत्रीय बैंक आफिस 350-400 शाखाओं के समूह के लिए बैंक आफिस गतिविधियों यथा खाता खोलना, हस्ताक्षर स्केन करना, चेक बुक जारी करना, विवरणी प्रिन्ट करना, सावधि जमा रसीद का नवीकरण, स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र तथा एमआईएस के कुछ कार्यों को संचालित करेंगे।
- भारत तथा विदेश स्थित सिंगापुर, हांगकांग, यूएई, ओमान, मॉरिशस, बाह्यास तथा बेहरिन पर बैंक के ट्रेजरी संबंधी परिचालन कार्यों के लिए

सिंगल इटैगरेटेड ग्लोबल ट्रेजरी का कार्य दिसम्बर, 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा.

- अन्य कई परियोजनाएं जैसे कार्पोरेट नकदी प्रबंधन, ऑन लाइन ट्रेडिंग, केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष 2008-09 के दौरान प्रारंभ कर दी जाएंगी.

सूचना प्रौद्योगिकीयुक्त व्यवसाय रुपान्तरण परियोजना के क्रियान्वयन से बैंक के ग्राहकों को किसी भी समय, कहीं भी और कैसी भी बैंकिंग सुविधाएं तथा शाखाओं में परिचालन स्टाफ को व्यवस्थित एवं बेहतर सेट अप सुविधाएं मिल सकेंगी. बैंक का उद्देश्य यही है कि वह उत्कृष्ट प्रौद्योगिकीयुक्त बैंक बने तथा विश्व बाजार में प्रमुख स्थान हासिल करे.

मानव संसाधन

ऐसे वातावरण जहां प्रौद्योगिकी तथा व्यवसाय परस्पर पूरक बन गए हैं तथा तदनुसृत व्यावसायिक परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, ऐसी स्थिति में व्यावसायिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए व्यक्ति की भूमिका प्रमुख हो गई है. बैंक ने इन भावी परिस्थितियों को देखते हुए अनेक मानव संसाधन से जुड़े कार्य प्रारम्भ किए हैं. विभिन्न क्षेत्रों जैसे बाह्य व्यक्तियों से कार्य लेना, कार्यनिष्पादन प्रबंधन तथा प्रतिभा चयन तथा कर्मचारियों से कार्य लेना आदि व्यवस्थाओं का स्थानीय एवं कार्पोरेट स्तर पर मानव संसाधन तथा व्यवसाय रुपान्तरण की दृष्टि से उत्कृष्ट तालमेल बैठाना इसका मुख्य उद्देश्य है. वर्ष 2007-08 के दौरान मानव संसाधन में प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रमुख विकासतात्मक मुद्दा रहा.

कर्मचारी सेवाओं के लिए मानव संसाधन नेटवर्क (HRnes) तथा कर्मचारी वेतन प्रणाली पे-रोल सिस्टम

कर्मचारी सेवाओं के लिए मानव संसाधन नेटवर्क (HRnes) वेब आधारित मानव संसाधन समाधान तथा कर्मचारी पे-रोल सिस्टम का शुभारंभ 26 नवम्बर, 2007 को भारतीय बैंकर्स संस्थान तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक बैंकर्स सम्मेलन (BANCON-2008) के अवसर पर वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री पी.के.बंसल द्वारा किया गया. इन मानव संसाधन समाधानों से मानव संसाधन परिचालनों को और कुशल बनाया जा सकेगा और इनका सहज उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा.

नेतृत्व विकास - प्रोजेक्ट लीप (नेतृत्व निखार एवं ज्ञानवर्धन)

वर्ष 2009 के बाद के प्रौद्योगिकी परिवेश, प्रतिस्पर्धात्मक अनिवार्यताओं, विदेशी बैंकों के प्रवेश, एम एण्ड ए से बैंकिंग का स्वरूप बदल जाएगा तथा फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर एक नए प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होगी. भावी नेतृत्वकर्ताओं के लिए इस बदले हुए परिवेश में वित्तीय सेवा संगठनों का नेतृत्व करना तथा इनका प्रबंधन एक चुनौती होगी.

इसके साथ साथ बाजार के नेतृत्व के संचालन में बैंक का आंतरिक नेतृत्व अहम भूमिका अदा करेगा. इसी के मद्देनजर नेतृत्व निखार एवं ज्ञानवर्धन प्रक्रिया (लीप) प्रोजेक्ट को अपनाया गया. इसकी शुरुआत बैंक के कार्यपालकों को नेतृत्व कौशल और सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई.

लगभग 300 कार्यपालकों को चरणबद्ध रूप में नेतृत्व सक्षमता हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है.

पूरी प्रक्रिया इस प्रकार अपनायी गई है ;

- बैंक के भावी नेतृत्वकर्ताओं का सक्षमता के आधार पर चयन
- कार्यपालकों को सक्षम बनाने तथा उन क्षेत्रों में जहां उनका विकास करना आवश्यक है उनका मनोविश्लेषण करना तथा तदनुसृत फीड बैक लेना

- क्लासरूम प्रशिक्षण तथा एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट
- भावी योजना तैयार करना

शताब्दी वर्ष खोज

खोज की शुरुआत वर्ष 2005 में बैंक की आंतरिक प्रतिभा चयन एवं विकास प्रक्रिया हेतु की गई थी. इसके माध्यम से स्व-विकास तथा कैरियर नियोजन की व्यवस्था की गई. चूंकि यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें स्वयं महत्वाकांक्षी कर्मचारी चयन हेतु आवेदन करते हैं कि उन्हें उन क्षेत्रों जिनमें उनकी रुचि है अथवा वे स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं, में प्रशिक्षित किया जाए.

इस पहल का व्यापक स्वागत होने तथा काफी मात्रा में आवेदन प्राप्त होने से उत्साहित होकर 'खोज' प्रक्रिया वर्ष 2006 तथा 2007 में पुनः दोहराई गई. इसे शताब्दी वर्ष 'खोज' का नाम दिया गया. चयनित अभ्यर्थियों को उनकी इच्छाओं/ चुने हुए परिचालन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है तथा तदनुसार पदस्थापित किया जाता है. उनके विकास को ध्यान में रखते हुए उनमें से कई अभ्यर्थियों को बैंक द्वारा की गई नई पहलों में 'चेज चेम्पियनों' के रूप में चुना गया. बैंक ने उनके प्रशिक्षण के लिए परामर्शदाताओं को भी नियुक्त किया है.

'खोज' में चयनित व्यक्तियों का अलग समूह, कैरियर विकास और पुरस्कार आदि हेतु उनके योगदान को पर्याप्त अहमियत देना, विशिष्ट कार्यदायित्व आदि खोज में चयनित व्यक्तियों की विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में पहचान कराता है.

कैरियर विकास

बैंक की विकासतात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने तथा कर्मचारियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बैंक में कैरियर विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं. अपेक्षाकृत युवा कर्मचारियों को प्रमुख पदों पर पदस्थापित करने हेतु भी विशेष प्रयास किए गए हैं. वर्ष के दौरान निम्नलिखित पदोन्नति प्रक्रियाएं सम्पन्न की गईं.

लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग	661
म.प्र.ग्रे/स्केल III से व.प्र.ग्रे/स्केल IV (वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक)	187
व.प्र.ग्रे/स्केल IV से व.प्र.ग्रे/स्केल V (मुख्य प्रबंधक से सहायक महाप्रबंधक)	100
व.प्र.ग्रे/स्केल V से उ.का.ग्रे/स्केल VI (सहायक महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक)	19
उ.का.ग्रे/स्केल VI से उ.का.ग्रे/स्केल VII (उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक)	9

प्रशिक्षण

निरंतर बदलते व्यावसायिक परिवेश, उत्पाद प्रोफाइल, ग्राहकों की अपेक्षाओं, विभिन्न प्रौद्योगिकी विधियों तथा अनुपालन एवं नियंत्रण अपेक्षाओं में हो रहे नित नए बदलावों के चलते आज प्रशिक्षण की भूमिका अहम हो गई है.

बैंक ने सेल्स तथा मार्केटिंग के क्षेत्र में 511 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 11733 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया. सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीबीएस (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) पर 304 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 5360 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इसके अलावा इस वर्ष -73- अन्य प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 1353 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

ऋण (क्रेडिट), विदेशी विनिमय, जोखिम प्रबंधन, नई वित्तीय सेवाएं तथा व्यवसाय के नए क्षेत्र जैसे विषयों पर आयोजित 273 कार्यक्रमों में 4732 स्टाफ सदस्यों को वर्ष 2007-08 के दौरान विशिष्ट एवं गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कर्मचारी सम्मेलन



“बड़ौदा मंथन” - कर्मचारी कन्वलेव का दृश्य

परिणाम हासिल करने का कार्पोरेट दृष्टिकोण तथा कार्यानीति की जानकारी परिचालन इकाई स्तरों तक पहुंचनी चाहिए। हमारी परिचालन इकाइयों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत होने के कारण इनकी सहज पहुँच अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य है। कार्पोरेट दृष्टिकोण तथा कार्यानीतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से अवगत कराने तथा तदनुसार व्यावसायिक परिणाम हासिल करने के लिए हमें सजग, केन्द्रित, सुनियोजित ढंग से एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कारगर योजना संचालित करने की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों के प्रति खरा उतरने के लिए विभिन्न केन्द्रों पर शाखाओं के समूह बनाकर तथा इन शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को शामिल करते हुए कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए गए। इससे स्टाफ सदस्यों का बुद्धिकौशल बढ़ाने तथा योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए संयुक्त प्रयासों को गति मिली। इस पहल से सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन हेतु स्टाफ की सहभागिता, उत्सुकता, जागरूकता एवं उत्साह बढ़ाने में मदद मिली। पांच केन्द्रों पर आयोजित कर्मचारी सम्मेलनों पर प्राप्त प्रतिक्रिया अत्यन्त उत्साहवर्धक थी तथा ये कार्यक्रम स्टाफ सदस्यों को उत्साहित करने वाले तथा उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने वाले साबित हुए।

स्टाफ स्थिति

	मार्च में समाप्त वर्ष				
	2004	2005	2006	2007	2008
अधिकारी	11,996	11,848	12,345	13,636	13,840
लिपिक	19,302	19,284	18,231	16,979	15,777
अधीनस्थ	8,505	8,397	8,198	7,989	7,643
कुल	39,803	39,529	38,774	38,604	37,260

कर्मचारियों की संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की स्थिति

संवर्ग	अनुसूचितजाति %	अनु. जनजाति %
अधिकारी	17.93%	6.23%
लिपिक	14.90%	4.88%
अधीनस्थ	34.65%	9.64%

मार्केटिंग

“बड़ौदा” ब्राण्ड ने पिछले 2 वर्षों में बैंक को उच्च विकास पथ पर ले जाते हुए धीरे-धीरे जनमानस में अपनी पैठ बना ली है। गत दो वर्षों के दौरान बैंक का ध्यान गुणवत्ता अर्जित करने पर था। इस दिशा में मार्केटिंग विभाग ने जहां एक ओर प्रगामी बिक्री ढांचा बनाकर उसे ग्रहण किया वहीं दूसरी ओर विशिष्ट कारोबारी लक्ष्यों के साथ बिक्री अभियान और लीडजेनरेशन कार्यक्रम चलाये। उत्कृष्ट नवोन्मेषी पद्धतियों के एक भाग के रूप में यह प्रयास किया गया कि निरन्तर बिक्री एवं सूक्ष्म कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राहक संपर्क बाहुल्य परिचालन स्तरों पर मनोवृत्ति संबंधी बदलाव लाया जाए।



कोलकाता में आयोजित मोटर सायकिल रैली

देयता तथा अस्ति उत्पादों में विशिष्ट उत्पाद अभियानों ने उच्च कारोबार वृद्धि अर्जित करने में बैंक की सहायता की है। शताब्दी बचत बैंक अभियान में 1593 करोड़ रुपये की बचत बैंक जमा राशियां जुटायीं गईं जबकि शताब्दी चालू खाता अभियान में 1098 करोड़ रुपये की राशि संगृहीत की गई। ट्रेडई लोन तथा रिटेल लोन अभियानों में 2,884 करोड़ रुपये का कारोबार बढ़ाया।

चूंकि बैंक अपनी अगली शताब्दी की दहलीज पर खड़ा है, इसलिए मार्केटिंग एक प्रमुख वृद्धि प्रचालक बन जायेगा। सूचना के लिए निरन्तर बाजार अनुसंधान



बैंक के ब्रांड अम्बेसेडर श्री राहुल द्रविण बचत खाता अभियान - “प्ले विद राहुल” के विजेताओं को प्रतीक चिह्न प्रदान करते हुए।

के माध्यम से मुख्य जोर बिक्री बढ़ाने, ब्राण्ड इक्विटी ऊपर उठाने पर रहेगा। मौजूदा बिक्री ढांचे का विस्तार करने की आवश्यकता है, विभाग, वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए ब्राण्ड संवर्धन पर केन्द्रित रणनीतिगत मॉडल स कम्युनिकेशन तथा इवेन्ट्स की योजना बना रहा है। हमारे सीआरएफ नवोन्मेषी कार्यों हेतु आगामी वर्ष में ग्राहक शिक्षण में महत्वपूर्ण पहलों की भी परिकल्पना की गई है।

उक्त नवोन्मेषी कार्यों के परिणामस्वरूप बैंक को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों से सम्मान प्राप्त हुए हैं। ब्राण्ड फाइनान्स ने बड़ौदा ब्रांड को राष्ट्रीयकृत बैंकों में नम्बर एक रैंक प्रदान किया है। बैंक यू.के. से प्रकाशित पत्रिका "दि बैंकर" में 258 वे रैंक पर आ गया और उसकी स्थिति में 158 रैंक का सुधार हुआ है। इन सबके अतिरिक्त, बड़ौदा ब्राण्ड ने बैंकिंग जगत में अपनी बढ़त को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों और अपने मार्केटिंग तथा व्यावसायिक पहलों के लिए उद्योग के स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं।

बड़ौदा ब्राण्ड की स्थिति ग्राहक के मन-मस्तिष्क में "भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक" के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है जो बाजार की अस्थिरता की सम-सामयिक चुनौतियों के साथ अपनी स्थापना के 100 वर्षों में समय की कसौटी पर खरा उतरा है और जबाबदेह रहा है क्योंकि वह अगली शताब्दी में प्रवेश करने के लिए अथक रूप से आगे बढ़ रहा है।

परिसर विन्यास एवं परिवेश को बेहतर बनाना

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्य एवं निर्माण गतिविधियां प्रारम्भ / सम्पन्न हुईं।

वर्ष के दौरान पूर्ण हुई निर्माण परियोजनाएं जिनका उपयोग हो रहा है / काम में आ रही है।

- बड़ौदा आदित्य : बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स में बैंक के कार्यपालकों के लिए -53-आवासीय फ्लैट तथा बैंक का गेस्ट हाउस
- पूर्वी अंचल कार्यालय, तीन क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्र आदि के लिए साल्ट लेक, कोलकाता में बड़ौदा टावर्स

अनुषंगियों के कार्यनिष्पादन का सारांश

अनुषंगी इकाई पंजीकरण तिथि सहित	देश	स्वाधिकृत निधियां	कुल आस्तियां	शुद्ध लाभ	कार्यालयों की संख्या	स्टाफ संख्या
बॉब कैपिटल मार्केट लि. 11 मार्च, 1996	भारत	10237.82	10417.14	842.59	1	12
बॉब एसेट मैनेजमेंट कं. लि. 5 नवम्बर, 1992	भारत	3087.19	3087.19	218.69	1	11
बॉबकार्ड्स लि. 29 सितम्बर, 1994	भारत	8021.30	24497.68	(-)2120.02	38	185
नैनीताल बैंक लि. 31 जुलाई, 1922	भारत	14563.93	205914.90	2713.72	87	627

रु. लाख में

निम्नलिखित निर्माण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है :

- सी-34, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, मुंबई में कार्पोरेट कार्यालय
- गोमती नगर, लखनऊ में प्रशासनिक भवन
- जमशेदपुर झारखंड में प्रशासनिक भवन

साजसज्जा

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देशभर में फैली अपनी मुख्य सीबीएस एवं अन्य शाखाओं की साजसज्जा अपग्रेडेशन, परिसर सुंदर बनाने, नया स्वरूप प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान लगभग 180 शाखाओं तथा पिछले -4- वर्षों के दौरान लगभग -450- शाखाओं की साजसज्जा की गई। बैंक ने शाखाओं एवं कार्यालयों के आंतरिक मानकीकरण हेतु महत्वपूर्ण उपाय किए हैं।

उपरोक्त के अलावा फोर्ट स्थित मुंबई मुख्य कार्यालय को वर्ष 2007-08 के दौरान पूर्णतया सुसज्जित किया गया तथा इसे वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया।

शाखा नेटवर्क : ग्राहकों की सुविधाओं के अनुरूप हमारे सेवा चैनल

क्षेत्रीय वर्गीकरण	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	613	21.48
शहरी	519	18.19
अर्धशहरी	624	21.87
ग्रामीण	1,097	38.45
कुल देशीय	2,853	100
विदेशी	46	-

देशीय अनुषंगिया एवं सहयोगी बैंक

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान बॉबकार्ड्स लि. को छोड़कर अन्य अनुषंगियों तथा सहयोगी बैंक का कार्य निष्पादन अच्छा रहा। बॉबकार्ड्स लि. को आइआरएसी मानदंडों (आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान) के कड़े अनुपालनों के कारण रु.21.20 करोड़ की हानि हुई।

बॉब कैपिटल मार्केट लि. में स्टॉक ब्रोकिंग आपरेशन प्रारम्भ कर तथा बॉब एसेट मैनेजमेंट कं. लि. को इटली के एक प्रमुख ग्रुप के साथ संयुक्त उपक्रम कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर इनका कायाकल्प करने की कार्यनीति तैयार की जा रही है.

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने राजभाषा के प्रयोग एवं प्रचार प्रसार को बढ़ाने तथा विभिन्न संविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है. बैंक ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रमुख लक्ष्यों को पूरा किया. इस दिशा में बैंक की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता देते हुए बैंक की विभिन्न स्तरों / मंचों पर सराहना की गई तथा बैंक को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किया गया.



भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. वाई. वी. रेड्डी से 'क' और 'ख' भाषिक क्षेत्रों में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. अनिल के. खडेलवाल तथा महाप्रबंधक (अन्तर्राष्ट्रीय व प्रभारी राजभाषा) श्री के. के. अग्रवाल.

बड़ौदा तथा जयपुर में बैंक के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया तथा सदस्य बैंकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया.

बैंक ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए नवोन्मेषी प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की है तथा मुम्बई विश्वविद्यालय और एस एन डी टी विश्वविद्यालय के दो छात्रों जिन्होंने एम ए हिन्दी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, को पुरस्कृत किया. ऐसे विद्यार्थियों को राजस्थान विश्वविद्यालय तथा वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में भी पुरस्कृत किया गया.

वर्ष के दौरान बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर दो निबन्ध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित कीं. इनमें से एक प्रतियोगिता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों के लिए तथा दूसरी स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता थी। बैंक ने इन हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए.

तृतीय संसदीय राजभाषा उपसमिति ने बैंक की पुरी और मण्डपम (रामेश्वरम) शाखाओं का दौरा किया तथा बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों / कार्यों की सराहना की.

बैंक की इनहाउस पत्रिका अक्षय्यम् को एसोसियेशन ऑफ बिजनेस कम्प्यूनिकेशन

ऑफ इण्डिया द्वारा विशेष कालम (भाषा) के लिए तीन पुरस्कार प्रदान किए गए. इसके अलावा बैंक के हाउस जर्नल बॉब मैत्री को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विभाषी हाउस जर्नल प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया.

निदेशक मण्डल

डा. अनिल के. खडेलवाल दिनांक 31.03.2008 को अधिवर्षिता के फलस्वरूप अब बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नहीं हैं. श्री एम. डी. मल्या को 07 मई 2008 से 30 नवम्बर 2012 तक की अवधि के लिए बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया.

श्री सतीश सी. गुप्ता को भारत सरकार द्वारा दिनांक 6 जून 2007 से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्ण कालिक निदेशक नियुक्त किया गया.

श्री मिलिन्द एन नाडकर्णी को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(इ) के तहत दिनांक 1 मई 2007 से वर्कमेन स्टाफ के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक नामित किया गया. उन्हें निदेशक मण्डल में 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है.

श्री टी. के. बालसुब्रमण्यन दिनांक 1 जुलाई 2007 से अधिवर्षिता के फलस्वरूप अब निदेशक पद पर नहीं हैं. श्री रंजीत कुमार चटर्जी को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) एफ के तहत दिनांक 20 दिसम्बर 2007 से गैर वर्कमेन स्टाफ के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक नामित किया गया. उन्हें निदेशक मण्डल में 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया गया है.

डॉ. अतुल अग्रवाल को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) एच के तहत दिनांक 23 नवम्बर 2007 से निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

श्री जी. सी. चतुर्वेदी 10 जून 2008 से अब निदेशक पद पर नहीं हैं तथा श्री अमिताभ वर्मा को बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैंक का निदेशक नामित किया गया है.

निदेशकों के दायित्व सम्बंधी अभिकथन

निदेशक इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :

- लेखा मानकों का महत्वपूर्ण विसंगतियों यदि कोई हों, के समुचित स्पष्टीकरण सहित पूर्णतया पालन किया गया है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का निरंतर पालन किया गया है.
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यकलापों की स्थिति तथा 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने की दृष्टि से तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए.

- भारत में बैंकों पर लागू नियमों संबंधी प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखांकन रिकार्ड रखने के लिए समुचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया है तथा
- 'लेखा' निरंतर आधार पर तैयार किए गए हैं.

आभार :

बैंक का निदेशक मण्डल का डा. अनिल के खण्डेलवाल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके बहुमूल्य योगदान की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करता है. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंकिंग उद्योग में बैंक को उत्कृष्ट ब्रांड वेल्यू दिलवाने, बैंक का व्यवसाय दुगना करने, बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक का नाम रौशन करने और अनेक उपलब्धियां हासिल करने में कुशल नेतृत्व प्रदान किया.

बैंक का निदेशक मण्डल गैर वर्कमेन स्टाफ का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक श्री टी. के. बालासुब्रमण्यन के योगदान के लिए भी उनकी सराहना करता है.

बैंक का निदेशक मण्डल श्री जी. सी. चतुर्वेदी द्वारा भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक पद पर 31 अक्टूबर 2006 से 9 जून 2008 तक उनके कार्यकाल के दौरान उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए सराहना एवं आभार व्यक्त करता है.


बैंक ने हाल ही के वर्षों में प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक मामलों में अनेक नवोन्मेषी प्रयास किए हैं. इन नवोन्मेषी प्रयासों की व्यावसायिक सफलता में बैंक के स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है जिन्होंने परिवर्तन के महत्व को समझते हुए बैंक को

एक आधुनिक एवं ग्राहकोन्मुख बैंक के रूप में प्रस्तुत करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया. हम अपने स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता और बैंक के प्रति उनकी समर्पित सेवा भावना के लिए उनके आभारी हैं. हमारे ग्राहकों ने हमारे प्रयासों की सफलता में सदैव अपना सहयोग दिया है. हमारी रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान यदि हमारे कुछ ग्राहकों को असुविधा भी हुई तो उन्होंने बड़े संयम और धैर्य से इसे सहन किया. हम ग्राहकों के सतत संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं.

हमारी प्रगति में हमारे शेयरधारक हमारे प्रमुख भागीदार रहे हैं. हम उनके सहयोग एवं समर्थन तथा हम पर किए गए विश्वास के लिए उनके आभारी हैं. बैंक का निदेशक मंडल भारत एवं विदेशों में अपने ग्राहकों, शेयरधारकों और हितैषियों से निरंतर प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करता है.

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), अन्य नियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत एवं विदेश स्थित प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर दिए गए सतत समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है.

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से



एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

मुंबई

20 जून, 2008

बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण Basel II Pillar 3 disclosures

भारतीय रिजर्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अनुसार पिलर 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण

I. अनुप्रयोग का क्षेत्र

क. प्रकटीकरण का फ्रेमवर्क बैंक ऑफ बड़ौदा पर लागू होता है, जो कि समूह में सर्वोच्च बैंक है.

ख. बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी अनुषंगियां हैं :

Disclosures under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India

I. Scope of application

a. The framework of disclosures applies to Bank of Baroda, which is the top bank in the group.

b. The Bank has following Subsidiaries both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	अनुषंगी का नाम	Name of the subsidiary	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	अनुषंगी (घरेलू)	SUBSIDIARY (DOMESTIC)	
i	नैनीताल बैंक लिमिटेड	Nainital Bank Limited	98.39%
ii.	बॉब एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	BOB Asset Management Company Limited	100.00%
iii.	बॉबकार्ड्स लिमिटेड	BOBCARDS Limited	100.00%
iv.	बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड	BOB Capital Market Limited	100.00%
	अनुषंगी (विदेशी)	SUBSIDIARY (FOREIGN)	
v.	बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड	Bank of Baroda (U.K.) Ltd	100.00%
vi.	बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगान्डा) लिमिटेड	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	80.00%
vii.	बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लिमिटेड	Bank of Baroda (Hongkong) Ltd.	100.00%
viii.	बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	86.70%
ix.	बैंक ऑफ बड़ौदा (गयाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Guyana) Ltd.	100.00%
x.	बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	100.00%
xi.	बैंक ऑफ बड़ौदा (तंज़ानिया) लिमिटेड	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	100.00%
xii.	बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो) लिमिटेड	Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.	100.00%
xiii.	बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Ghana) Ltd	100.00%

बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी सहायक इकाईयां भी हैं.

The Bank also has following Associates both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	सहायक इकाई का नाम	Name of the associate	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	सहायक इकाईयां (घरेलू)	ASSOCIATES (DOMESTIC)	
i	यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	UTI Asset Management Company Limited	25.00%
ii	यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	UTI Trustee Company Pvt. Limited	25.00%
iii	झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Jhabua Dhar K G Bank	35.00%
iv	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Nainital Almora K G Bank	35.00%
v	बड़ौदा गुजरात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Baroda Gujarat K G Bank	35.00%
vi	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	Baroda Rajasthan Gramin Bank	35.00%
vii	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक	Baroda U P Gramin Bank	35.00%
	सहायक इकाईयां (विदेशी)	ASSOCIATE (FOREIGN)	
viii	इंडो ज़ांबिया बैंक लिमिटेड	Indo Zambia Bank Limited	20.00%

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सीए आई) के लेखा मानदंड क्रमशः 21 तथा 23 के अनुसार समेकित खाता विवरणी में अनुषंगियों तथा सहायक इकाइयों को पूर्णतः समेकित किया गया है।

ग. बॉब कार्ड्स लिमिटेड, जो कि बैंक की एक अनुषंगी है, के पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 100 करोड़ रूपए की पूंजी के एवज में, हानियों को समायोजित करने के पश्चात 79.09 करोड़ रूपए की पूंजी है। इस प्रकार अनुषंगी के पास नियामक पूंजी से 20.91 करोड़ रूपए कम है।

अन्य किसी अनुषंगी में पूंजी के मामले में कोई कमी नहीं है।

घ. बैंक का किसी बीमा संस्थान में कोई निवेश नहीं है।

II. पूंजीगत ढांचा

ए. बैंक की टियर - I पूंजी में शेयर पूंजी तथा विभिन्न प्रकार की प्रारक्षित निधियां शामिल हैं। टियर - II पूंजी में पुनर्मूल्यांकन निधियां, सामान्य हानि निधि, मानक अस्तियों पर प्रावधान, उच्च टियर - II तथा निम्न टियर - II पूंजी शामिल हैं। उच्च टियर II पूंजी में विदेशी बाजार में जारी एमटीएन बॉण्ड भी शामिल हैं। बेजमानती प्रतिदेय ऋणों की शर्तें इस प्रकार हैं :

उच्च टियर 2 पूंजी

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि रूपए करोड़ में Amount in Rs. Cr
डिबेंचर	Debentures	8.30	06.09.2009	20.00
शृंखला VII	Series VII	9.30	28.12.2022	500.00
शृंखला VIII	Series VIII	9.30	03.01.2023	1000.00
एमटीएन टियर II बॉण्ड (विदेशी)	MTN Tier II Bonds (Overseas)	6.625	25.05.2022 (कॉल ऑप्शन के साथ with call option on 25.05.2017)	1203.62
				2723.62

निम्न टियर 2 पूंजी

Lower Tier 2 Capital:

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि रु. करोड़ में Amount in Rs. Cr
शृंखला II	Series II	14.30	09.04.2009	300.00
शृंखला III	Series III	11.15	30.04.2008	409.10
शृंखला IV	Series IV	5.85	02.07.2014	300.00
शृंखला V	Series V	7.45	28.04.2015	770.00
शृंखला VI	Series VI	8.95	15.05.2016	920.00
			कुल TOTAL	2699.10

The Subsidiaries and Associates are fully consolidated in the Consolidated Statement of Accounts as per Accounting Standard 21 and 23 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

c. BOBCARDS Limited, a subsidiary of the Bank, has capital of Rs.79.09 crore, after adjusting accumulated losses, against capital of Rs.100 crores stipulated by RBI. Therefore the subsidiary is short of regulatory capital by Rs. 20.91 crore.

There is no deficiency of capital in respect of any other subsidiary.

d. The bank does not have any investment in an insurance entity.

II. Capital structure

a. The Tier I capital of the Bank consists of equity capital and various types of reserves. The tier II capital consists of Revaluation Reserves, General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier II Capital and Lower Tier II capital. Upper Tier II capital also consists of MTN Bonds issued in overseas market. The terms of unsecured redeemable debts are as under:

Upper Tier 2 Capital:

बी. बैंक की टियर - I पूंजी इस प्रकार है :

b. The Tier 1 capital of the bank is as under:

(राशि ₹. करोड़ में Amount in Rs. Crore)

i	कुल टियर - I पूंजी जिसमें से	i	Total Tier I Capital	8495.72
ii	प्रदत्त शेयर पूंजी	ii	Paid up share capital	365.53
iii	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों के अलावा निधियां	iii	Reserves excluding revaluation reserves	9161.44
iv	कुल कटौतियां	iv	Total Deductions	1031.25

सी. बैंक की कुल टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी में से शुद्ध कटौती) 5885.51 करोड़ रूपए है.

c. The Total amount of Tier 2 capital of the bank (net of deduction from tier 2 capital) is Rs. 5885.51 Crore

डी. उच्च टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं:

d. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital are:

(₹. करोड़ में Rs in Crores)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	2723.62
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	2703.62
पूंजी निधियों के रूप में गणना किये जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	2707.62

ई. निम्न टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं :

e. Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital are:

(₹. करोड़ में Rs in Crores)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	2719.10
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	0.00
पूंजी निधियों के रूप में गणना किये जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	2050.00

एफ. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में बैंक द्वारा दी गई अग्रिम वृद्धि गारंटी के लिए टियर II पूंजी में से 59.44 करोड़ रूपये की कटौती की गई है.

f. For computation of Capital Adequacy, a deduction of Rs. 59.44 crore has been made from Tier II capital towards credit enhancement guarantee given by the bank in respect of securitization of standard assets.

जी. कुल पात्र पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं :

g. The total eligible capital comprises of:

(₹. करोड़ में Rs in Crores)

टियर - I पूंजी	Tier – I Capital	8495.72
टियर - II पूंजी	Tier – II Capital	5885.51
कुल	TOTAL	14381.23

III. पूंजी पर्याप्तता

क. जमाकर्ताओं तथा सामान्य ऋणदाताओं को हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्पोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचने के लिए बैंक का स्तर बनाए रखती हैं, बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए एक एकीकृत जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु ताकि सभी जोखिमों एवं पर्याप्त सही पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से मूल्यांकित किया जा सके, एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (आईसीएएपी) है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरआर

III. Capital Adequacy

a. Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks and substantiate appropriate capital allocation so as to evolve a fully integrated risk/capital model for both regulatory and economic capital.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic

की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है।

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक वातावरण, नियामक जरूरतें तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है।

पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है।

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता।
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ लक्षित तथा धारणीय पूंजी
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।

पूंजीगत आयोजन को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है। बैंक की नीति आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम 12% पूंजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूंजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूंजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूंजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके। अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर - 1 या टियर - 2 में पूंजी उगाहता है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है।

ख) 31.03.2008 तक बैंक के जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए), न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता तथा वास्तविक पूंजी पर्याप्तता की स्थिति निम्नानुसार है।

Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the bank is to maintain capital as prescribed in the Internal Capital Adequacy Assessment Policy (minimum 12% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with the approval of Board of Directors of the Bank. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis

b. The position of bank's Risk Weighted Assets (RWA), Minimum Capital Requirement and Actual Capital Adequacy as on 31.03.2008 are as under:

(i) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता	(i) Capital requirements for credit risk:	पूंजी/ Capital (राशि करोड़ में/ Amount in Rs. Crore)
ऋण जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यक	Minimum Capital Requirement for Credit Risk	8698.02
प्रतिभूतिकरण एक्पोजर	Securitisation exposures	शून्य/NIL
(ii) निम्न के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता	(ii) Capital requirements for market risk in respect of :	
ब्याज दर जोखिम	Interest rate risk	417.93
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	Foreign exchange risk (including gold)	6.75
इक्विटी जोखिम	Equity risk	243.76
बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Market Risk	668.44
(iii) परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता आधारभूत संकेतक पद्धति के तहत परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता	(iii) Capital requirements for operational risk: Minimum Capital Requirement for Operational Risk under Basic indicator approach	633.06

(iv) कुल पूंजी एवं सीआरएआर	(iv) Total Capital & CRAR	
ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Credit, Market & Operational Risk	9999.52
वास्तविक स्थिति	Actual Position	
पात्र टियर I पूंजी	Eligible Tier I Capital	8495.72
पात्र टियर II पूंजी	Eligible Tier II Capital	5885.51
कुल पात्र पूंजी	Total Eligible Capital	14381.23
सीआरएआर	CRAR	12.94%
कुल आरडब्ल्यूए के लिए टियर II पूंजी	Tier I capital to Total RWA	7.64%

IV. ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

अ. बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित पॉलिसी है :

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए मूलघन का ब्याज तथा / या किश्त. अतिदेय हो जाती है.
- ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओ डी / सी सी) के संबंध में खाता खराब (आउट ऑफ ऑर्डर) रहा है.
- खरीदे गए तथा बड़े खाते डाले गए 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया अतिदेय बिल
- अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों के लिए मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.
- लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम के लिए मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.

किसी भी खाते को 'खराब' खाते के रूप में माना जाएगा यदि खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तर रूप से बकाया रहती हो. ऐसे मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहां तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर रूप से 90 दिनों के लिए अथवा उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज की वसूली हेतु जमा राशि शेष नहीं हो तो ऐसे खातों को 'खराब' खाते की श्रेणी में माना जायेगा.

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को 'अतिदेय' माना जायेगा यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख को भुगतान नहीं की जाती है.

बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों का पुनः निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है :

IV. General disclosures in respect of Credit Risk

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under :

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A nonperforming asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

अवमानक अस्तियां

अवमानक अस्ति से अभिप्राय, ऐसी अस्तियों से हैं जो कि 12 महीनों की अवधि से कम अथवा उस के समतुल्य के लिए गैर निष्पादक अस्ति रही हो। सभी वसूली संबंधी उपाय-अवमानक अस्तियों से भी सम्बंधित हैं। यदि सम्पूर्ण अतिदेय नकद वसूली के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो खाते को तुरन्त ही मानक श्रेणी के अन्तर्गत अपग्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो खाते को तकनीकी कारणों के संबंध में 'क्लीयरेंस' प्राप्त होने पर अपग्रेड किया जायेगा।

संदिग्ध अस्तियां

किसी भी अस्ति को 12 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में उसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

अवमानक तथा संदिग्ध खातों से अभिप्राय है, ऐसे खाते जिनकी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है, पुनःसारणी बद्ध हो सकते हो, उन्हें मानक श्रेणी के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के पश्चात उस तारीख को जब ब्याज अथवा मूल राशि का प्रथम भुगतान किया गया हो, अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन के दृष्टिगत देय तारीख इनमें से जो भी पहले हो, को मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

हानि अस्तियां

हानि अस्ति से अभिप्राय ऐसी अस्ति से हैं जहां हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो। हानि अस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया शेष / देयों का 10% से अधिक नहीं हो। चूंकि प्रतिभूति बेकअप उपलब्ध नहीं होगा। आवश्यक हो तो निर्धारण / पुनःविस्थापन पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

ख. कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति निम्नानुसार हैं :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में एक्सपोजर सीमाएं, ऋणियों के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता
- बैंक के प्रधिकारी के विभिन्न स्तरों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार
- ऋण वितरण स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली के संबंध में प्रक्रियाएं
- मूल्य निर्धारण

ग. ऋण जोखिम दर्शन, बैंक की संरचना और प्रणाली निम्नानुसार हैं :

ऋण जोखिम दर्शन :

- बैंक के संसाधनों की सुरक्षा के साथ कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ यह सुनिश्चित करना कि शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोत्तरी हो तथा सभी हित धारकों के हित संरक्षित हो, इस दृष्टि से ऋण तथा प्रतिफल में वृद्धि करना।
- बैंक के स्तर पर अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनायें ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

Sub standard Assets

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months.

Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/ rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, should be considered with utmost care.

b. Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing

c. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- To Optimise the Credit and return envisaged in order that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.

- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य प्राप्त किए जा सके.
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टॉफ को सहयोग प्रदान करना.
- विभिन्न ऋण सेगमेंट को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना.
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत मानिट्रिंग, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठाते हुए जैसी ऋण प्रबंधन की दक्षता को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके.
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं गति के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपातना अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही करना.
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों, निवेश मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देश, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना.
- To comply with the National Priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

बैंक की संरचना और प्रणालियाँ

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है.
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, ऋण प्रदान करने संबंधी नीतियों और बैंक की उद्यमवार जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देखरेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है.
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बैंचमार्क के संबंध में मानक नीतियाँ तैयार करना.
- ऋण जोखिम प्रबंधन सेल निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है.
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार की गयी जोखिम पैरामीटर्स तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना.
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस का विकास करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान, कमी को पूरा करना.
- संविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था उपयोग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण संविभाग पर लचीलेपन का परीक्षण करना.
- तैयार किए गए नियमों और मार्ग निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुदगी प्रणाली में सुधार लाना.

घ. जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और / अथवा आकलन पद्धति.

बैंक अपने ऋण जोखिम के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली को शुरू करने जा रहा है. ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time

रिटर्न पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए कीमती आस्तियों में लोचनीयता बनाना शामिल हैं।

बैंक की कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों के बीच चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती है और इस प्रकार बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है।

इ. ऋण जोखिम के संबंध में मात्रात्मक स्थिति निम्नानुसार है।

impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is based on internationally adopted frameworks and global best practices and assists the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allow the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:

(राशि करोड़ों में Amount in Rs. Crores)

		निधि आधारित Fund based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total	
i	कुल सकल ऋण जोखिम	(i) Total gross credit risk exposures	107671.82	17196.61	124868.43
ii	जोखिम का भौगोलिक वितरण	(ii) Geographic distribution of exposures,			
	• ओवरसीज	• Overseas	22319.41	3068.32	25387.73
	• घरेलू	• Domestic	85352.41	14128.29	99480.70
iii	घरेलू जोखिमों का उद्योग के रूप में वितरण	(iii) Industry type distribution of domestic exposures			
	उद्योग	Industry			
	कोयला	COAL	30.74	66.53	97.27
	खनन	MINING	365.53	334.18	699.71
	लोहा एवं इस्पात	IRON & STEEL	5008.08	1592.60	6600.68
	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	OTHER METALS & METAL PRODUCT	1422.64	786.96	2209.61
	सभी इंजीनियरिंग	ALL ENGINEERING	2407.33	2512.42	4919.75
	इलेक्ट्रीसिटी	ELECTRICITY (GEN. & TRANS.)	324.40	0.00	324.40
	कॉटन टेक्सटाइल्स	COTTON TEXTILES	2226.14	103.20	2329.34
	जूट टेक्सटाइल्स	JUTE TEXTILES	135.94	33.06	169.00
	अन्य टेक्सटाइल्स	OTHERS TEXTILES	3326.76	329.77	3656.53
	चीनी	SUGAR	422.95	11.58	434.54
	चाय	TEA	22.80	0.04	22.84
	फूड प्रोसेसिंग	FOOD PROCESSING	876.48	49.67	926.15
	खाने का तेल (वनस्पति सहित)	VEGETABLE OILS (INCL.VANASPA	228.95	234.67	463.61
	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	TOBACCO & TOBACCO PRODUCTS	36.14	8.29	44.43

उद्योग	Industry	निधी आधारित Fund based	गैरनिधी आधारित Non Fund Based	कुल Total
कागज एवं कागज उत्पाद	PAPER & PAPER PRODUCTS	472.05	145.76	617.81
रबड़, एवं रबड़ उत्पाद	RUBBER & RUBBER PRODUCTS	213.22	60.00	273.23
केमिकल, ड्राई पेंट्स एवं फर	CHEMICALS, DYES, PAINTS & PHAR	8007.39	1671.07	9678.47
इनमें से	OF WHICH:			
फर्टिलाइजर्स	FERTILIZERS	686.39	890.40	1576.80
पेट्रो केमिकल्स	PETRO-CHEMICALS	4525.42	136.40	4661.81
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	DRUGS & PHARMACEUTI	995.03	176.40	1171.83
सीमेंट	CEMENT	277.19	49.59	326.78
लैडर एवं लैडर उत्पाद	LEATHER & LEATHER PRODUCTS	217.12	88.79	305.91
जेम्स एवं ज्वेलरी	GEMS & JEWELLERY	592.38	1.15	593.53
निर्माण	CONSTRUCTION	1308.91	372.15	1681.06
पेट्रोलियम	PETROLIUM	1979.75	10.16	1989.91
ट्रक सहित ऑटोमोबाइल	AUTOMOBILES INCLUDING TRUCKS	1000.61	582.78	1583.39
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	COMPUTER SOFTWARE	64.35	47.57	111.92
आधारभूत सुविधाएँ	INFRASTRUCTURE	9144.78	941.25	10086.04
इनमें से	OF WHICH:			
उर्जा	POWER	6345.37	327.70	6673.07
संचार	TELECOMMUNICATION	1512.39	406.48	1918.86
सड़क	ROADS	659.90	0.00	659.90
बंदरगाह	PORTS	351.71	0.00	351.71
अन्य आधारभूत सुविधाएं	OTHER INFRASTRUCTURE	275.42	382.94	658.36
गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां	NBFCs	4167.52	35.48	4202.99
ट्रेडिंग	TRADING	4632.64	0.00	4632.64
पेय पदार्थ	BEVERAGES	182.87	9.01	191.88
लकड़ी	WOOD	144.83	22.33	167.16
ग्लास	GLASS	273.24	15.42	288.66
प्लास्टिक	PLASTIC	1121.56	170.23	1291.79
कुल	TOTAL	50635.29	10285.71	60921.00

ऑयर्न तथा स्टील क्षेत्र का कुल ऋण एक्सपोजर 6600.68 करोड़ रुपये है जबकि उर्जा क्षेत्र को यह 6673.07 करोड़ रुपये है जो कि बैंक के कुल ऋण एक्सपोजर में क्रमशः 5.29% तथा 5.34% है।

Total credit exposure to Iron and Steel sector is Rs.6600.68 crore & that to Power sector is Rs.6673.07crore, which constitute 5.29% and 5.34% respectively of the total credit exposure of the bank.

च. अस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का विश्लेषण

f. Residual maturity breakdown of assets

(राशि ₹. करोड़ में Amount in Rs. Crore)

समयावधि	Time Bucket	अग्रिम Advances	निवेश Investments	विदेश मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	कुल आस्तियां Total Assets	प्रतिशत %age
	TOTAL	106701.32	43870.07	44961.11	195532.50	100.00%
1 दिन	1 day	2061.38	28.12	3704.06	5793.56	2.96%
2-7 दिन	2 - 7 days	4752.13	32.86	2272.99	7057.98	3.61%
8-14 दिन	8 -14 days	5845.91	578.17	2810.66	9234.74	4.72%
15-28 दिन	15- 28 days	4138.00	957.95	5228.46	10324.41	5.28%
29 दिन - 3 महीने	29 days - 3 months	13677.85	1128.31	7822.10	22628.26	11.57%
>3 महीने - 6 महीने	>3 months-6 months	12084.54	3634.63	5885.60	21604.77	11.05%
>6 महीने - 1 वर्ष	>6months-1yr	11982.49	1148.98	4013.88	17145.35	8.77%
>1 वर्ष - 3 वर्ष	>1 yr-3 yrs	19207.86	8730.56	3273.80	31212.22	15.96%
>3 वर्ष - 5 वर्ष	>3 yrs-5 yrs	13707.25	5930.80	6242.36	25880.41	13.24%
>5 वर्ष	>5 yrs	19243.89	21699.69	3707.20	44650.80	22.84%

छ. गैर निष्पादक अग्रियों एवं निवेशों के बारे में प्रकटीकरण

g. Disclosures in respect of Non performing Advances and Investments:

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राशि करोड़ रुपये में Amount in Rs. Crores
i	एनपीए (सकल)	i NPAs (Gross):	1981.38
	अवमानक	Substandard	727.61
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	362.14
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	380.74
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	144.77
	हानि	Loss	366.12
ii	शुद्ध एनपीए	ii Net NPAs	
	कुल	Total	493.55

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राश्री करोड़ रुपये में Amount in Rs. Crores
iii	एनपीए अनुपात	iii NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए	Gross NPAs to gross advances	1.84%
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	Net NPAs to net advances	0.47%
iv	एनपीए (सकल) का मूवमेंट	iv Movement of NPA(Gross)	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	2092.14
	जोड़	Additions	1002.15
	घटाव	Reductions	1112.91
	अन्तिम शेष	Closing balance	1981.38
v	एनपीए के लिए प्रावधान का मूवमेंट	v Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	991.45
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	262.72
	बट्टे खाते	Write-off	359.95
	अन्तिम शेष	Closing balance	894.22
vi	गैर निष्पादक निवेश	vi Non Performing Investments	
	गैर निष्पादक निवेश राशि	Amount of Non-Performing Investments	196.83
	गैर निष्पादक निवेश के लिए रखे गये प्रावधान की राशि	Amount of provisions held for non-performing investment	195.77
vii	वर्ष के दौरान निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का मूवमेंट	vii Movement of provisions for depreciation on investments during the year	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	446.84
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	94.65
	बट्टे खाते	Write-off	102.41
	अन्तिम शेष	Closing balance	439.08

V. ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

क. मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिट्स, और आइसीआरए की घरेलू ऋण एक्सपोजर हेतु रेटिंग को स्वीकार करता है। विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टैंडर्ड एवं पूअर, मूडी, तथा फिट्स की रेटिंग स्वीकार करता है।

बैंक बड़े कार्पोरेट उधारकर्ताओं के ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और उसने जहाँ कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है। वहाँ जोखिम पर आस्तियों की गणना करने के लिए इन रेटिंगों का उपयोग किया है।

V. Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardised approach

a. Under Standardized Approach the bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch, and ICRA for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

The bank encourages Large corporate borrowers to solicit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत दृष्टिकोण (मूल्यांकित और गैर मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशियाँ इस प्रकार हैं।

The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under :

जोखिम भार की श्रेणी	Category of Risk Weight	राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.
100% जोखिम भार से कम	Below 100 % risk weight	44501.83
100% जोखिम भार	100 % risk weight	60848.42
100% जोखिम भार से अधिक	More than 100 % risk weight	15277.22
कुल सीआरएम कटौती	Total CRM Deducted	4240.97

VI. अग्रिम जोखिम न्यूनीकरण

बैंक अपने उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (जो कि संपार्श्विक रूप में भी हो सकती हैं) प्राप्त करते हैं। सामान्यता विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (मुख्य प्रतिभूतियाँ अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ) ली जाती हैं।

- स्टॉक, जल मशीनरी इत्यादि जैसी चल अस्तियाँ।
- भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल अस्तियाँ।
- बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इन्दिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, सरकारी बाण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक बाण्ड, एलआईसी पॉलिसियाँ इत्यादि
- गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन।
- स्वर्ण आभूषण
- अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर।

बैंक ने, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति तैयार की है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

बैंक के ऋण जोखिम के विरुद्ध गारंटियों के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं :

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीएफटीएस

सीआरएम संपार्श्विक प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा-राशियों के पेटे ऋणों में और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों/शेयरों के पेटे ऋणों में उपलब्ध होंगे।

सीआरएम प्रतिभूतियाँ, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं। बैंक के एक्सपोजर्स के संबंध में सीआरएम के रूप में उपलब्ध पात्र गारंटियाँ बासेल II के अनुसार मुख्यतः केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीएफटीएस हैं।

दिनांक 31.3.2008 को बकाया एक्सपोजरों से कटौती हेतु पात्र कुल ऋण जोखिम न्यूनताएं (मिटिजेंट्स) राशि रु. 4240.97 करोड़ हैं।

VI. Credit risk mitigation:

Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as non-fund based) on its borrowers. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

- Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
- Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
- Bank's own deposits
- NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
- Cash Margin against Non-fund based facilities
- Gold Jewellery
- Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporates
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGFTS

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans Against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGFTS.

The total Credit Risk Mitigants eligible for deduction from the outstanding exposures as on 31.03.2008 are Rs 4240.97 crores.

VII. प्रतिभूतिकरण :

बैंक की एक प्रतिभूति नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति के अनुसार प्रतिभूत किये जाने वाले संविभाग की प्रकृति है रिटेल ऋण (आवास ऋण, ऑटो ऋण, परिसंपत्तियों के पेटे अग्रिम, वैयक्तिक ऋण तथा क्रेडिट कार्ड्स) एसएसआई एवं आधारभूत परियोजना ऋण।

दिनांक 31 मार्च, 2008 तक बैंक के पास अपनी आस्तियों को प्रतिभूत करने का कोई मामला नहीं है।

VIII. व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है।

- ब्याज दर जोखिम
- करेंसी जोखिम
- मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, अधिकतम हानि सीमाएं और जोखिम सीमाओं पर मूल्य। जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं।

अधिकतम हानि सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों के रूप में ली जाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है अर्थात् मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण। इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को सीआरएआर का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2008 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार) संबंधी पूंजी प्रभार निम्नानुसार हैं।

(रु. करोड़ों में राशि Rs. in Crores)

		Amount
व्याज दर जोखिम	Interest Rate Risk	417.93
इक्विटी स्थिति जोखिम	Equity Position Risk	243.76
विदेशी मुद्रा जोखिम	Foreign Exchange Risk	6.75
कुल पूंजी प्रभार	Total Capital Charge	668.44

IX. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आवलन करने की दृष्टि से आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपनाया है।

X. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोणों के माध्यम से निर्धारित व मानीटर किया जाता है।

VII. Securitisation:

The bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. As per the Policy the nature of portfolio to be securitized are retail loans (housing loans, auto loans, advance against properties, personal loans and credit cards) SSI and Infrastructure projects loans.

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March,2008.

VIII. Market risk in trading book

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are identified as Market risk:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board of Directors have laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits, control the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

Capital charge on Market Risk (as per Standardised Duration Approach) as on 31st March 2008 is as under:

IX. Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk.

X. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

i. जोखिम पर आय (पारंपरिक अन्तर विश्लेषण) (अल्पावधि)

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तनों को इस दृष्टिकोण के तहत विश्लेषित किया गया है।

जोखिम पर आय को घरेलू परिचालनों के लिए विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया गया है।

1. आय रेखा जोखिम : आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है।
2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न आय परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू होते हैं।
3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है।

ii. इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

क इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके इक्विटी का आर्थिक मूल्य निकाला जाता है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को अवधि पद्धति के माध्यम से घरेलू परिचालकों के लिए नियमित अन्तरालों पर 200 आधार अंकीय दर स्टॉक हेतु विश्लेषित किया जाता है।

ख ब्याज-दरों में 100 आधार अंकीय मूवमेंट के पेटे बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर शुद्ध प्रभाव दिनांक 31.3.2008 को घरेलू परिचालकों के लिए रु. 269.06 करोड़ है।

i Earning at Risk (Traditional Gap Analysis)(Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.
3. Basis risk and embedded option risk is assumed as per historical trend.

ii Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

a. Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at regular intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

b. The net impact on NII of the bank against 100 bps movement in interest rates is Rs.269.06 Crore as on 31.03.2008 for domestic operations.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक Key Financial Indicators

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	प्रतिशत में (In Percentage)	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)		7.43%	6.85%	6.59%	7.22%	7.63%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF		4.32%	3.68%	3.65%	4.35%	5.10%
3	शुद्ध ब्याज मार्जिन Net Interest Margin (NIM)		3.34%	3.39%	3.20%	3.05%	2.90%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF		3.11%	3.17%	2.93%	2.87%	2.53%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF		2.08%	1.40%	1.12%	1.11%	1.32%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF		2.18%	2.11%	2.25%	2.04%	1.89%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio		42.08%	46.24%	55.43%	51.30%	49.21%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF		3.00%	2.45%	1.81%	1.94%	1.96%
9	शुद्ध लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF		1.17%	0.72%	0.78%	0.82%	0.93%
10	शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth		19.81%	12.55%	10.85%	12.17%	15.07%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets		1.14%	0.71%	0.73%	0.72%	0.80%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets		1.20%	0.75%	0.79%	0.80%	0.89%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances		7.76%	7.18%	7.43%	8.37%	9.53%
14	जमा राशियों की लागत Cost of Deposits		4.96%	4.23%	4.15%	4.77%	5.69%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)		22.24%	24.67%	25.11%	24.59%	23.75%
16	ऋण - जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio		51.17%	55.82%	67.15%	74.35%	77.32%
17	ऋण + नान एसएलआर निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) -- Deposit Ratio		62.82%	63.96%	74.94%	80.21%	82.78%
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio		13.91%	12.61%	13.65%	11.80%	12.91%
	टीयर Tier - I		8.47%	8.21%	10.98%	8.74%	7.63%
	टीयर Tier - II		5.44%	4.40%	2.67%	3.06%	5.28%

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक Key Financial Indicators

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	प्रतिशत में (In Percentage)	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)		39803	39529	38774	38086	36774
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)		2730	2738	2743	2772	2899
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per employee (Rs. in crore)		2.73	3.16	3.96	5.48	7.04
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु.करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)		2.61	2.97	3.51	4.64	5.94
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु.लाखों में) Gross Profit per employee (Rs. in lakhs)		6.24	5.82	4.95	6.34	8.24
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाखों में) Net Profit per employee (Rs. in lakhs)		2.43	1.71	2.13	2.70	3.90
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु.करोड़ों में) Business per branch (Rs. in crore)		39.77	45.56	55.99	75.23	89.25
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु.करोड़ में) Gross Profit per branch (Rs. in crore)		0.91	0.84	0.70	0.87	1.04
9	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (रु.करोड़ में) Net Profit per branch (Rs. in crore)		0.35	0.25	0.30	0.37	0.50
10	प्रति शेयर आय (रुपयों में) Earnings per share (Rupees)		32.97	23.08	27.10	28.18	39.41
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रुपयों में) Book Value per share (Rupees)		166.46	183.83	209.18	231.59	261.54

स्रोत : विविध वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें (जहां समुचित हुआ, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है)

Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)

शब्दावली : Glossary

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत;	Average Working Funds (AWF)	: Fortnightly Average of Total Assets
औसत जमाराशियां	: कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत;	Average Deposits	: Fortnightly Average of Total Deposits
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;	Average Advances	: Fortnightly Average of Total Advances
औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग;	Average Business	: Total of Average Deposits Plus Average Advances
औसत निवेश	: कुल निवेश का पाक्षिक औसत;	Average Investments	: Fortnightly Average of Total Investments
ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)	: कुल ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से विभाजन;	Interest Income/AWF	: Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;	Interest expenses/AWF	: Total Interest Expenses Divided by AWF
शुद्ध ब्याज मार्जिन	: (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) औसत ब्याज अर्जक आस्तियों से विभाजित करें;	Net Interest Margin	: Total interest earned minus total interest paid divided by average interest earning assets
ब्याज विस्तार/एडब्ल्यूएफ	: (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) एडब्ल्यूएफ से विभाजित करें;	Interest Spread/AWF	: (Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	: कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्य निधि से;	Non-Interest Income/AWF	: Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालन व्यय	: कुल खर्च घटा ब्याज खर्च	Operating Expenses	: Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	Operating Expenses/AWF	: Operating Expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	: परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;	Cost Income Ratio	: Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	: परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Gross (Operating) Profit/AWF	: Operating Profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ;	Net Profit/AWF	: Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर);	Return on Net Worth	: Net Profit Divided by Net Worth (excluding Revaluation Reserves)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;	Return on Assets	: Net Profit Divided by Total Assets
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ भाग दें एडब्ल्यूएफ;	Return on Average Assets	: Net Profit Divided by AWF
अग्रिमों पर प्रतिफल	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज भाग दें औसत अग्रिम;	Yield on Advances	: Interest Earned on Advances Divided by Average Advances
जमाराशियों की लागत	: जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज भाग दें औसत जमाराशियां;	Cost of Deposits	: Interest paid on Deposits Divided by Average Deposits
लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)	: लाभांश कारपोरेट लाभांश कर सहित; भाग दें शुद्ध लाभ से;	Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	: Dividend including Corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
ऋण जमा अनुपात ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) जमाराशि - अनुपात;	: कुल अग्रिम भाग दें ग्राहकों की जमाराशियां (कुल जमाराशियां - घटायें अंतर बैंक जमा राशियां) (कुल अग्रिम + नॉन एस एल आर निवेश - घटायें अनुषंगी इकाइयों में निवेश) भाग दें ग्राहकों की जमायें से;	Credit - Deposit Ratio Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	: Total Advances Divided by Customer Deposits (i.e., Total Deposits minus Inter Bank Deposits) (Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in Subsidiaries) Divided by Customer Deposits
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	: कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम भाग दें, कुल कर्मचारियों की संख्या से	Business Per Employee	: Total Deposits plus Total Advances Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियां औसत अग्रिम/भाग दें कुल कर्मचारी संख्या से	Average Business Per Employee	: Average Deposits plus Average Advances divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को भाग दें, कुल कर्मचारी संख्या से;	Gross Profit Per Employee	: Gross Profit Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ को भाग दें, कर्मचारियों की संख्या से;	Net Profit Per Employee	: Net Profit Divided by total No. of Employees
प्रति शाखा कारोबार	: कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को भाग दें, शाखाओं की संख्या से;	Business Per Branch	: Total Deposits plus Total Advances divided by No. of Branches
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ को भाग दें, शाखाओं की संख्या से;	Gross Profit per Branch	: Gross Profit Divided by No. of Branches
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ भाग दें शाखाओं की संख्या से;	Net Profit per Branch	: Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को भाग दें, इक्विटी से X दस;	Earnings Per Share	: Net Profit divided by Equity Multiplied by Ten
प्रति शेयर बही मूल्य	: शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर) को भाग दें, इक्विटी से X दस.	Book Value Per Share	: Net Worth (excluding Revaluation Reserves) divided by Equity Multiplied by Ten.

Best Bank for Home Loans

(Outlook-Money NDTV Profit Awards 2007)



- Competitive interest rate
- Free property and personal accident insurance
- Concessional rates on consumer loans
- Available upto 25 years tenure
- Upto 3 loans on 1 home
(Additional Assured Advance)

*conditions apply

Visit any branch or call toll free 1-800-22-4447 or sms HOME <city name> to 56365

www.bankofbaroda.com


100 YEARS
banking with passion

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank



Australia



Europe



Malaysia



Bahamas



Ghana



Dubai



China



Hong Kong



USA



Kenya

Wherever you go, you will find
Bank of Baroda
India's International Bank

72 overseas offices/branches in 25 countries in 5 continents

तुलन-पत्र



Balance Sheet

31 मार्च, 2008 का तुलन-पत्र
Balance Sheet as on 31st March, 2008

(000's अनंकित omitted)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2008 को As on 31st Mar, 2008 रु. Rs.	31 मार्च 2007 को As on 31st Mar, 2007 रु. Rs.
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	1	365,52,77
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	10678,39,91
जमाराशियां	Deposits	3	152034,12,72
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	3927,04,80
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	12594,41,42
जोड़	T O T A L		<u>179599,51,62</u>
			<u>143146,17,46</u>
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	9369,72,34
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	12929,56,33
निवेश	Investments	8	43870,06,78
अग्रिम	Advances	9	106701,32,41
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	2427,00,81
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	4301,82,95
जोड़	T O T A L		<u>179599,51,62</u>
			<u>143146,17,46</u>
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	82362,32,83
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		8315,01,73
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18	
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

श्री एम.डी.मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी.सन्तानरामन
कार्यकारी निदेशक
श्री एस.सी.गुप्ता
कार्यकारी निदेशक
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन
महाप्रबंधक
(कार्य. खाते, कराधान एवं
अनुपालन अधिकारी-भा.रि.बैं.)
श्री वी.के.गुप्ता
सहायक महाप्रबंधक
(लेखा एवं लेखा परीक्षा)

स्थान : मुंबई,
दिनांक : 20 मई, 2008

निदेशक
श्री जी. सी. चतुर्वेदी
श्री ए. सोमसुन्दरम
श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी
श्री रंजीत कुमार चटर्जी
श्री अमरजीत चोपड़ा
श्रीमती मसररत शाहिद
श्री मौलिन ए. वैष्णव
डॉ. अतुल अगरवाल
श्री मनेश पी. मेहता
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
(आर. एन. रॉय)
भागीदार
M.No.008608
कृते बी.सी.जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(रंजीत सिंह)
भागीदार
M.No.073488

लेखा परीक्षक
सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. बासु एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(डी. डी. चंचानी)
भागीदार
M.No.005570
कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(संजय गुप्ता)
भागीदार
M.No.086004

कृते जी. पी. कपाड़िया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(निमेष भिमानी)
भागीदार
M.No.030547
कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(जी. के. लठ)
भागीदार
M.No.070294

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2008

(000's अनंकित omitted)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2008 को Year ended 31 st March 2008 रु. Rs.	31 मार्च 2007 को Year ended 31 st March 2007 रु. Rs.
I. आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	11813,47,67	9004,08,55
अन्य आय	Other Income	14	2051,03,61	1381,79,27
जोड़	TOTAL		<u>13864,51,28</u>	<u>10385,87,82</u>
II. व्यय	EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	7901,67,06	5426,55,70
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	2934,29,21	2544,31,34
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		1593,02,86	1388,54,33
जोड़	TOTAL		<u>12428,99,13</u>	<u>9359,41,37</u>
III. लाभ	PROFIT			
वर्ष का शुद्ध लाभ	Net Profit for the year		1435,52,15	1026,46,45
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		<u>1435,52,15</u>	<u>1026,46,45</u>
विनियोजन	Appropriations			
निम्नलिखित में अन्तरण :	Transfer to :			
क) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve		358,88,04	256,61,61
ख) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve		84,64,85	14,31,65
ग) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves		651,05,38	503,07,35
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	I) General Reserve		650,35,08	502,50,35
II) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	II) Statutory Reserve (Foreign)		70,30	57,00
घ) लाभांश (लाभांश कर सहित)	d) Dividend (including Dividend Tax)		340,93,88	252,45,84
I) अन्तरिम लाभांश	I) Interim Dividend		0	124,60,65
II) प्रस्तावित लाभांश	II) Proposed Dividend		340,93,88	127,85,19
जोड़	TOTAL		<u>1435,52,15</u>	<u>1026,46,45</u>
प्रति शेयर मूल एवं न्यून अर्जन	Basic & Diluted Earnings per Share		39.41	28.18
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का ही एक भाग हैं.	The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.			

Shri M. D. Mallya
Chairman & Managing Director
Shri V. Santhanaraman
Executive Director
Shri S. C. Gupta
Executive Director
Shri N. R. Badrinarayanan
General Manager
Corporate A/cs. Taxation
& Compliance Officer - RBI
Shri V. K. Gupta
Asst General Manager
Accounts & Audit

DIRECTORS
Shri G C Chaturvedi
Shri A Somasundaram
Shri Milind N Nadkarni
Shri Ranjit Kumar Chatterjee
Shri Amarjit Chopra
Smt Masarrat Shahid
Shri Maulin A Vaishnav
Dr. Atul Agarwal
Shri Manesh P Mehta
Dr. Dharmendra Bhandari

AUDITORS
As per our separate report of even date attached

For Ray & Ray Chartered Accountants (R. N. Roy) Partner M.No.008608	For G. Basu & Co. Chartered Accountants (D D Chanchani) Partner M.No.005570	For G. P. Kapadia & Co. Chartered Accountants (Nimesh Bhimani) Partner M.No.030547
For B. C. Jain & Co. Chartered Accountants (Ranjeet Singh) Partner M.No.073488	For Gupta Nayar & Co. Chartered Accountants (Sanjay Gupta) Partner M.No.086004	For A. Sachdev & Co. Chartered Accountants (G. K. Lath) Partner M.No.070294

Place : Mumbai
Date :20th May, 2008

तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Balance Sheet

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31 st Mar, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची -1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL				
प्रति रु. 10/- के 150,00,00,000 इक्विटी शेयर	150,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each		1500,00,00		1500,00,00
जारी की गयी तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रति रु. 10/- के 36,70,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 36,70,00,000)	36,70,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each				
प्रति रु. 10/- के 36,42,66,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 36,70,00,000)	(previous year 36,70,00,000/- equity shares of Rs. 10/- each)		367,00,00		367,00,00
19,60,00,000 इक्विटी शेयर सहित प्रति रु. 10/- के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 34,42,66,000) जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रतिशेयर रु. 10/- के 19,60,00,000 इक्विटी शेयर, जिनकी राशि रु. 196 करोड़ है, शामिल है.	36,42,66,400 (Previous Year 36,42,66,000) Equity Shares of Rs.10 each including 19,60,00,000 Equity Shares (Previous year 19,60,00,000 Equity Shares) amounting to Rs.196 crores held by Central Government		364,26,64		364,26,60
जोड़े : जब्त किए गए शेयर	Add : Forfeited Shares		1,26,13		1,26,16
जोड़	Total		<u>365,52,77</u>		<u>365,52,76</u>
अनुसूची-2	SCHEDULE - 2				
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	RESERVES & SURPLUS				
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	1871,49,06		1614,87,45	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the Year	358,88,04	2230,37,10	256,61,61	1871,49,06
II प्रारक्षित पूंजी निधि	II Capital Reserves				
(पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित)	(including Revaluation Reserve)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	402,19,30		398,72,41	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन *	Add: Additions/ Adjustments during the year *	85,07,80		14,31,65	
* (रुपये 42.92 (गत वर्षशून्य) के विनिमय उतार चढ़ाव के समायोजन बाद)	* [After adjustment of Exchange fluctuation of Rs.42,95 (Previous year Nil)]	487,27,10		413,04,06	
परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year on account of revaluation of properties	1377,74,38		0	
कटौतियां :	Deductions:				
विनिमय उतार-चढ़ाव का समायोजन	Adjustment of Exchange Fluctuation	0		39,85	
लाभ-हानि खाते में अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्य हास	Depreciation on revalued fixed assets transferred to Profit & Loss account	75,08,01	1789,93,47	10,44,91	402,19,30

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31 st Mar, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)					
SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS (Contd.)					
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	2273,88,43		2273,88,31	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	10	2273,88,53	12	2273,88,43
IV राजस्व और अन्य प्रारक्षित / निधियां	IV Revenue & Other Reserves				
क) सांविधिक प्रारक्षित निधियां (विदेशी)	a) Statutory Reserve (Foreign)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	77,58,50		78,57,53	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	70,30		57,00	
अन्य समायोजन	Other Adjustments	-3,68,78		-1,56,03	
		74,60,02		77,58,50	
ख) अन्य प्रारक्षित निधियां	b) Other Reserves				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	3659,25,71		3112,85,02	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/ Adjustments during the year	650,35,08		502,50,35	
बॉब हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के विलय पर परिवर्धन	Additions on merger of BOBHFL	-		43,90,34	
		4309,60,79		3659,25,71	
जोड़ - IV (क, और ख,)	TOTAL - IV (a & b)		4384,20,81		3736,84,21
जोड़ (I, II, III और IV)	TOTAL (I,II,III and IV)		<u>10678,39,91</u>		<u>8284,41,00</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31 st Mar, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-3 जमा राशियां		SCHEDULE - 3 DEPOSITS			
क. I	मांग-जमा राशियां	A. I Demand Deposits			
	i) बैंकों से	i) From Banks		616,16,58	
	ii) अन्य से	ii) From Others		11079,83,97	
				11696,00,55	
				9437,58,24	
				9874,79,94	
II	बचत बैंक जमा राशियां	II Savings Bank Deposits		35776,38,18	
III	मीयादी जमा राशियां	III Term Deposits			
	i) बैंकों से	i) From Banks		13416,55,88	
	ii) अन्य से	ii) From Others		91145,18,11	
				104561,73,99	
				71455,14,39	
				83463,90,30	
	जोड़ (I, II और III)	TOTAL (I,II and III)		152034,12,72	
				124915,97,93	
ख. I	भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां	B. I Deposits of branches in India		122479,35,32	
	II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमा राशियां	II Deposits of branches outside India		29554,77,40	
				25190,36,02	
	जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)		152034,12,72	
				124915,97,93	
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां		SCHEDULE - 4 BORROWINGS			
भारत में उधार ली गयी राशियां		Borrowings in India			
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India		-	
	ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks		18,57,54	
	iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies		670,56,83	
				818,39,67	
	जोड़	TOTAL		689,14,37	
				828,37,97	
	भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां	Borrowings outside India		3237,90,43	
	जोड़ - उधार ली गई राशियां	Total - Borrowings		3927,04,80	
				1142,56,16	
	उपरोक्त में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in above		740,22,47	
				605,33,87	

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31 st Mar, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5				
अन्य देयताएं और प्रावधान :	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I देय बिल	I Bills Payable		1713,73,63		1656,57,03
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		1193,82,74		963,48,58
III टियर-II पूंजी के लिए अप्रतिभूतित गौण ऋण	III Unsecured Redeemable (Subordi- nated Debts for Tier-II Capital)				
श्रेणी ब्याज परिपक्वता सं. दर की तारीख	Series No Interest Date Of Rate Maturity				
श्रेणी II	Series II				
विकल्प III	Option III	14.30%	09.04.2009	300,00,00	300,00,00
श्रेणी III	Series III				
विकल्प I	Option I	11.15 %	30.04.2008	409,10,00	409,10,00
श्रेणी IV	Series IV	5.85%	02.07.2014	300,00,00	300,00,00
श्रेणी V	Series V	7.45%	28.04.2015	770,00,00	770,00,00
श्रेणी VI	Series VI	8.95%	15.05.2016	920,00,00	920,00,00
श्रेणी VII	Series VII	9.30%	28.12.2022	500,00,00	-
श्रेणी VIII	Series VIII	9.30%	03.01.2023	1000,00,00	-
एमटीएन-टियर II बांड्स (विदेश)	MTN - Tier II Bonds (Overseas)		1203,61,90		-
डिबेंचर्स (टियर II बांड्स के लिए पात्र)	Debentures (eligible for Tier II Bonds)		20,00,00	5422,71,90	20,00,00
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Ad- vances		1055,05,68		844,06,63
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including provisions)		3209,07,47		2254,47,37
जोड़ (I,II,III,IV,V और VI)	TOTAL (I,II,III,IV, & V)		<u>12594,41,42</u>		<u>8437,69,61</u>
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6				
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign cur- rency notes)		880,98,14		673,36,61
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खातों में शेष रकम	II Balances with Reserve Bank of India in Current Account		8488,74,20		5740,15,41
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)		<u>9369,72,34</u>		<u>6413,52,02</u>

		(000's अनंकित omitted)			
		31 मार्च, 2008 को		31 मार्च, 2007 को	
		As on 31 st Mar, 2008		As on 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची -7	SCHEDULE - 7				
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष रकम	i) Balances with Banks				
क) चालू खातों में	a) 'in Current Accounts	311,13,03		301,13,97	
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	1083,39,00	1394,52,03	1130,42,00	1431,55,97
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	ii) Money at call and short notice with				
क) बैंकों के पास	a) Banks	2773,00,00		235,00,00	
ख) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	160,00,00	2933,00,00	-	235,00,00
जोड़ (i और ii)	TOTAL (i and ii)		4327,52,03		1666,55,97
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	705,96,09		548,93,03	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	4354,70,06		4366,81,64	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	3541,38,15		5284,53,87	
जोड़ (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)		8602,04,30		10200,28,54
कुल जोड़ (I और II)	GRAND TOTAL (I and II)		<u>12929,56,33</u>		<u>11866,84,51</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31 st Mar, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-8 निवेश		SCHEDULE - 8 INVESTMENTS			
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	40652,49,39		31704,73,65	
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	338,34,33		424,51,16	
भारत में शुद्ध निवेश	Net Investments in India		40314,15,06		31280,22,49
अलग-अलग विवरण		BREAK - UP			
i) सरकारी प्रतिभूतियां (क्वियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में लॉज किए गए रु. 30.35 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष रु. 30.00 करोड़) के रु. 30.66 करोड़ सहित (पिछले वर्ष रु. 30.00 करोड़)	i) Government Securities [includes Rs.30.35 Crores (Previous year-Rs.30.66 Crores) face value of Rs.30.00 Crores (Previous year-Rs.30.00 Crores) lodged with Clg. Corp. of India]	33547,99,59		25388,75,14	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	1152,61,26		1247,79,58	
iii) शेयर	iii) Shares	775,80,46		549,48,94	
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	2603,34,03		2696,33,12	
v) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम (इसमें बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम के रूप में शेयर पूंजी अंशदान पेंडिंग अलाटमेंट रु. 73.16 करोड़) शामिल हैं. (पिछले वर्ष रु. 73.16 करोड़)	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures [includes Bank's share of contribution as advance of Rs.73.16 Crores (Previous year Rs.73.16 Crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]	687,37,43		660,00,18	
vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों, यूटीआई यूनितों, और अन्य म्यूच्युअल फंड, पास-थ्रू प्रमाण पत्र आदि में)	vi) Other Investments (Commercial Papers, I.V.P., KVP, Units of UTI & Other Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.)	1547,02,29		737,85,53	
		40314,15,06		31280,22,49	
II भारत के बाहर निवेश (सकल)	II Investments Outside India (Gross)	3656,65,31		3685,72,36	
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	100,73,59		22,32,10	
भारत के बाहर शुद्ध निवेश	Net Investments Outside India		3555,91,72		3663,40,26
अलग-अलग विवरण		BREAK - UP			
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (Including Local Authorities)	713,81,47		867,97,87	
ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	228,21,61		187,89,83	
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	2613,88,64		2607,52,56	
		3555,91,72		3663,40,26	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I and II)		43870,06,78		34943,62,75

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31 st Mar, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES				
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted		8851,84,40		8787,25,60
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकोती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand		48264,87,12		36968,65,16
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans		49584,60,89		37864,96,22
जोड़	TOTAL		<u>106701,32,41</u>		<u>83620,86,98</u>
ख. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूतित (बही-ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	71088,83,56		58684,95,02	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	7597,78,20		6144,23,82	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	28014,70,65		18791,68,14	
जोड़	TOTAL	<u>106701,32,41</u>		<u>83620,86,98</u>	
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	29474,54,36		24052,53,88	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	13527,32,14		7264,03,60	
iii बैंक	iii Banks	1644,21,99		1347,72,34	
iv अन्य	iv Others	<u>39857,22,10</u>	84503,30,59	<u>34598,39,39</u>	67262,69,21
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	451,14,47		98,51,85	
ii अन्य से प्राप्य	ii Due from Others				
क) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	6297,84,26		6592,96,69	
ख) सिंडिकेट ऋण	b) Syndicated Loans	6140,69,85		3747,15,78	
ग) अन्य	c) Others	<u>9308,33,24</u>	22198,01,82	<u>5919,53,45</u>	16358,17,77
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)		<u>106701,32,41</u>		<u>83620,86,98</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31 st Mar, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-10 अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत/ मूल्यांकित राशि पर	At cost/revalued amount as on 31st March of the preceding year	960,21,66		901,41,82	
परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन स्वरूप वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year on account of revaluation of properties	1377,74,38		0	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the year	39,75,64		66,75,30	
		2377,71,68		968,17,12	
वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Deductions/adjustments during the year	4,17,92		7,95,46	
		2373,53,76		960,21,66	
आज की तारीख तक मूल्यहास/ परिशोधन (पुनर्मूल्यांकन राशि सहित)	Depreciation/Amortisation to date (including on revalued amount)	374,32,72	1999,21,04	280,72,83	679,48,83
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर) पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत /मूल्यांकित राशि पर	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost/valued amount as on 31st March of the preceding year	1270,44,52		957,79,09	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the year	253,29,18		324,68,43	
		1523,73,70		1282,47,52	
वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Deductions/adjustments during the year	110,12,99		12,03,00	
		1413,60,71		1270,44,52	
आज की तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	985,80,94	427,79,77	861,12,60	409,31,92
III पट्टे पर दी गयी आस्तियां (अनुषंगी इकाई बंद करने पर अधिग्रहीत)	III Assets given on Lease (Acquired on winding up of a subsidiary)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत /मूल्यांकित राशि पर	At cost/valued amount as on 31st March of the preceding year	13,95,89		13,95,89	
आज की तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	13,95,89	-	13,95,89	-
जोड़ (I,II और III)	TOTAL (I, II and III)		2427,00,81		1088,80,75

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को		31 मार्च, 2007 को	
		As on 31 st Mar, 2008		As on 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची -11	SCHEDULE - 11				
अन्य आस्तियां	OTHER ASSETS				
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I Inter-Office Adjustments (Net)		653,87,57		1264,35,83
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		1613,24,15		1500,56,56
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों के निवल सहित)	III Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)		762,82,24		1280,98,15
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प	IV Stationery & Stamps		8,03,97		8,07,10
V अन्य	V Others		1263,85,02		1158,52,81
जोड़	TOTAL		<u>4301,82,95</u>		<u>5212,50,45</u>
अनुसूची -12	SCHEDULE - 12				
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES				
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts		1233,29,20		1672,58,47
II आंशिक चुकता निवेशों के लिये देयता	II Liability for partly paid Investments		207,49,98		26,52,22
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		56492,49,48		34944,62,78
IV ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :				
क) भारत में	a) In India	4768,26,79		4113,60,74	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	2024,92,62	6793,19,41	1914,67,59	6028,28,33
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		6790,49,40		6348,93,86
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है,	VI Other items for which the Bank is Contingently liable		10845,35,36		12354,36,10
जोड़	TOTAL		<u>82362,32,83</u>		<u>61375,31,76</u>

लाभ हानि लेखे की अनुसूचियां Schedules to Profit & Loss Account

		(000's अनंकित omitted)			
		31 मार्च, 2008 को Year Ended 31 st Mar, 2008		31 मार्च, 2007 को Year Ended 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-13	SCHEDULE - 13				
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED				
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I Interest / Discount on Advances / Bills		8412,97,27		5937,36,04
II निवेशों पर आय	II Income on Investments		2737,29,20		2560,30,39
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष रकम और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds		553,66,22		466,46,23
IV अन्य	IV Others		109,54,98		39,95,89
जोड़	TOTAL		<u>11813,47,67</u>		<u>9004,08,55</u>
अनुसूची -14	SCHEDULE - 14				
अन्य आय	OTHER INCOME				
I कमीशन, विनिमय शुल्क और दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage		540,16,78		472,85,01
II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	II Profit on sale of Investments	550,64,52		179,43,08	
घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	<u>18,44,41</u>	532,20,11	<u>43,26,89</u>	136,16,19
III भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	1,37,37		13,12,67	
घटाएं : भूमि इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	<u>1,00,75</u>	36,62	<u>27,92</u>	12,84,75
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ	IV Profit on Exchange Transactions	280,12,93		239,90,28	
घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	<u>1,34,16</u>	278,78,77	<u>61,80</u>	239,28,48
V विदेशों/भारत में अनुषंगी इकाइयों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/ or Joint Ventures abroad/ in India		10,93,81		31,87,21
VI विविध आय	VI Miscellaneous Income		688,57,52		488,77,63
जोड़	TOTAL		<u>2051,03,61</u>		<u>1381,79,27</u>

लाभ हानि लेखे की अनुसूचियां Schedules to Profit & Loss Account

		(000's अनंकित omitted)			
		31 मार्च, 2008 को Year Ended 31 st Mar, 2008		31 मार्च, 2007 को Year Ended 31 st Mar, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-15	SCHEDULE - 15				
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED				
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits		7404,36,56		4986,05,21
II भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings		105,64,22		157,47,00
III अन्य	III Others		391,66,28		283,03,49
जोड़	TOTAL		<u>7901,67,06</u>		<u>5426,55,70</u>
अनुसूची-16	SCHEDULE - 16				
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES				
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees		1803,76,40		1644,06,32
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting		225,33,54		188,62,17
III छपाई और लेखन सामग्री	III Printing and Stationery		22,05,26		17,92,31
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity		33,17,86		25,70,00
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	V Depreciation on Bank's Property	307,07,65		204,73,40	
घटायें : अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यहास	Less Depreciation adjusted from capital reserve on account of revaluation of immoveable properties	75,08,01	231,99,64	10,44,91	194,28,49
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses		77,90		39,13
VII लेखा परीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)		23,52,09		19,81,04
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges		12,84,72		11,68,50
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.		48,58,80		28,16,46
X मरम्मत और रखरखाव	X Repairs and Maintenance		58,86,87		56,65,25
XI बीमा	XI Insurance		115,42,15		98,70,81
XII अन्य खर्च	XII Other Expenditure		357,93,98		258,30,86
जोड़	TOTAL		<u>2934,29,21</u>		<u>2544,31,34</u>

अनुसूची-17 : वर्ष 2007-2008 की उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

Schedule - 17 : Significant accounting policies for the year 2007-2008

1. तैयारी का आधार :

वित्तीय विवरणियां, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार की गई हैं। ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों का सहारा लेना पड़ा है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

2.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों को "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन के प्रभाव" से संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एस) 11 के अनुरूप किया गया है।

2.2 लेखा मानक - एस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालनों एवं (ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रों में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में समझा जाता है।

2.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रिकार्ड किया गया है।

(ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इसे तदनुसार लाभ हानि खाते में विनियोजित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को अगले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया जाएगा तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

2.4 पृथक परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया गया है।

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

2.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

2.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

2.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

a) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

- (ख) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया गया है।
- (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है।

2.5 वायदा विनिमय करार

लेखामानक (एस-11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशानुसार संविदा के अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तदनुसारी वायदा दरों पर तुलन पत्र की तिथि को प्रत्येक मुद्रा में बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकित राशि तथा संविदा राशि के बीच के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में रखा गया है।

3. निवेश :

- 3.1 बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें
- (क) "परिपक्वता तक धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।
- 3.2 "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को अर्जित लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।
- "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाएगा तथा जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण-पत्र पर किए गए निवेश हेतु प्रावधान किया गया है और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया जाएगा।
- संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेशों दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन हास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया गया है।
- 3.3 "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है तथा "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर लाभ के समान राशि पूंजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है।

- b) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

2.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between revalued amount and the contracted amount is recognised as profit or loss, as the case may be.

3. INVESTMENTS:

- 3.1 The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:
- a. "Held to Maturity" comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- b. "Held for Trading" comprising Investments acquired with the intention to trade.
- c. "Available for Sale" comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.
- 3.2 Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.
- Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances), Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.
- Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature
- 3.3 Profit / Loss on sale of Investments classified as "Held to Maturity" is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

3.4 "व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिप्टवार चिन्हित किया जाता है और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई हो, को "लाभ हानि खाते" के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है।

3.5 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

3.6 निवेश अधिग्रहण लागत प्राप्त प्रोत्साहनों तथा फ्रंट एंड फी और कमीशन का निवल है।

3.7 "व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडी) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :-

क) "परिपक्वता प्रतिफल" के आधार पर सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां

ख) इक्विटी शेयरों, पीएसयू और ट्रस्टी शेयरों को अद्यतन तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा रु.1/- प्रति कंपनी.

ग) अधिमान शेयरों को "परिपक्वता के प्रतिफल" के आधार पर

घ) पीएसयू बांडों को समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर.

ङ) म्यूच्युअल फंड की यूनिटें, फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/एन.ए.वी. पर

च) उद्यम पूंजी - लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हो तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) - 1/- रु.

3.8 निवेश उधार दी गई प्रतिभूतियों का निवल है और उसमें रिपो व्यवस्था के अंतर्गत उधार ली गई प्रतिभूतियां शामिल हैं।

3.9 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों को, जो भी ज्यादा सख्त हो, का पालन किया गया है। विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

3.10 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाता है।

3.4 Investments classified as "Held for Trading" and "Available for Sale" are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

3.5 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

3.6 Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.7 For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a Government / Approved securities - on Yield to Maturity basis.

b Equity Shares, PSU and Trustee shares - at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.

c Preference Shares - on Yield to Maturity basis.

d PSU Bonds - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.

e Units of Mutual Funds - at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

f Venture Capital - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.

3.8 Investments are net of securities lent and include securities borrowed under Repo arrangements.

3.9 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.10 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.11 पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलविधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर). तदनुसार, पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद खातों में लेखांकित किया जाता है तथा सारी प्रविष्टियां परिपक्वता तिथि को रिवर्स कर दी जाती है। यथास्थिति अनुसार लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय के हिसाब से की गई। पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद खाते में बैलेंस को निवेश खाते में बैलेंस के पेटे समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहार की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती हैं। खर्च किये ब्याज/उस पर अर्जित आय को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

3.12 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वेप तथा फारवर्ड रेट एग््रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स ठीक-ठीक आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस मार्कड टू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। किसी भी प्रकार का लाभ दर्ज नहीं होता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वेप्स का समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

4. ब्याज दर स्वैप्स :

- 4.1 हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वैप कारोबारों को उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है तथा व्यापार के लिए कारोबारों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाक्षिक अंतरालों पर मार्केट मूल्य पर अंकित किया गया है।
- 4.2 मूल्यांकन के लिए, तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप की वास्तविक मूल्य की उस राशि पर गणना की जाती है जो स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय होंगे, कुल होने वाली हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

5. अग्रिम :

- 5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय

3.11REPO / REVERSE REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold / purchased under Repo / Reverse Repo are treated as outright sales / purchases and accounted for in the Repo / Reverse Repo Accounts and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/ sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/ earned thereon is accounted for as expenditure/ revenue.

3.12 DERIVATIVES

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

4. INTEREST RATE SWAPS:

- 4.1 The interest rate swap transactions for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market at monthly intervals in line with the Reserve Bank of India guidelines.
- 4.2 For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising therefrom, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

5. ADVANCES:

- 5.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision

रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हों, के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है।

- 5.2 अग्रिम, ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उंचत ब्याज, दावा दायर किए गए एवं विविध जमा एवं दावे खाते के संबंध में रखी गयी राशि का नेट है।
- 5.3 पुनर्निधारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान को "अन्य देयतायें" शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 5.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्वोरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया जाता है बल्कि इसे अन्य गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने पर कमी/हानि को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।

6. अचल आस्तियां :

- 6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर ली गयी हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बढ़ी हुई लागत पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान की, इसमें से कटौती की जाती है।
- 6.2 परिसर में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष :

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

8. राजस्व का निर्धारण :

- 8.1 आय को उपचय आधार पर जब तक कि अन्यथा अपेक्षित हो, लेखांकित किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय को उस देश के कानून के अनुसार गिना जाएगा, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।
- 8.2 गैर निष्पादित आस्तियों तथा आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।
- 8.3 शुल्कों से प्राप्त आय सरकारी कारोबारों को छोड़कर कमीशन, विनिमय, दलाली, खरीदे गए बिलों पर बट्टा तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली पर हिसाब में लिया गया है।
- 8.4 अनुबंधित, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर डिविडेंड वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाएंगे।

for losses are made on these assets as per the Prudential Norms of the Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with stricter of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made.

- 5.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.
- 5.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision is made for the sacrifice of interest measured in present value terms as per Reserve Bank of India guidelines. The said provision is included under the head 'Other Liabilities'.
- 5.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall /loss on account of Sale of other non-performing financial assets.

6. FIXED ASSETS:

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except those premises, which have been revalued. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.
- 6.2 Premises include building under construction and land.

7. RESERVES AND SURPLUS:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

8. REVENUE RECOGNITION:

- 8.1 Income / expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In case of foreign offices, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 8.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets / Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.
- 8.3 Income from Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Exchange, Brokerage, Interest on Overdue Bills / Advance Bills are accounted on actual realisation.
- 8.4 Dividend on shares of Subsidiaries, joint ventures and associates are accounted on actual realisation basis.

9. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ :

- 9.1 भविष्य निधि खाते में किए गए अंशदान को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।
- 9.2 मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी फंड में तथा पेंशन फंड में अंशदान और संचित अवकाशों के नकदीकरण एवं अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधानों को उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है तथा उन्हें लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक ने मानक को पहली बार लागू करने के कारण आनेवाली अतिरिक्त देयता (अस्थायी प्रावधान) का चयन कर लिया है तथा 5 वर्षों की अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाते पर खर्च के रूप में प्रभारित किया जायेगा।

10. मूल्यहास :

- 10.1 कंप्यूटर एवं ए टी एम को छोड़कर, अचल आस्तियों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यहासित बही-मूल्य पद्धति के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
- 10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, कंप्यूटर के अलावा मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित परम्पराओं के अनुसार किया गया है।
- 10.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है।
- 10.4 एटीएम पर मूल्यहास स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% दर से प्रदान किया गया है।
- 10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है जबकि बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 10.6 पट्टे पर धारित जमीन की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

11. आस्तियों का अनर्जन :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर अनर्जन हानियों (यदि कोई हो) को आस्तियों के अनर्जन के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का अनर्जन") के अनुसार मान्य किया गया है।

12. आय पर कर :

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, फ्रिज बेनिफिट कर एवं आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर के लिए प्रावधान को, आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती हैं और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, विवेकपूर्ण नीति के अध्यधीन हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं

9. RETIREMENT BENEFITS TO EMPLOYEES:

- 9.1 Contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss account.
- 9.2 Contribution to recognised Gratuity Fund and Pension Fund and the provision for encashment of accumulated leave and additional retirement benefits are made on actuarial basis and charged to Profit and Loss Account. Bank has identified additional liability (Transitional Provision) arising upon the first application of the standard and will be charged as an expense to Profit & Loss Account over a period of -5- years.

10. DEPRECIATION:

- 10.1 Depreciation on Fixed Assets in India except Computers and ATMs, is provided under the written down value basis at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.
- 10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India except Computers is provided as per local laws or prevailing practices of the respective countries.
- 10.3 Depreciation on Computers is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33%, as per the guidelines of Reserve Bank of India. Computer software not forming an integral part of hardware is depreciated fully during the year of purchase.
- 10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20%.
- 10.5 While depreciation on additions is provided for full year, no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 10.6 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with the Accounting Standard-28 ("Impairment of Assets") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and charged off to Profit and Loss Account.

12. TAXES ON INCOME:

This comprise of provision for Income tax, fringe benefit tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be received, settled or reversed. The effect on deferred tax assets

एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 के अनुसार रिपोर्ट किया जाता है। बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की जाती है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों की संख्या में से गणना कर दी गई है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में हिसाब में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाली आय की वसूली कभी भी संभव नहीं हो सकती है।

and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

13. EARNINGS PER SHARE:

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 ("Earnings Per Share") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per Accounting Standard 29 ("Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां Schedule -18 Notes on accounts

क. भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण A. Disclosure in terms of RBI requirements

1. पूंजी

मद	Items	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year
		बेसल I Basel I	बेसल II Basel II	(बेसल I) (Basel I)
i) सी आर ए आर (%)	CRAR (%)	12.91%	12.94%	11.80%
ii) सी आर ए आर - टियर I पूंजी (%)	CRAR - Tier I Capital (%)	7.63%	7.64%	8.74%
iii) सी आर ए आर - टियर II पूंजी (%)	CRAR - Tier II Capital (%)	5.28%	5.30%	3.06%
iv) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India in bank	53.81%	53.81%	53.81%
v) टियर II पूंजी के रूप में ली गई गौण पूंजी (वर्ष के दौरान)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (during the year)	Rs. 2704 Crores		Rs. 920 Crores

2. निवेश

2. Investments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मद	Items	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year
		(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments	
(i) निवेशों का कुल मूल्य	(i) Gross Value of Investments			
(क) भारत में	(a) In India	40652.49		31704.74
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	3656.65		3685.72
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation			
(क) भारत में	(a) In India	338.34		424.52
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	100.74		22.32
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments			
(क) भारत में	(a) In India	40314.15		31280.22
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India.	3555.92		3663.40
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments			
(i) आरंभिक शेष	(i) Opening balance	446.84		296.99
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	94.65		335.66
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टाकरण/पुनरांकन	(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	102.41		185.81
(iv) अंतिम शेष	(iv) Closing balance	439.08		446.84

2.1 रिपो संव्यवहार

2.1 Repo Transactions

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2008 को As on March 31, 2008
		रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repos	26.67	201.52
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repos	93.69	500.28	7.63	शून्य / NIL

2.2 गैर - एस एल आर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर - एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता घटक

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड के नीचे की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अनरेटेड प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू PSU's	1083.38	1030.16	131.13	89.70	81.39
(ii)	एफआई Fls	347.46	147.47	45.00	212.77	225.46
(iii)	बैंक Banks	1377.88	1329.70	130.77	228.50	180.20
(iv)	निजी निगम Private Corporate	1051.70	1132.80	108.72	2930.90	2907.69
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	687.37	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य Others	1546.93	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	मूल्यहास संबंधित प्रावधान Provision held towards depreciation	-287.92	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल Total	5806.80	3640.13	415.62	3461.87	3394.74

ii) नॉन-परफॉर्मिंग-नॉन-एल एल आर निवेश

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

ii) Non-performing Non-SLR investments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
आरंभिक शेष Opening balance	186.00	78.52
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1st April	9.39	111.70
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां Reductions during the above period	20.61	4.22
अंतिम शेष Closing balance	174.78	186.00
कुल धारित प्रावधान Total provisions held	173.78	92.88

2.3 डेरीवेटिव्स

2.3.1 फारवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप

2.3 Derivatives

2.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
i) स्वैप समझौते का नोशनल प्रिंसिपल The notional principal of swap agreements	6186.53	6935.54
ii) समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानियां Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	84.34	117.93
iii) स्वैप मानने पर बैंक द्वारा जरूरी कोलैटरल Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv) स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट रिस्क कंसंट्रेशन Concentration of credit risk arising from the swaps	175.11	128.98
v) स्वैप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	47.88	-63.23

बाजार निर्माण, एक सी एन आर (बी) डिपोजिट पोर्टफोलियो, डिपोजिट्स तथा कॉल लेडिंग तथा हेजिंग मार्केट मेकिंग एक्सपोजर तथा बैंक टीयर II बॉण्ड्स की हेजिंग के लिए वायदा दर समझौता/ब्याज दर स्वैप्स लिए गए थे.

हेज संबंधित सभी वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप्स "रिसीव फिक्स्ड तथा पे फ्लोटिंग पर आधारित थे."

Forward rate Agreement/Interest Rate Swaps were undertaken for market making, hedging of FCNR (B) Deposit portfolio, deposits and call lending and hedging market making exposures and for hedging Bank's Tier II Bonds.

All the forward rate agreement/interest rate swaps undertaken to hedge were on the basis of "Receive fixed and pay floating".

2.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स :

2.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

सं. क्र. Sr. No.	विवरण	Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	शून्य NIL
(ii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि 31 मार्च 2008 के अनुसार (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2008 (instrument-wise)	शून्य NIL
(iii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि अत्यधिक प्रभावी नहीं (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL
(iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर की मार्क-टू-मार्केट कीमत डेरीवेटिव्स बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL

2.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

2.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative Disclosure

बैंक की ट्रेजरी नीति में डेरीवेटिव्स लेन देनों के कार्य के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टाप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी लिमिटें निर्धारित की गई हैं.

The Treasury Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transactions.

बैंक अपने ऑन और ऑफ बैलेन्स शीट एक्सपोजरों की हेजिंग के लिए तथा मार्केट मेकिंग के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन देनों का उपयोग करता है, मूलतः ये उत्पाद, हेजिंग जोखिम लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने के एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

The Bank uses financial derivative transactions for hedging its on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

बैंक को जिन जोखिमों का खतरा रहता है, वे हैं : बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक के जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं. जो एमटीएम, वीएआर तथा पीवी01 के माध्यम से लेन देनों की वित्तीय जोखिमों को मापने तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गई हैं. इनको बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली निदेशकों की जोखिम प्रबंध समिति को अवगत कराया जाता है.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk. The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, VaR and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, apprises the risk profile to the Risk Management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Chairman and Managing Director.

लेन देनों की काउन्टर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत डील की जाती है. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम मापने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market

मार्क-टु-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जहां बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित क्रेडिट कंनवर्जन के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, जो कि निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रुपांतरण घटक

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract	विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract
एक वर्ष से कम	Less than one year	शून्य NIL	1.0%
एक वर्ष और अधिक	One year and above	0.50%	5.0%

हेज तथा गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन देनों को अलग से दर्ज किया जाता है। हैजिंग डेरिवेटिव्स वास्तविक आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन मार्केट को मार्क की जाती है और परिणामस्वरूप लाभ-हानि खाते में यदि कोई हानि हो, तो हिसाब में ली जाती है। लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है, ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित ब्याज और व्यय निपटान की तारीख पर मान्य किए जाते हैं। ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ /हानि समाप्ति की तारीख पर आय / व्यय में दर्ज किए जाते हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

Quantitative Disclosures

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

सं. क्र. मदे Sr. No.	Particulars	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	2382.46	6074.09
	क) हैजिंग के लिए	1309.74	4875.71
	ख) ट्रेडिंग के लिए	1072.72	1198.38
(ii)	मार्कड टू मार्केट पोजिशन (1)	-24.26	61.95
	क) आस्तियां (+)	3.04	102.78
	ख) देयताएं (-)	-27.30	-40.83
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर (2)	56.64	174.08
(iv)	ब्याज दर में 1% होने वाले परिवर्तन का प्रभाव (100*पीवी01)	7.65	201.77
	क) हैजिंग डेरिवेटिव्स पर	7.65	201.77
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	NIL	NIL
(v)	वर्ष के दौरान देखे गए (100*पीवी01) न्यूनतम तथा अधिकतम	9.52 & 7.54	208.41 & 96.01
	क) हैजिंग पर	9.52 & 7.54	208.41 & 96.01
	ख) ट्रेडिंग पर	0	0

2.4 आस्ति गुणवत्ता
2.4.1 अनर्जक आस्तियां

2.4 Asset Quality
2.4.1 Non-Performing Asset

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मर्दे	Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%) Net NPAs to Net Advances (%)	0.47%	0.60%
(ii)	एनपीए का संचलन (सकल) Movement of NPAs (Gross)		
	(क) आरंभिक शेष (a) Opening balance	2092.14	2390.14
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए (b) Additions during the year	1002.15	773.66
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए (c) Reductions during the year	1112.91	1071.66
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	1981.38	2092.14
(iii)	शुद्ध एनपीए का संचलन (फ्लोटिंग प्रावधान का नेट) Movement of Net NPAs (net of floating provisions)		
	(क) आरंभिक शेष (a) Opening balance	501.67	518.04
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए (b) Additions during the year	729.75	572.80
	(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए (c) Reductions during the year	737.87	589.17
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	493.55	501.67
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान और फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (other than floating provision and provisions on standard assets)		
	(क) आरंभिक शेष (a) Opening balance	991.45	1328.07
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए (b) Provisions made during the year	262.72	380.56
	(ग) अधिव्य प्रावधानों का राइट ऑफ / राइट बैक (c) Write-off/ write-back of excess provisions	359.95	717.18
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	894.22	991.45

2.4.2 पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों की जानकारी

2.4.2 Details of Loan Assets subjected to Restructuring

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

Item	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनः समझौते के अधीन ऋण की कुल राशि; Total amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	357.28	287.78
- जिसमें से सी डी आर के तहत - Of which under CDR	208.93	71.09
- जिसमें से एस एम ई के तहत - Of which under SME	33.01	40.58
(ii) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनः समझौते के अधीन सब-स्टैंडर्ड आस्तियों की राशि; The amount of Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	356.90	271.66
- जिसमें से सी डी आर के तहत - Of which under CDR	208.81	71.09
- जिसमें से एस एम ई के तहत - Of which under SME	32.75	24.68
(iii) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनः समझौते के अधीन सब-स्टैंडर्ड आस्तियों की राशि; The amount of Sub-Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	-	6.73
- जिसमें से सी डी आर के तहत - Of which under CDR	-	-
- जिसमें से एस एम ई के तहत - Of which under SME	-	6.72
(iv) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनः समझौते के अधीन संदेहास्पद आस्तियों की राशि; The amount of Doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	0.38	9.39
- जिसमें से सी डी आर के तहत - Of which under CDR	0.12	-
- जिसमें से एस एम ई के तहत - Of which under SME	0.26	9.18
टिप्पणी : [(i) = (ii)+(iii)+(iv)]	Note: [(i) = (ii)+(iii)+(iv)]	

2.4.3 प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गयी वित्तीय आस्तियों की जानकारी

2.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मर्दे	Item	चालू वर्ष Current Year *	पिछला वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	No. of accounts	103	9
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों की कुल कीमत (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / R C	167.86	4.30
(iii) कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	269.79	28.42
(iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v) कुल लाभ/(हानि) शुद्ध बही कीमत पर	Aggregate gain / (loss) over net book value.	101.93	24.12

* वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्पोरेट स्तर पर बड़े खाते डाले गए ऋण भी शामिल हैं

* Financial assets also includes the debts written off at corporate level.

2.4.4 खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

2.4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold

क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण : वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी गैर निष्पादक आस्ति की खरीद नहीं की.

A. Details of non-performing financial assets purchased: During The financial year bank has not purchased any non-performing assets.

ख. गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(रु. करोड़ों में / Rs. In Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खातों की संख्या	No. of accounts sold	103	9
2. सकल बकाया	Aggregate outstanding	634.24	78.84
3. सकल प्रतिफल प्राप्त	Aggregate consideration received	269.79	28.42

2.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

2.4.5 Provisions on Standard Asset

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मर्दे	Item	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई नियमों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	504.71	393.72
मानक आस्तियों के लिए अन्य आकस्मिक प्रावधान	Other contingent provision towards Standard Assets	68.03	48.39

2.5 व्यावसायिक अनुपात

2.5 Business Ratio

मर्दे	Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के तौर पर ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	7.63%	7.22%
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के तौर पर गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a percentage to Average Working Funds	1.32%	1.11%
(iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के तौर पर परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	1.96%	1.94%
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	0.89%	0.80%
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा तथा अग्रिम) (रु. लाख में)	Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in Lac)	710.00	555.00
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	Profit per employee (Rs. in Lac)	3.94	2.73

2.6 आस्ति देयता प्रबंधन
आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता आधार

2.6 Asset Liability Management
Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		1 दिन 1 day	2 से 3 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 महीनों से ज्यादा तथा 6 महीनों तक Over 3 months & up to 6 months	6 महीनों से ज्यादा तथा 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से ज्यादा तथा 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से ज्यादा तथा 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां	Deposits	3118.42	6370.87	5953.62	5596.44	20230.59	19036.14	31398.62	28338.33	5026.18	26964.91	152034.12
अग्रिम	Advances	2061.38	4752.13	5845.91	4138.00	13677.85	12084.54	11982.49	19207.88	13707.25	19243.89	106701.32
निवेश	Investments	28.12	32.86	578.17	957.95	1128.31	3634.63	1148.98	8730.56	5930.80	21699.69	43870.07
उधार	Borrowings	379.04	564.29	314.69	1398.47	119.19	110.36	62.40	906.15	67.52	4.94	3927.05
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	3704.06	2272.99	2810.66	5228.46	7822.10	5885.60	4013.88	3273.80	6242.36	3707.20	44961.11
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	3662.63	4003.68	3684.75	4227.48	9440.52	6561.85	4797.25	2995.13	3444.66	3981.02	46798.97

2.7 संवेदनशील क्षेत्र को ऋण

2.7 Lending to Sensitive Sector

2.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

2.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक -	(i) Residential Mortgages -		
आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण सुरक्षित कर्ज देना जो कर्जदार के स्वामित्व में है/होगी या तो किराए पर है.	Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	6744.90	5414.60
रु. 15 लाख तक	Of which: Upto Rs.20 Lac (Prev yr Rs. 15 lacs)	5861.64	4576.98
रु. 15 लाख से ऊपर	Above Rs.20 Lac (Prev yr Rs. 15 lacs)	883.26	837.62
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	(ii) Commercial Real Estate -		
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा सुरक्षित कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, मल्टी पर्पस कमर्शियल परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या चेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन, अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि) प्रकटीकरण में ऋणों में गैर निधि आधारित (एन एफ बी) सीमाएं शामिल हैं.	Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits.	4030.10	1968.13
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों में निवेश (एम बी एस) तथा अन्य प्रतिभूतित प्रकटीकरण -	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
क. आवासीय	a. Residential,	18.10	12.23
ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate.	-	142.29
ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	b) Indirect Exposure		
निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण- नैशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) तथा आवासीय वित्तीय कंपनियों (एचएफसी)	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2936.57	3119.57

2.7.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम

2.7.2 Exposure to Capital Market

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में ऐसे प्रत्यक्ष निवेशों जिनका कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किया गया है.	(i) Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	769.26	553.00
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा फोलियों को क्लीन ऋण की एवज में दिए गए अग्रिम	(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds;	49.99	11.52
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए ऋण जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए ऋण, जोकि शेयरों की संपार्श्विक बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड, जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी रूप से अग्रिमों को शामिल नहीं कर पायी है, की सीमा तक अभिरक्षित अग्रिम	(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	-	-
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां	(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	127.46	56.89
(vi) कार्पोरेट को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रोमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम	(vi) Loans sanctioned to corporates against security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	-	-
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/मुद्दों की एवज में कंपनियों को ब्रिज ऋण	(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा लिए हामीदारी करार	(viii) Underwriting commitments taken up by banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds/debentures or units of EOMF	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	-	-
(x) पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत निधियों का ऋण जोखिम इक्विटी के साथ जुड़ा माना जायेगा और पूंजीगत मार्केट ऋण जोखिम की सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ माने जाने के लिए गिना जायेगा.	(x) All exposures to venture capital funds both registered and unregistered will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	172.71	167.25
पूंजी बाजार में कुल ऋण जोखिम (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)	Total Exposure to Capital Market (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)	1119.42	788.66

पूंजी बाजार में रुपये 1119.42 करोड़ का ऋण जोखिम कुल ऋण जोखिम की सीमा राशि रुपये 3958.88 करोड़ के भीतर है. (अर्थात् बैंक की शुद्ध मालियत रुपये 9897.21 करोड़ का 40%). पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष ऋण जोखिम रुपये 991.96 करोड़ है और बैंक की निवल मालियत (रुपये 1979.44 करोड़) की 20% है.

The exposure to Capital Market Rs 1119.42 Crores is within the limit of Rs 3958.88 Crores (i.e. 40% of Bank's Net Worth Rs 9897.21 Crores). The direct exposure to Capital Market is Rs 991.96 Crores and is with in 20% of the Bank's Net Worth (Rs 1979.44 Crores).

2.7.3 जोखिम श्रेणीवार : देशीय प्रकटीकरण

2.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

जोखिम श्रेणी	Risk Category	31 मार्च 2008 को ऋण जोखिम (नेट) Exposure (net) as at 31 st March 08	31 मार्च 2008 को प्रावधान Provision held as at 31 st March 08	31 मार्च 2007 को ऋण जोखिम (नेट) Exposure (net) as at 31 st March 07	31 मार्च 2007 को प्रावधान Provision held as at 31 st March 07
अ-महत्वपूर्ण	Insignificant	8412.56	-	11126.85	8.73
न्यून	Low	4692.52	4.44	3062.69	2.43
मध्य न्यून	Moderate Low	1180.66	-	864.84	-
मध्य	Moderate	316.68	-	22.90	-
मध्य उच्च	Moderate High	1322.70	-	1241.08	-
ऊंचा	High	15.05	-	5.07	-
अधिक उच्च	Very High	7.99	-	6.06	-
कुल	Total	15948.16	4.44	16329.49	11.16

2.7.4 बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसजीएल) समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) में आधिक्य की जानकारी

2.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL) and Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

कर्जदार का नाम	Name of the borrower	एकल कर्जदार प्रकटीकरण सीमा Single borrower exposure limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit sanctioned	31.3.2008 को शेष Balance as on 31.3.2008
नेशनल एवियेशन कं. ऑफ इंडिया लि.	National Aviation Co. of India ltd.	1539.98	1817.22	1544.75
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	Bharat Petroleum Corporation Ltd	1539.98	1700.00	199.99
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	Hindustan Petroleum Corporation Ltd	1719.28	2250.00	1858.05
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	Indian oil Corporation Ltd	1539.98	2025.00	2025.38
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लि.	Rural Electrification Corporation Ltd	1719.28	1812.49	1199.99

2.8 विविध

2.8 Miscellaneous

2.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए गए प्रावधान की राशि

2.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
आयकर हेतु प्रावधान	Provision for Income Tax	831.08	623.41
घटाएं : पिछले वर्ष से संबंधित आयकर का रिवर्सल	Less reversal of Income Tax provisions relating to previous years	67.33	-
आयकर के लिए नेट प्रावधान	Net Provision for Income Tax	763.75	623.41

2.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान, बैंक पर अधिनियम के किसी भी प्रावधानों की अवहेलना अथवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी भी अन्य अपेक्षा की गैर अवहेलना पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियम के अधीन विशेषीकृत किसी नियम अथवा स्थिति के लिए कोई दंड राशि नहीं लगायी गयी है।

3. एसएलआर निवेश

विवरण	Particulars	31.3.2008 को		31.3.2007 को	
		बही मूल्य As on 31.3.2008 Book Value	मार्केट मूल्य Market Value	बही मूल्य As on 31.3.2007 Book Value	मार्केट मूल्य Market Value
सरकारी प्रतिभूतियां - एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)	Government Securities - SLR (CG, SG & TB)	33392.62	33354.64	25477.87	25034.50
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	Approved Securities - SLR	1165.05	1152.61	1252.62	1369.35

4. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्रेक अप

4.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	Particulars	(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	41.76	335.66
बड़ेखाते में डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	435.98	227.15
स्टैंडर्ड आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	108.80	176.03
कर हेतु प्रावधान (आस्थगित करों, अनुषंगी लाभ और संपदा कर सहित)	Provision for taxes (including deferred taxes, Fringe Benefit and Wealth tax)	771.63	627.80
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं			
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सैक्रिफाइस हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	89.90	(8.07)
कंट्री रिस्क प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	-6.87	11.31
कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान)	Provision for staff welfare expenses	15.00	15.00
अन्य	Others	136.83	3.66
कुल	Total	1593.03	1388.54

4.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

4.2 Floating Provisions - Comprehensive Disclosures

विवरण	Particulars	(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	a. Opening balance in the floating provisions account	450.35	450.35
ख. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की मात्रा	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	100.00	-
ग. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन का प्रयोजन तथा राशि	c. Purpose and amount of draw down made during the accounting year	-	-
घ. अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	d. Closing balance in the floating provisions account.	550.35	450.35

4.3 आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन)

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान आरक्षित निधियों में कोई गिरावट नहीं आई.

5 शिकायतों का प्रकटीकरण

क. ग्राहक शिकायत

(क) वर्ष के शुरु में लंबित शिकायतों की संख्या	(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	137
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	(b) No. of complaints received during the year	3229
(ग) वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	(c) No. of complaints redressed during the year	3269
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(d) No. of complaints pending at the end of the year	97

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

(क) वर्ष के शुरु में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2
(ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	(b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	8
(ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	(c) No. of Awards implemented during the year	9
(घ) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(d) No. of unimplemented Awards at the end of the year *	1

* बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के खिलाफ समुचित प्राधिकारी के पास अपील दायर की गई है.

*An appeal has been filed against the award of the Banking Ombudsman with appropriate authority.

6. चुकौती आश्वासन पत्र

क. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियंत्रकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना / शाखाओं को खोलने संबंधी अपने अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया है.

ख. 31.3.2008 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

बैंक के पास विदेशी / देशीय नियंत्रकों द्वारा उन की अनुषंगियों की स्थापना/ शाखाओं को खोलने के उद्देश्य संबंधी कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना बाकी नहीं है.

ग. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

1. अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व मदें तथा एकाउंटिंग नीतियों में परिवर्तन (ए.एस.-5)

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने लाभ-हानि ब्याज अर्जित खाते को नामे कर रुपये 13,12,87,000 (रुपये तेरह करोड़ बारह लाख, सत्तासी हजार मात्र) का भुगतान किया तथा यह भुगतान ब्याज कर की अतिरिक्त वसूली की राशि के रूप में विकलांग व्यक्तियों को सशक्तता के लिए न्यास फंड को की गई है.

बैंक ने उक्त नाम के न्यास फंड के लिए आधारभूत निधि में प्रारंभिक तौर पर अंशदान के रूप में रुपये 50 लाख (रुपये 50 लाख मात्र) राशि का प्रावधान किया है . बैंक का शुद्ध लाभ उपरोक्त किए गए भुगतान एवं प्रावधानों की सीमा तक प्रभावित हुआ है . यह वित्तीय वर्ष 91-92 से 96-97 की उस अवधि से संबंधित है जिस अवधि में ब्याज लगाया गया . ये भुगतान तथा प्रावधान मैसर्स देवकला कंसलटेंसी सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड द्वारा यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आईबीए तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप की गई है.

4.3 Draw Down from Reserves

During the financial year 2007-08 there is no Draw Down of the Reserves.

5. Disclosure of complaints

A. Customer Complaints

(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	137
(b) No. of complaints received during the year	3229
(c) No. of complaints redressed during the year	3269
(d) No. of complaints pending at the end of the year	97

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

(a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2
(b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	8
(c) No. of Awards implemented during the year	9
(d) No. of unimplemented Awards at the end of the year *	1

6. Status of Letters of Comfort

(a) Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year.

During the current financial year Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas / domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches.

(b) Cumulative position of LOC's outstanding on 31.03.2008.

Bank has no outstanding Letter of Comfort issued in favour of the foreign / domestic regulators for the purpose of establishing subsidiaries / opening of branches.

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India:

1. Net Profit or Loss for the Period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)

During the year 2007-08 the Bank paid Rs.13,12,87,000/- (Rs. Thirteen Crores Twelve Lacs Eighty Seven Thousands only) to the debit of P/L Interest earned A/c and made payment to TRUST FUND FOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES, being excess recovery of interest tax.

The Bank has also made a provision of Rs.50/- lacs (Rs. Fifty Lacs only) being the initial contribution to the Corpus Fund of the above named Trust Fund. The net profit of the bank has been affected to the extent of payments & provisions made as above. This pertains to financial year 91-92 to 96-97, the period during which the interest tax was levied. The payment & provision has been made as per the directions of Hon'ble Supreme Court in the matter of case filed by M/s Devkala Consultancy Services (P) Ltd. against The Union of India, RBI, IBA & Others.

2. कर्मचारी लाभ (ए.एस.-15)

वर्ष के दौरान बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है और जो कि दिनांक 07.12.2006 से लागू हैं . ये मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किए गए हैं . ए.एस.-15 में दिए गए प्रावधानों के तहत बैंक 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने लाभ एवं हानि खाते में पारवहन देयता को चार्ज करने के लिए एक खर्च राशि के रूप में डालने के लिए विकल्प प्रदान करता है . बैंक ने इस विकल्प को अपनाया है तथा तदनुसार कर्मचारी के हितों में कुल अंतरीय देयताओं के 1/5 भाग तक नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ के लिए वृद्धिशील प्रावधान किए गए हैं जो कि रुपये 901.00 करोड़ के वास्तविक मूल्य के बराबर हैं .

ग्रेच्युटी :

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी को एकत्रित करने की एवज में एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है . ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और परिलक्षित इकाई ऋण वास्तविक पद्धति के अनुसार स्टॉफ की कमी के बारे में कुछ एक परिकल्पनाओं के आधार पर ग्रेच्युटी देयता की वास्तविक मूल्य की गणना की जाती है .

निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है .

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता जो अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

पेंशन :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को अथवा उसके पश्चात् बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा आस्थगित सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है . यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर उन कर्मचारियों के वेतन तथा बैंक में उनकी सेवाकाल की अवधि वर्षों के आधार पर उनके बैंक को छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है . बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है.

पेंशन निधि का प्रबंधन बैंक के अंतरिम न्यासियों द्वारा किया जाता है.

भविष्य निधि :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि का प्रबंधन अंतरिम न्यासियों द्वारा किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

छुट्टी का नकदीकरण :

कोई भी कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु की तारीख पर उसके खाते में जमा हुई छुट्टियों में से अधिकतम 240 दिनों तक की अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है.

2. Employee Benefits (AS-15)

During the year Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI and effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007. The provisions contained in AS-15 gives option to the bank, to charge the transitional liability as an expense in its Profit and Loss Account spread over a period of 5 years. Bank has exercised this option and accordingly made an incremental provision for employee benefits such as pension, gratuity, leave encashment and other retirement benefits to the extent of 1/5th of the total transitional liability which is crystallized on Actuarial valuation at Rs. 901.00 crores.

Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service. The Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity fund's rules, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of 3 different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

Pension

Bank of Baroda pays pension, a defined benefit and deferred retirement plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from Bank's service based on the respective employees salary and years of qualifying service with the Bank. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund.

Pension fund is managed by in-house trustees.

Provident Fund

Bank of Baroda is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees. This fund is managed by in-house trustees. Each employee contributes 10% of his or her basic salary and Bank of Baroda contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

तथापि, सेवा त्याग की स्थिति में, कर्मचारी जमा अर्जित छुट्टियों में अधिकतम 120 दिनों तक छुट्टियों की 50% राशि का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है .

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के लिए योजना के अंतर्गत कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु पर 6 महीनों की परिलब्धियां अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में पाने का हकदार होगा बशर्ते कि उसने बैंक में 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो .

ठीक इसी तरह, अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवा निवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु होने पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने के लिए हकदार होंगे बशर्ते उसने बैंक सेवा में 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो .

तथापि, बर्खास्तगी, सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति और सेवा त्याग की स्थिति में सेवा काल के वर्षों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

Additional Retirement Benefit

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on his Retirement/ Voluntary retirement/ death shall be eligible for payment of –6- months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed 25 years of service in the Bank.

In the same manner, award staff member on Retirement / Voluntary Retirement / Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided he had completed –30- years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation additional retirement benefit shall not be payable, irrespective of any number of years of service.

मूल बीमांकिक अवधारणाएं (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Averages]

	योजना का प्रकार TYPE OF PLAN	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	8%	8%	8%	8%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	4%	8%	8%	8%
हास दर	Attrition Rate	1%	1%	1%	1%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8%	0	8%	0

देयताओं के प्रारंभ और समाप्ति पर शेष का समाधान (रुपये करोड़ों में) RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCE OF LIABILITY

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

	योजना का प्रकार TYPE OF PLAN	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
क) 1/4/2007 को पीवीओ	a) PVO as at 1/4/2007	1730.00	381.00	817.00	360.00
ख) ब्याज की लागत	b) Interest Cost	133.56	29.86	63.41	28.34
ग) चालू सेवा लागत	c) Current Service Cost	62.75	20.87	21.25	12.25
घ) प्रदत्त लाभ	d) Benefits Paid	-120.88	-15.46	- 48.86	-11.47
ङ) दायित्व पर बीमांकिक हानि / लाभ (-)	e) Actuarial loss/gain(-) on obligation	273.57	-21.27	-12.80	-14.12
च) 31.03.2008 को पीवीओ	f) PVO as at 31.03.2008	2079.00	395.00	840.00	375.00

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के शुभारंभ एवं समाप्ति शेष का समाधान

RECONCILIATION OF OPENING & CLOSING BALANCE OF FAIR VALUE OF PLAN ASSETS

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB	
क)	1/4/2007 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	a) Fair Value of plan assets as on 1/4/2007	1673.84	0	633.05	0
ख)	योजनागत आस्तियों का संभावित रिटर्न	b) Expected Return on Plan Assets	143.67	0	51.83	0
ग)	अंशदान	c) Contributions	365.00	15.46	78.60	11.47
घ)	प्रदत्त लाभ	d) Benefits Paid	-120.88	-15.46	-48.86	-11.47
ङ)	बीमांकिक लाभ / (-) हानि	e) Actuarial gain/(-)loss	-28.68	0	-21.19	0
च)	31.03.2008 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	f) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2008	2032.95	0	693.43	0

तुलन-पत्र में मान्य राशि

AMOUNT RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		प्लान का प्रकार TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB	
क)	दायित्व का पीवी	a) PV of obligation	2079.00	395.00	840.00	375.00
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	2032.95	0	693.43	0
	अन्तर	Difference	46.05	395.00	146.57	375.00
	गैर मान्य लेनदेन देयता	Unrecognised transitional liability	-52.00	-156.80	-150.40	-181.60
	बीएस में मान्य देयता	Liability Recognised in the BS	-5.95 **	238.20	-3.83 **	193.40

** रिफंड के फार्म में किसी भी आर्थिक लाभों अथवा भविष्य के अंशदानों में कमी के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आस्ति को छोड़ दिया गया है।

** Asset has been ignored in absence of availability of information regarding any economic benefits in the form of refunds or reduction in the future contributions.

लाभ-हानि खाते में मान्य राशि

AMOUNT RECOGNISED IN THE P&L ACCOUNT

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB	
क)	चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	62.75	20.87	21.25	12.25
ख)	ब्याज लागत	b) Interest Cost	133.56	29.86	63.41	28.34
ग)	योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	c) Expected Return on Plan Assets	-143.67	0	-51.83	0
घ)	शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (-)	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	302.25	-21.27	8.40	-14.12
ङ)	संक्रमणशील बीमांकिक देयता का 1/5	e) One fifth of the transitional liability	13.00	39.20	37.60	45.40
	लाभ हानि में मान्य खर्च	Expenses Recognised in P&L	367.89	68.66	78.83	71.87

3. सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए.एस.-17) :

भाग - क : बिजनेस सेगमेंट

3. Segment Reporting (AS-17)

Part A – Business Segments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

बिजनेस सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury 2007-08	कार्पोरेट होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking 2007-08	रिटेल बैंकिंग Retail Banking 2007-08	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations 2007-08	कुल Total 2007-08
राजस्व	Revenue	3576.98	4156.59	3960.40	2170.54	13864.51
परिणाम	Result	788.79	175.14	937.37	1400.22	3301.52
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense					1094.37
परिचालनगत वर्ष	Operating Profit					2207.15
आयकर	Income taxes					771.63
विशिष्ट लाभ /हानि	Extra-ordinary Profit/loss					-
शुद्ध लाभ	Net Profit					1435.52
अन्य सूचना	Other Information					
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	56945.78	52061.82	32441.49	35572.60	177021.69
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets					2577.83
कुल आस्तियां	Total Assets					179599.52
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	53444.07	48860.44	30446.60	33385.18	166136.29
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities					13463.23
कुल देयताएं	Total Liabilities					179599.52

भाग - ख : भौगोलिक सेगमेंट :

Part B – Geographic Segments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

सेगमेंट → विवरण ↓	Segments → Particulars ↓	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended	
		31.03.08	31.03.07	31.03.08	31.03.07	31.03.08	31.03.07
राजस्व	Revenue	11895.14	8868.92	1969.37	1516.96	13864.51	10385.88
आस्तियां	Assets	142520.03	115078.56	37079.49	28067.62	179599.52	143146.18

सेगमेंट रिपोर्टिंग पर टिप्पणी :

- लेखा मानकों की अनुपालना में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ए.एस.-17 के साथ अनुपालना के उद्देश्य के लिए ट्रेजरी परिचालन थोक, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक बिजनेस सेगमेंट के रूप में तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीय/भौगोलिक सेगमेंट के रूप में ग्रहण किया है .
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक ने निधि अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया है.
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है.

Notes on Segment Reporting :

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, Bank has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and Other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments for the purpose of compliance with AS-17 on Segment reporting issued by RBI.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the bank has been used.
- Segment revenue represents revenue from external customers.

4. प्रत्येक सेगमेंट के लिए लगायी गयी पूंजी सेगमेंट की आस्तियों को अनुपातिक आधार पर आबंटित कर दी गयी है .
5. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार संशोधित सेगमेंट के अंगीकार किए जाने को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी सेगमेंट के लिए पूर्व वर्षों के आंकड़ों को नहीं दर्शाया गया है .

4. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

(क) अनुषंगियां :

- i) बॉब एसेट मैनेजमेंट कं. लिमिटेड
- ii) बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- iii) बॉब कार्ड्स लिमिटेड
- iv) नैनीताल बैंक लिमिटेड
- v) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
- vi) बैंक ऑफ बड़ौदा (केनिया) लिमिटेड
- vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
- viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लिमिटेड
- ix) बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) लिमिटेड
- x) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
- xi) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
- xii) बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड
(बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)
- xiii) बॉब त्रिनिदाद व टोबागो लि.
- xiv) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.

(ख) सहयोगी :

- i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- ii) नैनीताल - अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- iii) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक
- iv) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- v) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- vi) इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड
- vii) यूटीआई एसेट कंपनी प्रा. लि.
- viii) यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

(ग) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी :

- i) डॉ. अनिल के. खंडेलवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- ii) श्री वी. सन्तानरामन, कार्यकारी निदेशक
- iii) श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, कार्यकारी निदेशक
(दिनांक 6.6.2007 से)

- 4 Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the segment.
- 5 In view of adoption of revised segments, previous years figures have not been disclosed for primary segments as per RBI Guidelines.

4. Related Party disclosures (AS - 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries:

- i) BOB Assets Management Co. Ltd.
- ii) BOB Capital Markets Limited
- iii) BOB Cards Limited
- iv) The Nainital Bank Limited
- v) Bank of Baroda (Botswana) Limited
- vi) Bank of Baroda (Kenya) Limited
- vii) Bank of Baroda (Uganda) Limited
- viii) Bank of Baroda (Hong Kong) Limited
- ix) Bank of Baroda (Guyana) Inc.
- x) Bank of Baroda (UK) Limited
- xi) Bank of Baroda (Tanzania) Limited
- xii) Baroda Capital Markets (Uganda) Limited.
(Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)
- xiii) BOB Trinidad & Tobago Ltd.
- xiv) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.

(b) Associates:

- i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
- ii) Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank
- iii) Baroda Rajasthan Gramin Bank
- iv) Baroda Gujarat Gramin Bank
- v) Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank
- vi) Indo Zambia Bank Limited
- vii) UTI Asset Management Company Ltd.
- viii) UTI Trustee Company Pvt. Limited

(C) Key Management Personnel:

- i) Dr. Anil K Khandelwal, CMD
- ii) Mr.V.Santhanaraman, ED
- iii) Mr. Satish C. Gupta, ED
(From 06.06.2007 onwards)

प्रमुख प्रबंधन अधिकारी को 17.60 लाख रुपये, कुल पारिश्रमिक भुगतान (पिछले वर्ष 10.18 लाख रुपये)

Aggregate Remuneration paid to Key Management Personnel Rs. 17.60 lacs (Previous year Rs. 10.18 lacs)

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

Related Party Disclosures-

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मद /संबंधित पार्टी :	Items / Related Party	अनुषंगियां Subsidiaries	सहयोगी संयुक्त उद्यम Associates/ Joint Ventures	प्रमुख प्रबंधन अधिकारी Key Management Personnel @	प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel	जोड़ Total
उधार :	Borrowings :					
31.03.2008 को बकाया	Outstanding as on 31.3.08	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	-	-	-	-	-
जमा :	Deposit					
31.03.2008 को बकाया	Outstanding as on 31.3.08	444.83	1718.95	-	-	2163.78
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	534.70	1770.02	-	-	2304.72
जमा राशियों का स्थापन	Placement of Deposits					
31.03.2008 को बकाया	Outstanding as on 31.3.08	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	-	-	-	-	-
अग्रिम	Advances					
31.03.2008 को बकाया	Outstanding as on 31.3.08	75.92	195.13	-	-	271.05
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	177.93	207.98	-	-	385.91
निवेश	Investments					
31.03.2008 को बकाया	Outstanding as on 31.3.08	523.38	392.21	-	-	915.59
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	523.38	392.21	-	-	915.59
गैर निधि प्रतिबद्धताएं	Non-funded commitments					
31.03.2008 को बकाया	Outstanding as on 31.3.08	20.92	0.23	-	-	21.15
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	39.94	0.23	-	-	40.17
प्राप्य लीजिंग / एचपी प्रबंध व्यवस्थाएं	Leasing/HP arrangements availed					
31.03.2008 को बकाया	Outstanding as on 31.3.08	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	-	-	-	-	-
लीजिंग /उपलब्ध एचपी प्रबंध व्यवस्थाएं	Leasing/HP arrangements provided					
31.03.2008 को बकाया	Outstanding as on 31.3.08	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed Assets	3.78	-	-	-	3.78
प्रदत्त ब्याज	Interest paid	13.80	94.01	-	-	107.81
प्राप्त ब्याज	Interest received	0.95	5.29	-	-	6.24
सेवाएं प्रदान करना	Rendering of services	2.52	-	0.10	-	2.62
सेवाओं की प्राप्ति	Receiving of services	0.13	-	-	-	0.13
प्रबंधन संविदाएं	Management contracts	1.67	-	-	-	1.67

5. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

5. Earning Per Share (AS-20)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	Net Profit after tax available for equity shareholders (Rs. in Crores)	1435.52	1026.46
इक्विटी शेयर्स की वेटेड औसत संख्या	Weighted Average Number of Equity shares	364266400	364265727
प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन	Basic & Diluted earning per share	39.41	28.18
प्रति इक्विटी शेयर अंकित कीमत	Nominal value per equity share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

6. आय कर की गणना (एस-22)

आईसीआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस-22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गई हैं. 31 मार्च, 2008 को आस्थगित कर का नेट बैलेंस रु.53.10 करोड़ था (पिछले साल रु.56.22 करोड़ का डीटीए) जिसमें निम्नांकित शामिल है.

	31.03.2008		31.03.2007	
	आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
अचल आस्तियों पर आयकर कानून के तहत बुक मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets			51.77
संदेहास्पद कर्ज व अग्रिम (विदेशी) हेतु प्रावधान	36.46	-	35.53	-
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	71.53	-	53.61	-
जोड़	107.99	51.77	89.14	36.04
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	56.22	-	53.10	-

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 3.12 करोड़ की नेट डेफर्ड कर आस्तियों में वृद्धि (पिछले वर्ष रु. 3.11 करोड़ की वृद्धि) को लाभ व हानि खाते में निर्धारित किया गया है.

7. शाखाओं को बंद करने संबंधी कार्यवाही (एस 24)

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक द्वारा अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, फलस्वरूप देयताओं को कम करने तथा आस्तियों की वसूली की जा सकी है और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है.

8. आस्तियों का इंपेयरमेंट (एस-28)

लेखा मानक-28 "आस्तियों का इंपेयरमेंट" की खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत मटेरिअल इंपेयरमेंट दृष्टिगोचर न होने कारण चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के इंपेयरमेंट की आवश्यकता नहीं है.

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29)

9.1. देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्यों के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

विवरण	Particulars	मुकदमों / आकस्मिकताएं Legal Cases / contingencies
1 अप्रैल 2007 को शेष	Balance as on 1 st April 2007	6.89
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	6.54
31 मार्च 2008 को शेष	Balance as at 31 st March 2008	13.43
आउटफ्लो/अनिश्चितताएं का समय	Timing of outflow / uncertainties	सेटलमेंट / क्रिस्टलाइजेशन पर आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization

6. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized. The net balance of deferred tax assets as on 31st March 2008 amounting to Rs. 56.22 Crores (Previous Year DTA of Rs.53.10 Crores) consists of the following:

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

	31.03.2008		31.03.2007	
	आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
अचल आस्तियों पर आयकर कानून के तहत बुक मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets			51.77
संदेहास्पद कर्ज व अग्रिम (विदेशी) हेतु प्रावधान	36.46	-	35.53	-
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	71.53	-	53.61	-
जोड़	107.99	51.77	89.14	36.04
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	56.22	-	53.10	-

Increase in net Deferred Tax Assets of Rs.3.12 Crores for the year ended 31st March 2008 (Previous year increase of Rs. 3.11 Crores) has been recognized in the Profit & Loss Account.

7. Discontinuing operations (AS24)

During the financial year 2007-08 the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

8. Impairment of Assets (AS-28)

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required for in respect of current financial year.

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

9.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	मुकदमों / आकस्मिकताएं Legal Cases / contingencies
1 अप्रैल 2007 को शेष	Balance as on 1 st April 2007	6.89
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	6.54
31 मार्च 2008 को शेष	Balance as at 31 st March 2008	13.43
आउटफ्लो/अनिश्चितताएं का समय	Timing of outflow / uncertainties	सेटलमेंट / क्रिस्टलाइजेशन पर आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization

वर्ष के दौरान बैंक ने बैंक के विरुद्ध दावों के लिए प्रावधान करने के लिए एक नीति निर्धारित की है जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार प्रावधान किये गए हैं।

9.2 आकस्मिक देयताएं :

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 की क्र सं. (I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा, मांगी गई राशि, अनुबंधन दायित्वों के संबंध में, क्रमशः संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांगों पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

ग. लेखों पर अन्य टिप्पणियां

1. बहियों का मिलान एवं समाधान

- 1.1 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों /रजिस्ट्रों का नियंत्रक लेखों से मिलान /समाधान का कार्य अभी चल रहा है।
- 1.2 अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.12.2007 तक कर लिया गया है। आगे का कार्य प्रगति पर है।
- 1.3 बैंकों के साथ खातों, नास्त्रों, देय ड्राफ्ट/टीटी, उचन्त, लाभांश/ब्याज/अदा किए गए धन वापसी आदेश इंटर एसओएल इत्यादि से संबंधित लेखों के मिलान का कार्य अभी भी चल रहा है।

लाभ व हानि लेखे तथा तुलन-पत्र का प्रभाव, यदि कोई हो, जो प्रबंधन की राय में हालांकि निर्धारणीय नहीं है, उसे नहीं लिया जाएगा।

2. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु /मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं /औद्योगिक निर्यात परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपने 218 घरेलू अचल परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। इस पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि की राशि रुपये 1377.74 है जो कि आरक्षित और आधिक्य राशि के रूप में पूंजीगत आरक्षित के अंतर्गत अचल आस्तियों में वृद्धि तथा पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा दर्शाती है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में विद्यमान सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) के एक भाग को "परिपक्वता धारित" श्रेणी में अंतरित कर दिया। 37.08 करोड़ रुपए (गत वर्ष 392.33 करोड़ रुपए) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित कर दिया गया।

4. करों के लिए प्रावधान

क. आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है।

During the year bank has framed a policy for making the provision for claims against the bank, which has not been acknowledged as debt. Accordingly the provision has been made.

9.2 Contingent Liabilities:

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon, the outcome of court, arbitration, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

C. Other Notes to Accounts

1. Balancing of Books and Reconciliation

- 1.1 The balancing / Reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers / registers is in progress in certain branches.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.12.2007 for the purpose of reconciliation, which is in progress.
- 1.3 Reconciliation of accounts with banks, Nostro, Drafts / TTs payable, Suspense, dividend / Interest / refund orders paid / payable etc. is in progress.

The impact, if any, on the Profit and Loss Account and the Balance Sheet, though not quantified, in the opinion of the management will not be material.

2. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.

During the current financial year, Bank has revalued its 218 Domestic immovable properties. The amount of appreciation on such revaluation is Rs. 1377.74 crores which is shown as an addition to Fixed Assets and credited to Revaluation Reserve Account under Capital Reserves as part of Reserves and Surplus.

3. In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Government Securities (SLR) kept in "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category. The resultant depreciation of Rs.37.08 crores (previous year Rs.392.33crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

4. Provisions for Taxes.

- a. Provision for Taxes are arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

- ख. “अन्य आस्तियां” शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी /स्रोत पर कर की कटौती राशि में विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई /विभाग द्वारा समायोजित राशि रु.1092.51 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1037.84 करोड़) शामिल है. आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है.
5. वर्ष के दौरान, बैंक ने 400 इक्विटी शेयरों (गत वर्ष 500 इक्विटी शेयर) का नकदीकरण करके उन्हें अभिशून्य कर दिया.
- 6. परिसर**
- 6.1 बैंक की कुल रु.78.74 करोड़ (मूल लागत) - (पिछले वर्ष रु.71.00 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.
- 6.2 बैंक की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है. वर्ष के अंत में परिसर शीर्ष के अंतर्गत कुल रु.1765.99 करोड़ (पिछले वर्ष रु.388.25 करोड़) पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है. शुद्ध मूल्यहास के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि रु.1519.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु.213.86 करोड़) हैं.
- 6.3 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन /कब्जे में ली जानेवाली रु.87.48 करोड़ (पिछले वर्ष रु.14.47 करोड़) की संपत्तियां शामिल हैं.
7. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11 जुलाई, 2007 के स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक निवेशों पर ब्याज को अन्य आय से कटौती की बजाय आय से कटौती के रूप में निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधन को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत दर्शाएँ. तदनुसार बैंक ने पुनः वर्गीकरण किया है. इस परिवर्तन का लेखा परीक्षण के तहत अवधियों हेतु शुद्ध लाभ पर कोई असर नहीं है.
8. मार्च, 08 को समाप्त वर्ष के दौरान, रुपये 1203.62 करोड़ (यूएसडी 300 मात्र) सहित रुपये 2703.62 करोड़ राशि के टीयर II बांड मीडियम टर्म नोट्स के माध्यम से जारी किए गए हैं .
9. अन्य आरक्षित निधि में आयकर अधिनियम की आवश्यकताओं के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि के कारण 253.95 करोड़ रुपये (गत वर्ष 253.95 करोड़ रुपये) की राशि समाविष्ट है .
10. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के शेयरों पर लाभांश की स्वीकृति को मान्यता दे दी है, जो कि वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान घोषणा आधार पर लेखे में रखा जा रहा था. नीति में परिवर्तन के कारण चालू वर्ष के परिणाम में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है .
11. वर्ष के दौरान बैंक ने 1 नवम्बर, 2007 से देय अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ के वेतन संशोधन के लिए अनुमानित आधार पर 5 माह की अवधि के लिए रुपये 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया है . कमी होने की स्थिति में, यदि कोई हो, यह घोषणा पर वास्तविक आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा.
12. बॉब फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफ एस एल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके
- b. Tax paid in advance / tax deducted at source appearing under “Other Assets” includes Rs. 1092.51 Crores (previous year Rs 1037.84 crores) adjusted by the department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands. No provision is considered necessary in respect of such disputed income tax demands as in the bank’s view, duly supported by counsels’ opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.
5. During the year, the bank has annulled the forfeiture of 400 equity shares (previous year 500 equity shares).-
- 6. Premises**
- 6.1. Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties aggregating to Rs 78.74 crores (Previous year Rs.71.00 crores) – (original cost).
- 6.2. Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of the revaluation included in premises as at the year-end is Rs.1765.99 crores (Previous Year Rs.388.25 crores) and net of depreciation the revaluation amounts to Rs. 1519.09 crores (Previous year Rs.213.86 crores).
- 6.3. Premises include assets under construction / acquisition amounting to Rs.87.48 Crores (Previous year Rs.14.47 Crores).
7. As per RBI clarification dated 11th July 2007, Banks should reflect the amortization of premium on investments held under HTM category as a deduction from interest income on investments instead of deduction from Other Income. Accordingly, the bank has carried out the reclassification. This change does not have any impact on the net profit for the periods under audit.
8. During the year ended Mar-08, Tier II Bonds amounting to Rs. 2703.62 crores were raised including Rs. 1203.62 crores (USD 300 mn) have been issued by way of Medium Term Notes.
9. Other Reserves include an amount of Rs.253.95 crores (previous year Rs.253.95 crores) on account of special reserves created under requirements of Income Tax Act.
10. During the year, the bank has changed its accounting policy and has recognized the dividend on shares of subsidiaries, joint ventures and associates on realization basis which was accounted for on declaration basis during the financial year 2006-07. There is no impact in the results for the current year due to change in policy.
11. During the year Bank has made a provision of Rs. 100 Crores on an estimated basis for Salary revision of Officers and Award Staff due w.e.f. November 1, 2007 for five months period and shortfall if any, will be provided on declaration on actual revision.
12. BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, had passed a special resolution for voluntary winding up

लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी. बॉब एफ एस एल ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफ एस एल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को उसका पूर्ण व्यवसाय के समापन में एक चालू संस्था/ बिक्री के रूप में स्थानांतरित कर दिए गए. चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफ एस एल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफ एस एल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए कानूनी औपचारिकताएं प्रक्रियागत हैं और ऐसी लंबित औपचारिकताओं के कारण किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है .

13. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां जरूरी समझा गया, अंकों को पुनर्समूहित/ पुनर्गठित किया गया है .

of the company on 24.09.1990 and the liquidator was appointed for the same. BOBFSL entered into an agreement with Bank of Baroda pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the company could not be liquidated due to pending legal cases; a decision to merge BOBFSL with Bank of Baroda was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007. The legal formalities for the same are under process and pending such formalities; no impact of the same is given in accounts.

13. Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2008

		(000's अनंकित omitted)	
		31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2008	31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2007
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	22071563	16542587
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	2319964	1942849
निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	417567	5442072
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	5258759	2190869
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	1088000	1760349
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	1449612	299718
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (निवल)	Profit/(loss) on sale of fixed assets (Net)	(3662)	(128475)
गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	3504506	2172062
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/ others (treated separately)	(109381)	(318721)
उप-जोड़	Sub total	35996928	29903310
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in investments	(89005067)	(3927008)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in advances	(236063302)	(239281783)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(increase)/Decrease in other assets	9639702	(17024574)
उधार राशियों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	27844864	(36596391)
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	271181479	312539877
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	7048518	10320723
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(4224964)	(4833814)
बॉब हाउसिंग फाइनांस लि. के विलय के कारण आरक्षित पूँजी में वृद्धि	Increase in Capital Reserve on a/c of merger of BOBHFL	0	439034
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	22418158	51539374

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2008	31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2007
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(2930482)	(3914373)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	1146753	328321
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(676903)	190848
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/ others	109381	318721
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash used in investing activities (B)	(2351251)	(3076483)
ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूँजी	Share Capital	1	2
शेयर प्रीमियम	Share premium	10	12
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	27036190	4491000
लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	Dividend paid including dividend tax	(3409388)	(2524584)
गैर जमानती गौण बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	(3504506)	(2172062)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	20122307	(205632)
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	40189214	48257259
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	182803653	134546394
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	222992867	182803653

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 31 मार्च 2008 के तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे नकद प्रवाह-विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरणियां बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2369 शाखाएं स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 45 विदेशी शाखाएं और हमारे द्वारा अलेखापरीक्षित 464 भारतीय एवं एक विदेशी शाखा की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा, और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है।

हमने लेखा परीक्षा भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्कसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां किसी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल है। लेखा परीक्षा में, प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्धारण और लेख सिद्धांतों का आकलन भी शामिल है। इसमें समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार है।

इसमें सूचित लेखा-परीक्षा और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के आधार पर और उनके अंतर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

1. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं।
2. अनुसूची 18 पर नोट सी 1 का संदर्भ लें। इसमें उल्लिखित बकाया मदों के समाधान, समाशोधन से उत्पन्न समायोजनों के संबंध में प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता।
3. अनुसूची 18 में प्रतिशेयर अर्जन (नोट बी 5) तथा पूंजी पर जोखिम आस्ति अनुपात (नोट नं.ए 1) उपरोक्त पैरा (2) में दी गयी हमारी टिप्पणियों के अध्यक्षीन है।
4. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं, केवल कुछ मामलों में, प्राप्त विवरणियों में भरे गए विवरण अपूर्ण /अपर्याप्त थे। ऐसे मामलों में प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण पर हमने भरोसा किया है।

उपरोक्त अनुच्छेद (2) से (3) की टिप्पणियों के अधीन और उल्लेखनीय लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के दृष्टिगत हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:-

To,

The President of India

We have audited the attached Balance Sheet of Bank of Baroda as on 31st March, 2008, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. Incorporated in the said financial statements, are the returns of 20 branches audited by us, 2369 branches audited by other auditors, 45 foreign branches audited by local auditors and unaudited returns in respect of 464 Indian & 1 overseas branches, not visited by us. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

We conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the audit indicated herein, and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject to the limitations of disclosure required therein, we report that:

1. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
2. Reference is invited to Note C1 in Schedule 18 regarding adjustments arising from reconciliation / clearance of outstanding items stated therein, the consequential effect of which, is not ascertainable.
3. Earnings Per Share (Note B 5) and Capital to Risk Assets Ratio (Note A 1) in Schedule – 18 are subject to our observations in para 2 above.
4. The returns received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purpose of our audit and the management has provided us information and explanations, on which we have placed reliance, where the particulars, in the returns received, were incomplete/ inadequate.

Subject to the observations in para (2) and (3) above, and read with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts, we further report that:

- (क) हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की लेखाबहियों में दर्शाए गए अनुसार :
- यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि बैंक के 31 मार्च, 2008 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके.
 - लाभ-हानि लेखा, 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के सही लाभ शेष को दर्शाता है.
 - नकदी प्रवाह-विवरण वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण देता है, जैसा कि विवरण में दिया गया है.
- (ख) हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.
- (ग) बैंक के संव्यवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं.
- (a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank.
- the Balance sheet is full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of affairs of the Bank as on 31st March 2008.
 - the Profit and Loss Account shows a true balance of profit for the year ended 31st March 2008.
 - the Cash Flow statement gives a true and fair view of the Cash Flow for the year covered by the statement.
- (b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit, and have found them to be satisfactory.
- (c) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार
(आर.एन.राय)
For Ray & Ray
Chartered Accountants
(R. N. Roy)
Partner
M. No.008608.

कृते जी. बासु एंड कं.
सनदी लेखाकार
(डी.डी. चंचानी)
For G. Basu & Co.
Chartered Accountants
(D. D. Chanchani)
Partner
M. No.005570.

कृते जी. पी. कपाड़िया एंड कं.
सनदी लेखाकार
(निमेश भिमानी)
For G. P. Kapadia & Co.
Chartered Accountants
(Nimesh Bhimani)
Partner
M. No.030547.

कृते बी. सी. जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
(रंजीत सिंह)
For B. C. Jain & Co.
Chartered Accountants
(Ranjeet Singh)
Partner
M. No.073488.

कृते गुप्ता नायर एंड कं.
सनदी लेखाकार
(संजय गुप्ता)
For Gupta Nayar & Co.
Chartered Accountants
(Sanjay Gupta)
Partner
M. No.086004.

कृते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
(जी. के. लठ)
For A. Sachdev & Co.
Chartered Accountants
(G. K. Lath)
Partner
M. No.070294.

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 20.05.2008

BARODA CONNECT

Internet Banking Facility

Home... Office... Travelling...
no matter where you are,
you can always
access your bank anytime.
Just connect & click for...

Opening of Accounts

Online Funds Transfer

Cheque Books

FD Renewals

Account Information

Online Indirect Tax Payment

Queries On Export / Import LC,
Guarantee, Forex Rates

Online Bills Payment

Call National Toll Free Help Desk: 1-800-22-4447
Register for internet banking at www.bobibanking.com
For further details, mail to barodaconnect@bankofbaroda.com

www.bankofbaroda.com


100 YEARS
banking with passion

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank

Celebrate auspicious occasions with **Baroda Gold Coins.**

- 24 carat Gold Coins/Bars from Swiss refinery
- Assay Certified with 999.9 fineness
- Available in 2, 4, 5, 8 and 10 grams



Conditions apply.

Available at select branches.

समेकित वित्तीय विवरणियां



Consolidated Financial Statements

31 मार्च 2008 का समेकित तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2008

(000'S अनंकित omitted)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2008 को As on 31st March 2008	31 मार्च 2007 को As on 31st March 2007
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	365,52,77	365,52,76
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves & Surplus	10993,01,40	8512,02,65
मायनोरिटी इन्टरेस्ट	Minority Interest	36,28,93	31,81,61
जमाराशियां	Deposits	155295,07,56	128107,41,15
उधार ली गई राशियां	Borrowings	3962,17,07	1171,15,09
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	12826,90,61	8683,69,27
जोड़	T O T A L	183478,98,34	146871,62,53
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and balances with Reserve Bank of India	9617,33,70	6569,78,80
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	13552,77,47	12405,71,92
निवेश	Investments	44657,75,90	35676,99,56
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	108578,97,43	85558,03,61
अचल आस्तियां	Fixed Assets	2490,52,12	1159,47,99
अन्य आस्तियां	Other Assets	4397,49,56	5317,48,49
समेकन पर गुडविल	Goodwill on Consolidation	184,12,16	184,12,16
जोड़	T O T A L	183478,98,34	146871,62,53
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	82595,27,12	61654,28,76
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection	8360,14,91	6883,55,37
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19	
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक भाग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

श्री एम.डी.मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी. सन्तानरामन
कार्यकारी निदेशक
श्री एस.सी.गुप्ता
कार्यकारी निदेशक
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन
महाप्रबंधक
(कार्पो.खाते, कराधान एवं
अनुपालन अधिकारी-भा.रि.बैं.)
श्री वी.के.गुप्ता
सहायक महाप्रबंधक
(लेखा एवं लेखा परीक्षा)
स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 जून, 2008

निदेशक
श्री ए. सोमसुन्दरम
श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी
श्री रंजीत कुमार चटर्जी
श्री अमरजीत चोपड़ा
श्रीमती मसरत शाहिद
श्री मौलिन ए. वैष्णव
श्री मनेश पी. मेहता
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
(आर. एन. रॉय)
भागीदार
M.No.008608
कृते बी.सी.जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(रंजीत सिंह)
भागीदार
M.No.073488

लेखा परीक्षक
समतारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी. बासु एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(डी. डी. चंचानी)
भागीदार
M.No.005570
कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(संजय गुप्ता)
भागीदार
M.No.086004
कृते जी. पी. कपाडिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(निमेष भिमानी)
भागीदार
M.No.030547
कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(जी. के. लठ)
भागीदार
M.No.070294

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2008

		(000'S अनंकित omitted)		
		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st March. 2008 रु. Rs.	31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st March. 2007 रु. Rs.
I. आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	12164,24,51	9321,94,72
अन्य आय	Other Income	14	2142,42,25	1490,86,39
जोड़	TOTAL		<u>14306,66,76</u>	<u>10812,81,11</u>
II. व्यय	EXPENDITURE			
ब्याज व्यय	Interest Expended	15	8062,86,78	5567,48,69
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	3052,55,91	2675,57,26
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		1673,10,29	1504,42,22
जोड़	TOTAL		<u>12788,52,98</u>	<u>9747,48,17</u>
माइनारिटी इन्टरेस्ट से पूर्व समेकित लाभ और सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates		1518,13,78	1065,32,94
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Share of earnings in Associates	17	39,85,13	71,00,48
माइनारिटी इन्टरेस्ट काटने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ	Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest		1557,98,91	1136,33,42
घटाएं : माइनारिटी इन्टरेस्ट	Less : Minority Interest		9,61,34	7,47,19
वर्ष के लिए ग्रुप का समेकित लाभ	Consolidated Profit for the year attributable to the group		<u>1548,37,57</u>	<u>1128,86,23</u>
आगे लाई गई लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		33,13,47	58,27,59
विनियोग हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation		1581,51,04	1187,13,82
III. विनियोग	Appropriations			
सांविधिक आरक्षित निधि को अन्तरण	Transfer to Statutory Reserve		365,66,47	264,08,33
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अन्तरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		813,11,38	637,46,18
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		340,93,88	252,45,84
समेकित बेलेंसशीट में आगे ले जाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		61,79,31	33,13,47
जोड़	TOTAL		<u>1581,51,04</u>	<u>1187,13,82</u>
प्रतिशेयर आय (बेसिक व डायल्यूटेड) रु. में	Earnings per Share (Basic & Diluted)		42.51	30.99
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		
उपर दर्शाई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखे का ही एक भाग हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account				

M. D. Mallya
Chairman & Managing Director
V. Santhanaraman
Executive Director
S. C. Gupta
Executive Director
N. R. Badrinarayanan
General Manager
(Corporate A/cs. Taxation & Compliance Officer - RBI)
V. K. Gupta
Asst General Manager
(Accounts & Audit)

DIRECTORS
Shri. A Somasundaram
Shri Milind N Nadkarni
Shri Ranjit Kumar Chatterjee
Shri Amarjit Chopra
Smt Masarrat Shahid
Shri Maulin A Vaishnav
Shri Manesh P Mehta
Dr. Deepak B Phatak

AUDITORS
As per our separate report of even date attached
for Ray & Ray
Chartered Accountants
(R. N. Roy)
Partner
M No. 008608
for B C Jain & Co.
Chartered Accountants
(Ranjeet Singh)
Partner
M No. 073488
for G Basu & Co
Chartered Accountants
(D. D. Chanchani)
Partner
M No. 005570
for Gupta Nayar & Co.
Chartered Accountants
(Sanjay Gupta)
Partner
M No. 086004
for G P Kapadia & Co.
Chartered Accountants
(Nimesh Bhimani)
Partner
M No. 030547
for A. Sachdev & Co.
Chartered Accountants
(G. K. Lath)
Partner
M No. 070294

Place : Mumbai
Date : 14th June, 2008

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

(000'S अनंकित omitted)

	31 मार्च, 2008 को As on 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31st March, 2007		
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी (प्रत्येक रु. 10/- के 150,00,00,000 इक्विटी शेयर) जारी की गयी तथा अभिदत्त पूंजी (प्रत्येक रु. 10/- के 36,70,00,000 इक्विटी शेयर) -	AUTHORISED CAPITAL (150,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each) ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL (36,70,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each)		1500,00,00	1500,00,00	
मांगी गई पूंजी प्रत्येक रु. 10/- के 36,42,66,400 (पिछले वर्ष 36,42,66,000) इक्विटी शेयर जिसमें प्रत्येक रु. 10/- के 1960,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1960,00,000) शामिल है, जिसकी कुल राशि रु.196 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा धारित है.	CALLED UP CAPITAL 36,42,66,400 (previous year 36,42,66,000) Equity shares of Rs.10/- each including 1960,00,000 equity shares (previous year 1960,00,000 equity shares) of Rs.10/- each amounting to Rs.196 crores held by Central Government.		367,00,00	367,00,00	
जोड़े : जब्त शेयर	Add: Forfeited Shares	1,26,13	365,52,77	1,26,16	365,52,76
जोड़े	TOTAL		<u>365,52,77</u>	<u>365,52,76</u>	
अनुसूची - 2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS				
i सांविधिक प्रारक्षित निधियां आरंभिक शेष	i Statutory Reserves Opening Balance	1904,76,99		1684,09,60	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	366,29,26		264,83,89	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	2,72,72	2268,33,53	44,16,50	1904,76,99
ii क) पूंजीगत प्रारक्षित निधियां आरंभिक शेष	ii a) Capital Reserves Opening Balance	416,75,44		406,86,15	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	1478,24,16		20,77,19	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	91,79,83	1803,19,77	10,87,90	416,75,44
ख) समेकन पर पूंजीगत प्रारक्षित निधियां आरंभिक शेष	b) Capital Reserve on Consolidation Opening Balance	6,74,07		4,11,39	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	2,62,74		2,62,68	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	-	9,36,81	-	6,74,07
iii शेयर प्रीमियम	iii Share Premium				
आरंभिक शेष	Opening Balance	2273,88,43		2273,88,31	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	10		12	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	-	2273,88,53	-	2273,88,43

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

(000'S अंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31st March, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
iv	राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां / आरंभिक शेष	iv	Revenue & Other Reserves Opening Balance		
			3876,74,25		3320,19,24
	जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन		Add: Additions/Adjustments during the year		685,10,69
			812,47,30		
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन		Less: Deductions/Adjustments during the year		
			112,78,10	4576,43,45	128,55,68
v	लाभ/हानि के खाते में शेष	v	Balance in P&L A/c		33,13,47
	कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (i से v)		Total Reserves & Surplus (i to v)		8512,02,65
			10993,01,40		
अनुसूची - 2 ए- माइनारिटी इन्टरेस्ट		SCHEDULE - 2A- Minority Interest			
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance		24,61,43
			31,81,61		
	जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन		Add: Additions / Adj. during the year		31,81,61
			4,47,32	36,28,93	7,20,18
	कुल माइनारिटी इन्टरेस्ट		Total Minorities Interest		31,81,61
			36,28,93		
अनुसूची - 3 जमा राशियां		SCHEDULE - 3 DEPOSITS			
क. I	मांग जमा राशियां	A. I	Demand Deposits		
	i) बैंकों से		i) From Banks		388,88,82
			559,65,65		
	ii) अन्यो से		ii) From Others		10243,76,76
			11662,07,80	12221,73,45	9854,87,94
II	बचत बैंक जमा-राशियां	II	Savings Bank Deposits		32502,71,71
III	मीयादी जमा राशियां	III	Term Deposits		
	i) बैंकों से		i) From Banks		12201,01,46
			13326,10,90		
	ii) अन्यो से		ii) From Others		85360,92,68
			92868,22,48	106194,33,38	73159,91,22
	जोड़ (I, II एवं III)		TOTAL (I,II and III)		128107,41,15
			155295,07,56		
ख. I	भारत में शाखाओं की जमा राशियां	B. I	Deposits of branches in India		101206,26,29
			125930,14,68		
II	भारत से बाहर शाखाओं की जमा राशियां	II	Deposits of branches outside India		26901,14,86
			29364,92,88		
	जोड़ (I एवं II)		TOTAL (I & II)		128107,41,15
			155295,07,56		
अनुसूची - 4 उधार राशियां		SCHEDULE - 4 BORROWINGS			
I	भारत में उधार राशियां	I	Borrowings in India		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक		Reserve Bank of India		-
			-		
	ii) अन्य बैंक		Other Banks		10,40,88
			18,57,54		
	iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		Other Institutions and Agencies		822,19,22
			692,18,52	710,76,06	811,78,34
II	भारत से बाहर उधार राशियां	II	Borrowings outside India		348,95,87
	जोड़ (I एवं II)		TOTAL (I & II)		1171,15,09
			3962,17,07		
	ऊपर I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां		Secured Borrowings included in I & II above		606,83,84
			762,75,97		

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

		(000'S अनंकित omitted)			
		31 मार्च, 2008 को As on 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31st March, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5				
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I देय बिल	I Bills Payable		1759,60,01		1715,41,01
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		1214,91,48		981,55,64
III गैर जमानती प्रतिशोध्य (टीयर II पूंजी के लिए सबॉर्डिनेट कर्ज (मूल कंपनी के लिए))	III Unsecured Redeemable (Subordinated Debts for Tier II Capital (of Parent only))				
	Series Interest Date of Rate Maturity				
श्रेणी II	Series II				
विकल्प III	Option III 14.30% 09.04.09	298,00,00	298,00,00	298,00,00	298,00,00
श्रेणी III	Series III				
विकल्प I	Option I 11.15% 30.04.08	409,10,00	409,10,00	409,10,00	409,10,00
श्रेणी IV	Series IV 5.85% 02.07.14		300,00,00	300,00,00	300,00,00
श्रेणी V	Series V 7.45% 28.04.15		770,00,00	770,00,00	770,00,00
श्रेणी VI	Series VI 8.95% 15.05.16		920,00,00	920,00,00	920,00,00
श्रेणी VII	Series VII 9.30% 28.12.22		500,00,00	-	-
श्रेणी VIII	Series VIII 9.30% 03.01.23		1000,00,00	-	-
एम टी एन-टीयर II बांड (ओवरसीज)	MTN-Tier II Bonds (Overseas)		1203,61,90		-
डिबेंचर (टीयर से बांड के लिए पात्र)	Debentures (eligible for Tier II Bonds)		20,00,00		20,00,00
IV अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provisions against Advances		1056,81,60		844,06,63
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including Provisions)		3374,85,62		2425,55,99
कुल (I, II, III, IV & V)	Total (I, II, III, IV & V)		<u>12826,90,61</u>		<u>8683,69,27</u>
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6				
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I नकदी शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		918,13,26		699,90,86
II भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	II Balances with Reserve Bank of India :				
i) चालू खाते में	i) in Current Account	8669,47,89		5810,79,79	
ii) अन्य खातों में	ii) in Other Accounts	29,72,55	8699,20,44	59,08,15	5869,87,94
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)		<u>9617,33,70</u>		<u>6569,78,80</u>
अनुसूची - 7	SCHEDULE - 7				
बैंक के पास शेष एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष रकम	i) Balances with Banks				
(क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	343,23,06		311,71,31	
(ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	1363,74,90	1706,97,96	1419,62,43	1731,33,74
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय	ii) Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास	a) with Banks	2785,35,00		251,00,00	
(ख) अन्य संस्थाओं के पास	b) with Other Institutions	1600,00,00	2945,35,00	-	251,00,00
जोड़ (i एवं ii)	Total (i and ii)		4652,32,96		1982,33,74
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	811,14,19		627,86,62	
ii) अन्य जमा-राशि खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	4479,33,75		4496,36,69	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	3609,96,57		5299,14,87	
जोड़ (i,ii एवं iii)	Total (i, ii and iii)		8900,44,51		10423,38,18
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I and II)		<u>13552,77,47</u>		<u>12405,71,92</u>

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

		(000'S अनंकित omitted)			
		31 मार्च, 2008 को As on 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31st March, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS				
I भारत में निवेश	I Investments in India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	33945,32,09		25713,61,75	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	1154,14,56		1250,07,88	
iii) शेयर	iii) Shares	775,89,22		549,49,72	
iv) डिबेंचर एवं बांड	iv) Debentures and Bonds	2642,65,28		2758,12,64	
v) अनुषंगी इकाइयों में निवेश (इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शेयर पूंजी के रूप में बैंक के अग्रिम अंशदान, जो आबंटन हेतु लम्बित हैं, रु.7315.68 लाख शामिल हैं.) (पिछले वर्ष रु. 7315.68 लाख)	v) Investment in Associates [includes Bank's share of contribution as advance towards Share Capital of RRBs pending allotment of Rs.7315.68 lacs (Previous year Rs.7315.68 lacs)]	253,17,82		238,51,11	
vi) अन्य	vi) Others	1606,52,36		769,66,59	
जोड़ (i से vi)	Total (i to vi)		40377,71,33		31279,49,69
II भारत से बाहर निवेश	II Investments Outside India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	1629,33,31		1724,36,31	
ii) सहयोगी इकाइयों में निवेश	ii) Investment in Associates	33,85,68		23,57,68	
iii) अन्य	iii) Others	2616,85,58		2649,55,88	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		4280,04,57		4397,49,87
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I & II)		44657,75,90		35676,99,56
III भारत में निवेश	III Investments in India				
i) निवेशों का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	40718,59,24		32045,83,60	
ii) मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	ii) Aggregate of Provisions for Depreciation	340,87,91		766,33,91	
iii) शुद्ध निवेश	iii) Net Investments	40377,71,33		31279,49,69	
IV भारत से बाहर निवेश	IV Investments outside India				
i) निवेशों का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	4380,78,79		4419,86,96	
ii) मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	ii) Aggregate of Provisions for Depreciation	100,74,22		22,37,09	
iii) शुद्ध निवेश	iii) Net Investments	4280,04,57	44657,75,90	4397,49,87	35676,99,56

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

(000'S अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31st March, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES				
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted		8860,68,25		9039,45,37
ii) नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand		49498,78,66		38140,86,47
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans		50219,50,52		38377,71,77
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		<u>108578,97,43</u>		<u>85558,03,61</u>
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts)	72800,74,63		60148,61,68	
ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	7598,95,71		6264,44,14	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	28179,27,09		19144,97,79	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)	<u>108578,97,43</u>		<u>85558,03,61</u>	
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	30014,85,54		24452,69,92	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	13455,37,67		7148,57,28	
iii) बैंक	iii) Banks	1644,21,99		1347,72,34	
iv) अन्य	iv) Others	40458,83,14	85573,28,34	35161,84,95	68110,84,49
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i) बैंकों से प्राप्य	i) Due from Banks	442,11,55		94,60,56	
ii) अन्यो से प्राप्य	ii) Due from Others				
क) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	a) Bills purchased & Discounted	6301,26,79		6838,16,65	
ख) समूह ऋण	b) Syndicated Loans	6140,69,85		4079,83,55	
ग) अन्य	c) Others	10121,60,90	23005,69,09	6434,58,36	17447,19,12
जोड़ (ग I + ग II)	Total (C.I +C.II)		<u>108578,97,43</u>		<u>85558,03,61</u>

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

(000'S अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को As on 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31st March, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-10	SCHEDULE - 10				
अचल आस्तियां	FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
विगत वर्ष की 31 मार्च की लागत / पुनर्मूल्यांकित राशि पर	At cost as on 31st March of the preceding year	1006,44,13		936,27,51	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	1418,89,74		78,67,46	
		2425,33,87		1014,94,97	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	Less : Deductions during the year	12,38,74		8,50,84	
		2412,95,13		1006,44,13	
आज की तारीख को मूल्य ह्रास	Depreciation to date	379,45,11	2033,50,02	285,24,67	721,19,46
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :				
विगत वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	1335,49,29		1011,60,74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	265,07,66		337,25,65	
		1600,56,95		1348,86,39	
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	119,49,83		13,37,10	
		1481,07,12		1335,49,29	
तुलन-पत्र की तारीख तक मूल्यह्रास	Depreciation to date	1024,42,34	456,64,78	897,20,76	438,28,53
क पट्टे पर दी गई आस्तियां (अनुषंगी को बंद करने पर अर्जित)	II A Leased Assets [Acquired on winding up of a subsidiary]				
विगत वर्ष	At cost	13,95,89		13,95,89	
तुलन-पत्र की तारीख तक मूल्य ह्रास	Depreciation to date	13,95,89	-	13,95,89	-
जोड़ (I, II क, II एवं II क)	Total (I, II and IIA)		2490,14,80		1159,47,99
III पूंजी-कार्य प्रगतिपर (पट्टे पर ली गयी आस्तियां) प्रावधान का शुद्ध	III Capital-Work-in progress (Leased Assets) net of Provisions				
			37,32		-
कुल (I, II, IIA and III)	Total (I, II, IIA and III)		2490,52,12		1159,47,99

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

		(000'S अनंकित omitted)			
		31 मार्च, 2008 को As on 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को As on 31st March, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS				
I अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	I Inter-Office Adjustments (Net)		666,33,03		1296,83,15
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		1644,98,20		1522,10,73
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती	III Tax paid in advance/tax deducted at source		787,92,21		1305,26,57
IV लेखन-सामग्री और स्टाम्प	IV Stationery and Stamps		8,53,28		8,52,92
V आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	V Deferred Tax assets (Net)		53,41,78		49,24,84
VI अन्य	VI Others		1236,31,06		1135,50,28
जोड़ (I से VI)	Total (I to VI)		<u>4397,49,56</u>		<u>5317,48,49</u>
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES				
I दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts		1239,50,84		1676,80,66
II आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments		207,49,98		26,52,22
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts		56492,49,48		34972,71,81
IV ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :				
क) भारत में	a) In India	4785,97,53		4124,77,21	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	<u>2158,73,87</u>	6944,71,40	<u>1930,14,86</u>	6054,92,07
V स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		6865,70,06		6567,54,61
VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability		10845,35,36		12355,77,39
जोड़ (I से VI)	Total (I to VI)		<u>82595,27,12</u>		<u>61654,28,76</u>

समेकित लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

(000'S अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को Year Ended 31st March, 2008	31 मार्च, 2007 को Year Ended 31st March, 2007
		रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज एवं लाभांश	SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I Interest/Discount on Advances/ Bills	8621,97,26	6119,99,77
II निवेश पर आय	II Income on Investments	2850,96,20	2666,65,95
III भारतीय रिजर्व बैंक शेष और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर शेष पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	590,01,59	502,27,47
IV अन्य	IV Others	101,29,46	33,01,53
जोड़	TOTAL	12164,24,51	9321,94,72
अनुसूची - 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME		
I कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage	588,56,89	524,65,75
II भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	II Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)	39,66	12,84,80
III विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)	III Profit on Exchange Transactions (Net)	282,53,68	244,34,45
IV निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	IV Profit on sale of Investments (Net)	532,95,85	132,34,95
V विविध आय	V Miscellaneous Income	737,96,17	576,66,44
जोड़	TOTAL	2142,42,25	1490,86,39
अनुसूची - 15 ब्याज व्यय	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED		
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	7574,66,72	5114,03,99
II भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्तर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/ Inter-Bank Borrowings	111,70,72	167,86,17
III अन्य	III Others	376,49,34	285,58,53
जोड़	TOTAL	8062,86,78	5567,48,69

समेकित लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2008 को Year Ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को Year Ended 31st March, 2007	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16				
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES				
I कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees		1851,27,08		1696,93,24
II किराया, कर एवं विद्युत	II Rent, Taxes and Lighting		237,05,35		198,88,41
III मुद्रण एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery		24,15,33		20,33,96
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity		35,11,49		29,03,04
V क) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास	V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	240,70,83		203,41,82	
ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	b) Depreciation on Leased Assets	-	240,70,83	-	203,41,82
VI निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses		3,15,84		1,44,23
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)		24,28,54		20,52,62
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges		13,39,34		12,22,61
IX डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.		52,88,04		33,22,79
X मरम्मत एवं रख रखाव	X Repairs and Maintenance		61,87,77		59,81,03
XI बीमा	XI Insurance		118,81,93		104,35,65
XII अन्य व्यय	XII Other Expenditure		389,84,37		295,37,86
जोड़	TOTAL		3052,55,91		2675,57,26
अनुसूची - 17	SCHEDULE - 17				
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES				
I आरआरबी	I RRB's		14,66,60		5,04,64
II अन्य	II Others		25,18,53		65,95,84
जोड़	TOTAL		39,85,13		71,00,48

अनुसूची : समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां : 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए Schedule 18 : Significant accounting policies on the consolidated financial statement for the year ended 31st March 2008

1. समेकित वित्तीय विवरणियां और तैयार करने का आधार :

- 1.1 बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों और सहयोगी इकाइयों की समेकित वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर बनाई गई हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत में भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में प्रचालित सांविधिक प्रावधानों एवं विधाओं के अनुरूप हैं, (जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.)
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित है।

2. समेकन प्रक्रिया :

- 2.1 समेकित वित्तीय विवरणियां, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस)-21 "समेकित वित्तीय विवरणियां" के अनुरूप तैयार की गई हैं। बैंक तथा इसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियां क्रमानुसार (लाइन बाय लाइन) विभिन्न शीर्षों को परस्पर जोड़ते हुए जैसे आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय का जोड़, समेकित की गई हैं। उक्त समेकन इन्द्राग्रुप शेषों/संव्यवहारों एवं परिणामतः वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए किया गया है।
- 2.2 देशीय सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियों को, जहां कहीं आवश्यक हो, मूल बैंक की लेखा-नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है।
लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में
- 2.3 सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी "अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसालिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" ए एस 23 इक्विटी प्रणाली के अनुरूप किया गया है।
- 2.4 समेकित वित्तीय विवरणियों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इक्विटी में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित हैं।
- 2.5 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को गुडविल/प्रारक्षित पूंजी के रूप में माना गया है।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

- 3.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखाकरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव पर जारी लेखा मानक 11 के अनुरूप किया गया है।
- 3.2 लेखा मानक एस-11 के प्रयोजन के लिए बैंक के मूल एवं अनुषंगी विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालन एवं (ख) पृथक परिचालनों

1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

- 1.1 Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE:

- 2.1 The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with Accounting Standard (AS)-21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements of the Parent and its subsidiaries are combined on a line by line basis by adding together sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra-group balances / transactions and resulting unrealized profit / loss.
- 2.2 In case of difference in accounting policies, the Financial Statements of Subsidiaries and Associates are adjusted, wherever necessary, to conform to the Accounting Policies of the Parent.
- 2.3 Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) -23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.
- 2.4 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.
- 2.5 The difference between cost to the Parent of its investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/capital reserve.

3. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- 3.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Parent and its Subsidiaries are classified as a) Integral

के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है।

3.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में संव्यवहार

- (क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है।
- (ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते के द्वारा लेखांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

3.4 पृथक परिचालनों के संबंध में संव्यवहार

- (क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- (ख) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा रूपांतरण प्रारक्षित निधि" में रखा गया है।

3.5 वायदा विनिमय संविदाएं

भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों तथा एएस-11 के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक मुद्रा की बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता हेतु तदनुसारी वायदा दरों पर तुलनपत्र की दिनांक का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन राशि तथा संविदा राशि में अंतर को यथा स्थिति लाभ या हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

4. निवेश

4.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू अनुषंगियों के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- (क) "परिपक्वता तक धारित" निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं।
 - (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
 - (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त "क" तथा "ख" में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।
- 4.2 "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हों, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Subsidiaries of Parent are treated as Non Integral Operations; and Domestic Operations in Foreign Exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

3.3 Translation in respect of Integral Operations:

- a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
- b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

3.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

- a) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- b) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" under the head "Revenue Reserve", till the disposal of the investment.

3.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are re-valued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between re-valued amount and the contracted amount is recognised as profit or loss, as the case may be.

4. INVESTMENTS:

4.1 The Investment portfolio of the Parent and its domestic subsidiaries is classified in accordance with Reserve Bank of India guidelines into:

- (a) "Held to Maturity" comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- (b) "Held for Trading" comprising investments acquired with the intention to trade.
- (c) "Available for Sale" comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

4.2 Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड्स शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाएगा तथा जिनके लिए अग्रिमों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण पत्र, जो संबद्ध राशि पर मूल्यांकित किए जाते हैं, में निवेशों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है।

अनुबंधित तथा संयुक्त उपक्रमों (भारत तथा विदेश में) में निवेश को अधिग्रहण लागत में से मूल्यांकन (अस्थायी प्रकृति के अलावा) राशि को कम कर मूल्यांकित किया जाता है।

- 4.3 “परिपक्वता पर धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारत औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया जाता है एवं “परिपक्वता पर धारित” वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य राशि को प्रारंभित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है।
- 4.4 “व्यापार के लिए धारित” एवं “बिक्री के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिपवार चिह्नित किया गया है तथा तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी में दर्शाए गए परिणामी शुद्ध मूल्यांकन यदि कोई है, को लाभ हानि खाते में स्थान दिया गया है। जब कि शुद्ध मूल्यवृद्धि यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।
- 4.5 गैर निष्पादित प्रतिभूतियों के सम्बंध में आय को मान्य नहीं किया जाता है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में हास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- 4.6 निवेश की अधिग्रहण लागत, प्राप्त प्रोत्साहन राशि तथा फ्रंट एंड फी कमीशन, दलाली, स्टाम्प ड्यूटी के बाद की लागत है।
- 4.7 “व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पीडीएआई) फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

- क. सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां - परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
- ख. इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर - अद्यतन तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा रु.1 प्रति कंपनी
- ग. अधिमान शेयर - परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
- घ. पीएसयू बॉन्ड - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
- ङ. म्युचुअल फंड की यूनिटें - फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य एनएवी पर
- च. उद्यम पूंजी - लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी जोकि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीएसएफ) रु.1/-

Investments classified as “Held to Maturity” includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances, for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to advances, and Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature

- 4.3 Profit / Loss on sale of investments classified as “Held to Maturity” is recognized in the Profit & Loss account based on the weighted average cost / book value of the related investments and an amount equivalent of profit on sale of investments in “Held to Maturity” classification is appropriated to Capital Reserve Account.
- 4.4 Investments classified as “Held for Trading” and “Available for Sale” are marked to market, scrip-wise and the resultant net depreciation if any in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.
- 4.5 In respect of non-performing securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.
- 4.6 Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.
- 4.7 For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates/quotes on the Stock exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under: -

- a Government / Approved securities -On Yield to Maturity basis.
- b Equity Shares, PSU and Trustee shares - At book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
- c Preference Shares - On Yield to Maturity basis.
- d PSU Bonds - On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
- e Units of Mutual Funds - At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
- f Venture Capital - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.

- 4.8 “निवेश” प्रतिभूतियों के रूप में उधार दी गई राशियों का निवल भाग है और इसमें रेपो व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार दी गई प्रतिभूतियां शामिल हैं।
- 4.9 विदेशी शाखाओं में निवेश के सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देशों के दिशा-निर्देशों का, दोनों में से जो अधिक कठोर हों का अनुपालन किया जाता है। ऐसी शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।
- 4.10 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है।
- 4.11 पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद
बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। रेपो / रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को निवेश खाते में शेष राशि की एवज में समायोजित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत खरीदी / बिक्री की गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे / जमा की जाती हैं तथा इन्हें संव्यवहार की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया जाता है। इन पर व्यय / अर्जित किया गया ब्याज को व्यय / लागत के रूप में लेखांकित किया जाता है।
(भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चल निधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर). तदनुसार, पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद खातों में लेखांकित किया जाता है तथा सारी प्रविष्टियां परिपक्वता तिथि को रिवर्स कर दी जाती हैं। यथास्थिति अनुसार लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय के हिसाब से की गई।
- 4.12 डेरिवेटिव्स :
बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याजदर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्जीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :
व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स ठीक-ठीक आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस मार्केट डू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। किसी भी प्रकार का लाभ दर्ज नहीं होता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वेप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि, समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।
- 5 ब्याज दर स्वैप**
- 5.1 हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वैप कारोबारों को उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है तथा व्यापार के लिए लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पाक्षिक अंतरालों पर मार्केट मूल्य पर अंकित किया गया है।
- 5.2 मूल्यांकन के लिए, स्वैप की वास्तविक मूल्य की उस राशि पर गणना की जाती है जो तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के लेनदेन के समाप्त होने पर प्राप्त या देय होंगे, कुल होने वाली हानियों, यदि कोई है, की समूची राशि के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

- 4.8 Investments are net of securities lent and include securities borrowed under repo arrangements.
- 4.9 In respect of Investments at Overseas Branches, RBI guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.
- 4.10 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- 4.11 REPO / REVERSE REPO
The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold / purchased under Repo / Reverse Repo are treated as outright sales / purchases and accounted for in the Repo / Reverse Repo Accounts and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.
Securities purchased/ sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/ earned thereon is accounted for as expenditure/ revenue.
- 4.12 DERIVATIVES
The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Parent are Options and Currency swaps.
Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:
The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

4.11 REPO / REVERSE REPO

The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold / purchased under Repo / Reverse Repo are treated as outright sales / purchases and accounted for in the Repo / Reverse Repo Accounts and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/ sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/ earned thereon is accounted for as expenditure/ revenue.

4.12 DERIVATIVES

The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Parent are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

5. INTEREST RATE SWAPS:

- 5.1 The interest rate swap transactions for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market at fortnightly intervals in line with the Reserve Bank of India guidelines.
- 5.2 For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising therefrom, if any are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

6 अग्रिम

- 6.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों अथवा मेजबान देश जिसमें अग्रिम दिया गया है, जहां कही लागू हो, के स्थानीय नियमों में से जो अधिक कठोर हों, के अनुरूप किया गया है।
- 6.2 अग्रिम राशि, उच्चतम खाते के ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त क्लेम और गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान के बाद की राशि है।
- 6.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान को "अन्य देयतायें" शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 6.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/जांच कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबी वी) (अर्थात् बही मूल्य घटाएं धारित प्रावधान) से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य, शुद्ध बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया जाता है। अपितु इसका उपयोग दूसरी गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप कमी / घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है।

7 अचल आस्तियां

- 7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर ली गई हैं, पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बढ़ी हुई राशि पर मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान को इसमें से घटा दिया जाता है।
- 7.2 "परिसर" में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

8 प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

9 राजस्व का निर्धारण :

- 9.1 जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया जाता है।
- 9.2 गैर निष्पादित अग्रिमों तथा निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गई है।
- 9.3 शुल्कों से प्राप्त आय सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, विनिमय, दलाली, खरीदे गये बिलों पर बट्टा तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली पर हिसाब में लिया गया है।
- 9.4 अनुषंगियों संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी इकाइयों के शेयरों पर डिविडेंड वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाएंगे।

10 कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ :

- 10.1 भविष्य निधि खाते में किए गए योगदान को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।

6 ADVANCES:

- 6.1 Advances of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with stricter of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made.
- 6.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposit and Claims Received.
- 6.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision is made for the sacrifice of interest measured in present value terms as per Reserve Bank of India guidelines. The said provision is included under the head 'Other Liabilities'.
- 6.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall /loss on account of Sale of other non-performing financial assets.

7. FIXED ASSETS:

- 7.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except those premises, which have been re-valued. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.
- 7.2 Premises includes building under construction and land.

8. RESERVES AND SURPLUS:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

9. REVENUE RECOGNITION:

- 9.1 Income / expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In case of foreign offices, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 9.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of non-performing assets/ Investments, such income is accounted for only on realization in terms of RBI guidelines.
- 9.3 Income from Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Exchange, Brokerage and interest on Overdue Bills/ Advance Bills are accounted for on actual realization.
- 9.4 Dividend on shares of Subsidiaries, joint ventures and associates are accounted on actual realisation basis.

10 RETIREMENT BENEFITS TO EMPLOYEES:

- 10.1 Contribution to the Provident Fund is charged to Profit & Loss Account.

10.2 मान्यताप्राप्त ग्रेच्युटी फंड में तथा पेंशन फंड में अंशदान तथा संचित अवकाशों के नकदीकरण एवं अतिरिक्त सेवा-निवृत्ति लाभों के प्रावधानों को उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है। बैंक ने संशोधित मानक के प्रथम किर्यान्वयन पर आनेवाली अतिरिक्त देयता (परिवर्ती प्रावधान) की पहचान की है तथा इसे खर्च के रूप में लाभ-हानि खाते में -5- वर्षों के दौरान प्रभारित किया जायेगा।

11 मूल्यहास :

- 11.1 भारत में, कम्प्यूटर तथा एटीएम को छोड़कर, अचल आस्तियों पर मूल्यहास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति के अन्तर्गत प्रदान किया गया है।
- 11.2 कंप्यूटरों को छोड़कर भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास मेजबान देश की मौजूदा पद्धति एवं स्थानीय कानूनों के अनुसार प्रदान किया गया है।
- 11.3 कम्प्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर साफ्टवेयर जोकि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है।
- 11.4 एटीएम पर मूल्यहास 20% की दर से स्टेट लाइन विधि से प्रदान किया जाता है।
- 11.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। जब कि बेचे गए/निस्तारित किए गए वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 11.6 पट्टा भूमि का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है।

12 आस्तियों की हानि :

अचल आस्तियों पर हानि, यदि कोई हो (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है।

13 आय पर कर :

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा करयोग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, फ्रिज बेनिफिट कर और आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर के लिए प्रावधान को, आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं पर विवेकपूर्ण नीति के अध्यक्षीन हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

आयकर के लिए प्रावधान आस्थगित करों के समायोजन के बाद सम्बद्ध देश की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।

14 प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक

10.2 Contribution to recognized Gratuity Fund, Pension Fund and Provision for Encashment of accumulated leave and additional retirement benefits are made on actuarial basis and charged to Profit & Loss Account. The Parent has identified additional liability (Transitional Provision) arising upon the first application of the Revised Standard and will be charged as an expense to Profit & Loss Account over a period of -5- years.

11 DEPRECIATION:

- 11.1 Depreciation on Fixed Assets in India except Computers and ATMs, is provided under the written down value basis, at the rates prescribed in Schedule-XIV of the Companies Act, 1956.
- 11.2 Depreciation on Fixed Assets outside India except Computers is provided as per local laws or prevailing practices of the respective countries.
- 11.3 Depreciation on Computers is provided on Straight-Line Method at the rate of 33.33%, as per the guidelines of Reserve Bank of India. Computer software not forming an integral part of hardware is depreciated fully during the year of purchase.
- 11.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20%.
- 11.5 While depreciation on additions is provided for full year, no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 11.6 Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

12 IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India and charged off to Profit and Loss Account.

13 TAXES ON INCOME:

This comprise of provision for Income tax, fringe benefit tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be received, settled or reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

Provision for income tax is made in accordance with statutory requirements of the respective countries after adjustment for deferred taxes.

14 EARNINGS PER SHARE:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard

20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है। बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को अवधि के लिए बकाया भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर ली गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारत इक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों की संख्या में गणना की गई है।

15 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में हिसाब में नहीं लिया गया है, क्योंकि इस तरह की आय की वसूली कभी भी संभव नहीं हो सकती है।

16 आस्थगित राजस्व खर्च :

बॉब एसेट मैनेजमेंट कं. लि. अनुषंगी के मामले में, आस्थगित राजस्व खर्च को पाँच / दस वर्षों की अवधि के लिए बहे खाते में डाला जा रहा है।

20 ("Earnings Per Share") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the Accounting Standard 29 ("Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

16 DEFERRED REVENUE EXPENDITURE:

In case of subsidiary, BOB Asset Management Co. Ltd., Deferred Revenue Expenditure is being written off over a period of five/ten years.

अनुसूची - 19 : समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट : 31 मार्च 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष Schedule-19 : Notes on the consolidated financial statements for the year ended 31st March 2008

1. समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में बैंक (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों के परिणाम शामिल हैं.

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) comprise the results of the Bank (Parent) and the following subsidiaries:

अनुषंगियों के नाम	देश, जहां विद्यमान है	स्वामित्व का अनुपात 31.03.08	Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership as on 31.03.08
-------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------	--

देशीय अनुषंगियां

Domestic Subsidiaries

बैंकिंग

Banking :

1) नैनीताल बैंक लि. भारत 98.39%

1) The Nainital Bank Ltd. India 98.39%

गैर बैंकिंग

Non Banking:

2) बॉब एसेट मैनेजमेंट कं. लि. भारत 100.00%

2) BOB Asset Management Co. Ltd. India 100.00%

3) बॉब कैपिटल मार्केट लि. भारत 100.00%

3) BOB Capital Markets Ltd. India 100.00%

4) बॉब कार्ड्स लि. भारत 100.00%

4) BOB Cards Ltd. India 100.00%

विदेशी अनुषंगियां :

Overseas Subsidiaries:

बैंकिंग

Banking:

5) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. बोत्सवाना 100.00%

5) Bank of Baroda (Botswana) Ltd. Botswana 100.00%

6) बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि. केन्या 86.70%

6) Bank of Baroda (Kenya) Ltd. Kenya 86.70%

7) बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लि. युगांडा 80.00%

7) Bank of Baroda (Uganda) Ltd. Uganda 80.00%

8) बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लि. हांगकांग 100.00%

8) Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd. HongKong 100.00%

9) बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) लि. गुयाना 100.00%

9) Bank of Baroda (Guyana) Inc. Guyana 100.00%

10) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. तंजानिया 100.00%

10) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd Tanzania 100.00%

11) बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनीदाद एवं टोबेगो लिमिटेड त्रिनीदाद एवं टोबेगो 100.00%

11) Bank of Baroda Trinidad & Tobago ltd. Trinidad & Tobago 100.00%

12) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. घाना 100.00%

12) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. Ghana 100.00%

गैर बैंकिंग

Non Banking:

13) बॉब (यू के) लि. युनाइटेड किंगडम 100.00%

13) BOB (UK) Ltd. United Kingdom 100.00%

2. सहयोगी बैंक :

2. Associates:

2.1 लेखामानक (एस) - 23 के अनुसार निवेश हेतु समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में समाहित सहयोगी बैंकों के विवरण निम्नलिखित हैं :

2.1 The particulars of Associates considered in the CFS as per Accounting Standard (AS) – 23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements are as under:

नाम	Name	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%)
1) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	1) Indo Zambia Bank Limited	20%
2) यू टी आई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	2) UTI Asset Management Company Ltd	25%
3) यू टी आई ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	3) UTI Trustee Company Pvt Ltd.	25%
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
Regional Rural Banks		
4) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	4) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	35%
5) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5) Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank	35%
6) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	6) Baroda Rajasthan Gramin Bank	35%
7) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	7) Baroda Gujarat Gramin Bank	35%
8) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8) Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank	35%

2.2 सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण

2.2 Particulars of the Investment in Associates:

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

क्र. सं	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2008 को As at 31.03.2008	31.03.2007 को As at 31.03.2007
(क)	सहयोगी इकाइयों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	392.24	392.24
(ख)	उपरोक्त (क) में शामिल अधिग्रहण पर साख	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	184.12	184.12
(ग)	अधिग्रहण उपरान्त गुड विल के लाभों (शुद्ध) का अंश	c.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill	78.92	53.97
(घ)	31 मार्च को निवेश (क-ख+ग)	d.	Investment as at 31 st March (a -b+c)	287.04	262.09
(ङ)	भारत में निवेश	e.	Investment in India	253.18	238.51
(च)	भारत से बाहर निवेश	f.	Investment outside India	33.86	23.58
(छ)	कुल (ङ + च)	g.	Total (e + f)	287.04	262.09

3. अनुषंगियों /सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां :

- 3.1 अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. को छोड़कर उसी रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार तैयार की गई हैं जिस तारीख को (अर्थात 31 मार्च, 2008) मूल संस्था की विवरणी तैयार की गई है। उक्त अनुषंगियों की विवरणियां 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुरूप तैयार की गई हैं। 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2008 के बीच अपेक्षित समायोजनों हेतु कोई उल्लेखनीय संव्यवहार नहीं हुआ है।
- 3.2 समेकित वित्तीय विवरणी वर्ष 2007-08 में बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लि. का समावेश है जो कि बैंक की अनुषंगी है।
- 3.3 बैंक की समेकित वित्तीय विवरणी वर्ष 2007-08 में सहयोगी, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कं. लि. की अंकेक्षित समेकित विवरणी के आंकड़ें भी शामिल हैं। जिसमें यूटीआई वेंचर फंडस् मैनेजमेंट कं. प्रा. लि. तथा यूटीआई इंटरनेशनल लि. नामक उस की दो अनुषंगियों के खाते भी शामिल हैं।
- 3.4 सहयोगी इकाइयों यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कं.लि., यूटीआई ट्रस्टी कं. प्रा.लि., यूटीआई वेंचर फण्डस् मैनेजमेंट कं.प्रा.लि., तथा यूटीआई इंटरनेशनल लि. में निवेश, साख एवं परिणामी लाभ/ हानि को 31 मार्च, 2007 की अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिया गया है। प्रबंधन को इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके अलावा अचल आस्तियों तथा प्रावधान पर मूल्यहास, सॉफ्टवेयर के परिशोधन पर उक्त सहयोगी नीतियां मूल से भिन्न हैं, चूंकि इसका आकलन नहीं किया जा सकता, अतः समेकित विवरणियों में इनके प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया है।
4. 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन है :
- 1) बॉब एसेट मैनेजमेंट कं.लि..
 - 2) बॉब कैपिटल मार्केटस् लि.
 - 3) बॉब कार्डस् लि.

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates

- 3.1 The financial statements of the subsidiaries and associates have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2008 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd., Bank of Baroda (Kenya) Ltd. and Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., which have been drawn upto 31st December 2007. There are no significant transactions or other events during 1st January 2008 to 31st March 2008 requiring adjustment therein.
- 3.2 CFS for the year 2007-08 includes audited accounts of Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd, a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (Uganda) Ltd, which is subsidiary of parent.
- 3.3 CFS for the year 2007-08 of the parent also includes figures of unaudited CFS of an associate, UTI Asset Management Company Private Ltd, which includes the accounts of two of its subsidiaries namely UTI Venture Funds Management Company Pvt Ltd and UTI International Ltd.
- 3.4 Investment, Goodwill and resultant profit / loss from Associates viz. UTI Asset Management Co. Ltd., UTI Trustee Co. Pvt. Ltd., have been accounted on the basis of unaudited financial statements as of 31st March 2008. The management does not expect any material change in the same. Further, the said Associates policies on Fixed Assets and Provision of Depreciation, amortizations of Software is different from Parent. Impact of the same is not given in the Consolidated Financial Statement, as the same is not ascertainable.
4. The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31.3.2008 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956:
- 1) BOB Asset Management Co. Ltd.
 - 2) BOB Capital Markets Ltd.
 - 3) BOB Cards Ltd.

5. मूल एवं अनुषंगी इकाइयों की बहियों का मिलान एवं समाधान :

- 5.1 कुछ शाखाओं /कार्यालयों में नियंत्रण खाते का सबसीडियरी लेजर / रजिस्ट्रों के साथ बैलेसिंग /समाधान का कार्य प्रगति पर है.
- 5.2 'ग्रुप इंटर-से' अनुषंगियों के खाते और अंतः कार्यालय समायोजन में शामिल खाते के विभिन्न शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के समाधान का कार्य प्रगति पर है.
- 5.3 बैंकों के साथ नोस्ट्रो, ड्राफ्ट्स /टीटी देय, सस्पेंस, लाभांश खाते/लाभांश/ब्याज/ रिफंड ऑर्डर प्रदत्त /देय आदि खातों के समाधान का कार्य प्रगति पर है.

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर उपरोक्त का प्रभाव, यदि कोई है जो यद्यपि गणना योग्य नहीं है, का प्रभाव प्रबंधन की राय में, महत्वपूर्ण नहीं होगा.

6. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं /औद्योगिक निर्यातों परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल हैं.

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी 218 घरेलू अचल परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है. ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि की राशि रुपये 1377.74 है, जिसे प्रारक्षित एवं अधिशेष के भाग के रूप में अचल परिसम्पत्तियों में जोड़ कर आरक्षित पूंजी के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया है.

7. आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के नियमों को ध्यान में रखते हुए तथा अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है.
8. वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा जब्त किए गए 400 इक्विटी शेयरों को (पिछले वर्ष 500 इक्विटी शेयर) वार्षिक लेखे में लिया गया.
9. वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा रु.2703.62 करोड़ के टीयर II बांड में वृद्धि की गयी जिसमें बैंक द्वारा मीडियम टर्म नोट्स के माध्यम से जारी किए गये रु.1203.62 करोड़ (यूएस डी 300 mn) शामिल हैं.
10. मूल संस्था (बैंक) की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है. वर्ष के अंत में परिसर शीर्ष के अंतर्गत कुल रु.1765.99 करोड़ (पिछले वर्ष रु.388.25 करोड़) पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है. शुद्ध अवमूल्यन के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि रु.1519.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु.213.86 करोड़) हैं.
11. मूल संस्था बैंक ऑफ बड़ौदा ने दि.1 अप्रैल, 2007 से अनुषंगी इकाई बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लि. का अधिग्रहण कर हांगकांग में अपना कार्य (परिचालन) प्रारंभ कर दिया है. इस बात को ध्यान में रखते हुए समेकित अनुषंगी लेखों का ऑन गोइंग आधार पर समेकन किया गया है.

5. Balancing of Books & Reconciliation of Parent and its subsidiaries:

- 5.1 Balancing/reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers / registers, are in progress in certain branches / offices.
- 5.2 Reconciliation of outstanding entries in subsidiaries' accounts in the group inter-se and in various heads of accounts included in Inter Office Adjustments is in progress.
- 5.3 Reconciliation of accounts with banks, Nostro, Drafts / TTs Payable, Suspense, Dividend / Interest / Refund Orders paid / payable etc., is in progress.

The impact of the above, if any, on the Profit & Loss and balance sheet of CFS though not quantified, in the opinion of the management, will not be material.

6. Capital Reserve

Capital Reserve of Parent includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.

During the current financial year, Parent has revalued its 218 Domestic immovable properties. The amount of appreciation on such revaluation is Rs. 1377.74 crores which is shown as an addition to Fixed Assets and credited to Revaluation Reserve Account under Capital Reserves as part of Reserves and Surplus.

7. Provision for taxes are arrived at after due consideration of decisions of appellate authorities and advice of consultant.
8. During the year, the Parent has annulled the forfeiture of 400 equity shares (previous year 500 equity shares).
9. During the year, Tier II Bonds amounting to Rs. 2703.62 crores have been raised, including Rs.1203.62 crores (USD 300 mn) issued by way of Medium Term Notes, by the Parent.
10. Certain properties (premises) of the Parent are stated at revalued amounts. The gross amount of the revaluation included in premises as at the year-end is Rs. 1765.99 crores (Previous Year Rs.388.25 crores) and net of depreciation the revaluation amounts to Rs. 1519.09 crores (Previous year Rs. 213.86 crores).
11. The Parent (Bank of Baroda) has commenced operations at Hongkong w.e.f. 1st April 2007 by taking over the business of subsidiary, Bank of Baroda (Hongkong) Ltd. The subsidiary company will be wound up in course. Considering this, accounts of the subsidiary, consolidated herein, has been compiled on going concern basis.

12. प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण

लाभ हानि खाते में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बड़ेखाते डाले गए ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	576.21	308.18
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सेक्रीफाइज हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	89.90	(8.07)
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	(6.87)	11.31
करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision for taxes (including deferred Taxes)	802.31	652.40
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	41.79	339.07
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	109.96	181.84
कर्मचारी कल्याण व्यय हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	15.00	15.00
अन्य	Others	47.24	4.69
कुल	Total	1675.54	1504.42
घटाएं: निवेश पर मूल्य हास हेतु अतिरिक्त प्रावधान	Less: Excess provision for depreciation on investments	2.43	-
पिछले वर्ष से संबंधित आय कर प्रावधान का पुनर्कन	Write back of Income tax provision Relating to previous years	-	-
कुल	Total	1673.11	1504.42

(रु. करोड़ में /Rs. in Crores)

12. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

13. सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए एस-17)

भाग क : प्राथमिक सेगमेंट / Part A - Primary Segments

13. Segment Reporting (AS – 17):

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting

(रु. करोड़ में /Rs. in Crores)

कारोबार सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी / Treasury	कार्पोरेट / होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	रिटेल बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	जोड़ Total
		2007-08	2007-08	2007-08	2007-08	2007-08
राजस्व	Revenue	3638.33	4187.57	4102.65	2378.12	14306.67
परिणाम	Result	810.42	186.11	944.15	1515.56	3456.24
अनआबंटित खर्चे	Unallocated Expense					1105.55
परिचालनगत लाभ	Operating Profit					2350.69
शुद्ध लाभ	Income taxes					802.31
	Extra-ordinary Profit/loss					---
शुद्ध लाभ	Net Profit					1548.38
अन्य सूचना	Other Information					
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	57824.02	52428.98	33443.77	37199.12	180895.89
अनआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets					2583.09
कुल आस्तियां	Total Assets					183478.98
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	54247.94	49204.31	31397.45	35011.61	169861.31
अनआबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities					13617.67
कुल देयताएं	Total Liabilities					183478.98

भाग-ख - भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Secondary Segments

(रु. करोड़ में /Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	देशीय परिचालन Domestic Operations		अंतरराष्ट्रीय परिचालन International Operations		जोड़ Total	
		2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
राजस्व	Revenue	12104.69	9056.42	2201.97	1756.39	14306.67	10812.81
आस्तियां	Assets	144162.06	116403.19	39316.93	30468.44	183478.98	146871.63

टिप्पणी :

Notes:

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार लेखांकन मानकों की अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय और अन्तरराष्ट्रीय को गौण / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में आइ सी ए आफ द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ए एस-17 के साथ अनुपालना के उद्देश्य से अपनाया है.
- प्राथमिक सेगमेंट के मामले में ओवरसीज अनुषंगियों के आंकड़ों को अन्य बैंकिंग परिचालनों में शामिल कर लिया गया है.
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक द्वारा अपनाई गई अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को प्रयोग में लाया गया है.
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाती है.
- प्रत्येक सेगमेंट के लिए लगायी गयी पूंजी को सेगमेंट की आस्तियों में आनुपातिक आधार पर आबंटित किया गया है.
- संशोधित सेगमेंटों को अपनाए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक सेगमेंटों के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों को प्रकट नहीं किया गया है.

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and Other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as secondary / Geographic segments for the purpose of compliance with AS-17 on Segment reporting issued by the ICAI.
- In case of primary segments, figures of overseas subsidiaries have been included in Other banking operations.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the Parent has been used.
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the segment.
- In view of adoption of revised segments, previous years figures have not been disclosed for primary segments as per RBI Guidelines.

14. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18)

मूल संस्था (बैंक) के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- डॉ. अनिल के. खंडेलवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.03.2008 तक कार्यरत)
 - श्री वी. सन्तानरामन, कार्यकारी निदेशक
 - श्री सतीश गुप्ता, कार्यकारी निदेशक (06.06.2007 से कार्यरत)
- प्रबंधन के प्रमुख प्राधिकारी को अदा किया गया पारिश्रमिक रु. 17.60 लाख (गत वर्ष रु.10.18 लाख)

14. Related Party Disclosures (AS-18):

Key Management Personnel of the Parent:

- Dr. Anil K Khandelwal, Chairman & Managing Director (up to 31.03.2008)
- Shri V. Santhanaraman, Executive Director
- Shri Satish Gupta, Executive Director (from 06.06.2007 onwards)

Aggregate Remuneration paid to Key Management Personnel Rs. 17.60 Lac (previous year Rs.10.18 Lac).

15. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

15. Earnings per Share (AS-20)

		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
i. इक्विटी शेयर धारक हेतु कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	Net Profit after tax available for Equity shareholders (Rs. in crores)	1548.37	1128.86
ii. इक्विटी शेयर्स की भारित औसत संख्या	Weighted Average Number of Equity Shares	364266400	364265727
iii. प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन	Basic and diluted earnings per share of Rs.10/- each (Rs.)	42.51	30.99
iv. प्रति इक्विटी अंकित शेयर मूल्य	Nominal Value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

16. आय पर कर की गणना (एस-22)

आईसीआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस 22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गईं.

16. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Parent and its subsidiaries have complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized.

(रु. करोड़ में /Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2008		31.03.2007	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
बही मूल्यहास तथा आयकर कानून के तहत मूल्यहास	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	0.15	56.93		41.69
अन्य	Others	0.50	0.26		0.11
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	36.83	0.04	36.22	
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment	73.17		54.64	
वेतन संशोधन	Wage Revision			0.12	
निवेश पर हानि हेतु प्रावधान	Provision for loss on investment			0.07	
कुल	Total:	110.65	57.23	91.05	41.80
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	Net Deferred Tax Asset	53.42		49.25	

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 4.17 करोड़ की शुद्ध आस्थगित कर आस्तियों में वृद्धि (पिछले वर्ष रु. 0.29 करोड़ की वृद्धि) को लाभ व हानि खाते में निर्धारित किया गया है.

Increase in net Deferred Tax Assets of Rs. 4.17 Crores for the year ended 31st March 2008 (Previous year decrease of Rs.0.29 Crores) has been recognized in the Profit & Loss Account.

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29) से संबद्ध देयताओं के लिए प्रावधानों का संचालन (अन्यों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

17. Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others) in terms of AS-29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(रु. करोड़ में /Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	मुकदमों/ आकस्मिक Legal Cases / Contingencies		नेगोशिएशन के तहत बकाया वेतन Salary arrears under negotiation	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1 अप्रैल को शेष	Balance as on 1 st April	7.46	7.46	Nil	Nil
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	6.54	Nil	Nil	Nil
वर्ष के दौरान खर्च राशि	Amount used during the year	0.51	Nil	Nil	Nil
31 मार्च को शेष	Balance as at 31 st March	13.49	7.46	Nil	Nil
आउटफ्लो/ अनसर्टेनटीज का समय	Timing of Outflow / uncertainties	सेटलमेंट पर आउटफ्लो / क्रिस्टलाइजेशन Outflow on settlement / crystallization		-	-

18. अतिरिक्त प्रकटीकरण :

मूल संस्था (बैंक) एवं अनुषंगियों की अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना का सीएफएस के सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंध नहीं है, ऐसी मदों से संबंधित सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, सीएफएस में प्रकटीकृत नहीं किया गया है.

18. Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

19. पिछले वर्ष के आंकड़े :

समूह संस्थाओं के पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां जहां आवश्यक समझा गया, पुनः व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित /पुनःसमूहीकृत किया गया है.

19. Previous Year Figures:

Previous year's figures of the group entities have been rearranged / recast / regrouped wherever considered necessary.

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण
Statement of Consolidated cash flow for the year ended 31st March, 2008

		(000's अनंकित omitted)	
		31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2008	31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2007
क	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities :	
	कर से पूर्व शुद्ध लाभ	23506873	17812607
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	2407083	2034182
	निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	393572	5476199
	बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण /गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	5762060	3001148
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1099646	1818445
	अन्य मदों के लिए प्रावधान	1452635	309963
	अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)	(3966)	(128480)
	गौण ऋणों पर ब्याज लाभ/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	3504506	2172062
	अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	(109381)	(318721)
	उप-योग	38013028	32177405
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(90201206)	(5157973)
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(235971442)	(243750294)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	9199893	(14058048)
	उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	27910198	(38777233)
	जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	271876641	320564014
	अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	7857909	7427989
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का शुद्ध)	(4424653)	(4833814)
	बॉब हाउ. फाय. लि. के विलय के संबंध में पूंजीगत आरक्षित निधियों में वृद्धि	0	439034
	परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	24260368	54031080
ख.	निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from investing activities :	
	अचल आस्तियों की खरीद	(3816835)	(4159311)
	अचल आस्तियों की बिक्री	1270824	347274
	अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	109381	318721
	निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	(2436630)	(3493316)
ग.	वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities :	
	शेयर पूंजी	1	2
	शेयर प्रीमियम	10	12
	गैर जमानती गौण बांड	27036190	4491000
	लाभांश	(3409388)	(2524584)
	गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त /देय ब्याज	(3504506)	(2172062)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	20122307	(205632)
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)+(ख)+(ग)	Net increase in cash & cash equivalents	
	में शुद्ध वृद्धि	(A)+(B)+(C)	41946045
	वर्ष के प्रारंभ में क्रमशः नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at beginning of the year	189755072
	वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of year	231701117

बैंक ऑफ बड़ौदा की समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट : Auditors' Report on consolidated financial statements of Bank of Baroda

सेवा में,

निदेशक मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा

1. हमने बैंक ऑफ बड़ौदा ("बैंक") के 31 मार्च, 2008 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि लेखे और उक्त तारीख को समाप्त समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरणियां वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं तथा इन्हें प्रबंधन द्वारा अनुषंगियों तथा सहयोगी संस्थाओं की अलग वित्तीय विवरणियों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों के बारे में लेखा-परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।
2. बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियों को लेखा-मानक (एस)-21 - 'समेकित वित्तीय विवरणियां' और लेखा मानक (एस)-23 के अनुरूप भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणियों में, अनुषंगियों में निवेश हेतु लेखांकन और बैंक, इसकी अनुषंगियों और समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल सहयोगी संस्थाओं की अलग लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (अन्यथा उल्लिखितानुसार को छोड़कर) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है।
3. क) हमने निम्नलिखित की लेखा-परीक्षा नहीं की है।
 - (i) 13 अनुषंगियों, जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2008 को रु.4822.71 करोड़ की कुल आस्तियां तथा समाप्त वर्ष की अवधि के लिए रु.486.51 करोड़ का कुल राजस्व तथा उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए रु.175.68 करोड़ का नकदी प्रवाह दर्शाया गया है।
 - (ii) 8 सहयोगी संस्थाएं जिन्होंने 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए रु.39.85 करोड़ का शुद्ध लाभ प्रदर्शित किया है।
- ख) हमें अनुषंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड की 31 मार्च 2008 की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी, बैंक की समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्राप्त हुई है।
- ग) हमें दिनांक 31 मार्च 2008 को सहयोगी संस्थाओं- यूटीआई आस्ति प्रबंधन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियां बैंक द्वारा इन सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेश के मूल्यांकन की संगणना के लिए प्राप्त हुई हैं।
- ड) जैसा कि ऊपर लिखित पैराग्राफ (ख) और (ग) में कहा गया है, ये वित्तीय विवरणियां तथा अन्य वित्तीय विवरणीयां को हमारे लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित किया गया है। इन लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें भेजी गयी है तथा इस संबंध में हमारी राय / विचार पूर्णतया उक्त अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।
4. हमने समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अनुसार

To

The Board of Directors, Bank of Baroda

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of BANK OF BARODA (the "Bank") as on 31st March 2008 and also the Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date as also the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto. These Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries and associates. Our responsibility is to express our opinion on these Financial Statements based on our audit.
2. The Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India (except as otherwise stated) and on the basis of the separate Audited Financial Statements of the Bank, its Subsidiaries and Associates incorporated in the Consolidated Financial Statements.
3. (a) We have not audited the Financial Statements of:
 - (i) The 13 Subsidiaries, whose Financial Statements reflect Total Assets of Rs.4822.71 crores as on 31st March 2008 and Total Revenue of Rs.486.51 crores and cash flow amounting to Rs.175.68 crores for the year ended on that date.
 - (ii) The 8 Associates reflecting Net Profit of Rs.39.85 crores for the year ended 31st March 2008.
- (b) We have been provided with the unaudited financial statements of a subsidiary, Bank of Baroda (Ghana) Limited as at 31st March 2008 for preparation of the consolidated financial statements of the Bank.
- (c) We have been provided with the unaudited financial statements as of 31st March 2008 of associates, UTI Asset Management Company private limited and UTI Trustee Company private limited for reckoning valuation of investments made by the Bank in those associates.
- (d) Subject to as stated in paragraph (b) and (c) above these financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of other auditors.
4. We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with Generally Accepted Auditing Standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are prepared,

यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्क संगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां सभी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में, जांच आधार पर परीक्षण, राशियों संबंधित प्रमाण और वित्तीय विवरणियों का प्रकटीकरण शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण और महत्वपूर्ण आकलन शामिल है। इसमें समग्र वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा हमारी राय का तर्क संगत आधार है।

5. अनुसूची-19 में नोट नं.5 का संदर्भ लें जो इसमें उल्लिखित बकाया मदों के समाधान/विलअरेन्स से उत्पन्न समायोजन के बारे में है। उपरोक्त के परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है।
6. अनुसूची-19 में प्रति शेयर अर्जन (नोट सं.15) उपरोक्त पैरा 3(ख), 3(ग) एवं 5 में दिए गए हमारे अभिमतों के अध्यक्षीन हैं।
7. हमारी लेखा परीक्षा एवं अन्य लेखा-परीक्षकों की अलग वित्तीय विवरणियों और घटकों की अन्य वित्तीय सूचना तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा उपरोक्त पैरा 3(ख), 3(ग), 5 एवं 6 के अध्यक्षीन हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार सच्ची एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।
 - (i) 31 मार्च 2008 को बैंक, इसकी अनुषंगियों के समेकित कार्य व्यवहारों तथा इसकी सहयोगी संस्था (बैंक ऑफ बड़ौदा समूह) के हितों से सम्बंधित समेकित तुलनपत्र के सम्बन्ध में।
 - (ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रुप के लाभ सम्बन्धी समेकित लाभहानि खाते के सम्बन्ध में।
 - (iii) समेकित वित्तीय विवरणियों द्वारा कवर किए गए वर्ष के नकदी प्रवाह सम्बन्धी समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के सम्बन्ध में।

in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements and audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

5. Attention is drawn to note no.5 in Schedule – 19 regarding adjustments arising from reconciliation / clearance of outstanding items stated therein. The consequential effect of the above has not been ascertained
6. Earnings per share (Note No.15) in Schedule 19 are subject to our observations in paragraph 3 (b), 3(c) and 5 above.
7. Based on our audit and on consideration of reports of other auditors on separate financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us and subject to paragraphs 3(b), 3(c), 5 and 6 above, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the consolidated state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in its Associates(Bank of Baroda Group) as on 31st March 2008;
 - (ii) in the case of the Consolidated Profit & Loss Account, of the Profit of Bank of Baroda Group on that date, and
 - (iii) in the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year covered by the Consolidated Financial Statements.

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
for Ray & Ray
Chartered Accountants

(आर. एन. रॉय)
भागीदार
(R. N. Roy)
Partner
M No. 008608

कृते बी.सी.जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
for B C Jain & Co.
Chartered Accountants

(रंजीत सिंह)
भागीदार
(Ranjeet Singh)
Partner
M No. 073488

स्थान / Place : मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date : 14.06.2008

कृते जी. बासु एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
for G Basu & Co
Chartered Accountants

(डी. डी. चंचानी)
भागीदार
(D. D. Chanchani)
Partner
M No. 005570

कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
for Gupta Nayar & Co.
Chartered Accountants


(संजय गुप्ता)
भागीदार
(Sanjay Gupta)
Partner
M No. 086004

कृते जी. पी. कपाड़िया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
for G P Kapadia & Co.
Chartered Accountants

(निमेष भिमानी)
भागीदार
(Nimesh Bhimani)
Partner
M No. 030547

कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
for A. Sachdev & Co.
Chartered Accountants

(जी. के. लठ)
भागीदार
(G. K. Lath)
Partner
M No. 070294



Education Loan @ click of a mouse.

Apply online

- In principle sanction within 48 hours
- 1% concession in rate of interest to girl students
- Simple interest during moratorium period
- Loans up to Rs. 20 Lacs

conditions apply

SME Loan in 14 days flat

From India's only SME Loan Factory.



- Swift loan approval • Simple documentation • Single window processing

To avail loan sms SME <CITY NAME> to 56365

SME Loan Factories at:

Ahmedabad | Agra | Baroda | Bangalore | Bhilwara | Bulsar | Chennai | Coimbatore | Delhi | Ghaziabad
Hyderabad | Indore | Jaipur | Jamshedpur | Kanpur | Kolhapur | Kolkata | Lucknow | Ludhiana | Mumbai
Nagpur | Noida | Pune | Rajkot | Surat

Conditions apply

कार्पोरेट नियंत्रण रिपोर्ट / Report on Corporate Governance (2007-08)

1. नियंत्रण संहिता के बारे में बैंक का दर्शन :

बैंक, संसाधनों के न्यूनतम उपयोग से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करके शेयरधारकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्य सुरक्षित रखते हुए कार्पोरेट जगत् में उत्कृष्टता लाने के लिए शेयरधारकों के मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए सतत प्रयासरत रहेगा. बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट नियंत्रण पद्धतियों को निरूपित करते हुए उनका पालन भी करेगा. बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है. बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है. बैंक अपने सभी हितधारकों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल है, को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा.

2. निदेशक मंडल :

2.1 31 मार्च, 2008 को निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित है.

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नलिखित अनुसार है.

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with minimal use of resources in its pursuit of excellence in corporate life. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in high standard of ethical values, transparencies and disciplined approach to achieve excellence in all field of activities. It is also committed to comply with the best international practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders including shareholders, customers, Government and society at large.

2. BOARD OF DIRECTORS:

2.1 Composition of the Board

The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended & Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March 2008 is as under:

क्रम सं. No.	नाम Sr. Name	पदनाम Position Held	31.3.2008 को धारित बैंक ऑफ बडौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2008	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of member ship in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक ऑफ बडौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member
1	डॉ. अनिल के. खंडेलवाल Dr. Anil K. Khandelwal*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	1320	8	6	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक. वे निम्नलिखित संगठनों के बोर्ड में भी निदेशक हैं : (i) कृषि वित्त निगम लि. और (ii) बैंक ऑफ बडौदा (हांगकांग) लि. (iii) बैंक ऑफ बडौदा (बोत्सवाना) लि. (iv) बांबकाईस लि. (v) बैंक ऑफ बडौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो) लि. (vi) बैंक ऑफ बडौदा (घाना) लि. वे निम्नलिखित के सदस्य / अध्यक्ष भी हैं (1) आईबीए के उपाध्यक्ष (2) नियंत्रक मंडल, मानव संसाधन विकास अकादमी (3) संगठनात्मक विकास केन्द्र, हैदराबाद (4) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (5) स्थायी समिति व नियंत्रक मंडल, एन.आई.बी.एम. (6) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (7) बैंकर्स प्रशिक्षण विद्यालय (भा. रि.बैं.) की सलाहकार समिति के सदस्य (8) ए एस एस ओ सी एच ए एम के सह-योजित सदस्य

क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2008 को धारित बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2008	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of member ship in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member
							<p>(9) भारतीय प्रशिक्षण व विकास सोसाइटी के डिप्लोमा बोर्ड के सह-अध्यक्ष तथा (10) भारतीय प्रशिक्षण व विकास सोसाइटी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य</p> <p>Whole time Director appointed by Govt. of India u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Boards of the following organizations:</p> <p>(i) Agricultural Finance Corp. Ltd. (ii) Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd. (iii) Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (iv) BOBCARDS Ltd. (v) Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. (vi) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.</p> <p>He is also member/chairman of (1) Dy. Chairman, IBA. (2) Board of Governors, Academy of Human Resources Development, (3) Centre for Organizational Development, Hyderabad, (4) Institute of Banking Personnel Selection, (5) Standing Committee and Governing Board, NIBM, (6) Indian Institute of Banking & Finance, (7) Member Advisory Committee of Bankers Training College (RBI), (8) Co-opted Member, ASSOCHAM, (9) Co-Chairman Diploma Board, Indian Society for Training & Development, and (10) Member of National Council of Indian Society for Training & Development.</p>
2	श्री वी. सन्तानरामन Shri V. Santhanaraman	कार्यकारी निदेशक Executive Director	शून्य Nil	7	2	3	<p>बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधीनियम 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक. वे निम्नलिखित संगठनों के निदेशक मंडलों के निदेशक भी हैं.</p> <p>(i) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. (ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि.</p> <p>Whole time Director appointed by Govt. of India u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Board of Directors of following organizations:</p> <p>(i) Bank of Baroda (Uganda) Ltd. (ii) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.</p>

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2008 को धारित बैंक ऑफ बडौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2008	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of member ship in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक ऑफ बडौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member
3	श्री सतीश सी. गुप्ता Shri Satish C. Gupta	कार्यकारी निदेशक Executive Director	शून्य Nil	7	1	2	बैंक कारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक वे इन्डो जाम्बिया बैंक लि. के निदेशक भी हैं. Whole time Director appointed by Govt. of India u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Board of Indo Zambia Bank Ltd.
4	श्री जी. सी. चतुर्वेदी Shri G.C.Chaturvedi	निदेशक Director	शून्य Nil	4	3	शून्य Nil	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त. वे निम्नलिखित संगठनों के निदेशक मंडलों के निदेशक भी हैं - (i) राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे (ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (iii) भारतीय बीमाकिक संस्थान Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing Central Government. He is also a Director on the Boards of the following organizations: (i) National Insurance Academy, Pune. (ii) Institute of Banking Personnel Selection (iii) Institute of Actuaries of India
5.	श्री ए. सोमसुन्दरम Shri A. Somasundaram	निदेशक Director	शून्य Nil	7	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त. Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
6	श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी Shri Milind N Nadkarni	निदेशक Director	390	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	वर्कमेन स्टाफ के प्रतिनिधि के रूप में बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing workmen.

क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2008 को धारित बैंक ऑफ बडौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2008	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक ऑफ बडौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member)
7	श्री रंजीत कुमार चटर्जी Shri Ranjit Kumar Chatterjee	निदेशक Director	710	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	गैर वर्कमैन स्टाफ के प्रतिनिधि के रूप में बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing non-workmen.
8	श्री अमरजीत चोपड़ा Shri Amarjit Chopra	निदेशक Director	100	4	3	3	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (जी) के तहत, न्यूनतम 15 वर्षों तक सनदी लेखाकार रहने के फलस्वरूप, भारत सरकार द्वारा नियुक्त. वे निम्नलिखित कंपनियों के निदेशक मंडलों के निदेशक भी हैं. (i) मै. रीको ऑटो लि. (ii) मै. रूप ऑटो मोटिव्स लि. (iii) लेखा एवं अनुसंधान संस्थान. वे मै. जीएसए एण्ड एसोशिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स में भागीदार भी हैं. Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 being Chartered Accountant for not less than 15 years. He is also a Director on the Board of following Companies: (i) M/s Rico Auto Ltd. (ii) M/s Roop Auto Motives Ltd. (iii) Accounting and Research Foundation. He is a partner in M/s GSA & Associates. Chartered Accountants.
9	श्रीमती मसररत शाहिद Smt. Masarrat Shahid	निदेशक Director	शून्य Nil	2	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(एच) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त. Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
10	श्री मौलिन ए. वैष्णव Shri Maulin A. Vaishnav	निदेशक Director	शून्य Nil	5	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(एच) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त. Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2008 को धारित बैंक ऑफ बडौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2008	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक ऑफ बडौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member
11	डॉ. अतुल अगरवाल Dr. Atul Agarwal	निदेशक Director	200	2	1	1	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त. वे भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Board of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India Limited.
12	डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी Dr. Dharmendra Bhandari	निदेशक Director	600	3	3	2	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(आई) के तहत 14.11.2005 को आयोजित ईजीएम में बैंक के शेयरधारकों द्वारा 16.11.2005 से 3 वर्षों के लिए निर्वाचित. वे 16.11.1999 से 15.11.2002 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए भी शेयरधारक निदेशक थे. वे निम्नलिखित संगठनों के निदेशक मंडलों में निदेशक भी हैं - (1) मै.जे.पी. मॉरगन म्युचुअल फंड इंडिया प्रा.लि. (2) मै.सुराज डायमंड्स एंड ज्वेलरी लि. (3) मै. हारमोनी फॉर सिल्वर फाउण्डेशन वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता अनुमोदन समिति में भी हैं. Elected by shareholders of the Bank u/s 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 14.11.2005 for a period of 3 years from 16.11.2005. He was also shareholder director for a period of 3 years from 16.11.1999 to 15.11.2002. He is also a Director on the Board of the following Companies: (1) M/s J P Morgan Mutual Fund India Pvt. Ltd. (2) M/s Suraj Diamonds & Jewellery Ltd. And (3) M/s Harmony for Silver Foundation. He is also a member on the Membership Approval Committee of National Stock Exchange.
13	श्री मनेष पी. मेहता Shri Manesh P. Mehta	निदेशक Director	100	3	1	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(आई) के तहत 14.11.2005 को आयोजित ई.जी.एम. में बैंक के शेयरधारकों द्वारा 16.11.2005 से 03 वर्षों के लिए निर्वाचित. वे 29.07.2004 से 15.11.2005 तक की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक भी रहे. वे मै. सेन्चुरी मेन्चु. कं.लि. के निदेशक मण्डल में निदेशक भी हैं. वे मै. मनीष मेहता एंड एसोशिएट्स में भागीदार भी हैं.

क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2008 को धारित बैंक ऑफ बडौदा के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2008	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता (संख्या) No. of member ship in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता (संख्या) No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक ऑफ बडौदा एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member
							Elected by shareholders of the Bank u/s 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 14.11.2005 for a period of 3 years from 16.11.2005. He was also a Shareholder Director from 29.07.2004 to 15.11.2005. He is also a Director on the Board of M/s Century Mfg. Co. Ltd. He is a partner in M/s Manesh Mehta & Associates, Chartered Accountants.
14	डॉ. दीपक बी. फाटक Dr. Deepak B. Phatak	निदेशक Director	100	2	1	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तर्गण) अधिनियम 1970 अधिनियम की धारा 9 (3)(आई) के तहत 14.11.2005 को आयोजित ईजीएम में बैंक के शेयरधारकों द्वारा 16.11.2005 से 3 वर्षों के लिए निर्वाचित. वे एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं. वे निम्नलिखित संगठनों के सदस्य भी हैं : (1) नेशनल इन्स्योरेन्स अकादमी (2) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान तथा (3) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान. Elected by shareholders of the Bank u/s 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 14.11.2005 for a period of 3 years from 16.11.2005. He is also a Director on the Board of M/s HDFC Asset Management Co. He is also member : (1) National Insurance Academy, (2) Institute of Banking Personnel Selection and (3) National Institute of Bank Management.

(*डॉ. खंडेलवाल अधिवर्षिता के फलस्वरूप 31.03.2008 से अब बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं हैं. श्री एम.डी.मल्या को दिनांक 07.05.2008 से उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है.)

(*Dr. Khandelwal ceased to be Chairman and Managing Director on his superannuation on 31.03.2008 and Shri M.D.Mallya, has been appointed in his place w.e.f. 07.05.2008)

वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति :

- (क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई तथा इनका सेवा विवरण रिपोर्ट के अन्त में दिया गया है.
- (i) श्री सतीश सी. गुप्ता
 - (ii) श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी
 - (iii) श्री रंजीत कुमार चटर्जी
 - (iv) डॉ. अतुल अग्रवाल
- (ख) वर्ष के दौरान श्री टी.के. बालासुब्रमण्यन, गैर वर्कमैन निदेशक दिनांक 01.07.2007 से अधिवर्षिता के फलस्वरूप निदेशक पद पर नहीं रहे हैं तथा दिनांक 20.12.2007 से श्री रंजीत कुमार चटर्जी को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है.

2.2 निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 12 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 की धारा-12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है.

28.04.2007	26.05.2007	03.07.2007	20.07.2007
28.07.2007	10.09.2007	31.10.2007	01.12.2007
08.01.2008	31.01.2008	07.03.2008	29.03.2008

निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है :

निदेशक का नाम	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
डॉ. अनिल के. खंडेलवाल	Dr. Anil K. Khandelwal	01.04.2007 to 31.03.2008	12	12
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2007 to 31.03.2008	12	12
श्री सतीश सी. गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	06.06.2007 to 31.03.2008	10	10
श्री जी. सी. चतुर्वेदी	Shri G.C. Chaturvedi	01.04.2007 to 31.03.2008	12	7
श्री ए. सोमसुंदरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2007 to 31.03.2008	12	11
श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarani	01.05.2007 to 31.03.2008	11	11
श्री टी.के. बालासुब्रमण्यन	Shri T.K. Balasubramanian	01.04.2007 to 30.06.2007	2	2
श्री रंजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjeet Kumar Chatterjee	20.12.2007 to 31.03.2008	4	4
श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	01.04.2007 to 31.03.2008	12	10
श्रीमती मसरत शाहिद	Smt. Masarrat Shahid	01.04.2007 to 31.03.2008	12	9
श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	01.04.2007 to 31.03.2008	12	10
डॉ. अतुल अग्रवाल	Dr. Atul Agarwal	23.11.2007 to 31.03.2008	5	5
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	01.04.2007 to 31.03.2008	12	9
श्री मनेष पी. मेहता	Shri Manesh P. Mehta	01.04.2007 to 31.03.2008	12	11
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	01.04.2007 to 31.03.2008	12	05

2.3 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार की धारा 49 की अनुपालना में, आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है. उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी देखी जा सकती है. निदेशक

Appointments/Cessation of Directors during the year:

- (A) The following Directors were appointed during the year, whose profile is given at the end of the Report.
- (i) Shri Satish C. Gupta
 - (ii) Shri Milind N. Nadkarni
 - (iii) Shri Ranjit Kumar Chatterjee
 - (iv) Dr. Atul Agarwal
- (B) Shri T.K. Balasubramanian, non-workmen Director, ceased to be the Director w.e.f. 01.07.2007 during the year on superannuation and Shri Ranjit Kumar Chatterjee was appointed in his place w.e.f. 20.12.2007

2.2 BOARD MEETINGS:

During the year under review, -12 - Board Meetings were held on following dates as against minimum of -6- meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

2.3 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted

मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है.

3.1 वार्षिक सामान्य बैठक :

शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक बड़ौदा में दि. 04 जुलाई, 2007 को हुई थी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1 डॉ. अनिल के खंडेलवाल	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2 श्री वी. संन्तानरामन	- कार्यकारी निदेशक
3 श्री सतीश सी. गुप्ता	- कार्यकारी निदेशक
4 डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी	- निदेशक तथा अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति
5 श्री ए. सोमसुंदरम	- निदेशक
6 श्री मिलिंद एन. नाडकर्णी	- निदेशक
7 श्री अमरजीत चोपड़ा	- निदेशक
8 श्री मौलिन ए. वैष्णव	- निदेशक
9 श्री मनेष पी. मेहता	- निदेशक

4. निदेशकों / कार्यपालकों की समिति :

बैंक के निदेशक मंडल ने कार्पोरेट नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों / कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसी बी)
- शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
- शेयर अंतरण समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड -13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामलों यथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बढ़ा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है.

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (गण) और धारा 9(3) सी एवं 9 (3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) की उपधारा (ई) (एफ) (एच) व (आई) के तहत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है.

on Bank's website www.bankofbaroda.com. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the Code of conduct.

3.1 Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on 04th July 2007 at Vadodara, where the following Directors were present.

1 Dr. Anil K. Khandelwal	- Chairman & Managing Director
2 Shri V. Santhanaraman	- Executive Director
3 Shri Satish C. Gupta	- Executive Director
4 Dr. Dharmendra Bhandari	- Director and Chairman of the Audit Committee of the Board
5 Shri A. Somasundaram	- Director
6 Shri Milind N. Nadkarni	- Director
7 Shri Amarjit Chopra	- Director
8 Shri Maulin A. Vaishnav	- Director
9 Shri Manesh P. Mehta	- Director

4. COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees of the Board are as under:

- Management Committee of the Board
- Audit Committee of Board (ACB)
- Shareholders / Investors Grievance Committee
- Share Transfer Committee
- Asset Liability Management & Risk Management Committee
- Customer Service Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee

4.1 Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value loan proposals, compromises / write-offs proposal, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Chairman & Managing Director, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section – 9(3)(c) & 9(3)(g) and three Directors from the directors appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

समीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तारीखों को 13 बैठकें आयोजित हुईं.

During the period under review the Management Committee of the Board (MCB) met –13 – times on the following dates:

27.04.2007	26.05.2007	16.06.2007	18.07.2007	27.08.2007	10.09.2007	12.10.2007
12.11.2007	01.12.2007	27.12.2007	24.01.2008	08.02.2008	07.03.2008	

निदेशक सदस्यों की उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है :

The details of the attendance of the Director members are as detailed below:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
डॉ. अनिल के. खंडेलवाल	Dr. Anil K. Khandelwal	01.04.2007 to 31.03.2008	13	13
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2007 to 31.03.2008	13	13
श्री सतीश सी. गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	06.06.2007 to 31.03.2008	11	10
श्री ए. सोमसुंदरम	Shri A. Somasundaram	18.07.2007 to 31.03.2008	10	10
श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	01.04.2007 to 31.03.2008	13	8
डॉ. अतुल अगरवाल	Dr. Atul Agarwal	01.01.2008 to 31.03.2008	3	2
श्री मनेष पी. मेहता	Shri Manesh P. Mehta	01.01.2008 to 31.03.2008	3	3
डॉ. धर्मेंद्र भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	01.04.2007 to 30.06.2007	3	3
श्रीमती मसररत शाहिद	Smt. Masarrat Shahid	01.04.2007 to 30.06.2007	3	2
श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	01.04.2007 to 17.09.2007	6	5
डॉ दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	01.07.2007 to 31.12.2007	7	4
श्री मिलिंद एन. नाडकर्णी	Shri Milind N Nadkarani	01.07.2007 to 31.12.2007	7	6

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बैंक ने कार्पोरेट नियंत्रण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें 6 निदेशक हैं. एक गैर कार्यकारी निदेशक जिनके पास सनदी लेखाकार के रूप में व्यावसायिक योग्यता है, समिति के अध्यक्ष हैं.

31 मार्च, 2008 (01.01.2008 से पुनर्गठित) को समिति की संरचना इस प्रकार है :

- (i) श्री अमरजीत चोपड़ा अध्यक्ष
- (ii) श्री वी. सन्तानरामन सदस्य
- (iii) श्री सतीश सी. गुप्ता सदस्य
- (iv) श्री जी. सी. चतुर्वेदी सदस्य
- (v) श्री ए. सोमसुंदरम सदस्य
- (vi) डॉ. दीपक बी. फाटक सदस्य

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसी बी) में निम्नलिखित निदेशकों को उनके समक्ष उल्लिखित तारीखों को शामिल किया गया.

- (i) श्री सतीश सी. गुप्ता 06.06.2007
- (ii) श्री अमरजीत चोपड़ा 01.01.2008
- (iii) डॉ. दीपक बी. फाटक 01.01.2008

4.2 Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Six Directors. A Non-Executive Director who is a professional Chartered Accountant is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March 2008 (Reconstituted w.e.f 1.1.2008) is as under:

- (i) Shri Amarjit Chopra Chairman
- (ii) Shri V. Santhanaraman Member
- (iii) Shri Satish C. Gupta Member
- (iv) Shri G.C. Chaturvedi Member
- (v) Shri A. Somasundaram Member
- (vi) Dr. Deepak B. Phatak Member

The following Directors were inducted as member of ACB during the Financial Year 2007-08 on the date shown against their respective name:

- (i) Shri Satish C. Gupta 06.06.2007
- (ii) Shri Amarjit Chopra 01.01.2008
- (iii) Dr. Deepak B. Phatak 01.01.2008

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक उनके समक्ष उल्लिखित तारीखों से सदस्य नहीं रहे हैं.

(i) डॉ. धर्मेंद्र भंडारी 31.12.2007

(ii) श्री मनेष पी. मेहता 31.12.2007

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान बोर्ड की लेखा समिति (एसीबी) की 11 बैठकें आयोजित की गईं.

The following Directors ceased to be members of ACB during the Financial Year 2007-08 on the dates shown against their respective names:

(i) Dr. Dharmendra Bhandari 31.12.2007

(ii) Shri Manesh P. Mehta 31.12.2007

During the year 2007-08, the Audit Committee of the Board (ACB) met –11 - times on the dates given below:

11.04.2007	28.04.2007	26.05.2007	07.07. 2007	28.07.2007	06.09.2007
06.10.2007	31.10.2007	18.12.2007	30.01.2008	05.03.2008	

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार है

Meetings of Audit Committee of the Board held during the year & the attendance of members is given below:

क्र. सं. Sr. No.	नाम Name	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meeting held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meeting attended	
1.	डॉ. धर्मेंद्र भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	01.04.2007 to 31.12.2007	9	8
2.	श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2007 to 31.03.2008	11	11
3.	श्री सतीश सी. गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	06.06.2007 to 31.03.2008	8	7
4.	श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2007 to 31.03.2008	11	9
5.	श्री जी. सी. चतुर्वेदी	Shri G.C. Chaturvedi	01.04.2007 to 31.03.2008	11	6
6.	श्री मनेष पी. मेहता	Shri Manesh P. Mehta	01.04.2007 to 31.12.2007	9	9
7.	श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	01.01.2008 to 31.03.2008	2	2
8.	डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	01.01.2008 to 31.03.2008	2	1

लेखा परीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं. यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है.

The main functions of Audit Committee are to assess and review the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends with the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा-निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण आदि कार्य, बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण शामिल हैं.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit and inspection with in the bank and follow-up on the Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों / निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक / तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.3 शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति :

बैंक ने शेयरधारकों तथा निवेशकों के हितों से संबद्ध मामलों की शिकायतों यदि कोई हों के निवारण हेतु शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक गण और तीन अन्य गैर कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य और एक गैर-कार्यकारी निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर 04 बैठकें आयोजित की गईं :

26.05.2007	10.09.2007	01.12.2007	07.03.2008
------------	------------	------------	------------

समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री मनेष पी. मेहता समिति के अध्यक्ष	Shri Manesh P. Mehta Chairman of the Committee	01.04.2007 to 31.03.2008	4	3
डॉ. अनिल के. खंडेलवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Dr. Anil K. Khandelwal Chairman and Managing Director	01.04.2007 to 31.03.2008	4	4
श्री वी. सन्तानरामन कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman Executive Director	01.04.2007 to 31.03.2008	4	4
श्री सतीश सी. गुप्ता कार्यकारी निदेशक	Shri Satish C. Gupta Executive Director	06.06.2007 to 31.03.2008	3	3
श्रीमती मसरत शाहिद	Ms. Massarat Shahid	01.04.2007 to 31.03.2008	4	3
श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	01.04.2007 to 31.03.2008	4	3

समिति यह सुनिश्चित करती है कि अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति-तारीख से एक माह के भीतर सभी प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाएं। समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है।

01.04.07 को बकाया Pending as on 01.04.2007	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या Resolved during the year	31.03.2008 को बकाया Pending as on 31.03.2008
24	10029	10004	49*

Regarding Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Central Statutory Auditors before finalization of Annual/ Quarterly Financial Accounts and Reports. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.3 Shareholders / Investors Grievance Committee:

The Shareholders / Investors Grievance Committee has been constituted by the Bank to redress shareholders' and investors' complaints, if any.

The Committee includes Chairman & Managing Director, Executive Directors and three other Non-Executive Directors as its members with Non-Executive Director as its Chairman.

The Committee met four times during the year under review on the following dates:

26.05.2007	10.09.2007	01.12.2007	07.03.2008
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

The Committee ensures that all share certificates are issued within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

A summary of No. of requests/complaints received and resolved during the year is as under:

* वर्ष के दौरान बकाया सभी 49 आवेदन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित अनुरोध पत्र थे तथा इनके संबंध में अपेक्षित प्रक्रिया/ कार्रवाई पूरी की जा रही है।

श्री एम.एल. जैन, कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 47 (ए) के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.4 शेयर अंतरण समिति :

शेयरधारक / निवेशकों की शिकायत निवारण से संबंधित उपसमिति के अतिरिक्त, बैंक ने कार्यपालकों की एक शेयर अंतरण समिति गठित की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, 2 महाप्रबंधक तथा सहायक महाप्रबंधक (विधि) इसके सदस्य हैं। 15 दिन में समिति की एक बैठक आयोजित होती है जिसका प्रयोजन शेयरों/बॉन्डों के अंतरण की प्रक्रिया को तेज करना होता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 42 बैठकें हुईं जिसका विवरण निम्नानुसार है :

07.04.2007	20.04.2007	04.05.2007	09.05.2007	14.05.2007	25.05.2007
04.06.2007	11.06.2007	15.06.2007	19.06.2007	25.06.2007	11.07.2007
30.07.2007	07.08.2007	16.08.2007	21.08.2007	01.09.2007	11.09.2007
12.09.2007	19.09.2007	06.10.2007	11.10.2007	22.10.2007	25.10.2007
31.10.2007	08.11.2007	10.11.2007	23.11.2007	05.12.2007	18.12.2007
22.12.2007	02.01.2008	07.01.2008	08.01.2008	18.01.2008	29.01.2008
08.02.2008	22.02.2008	27.02.2008	28.02.2008	15.03.2008	29.03.2008

4.5 आस्ति देयता प्रबंधन समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने एक निदेशक मंडल स्तरीय स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जो "आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की उपसमिति" के रूप में जानी जाती है तथा बैंक द्वारा पूर्वानुमानित संपूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है।

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं।

31.03.2008 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

डॉ. अनिल के. खंडेलवाल	अध्यक्ष
श्री वी. सन्तानरामन	सदस्य
श्री सतीश सी. गुप्ता	सदस्य
श्री सोमसुन्दरम	सदस्य
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी	सदस्य

समिति की निम्नलिखित तारीखों को -4- बैठकें हुईं।

19.07.2007	31.10.2007	08.01.2008	07.03.2008
------------	------------	------------	------------

बैठकों में निदेशक सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

सदस्य का नाम	Name of the Member	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
1. डॉ. अनिल के. खंडेलवाल	Dr. Anil K. Khandelwal	4	4
2. श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	4	4
3. श्री सतीश सी. गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	4	4
4. श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	4	4
5. डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	4	2

*All the 49 requests pending as at the end of the year were pertaining to the request for issue of duplicate share certificates, for which necessary procedure is being completed.

Shri M.L Jain, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.4 Share Transfer Committee:

Besides the Shareholders / Investors Grievance Committee, the Bank has constituted a Share Transfer Committee comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors, -2- General Managers and Deputy General Manager (Legal) as its members. The Committee meets at least once in -15- days to effect transfer of Shares / Bonds. The Committee met - 42 - times during the period under review with details as under.

4.5 Asset Liability Management & Risk Management Committee:

Bank has constituted a Board level Risk Management Committee known as 'Sub-Committee of the Board on ALM and Risk Management' to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee is headed by Chairman and Managing Director.

The composition of the Committee as on 31.03.2008 is as under:

Dr. Anil K.Khandelwal	Chairman
Shri V. Santhanaraman	Member
Shri Satish C. Gupta	Member
Shri A. Somasundaram	Member
Dr.Dharmendra Bhandari	Member

The Committee met - 4 - times on the following dates:

19.07.2007	31.10.2007	08.01.2008	07.03.2008
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of Director Members are as under:

बैंक ने विभिन्न जोखिमों यथा क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम का पता लगाने हेतु प्रबंधन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक में समुचित जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है जिसमें जोखिम संरचनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम प्रबन्धन लेखा परीक्षा शामिल हैं. इसका मुख्य उद्देश्य बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को निरंतर बेहतर एवं कार्यकुशल बनाना है.

4.6 ग्राहक सेवा समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्पोरेट गवर्नेन्स संरचना को सुदृढ़ करने के लिए बैंक ने **ग्राहक सेवा के संबंध में एक स्थायी समिति** का गठन किया है जिसमें बैंक के 4 महाप्रबंधक एवं 3 अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं. बैठक की अध्यक्षता बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है.

इस समिति का गठन जनसामान्य को प्राप्त बैंकिंग सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी पर ध्यान केन्द्रित करना तथा (i) सेवाओं के मौजूदा स्तर के न्यूनतम मानदण्डों (बेंचमार्क) की अनुपालन स्थिति (ii) आवधिक प्रगति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाना (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया का युक्तिसंगत बनाना (v) परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप समुचित प्रोत्साहन हेतु सुझाव देना जारी रखना आदि आवश्यकताओं का जायजा लेना है. , बैंक ने निदेशक मंडल की एक उपसमिति का भी गठन किया है जो **निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति** के नाम से जानी जाती है. समिति के 31.03.2008 को निम्नलिखित सदस्य हैं.

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	डॉ. अनिल के. खण्डेलवाल
2. कार्यकारी निदेशक	श्री वी. सन्तानरामन
3. कार्यकारी निदेशक	श्री. सतीश सी. गुप्ता
4. निदेशक	श्री ए. सोमसुन्दरम

निदेशक मंडल की उपसमिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए नवोन्मेषी उपाय सुझाना एवं कार्यान्वित करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए संतुष्टि के स्तर में सुधार करना है. उपरोक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा विचारणीय मर्दे निम्नानुसार हैं :

- i. सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
- ii. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि बीत जाने पर भी लागू न किये गये बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- iii. मृत जमाकर्ताओं के दावे / किराये के लॉकर / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से संबंधित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक के बकाया दावों की संख्या की स्थिति संबंधी समीक्षा करना.

The Bank has set up a proper risk management architecture, comprising of Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally.

4.6 CUSTOMER SERVICE COMMITTEE :

As per the guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has set up a **Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services** having -4- General Managers of the Bank and -3- other eminent public personalities as members. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

This Committee has been set up to focus on the inadequacy in banking services available to common people and looking into the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timeliness and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate incentives to facilitate change on an ongoing basis.

The Bank has also constituted a sub-committee of Board, known as '**Customer Service Committee of the Board**'. The Committee has the following members as on 31.03.2008:

1. Chairman and Managing Director	Dr. Anil K. Khandelwal
2. Executive Director	Shri V Santhanaraman
3. Executive Director	Shri Satish C. Gupta
4. Director	Shri A. Somasundaram

The functions of the sub-committee of Board include suggesting and implementing innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all the categories of clientele, at all times. Apart from the above, the terms of reference of the Committee is to

- i. oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also the compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- ii. review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also the deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman therein.
- iii. review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors/ locker hirers/depositor of safe custody articles.

31.03.2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की दिनांक 06.09.2007 तथा 05.03.2008 को हुई बैठकों में उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं :

The details of the attendance of the meeting of 'Customer Service Committee of the Board' held on 06.09.2007 & 05.03.2008 during the year ended 31.03.08 is as under:

सदस्य का नाम	Name	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during the period of their tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings attended
डॉ.अनिल के. खंडेलवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Dr. Anil K. Khandelwal Chairman & Managing Director	2	1
श्री वी. सन्तानरामन कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman Executive Director	2	2
श्री सतीश सी. गुप्ता कार्यकारी निदेशक	Shri S. C. Gupta. Executive Director	2	2
श्री ए. सोमसुन्दरम निदेशक	Shri A. Somasundaram Director	2	2

4.7 पारिश्रमिक समिति :

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या एफ नं.20/1/2005 बीओ. आई दिनांक 09 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन की घोषणा की। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन जिसमें गुणवत्ता और मात्रा दोनों का समावेश है पर आधारित है। उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालन में निदेशक मंडल की दिनांक 17 मार्च, 2007 को हुई बैठक में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन तथा देय/अवार्ड की जाने वाली राशि हेतु पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया।

गठित समिति की 31.03.2008 की संरचना इस प्रकार है :

नाम	पद
श्री जी. सी. चतुर्वेदी	सदस्य
श्री ए. सोमसुन्दरम	सदस्य
डॉ. धर्मेन्द्र भण्डारी	सदस्य
श्री अमरजीत चोपड़ा	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान समिति की 26.05.2007 को एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे। ऊपर उल्लिखित भारत सरकार के पत्र की शर्तों के अनुरूप समिति ने वित्तीय वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए पैरा 5 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रोत्साहन के भुगतान का निर्णय लिया।

4.7 Remuneration Committee :

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee was constituted at the Board of Directors meeting held on 17th March 2007, for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded/paid during the year.

The composition of the Committee as on 31.03.2008 is as under:

Name	Position
Shri G.C. Chaturvedi	Member
Shri A. Somasundaram	Member
Dr. Dharmendra Bhandari	Member
Shri Amarjit Chopra	Member

During the Financial Year 2007-08, the Committee met once on 26.05.2007 where all members were present. In terms of the letter referred herein above of GOI, the Committee decided to pay incentives for the Financial Years 2005-06 and 2006-07 as per details given below:

राशि रु. में / (Amount in Rupees)

क्र. सं. / Sr.No	नाम / Name	पद / Designation	कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन राशि Performance Linked Incentives 2006 - 07	2005 - 06	कुल / Total
1	डॉ.अनिल के. खंडेलवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Dr. Anil K. Khandelwal Chairman and Managing Director	8,00,000	7,00,000	15,00,000
2	श्री वी. सन्तानरामन कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman Executive Director	3,08,082	Nil	3,08,082
3	श्री सतीश सी. गुप्ता कार्यकारी निदेशक	Shri Satish C. Gupta Executive Director	Nil	Nil	Nil
4	श्री ए. सी. महाजन * पूर्व कार्यकारी निदेशक	Shri A C Mahajan* Ex - Executive Director	2,17,260	4,32,466	6,49,726
5	श्री के. रामाकृष्णन * पूर्व कार्यकारी निदेशक	Shri K. Ramakrishnan* Ex - Executive Director	Nil	1,05,479	1,05,479

* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनकी कार्यकाल अवधि के अनुपात में किया गया।

* Incentive payments made in proportion to their respective tenure in the Bank.

4.8 नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु 'फिट एण्ड प्रॉपर' मानदण्ड निर्धारित किए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतन्त्र / गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों. उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में निदेशक मंडल की दिनांक 1 दिसम्बर, 2007 को हुई बैठक में एक 'नामांकन समिति' का गठन किया गया.

31.03.2008 की स्थिति के अनुरूप समिति की संरचना इस प्रकार है :

नाम	पद
श्री अमरजीत चोपड़ा	अध्यक्ष
श्री ए. सोमसुन्दरम	सदस्य
श्री मौलिन ए. वैष्णव	सदस्य
डॉ.अतुल अग्रवाल	सदस्य

वर्ष 2007-08 के दौरान समिति की दिनांक 29.03.2008 को एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे तथा समिति ने यह निष्कर्ष दिया कि बैंक द्वारा चुने गए तीनों निदेशक बैठक की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप 'फिट एण्ड प्रॉपर' मानदण्डों के तहत योग्य पाए गए.

5 निदेशकों का पारिश्रमिक :

गैर कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुरूप किया जा रहा है.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को (तीन पूर्ण कालिक निदेशक) पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को वर्ष 2007-08 के लिए भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क) वेतन :

क्र. सं. / Sr.No	नाम / Name	पद / Designation	वेतन / Salary for 2007 - 08
1	डॉ.अनिल के. खंडेलवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Dr. Anil K. Khandelwal Chairman and Managing Director	6,63,422
2	श्री वी. सन्तानरामन कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman Executive Director	5,69,571
3	श्री सतीश सी. गुप्ता कार्यकारी निदेशक	Shri Satish C. Gupta Executive Director	5,26,916

4.8 Nomination Committee :

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India a Nomination Committee is required to be formed consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives a "Nomination Committee" has been constituted at the Board of Directors meeting held on 01st December 2007:

The composition of the Committee as on 31.03.2008 is as under:

Name	Position
1. Shri Amarjit Chopra	Chairman
2. Shri A. Somasundaram	Member
3. Shri Maulin A. Vaishnav	Member
4. Dr. Atul Agarwal	Member

During the Financial Year 2007-08, the Committee met once on 29.03.2008, where in all the members were present and ascertained that none out of the three elected directors of the Bank disqualify being "Fit and Proper" in terms of the RBI guidelines on the date of the meeting.

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors is being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Section 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors (Three whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India in this regard. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s during the year 2007-08 is detailed below:

A. Salary:

राशि रु. में / (Amount in Rupees)

ख. कार्यनिष्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन

B. Performance Linked Incentives:

राशि रु. में / (Amount in Rupees)

क्रमांक Sr. No.	नाम	पदनाम	Name	Designation	Performance Linked Incentives		Total
					2006 - 07	2005 - 06	
1	डॉ.अनिल के. खंडलेवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Dr. Anil K. Khandelwal	Chairman and Managing Director	8,00,000	7,00,000	15,00,000
2	श्री वी.सन्तानरामन	कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman	Executive Director	3,08,082	Nil	3,08,082
3	श्री सतीश सी. गुप्ता	कार्यकारी निदेशक	Shri Satish C. Gupta	Executive Director	Nil	Nil	Nil
4	श्री ए.सी.महाजन *	पूर्व कार्यकारी निदेशक	Shri A C Mahajan*	Ex - Executive Director	2,17,260	4,32,466	6,49,726
5	श्री के.रामाकृष्णन *	पूर्व कार्यकारी निदेशक	Shri K. Ramakrishnan*	Ex - Executive Director	Nil	1,05,479	1,05,479

* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनकी कार्यकाल अवधि के अनुपात में किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क विवरण निम्नलिखित अनुसार है (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है)।

* Incentive payments made in proportion to their respective tenure in the Bank.

The sitting fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2007-08 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and Govt. of India nominated director) :

क्रमांक / Sr. No.	निदेशक का नाम / Name of the Director	भुगतान की गई राशि (रु.) / Amount Paid in Rs.
1	श्री ए.सोमसुन्दरम	1,40,000
2	श्री मिलिन्द नाडकर्णी	70,000
3	श्री टी.के.बालासुब्रमण्यन	12,500
4	श्री रंजीत कुमार चटर्जी	20,000
5	श्री अमरजीत चोपड़ा	82,500
6	श्रीमती मसररत शाहिद	65,000
7	श्री मौलिन ए. वैष्णव	82,500
8	डॉ. अतुल अग्रवाल	32,500
9	श्री मनेष पी. मेहता	97,500
10	डॉ. धर्मेश्वर भण्डारी	87,500
11	डॉ. दीपक बी. फाटक	50,000

6. सामान्य सभा की बैठकें :

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

6. GENERAL BODY MEETINGS:

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक	29 जुलाई, 2005 को प्रातः 10.00 बजे	जनरल एजुकेशन ऑडिटोरियम दादाभाई नौरोजी हॉल के निकट, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002.	तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि, निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा
Ninth Annual General Meeting	29 th July, 2005 at 10.00 a.m.	General Education Auditorium, Nr. Dadabhoy Naroojee Hall, M.S. Univ.Campus, Pratapgunj, Vadodara - 390 002.	To discuss the Balance Sheet, Profit & Loss Account, the Report of Board of Directors and the Auditors' Report.

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	14 नवम्बर, 2005 प्रातः 10.00 बजे 14 th November, 2005 at 10.00 a.m.	जनरल एजुकेशन ऑडिटोरियम दादाभाई नैरोजी हॉल के निकट, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. General Education Auditorium, Nr. Dadabhoy Naroojee Hall, M.S. Univ.Campus, Pratapgunj, Vadodara - 390 002.	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमोंका अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) एवं बैंक ऑफ़ बड़ोदा सामान्य विनियम, 1998 के अनुपालन में शेरधारकों द्वारा -4- निदेशकों का निर्वाचन. Election of four Directors by the shareholders in pursuance of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of Baroda General Regulations 1998.
दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक Tenth Annual General Meeting	7 जुलाई, 2006 को प्रातः 10.00 बजे 07 th July, 2006 at 10.00 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, M.S. Univ.Campus, Pratapgunj, Vadodara - 390 002.	तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि, निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना. तथा वड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज से सामान्य शेयरों के स्वैच्छिक अ-सूचीकरण पर विचार To discuss the Balance Sheet, Profit & Loss Account, the Report of Board of Directors and the Auditors' Report and to consider voluntary de-listing of equity shares from Vadodara Stock Exchange.
ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक Eleventh Annual General Meeting	4 जुलाई, 2007 को प्रातः 10.00 बजे 04 th July, 2007 at 10.00 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, M.S. Univ.Campus, Pratapgunj, Vadodara - 390 002.	बैंक के 31 मार्च, 2007 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा एवं इसका अनुमोदन तथा वर्ष 2006-07 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as on 31 st March 2007, Profit & Loss Account for the year ended 31 st March 2007, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Final Dividend for the year 2006-07.

7. प्रकटीकरण :

- (क) बैंक का ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संबद्ध लेन-देन नहीं है जिनके कारण बैंक के व्यापक हितों से टकराव की संभावना बनती हो.
- (ख) सरकारी कारोबार, विनिमय, दलाली, विदेशी बिल खरीदी पर बट्टा से भिन्न फीस, कमीशन से आय और अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज की गणना उपचित आधार के स्थान पर वास्तविक प्राप्ति के आधार पर भरपूर सावधानी/विवेकपूर्ण उपाय के रूप में की गई है जिससे बैंक के वित्तीय विवरण पत्रक/खाते अधिक वर्णनीय एवं वास्तविक बन सके.
- (ग) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-

7. DISCLOSURES:

- a) There is no materially significant Related Party Transaction of the Bank, which would have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b) Income from Fees, Commission other than on Government Business, Exchanges, Brokerage, Discount on Foreign Bills Purchased and Interest on overdue Bills/ Advance Bills have been accounted for on the basis of actual realization instead of accrual basis as a measure of abundant precaution/prudence so as to render the Financial Statements/Accounts of the Bank more representative and realistic.
- c) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-

निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।

(घ) बैंक द्वारा चेतावनी के रूप में 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' बनायी गई है तथा इसे विधिवत परिचालित किया गया है।

8. अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं :

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन करार के खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :

compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.

d) A Whistle Blower Policy of the Bank is in place and has been duly circulated.

8. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	अध्यक्ष के कार्यालय का रख-रखाव, गैर कार्यपालक अध्यक्ष, कंपनी के खर्च पर करेंगे. Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	लागू नहीं, क्योंकि बैंक में कार्यपालक अध्यक्ष हैं. Not Applicable, since the Bank is having an Executive Chairman.
2	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यपालक निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी कंपनी की पारिश्रमिक नीति तैयार करेगी. Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	लागू नहीं, कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियत किये अनुसार वेतन प्राप्त करते हैं. तथापि भारत सरकार से कार्यनिष्पादन आधुन प्रोत्साहन योजना की शर्तों के अनुरूप विचारार्थ पारिश्रमिक समिति गठित की गई है. Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in place to consider Performance Based Incentive in terms of guidelines received from Government of India.
3	गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा शेयरधारकों को भेजना. Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	30.09.2007 को समाप्त छमाही के लिए बैंक ने गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन का छमाही परिणाम प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिया है. The Bank has sent half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2007 including summary of significant developments during last six months to each shareholder.
4	कंपनी को अप्रतिबंधित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए. Company may move towards regime of unqualified financial statements.	बैंक ने अप्रतिबंधित (अनक्वालिफाइड) वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने के लिए कई प्रभावकारी उपाय किये हैं. The Bank has initiated effective steps for moving towards a regime of unqualified financial statements.
5	कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन और उनका सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए कंपनी के व्यावसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ कंपनी के व्यावसायिक मानदंडों की प्रोफाइल के बारे में प्रशिक्षित करे. Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की जाती है. बैंक एडवांस्ड फाइनेंशियल लर्निंग हेतु निदेशकों को आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक को भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु नामित करता है. A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board. The Bank nominates Directors for training to Centre for Advanced Financial Learning, RBI, Mumbai depending upon the need on case to case basis.

क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
6	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर- कार्यपालक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और गैर-कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहने या अन्यथा निर्णय लेने हेतु. The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामांकन समिति का गठन किया गया है तथा चयनित/नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन कार्य-निष्पादन मूल्यांकन तथा फिट एण्ड प्रॉपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to performance evaluation and fit & proper guidelines.
7	कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखा-धड़ी आदि के बारे में प्रबंधन वर्ग की चिंता के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली नीति बनाए The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.	बैंक द्वारा चेतावनी के रूप में 'विसल ब्लेअर पालिसी' बनाई गई है तथा इसे परिचालित किया गया है. A Whistler blower policy of the Bank is in place and has been duly circulated.

9. संप्रेषण के साधन :

बैंक, प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के आगमन एवं प्रगति से समाज को मिलने वाले लाभों से सहमति व्यक्त करता है साथ ही, बैंक अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारीयों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता भी समझता है.

बैंक की प्रतिभूतियां जिन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, उन्हें बोर्ड की बैठक की तारीख को वित्तीय परिणाम तत्काल उपलब्ध करवाए जाते हैं. ये परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक ऐसा समाचार पत्र होता है जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार गुजरात राज्य में हो, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है. बैंक छमाही आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है. बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए प्रेस बैठक, सम्मेलन आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही / छमाही / वार्षिक परिणामों के साथ-साथ बैंक की प्रेस विज्ञप्तियां बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.com> पर उपलब्ध रहती हैं.

बैंक इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फार्मेशन फाइलिंग एंड रिट्राइवल (ई.डी.आई. एफ.ए.आर.) पर सूचना विवरण व रिपोर्ट फाइल करता रहा है जिसे जनता <http://sebidifar.nic.in> पर सरलता से देख सकती है.

10. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना :

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और इसका प्रधान कार्यालय वडोदरा तथा कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में स्थित है. बैंक अपनी 2853 शाखाओं के माध्यम से पूरे भारत में फैला हुआ है. बैंक 25 देशों में स्थापित 46 शाखाओं, 08 अनुषंगियों और 04 प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से विदेशों में भी अपना परिचालन कर रहा है. बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति / परिचालन के विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं.

9. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank appreciates the benefits accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communication. The Bank further recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately on the day of Board Meeting. The results are also published in two or more newspapers, out of which one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes physical copy of the results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes press-meets, conferences, etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

The quarterly / half-yearly / annual results as well as the press release of the Bank are posted on the Bank's Website – <http://www.bankofbaroda.com>

The bank has been filing information, statements and reports on the Electronic Data Information Filing and Retrieval (EDIFAR), which can be easily accessed to by the public at <http://sebidifar.nic.in>.

10. SHAREHOLDERS' INFORMATION:

The Bank is a corresponding new Bank having its Head Office at Vadodara and Corporate Office at Mumbai. The Bank has its presence in all parts of the country with network of – 2853 – Branches as on 31.03.2008. The Bank has also established overseas operations in – 25 - countries with – 46 - Branches, - 08 - Subsidiaries and –04 - Representative Offices. The detail about Bank's international presence/Operations is given in the Report of the Board of Directors.

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

1)	द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टावर्स 25 वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुंबई 400 001 बीएसई कोड : 532134
2)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स. बान्द्रा (पूर्व). मुंबई 400 051. एनएसई कोड : BANKBARODA

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सम्बंध में अब तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

10.1 प्रतिभूतियों का अ-भौतिकीकरण :

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य अर्भौतिक सूची के अंतर्गत आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अर्भौतिकीकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ डिपोजिटरी सेवा के सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है. शेयरधारक एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयर अर्भौतिकीकृत (डीमेट) करवा सकते हैं.

31 मार्च 2008 को बैंक के पास 187555 शेयरधारक थे जिनमें से 64934 शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में थे जबकि 122621 शेयरधारकों के पास शेयर अर्भौतिक (डीमेट) रूप में थे.

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	Nature of Holding	Number of shares	Percentage
भौतिक (भारत सरकार)	1960 00000	53.81	Physical (Govt. of India)	19,60, 00,000	53.81
भौतिक (अन्य)	1,03,91,260	2.85	Physical (Others)	1,03,91,260	2.85
अ-भौतिक	15,78,75,140	43.34	Dematerialized	15,78,75,140	43.34
कुल	36,42,66,400	100.00	Total	36,42,66,400	100.00

बैंक द्वारा वर्ष 2003 में रद्द किए गए 27,38,300 शेयरों में से 4,700 शेयर पुन जारी (एनल्लड) निष्क्रिय किए गए तथा जब्त शेयरों की संख्या 27,33,600 थी, 31 मार्च 2008 तक.

10.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) :

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) लाभांश/ब्याज आदि के भुगतान की नई विधि है जिसमें निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है. बैंक ने शेयरधारकों को बैंक द्वारा परिचालित 15 ईसीएस केन्द्रों में सेवाएं उपलब्ध करवाने का विकल्प प्रदान किया है. जहां इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई सी एस) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। केन्द्रों के नाम इस प्रकार हैं अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना तथा तिरुवनन्तपुरम वार्षिक रिपोर्ट में ईसीएस अधिदेश पत्र संलग्न है जिसे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट/डीपी को प्रेषित किया जा सकता है. शेयरधारक के अनुरोध पर ईसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के विकल्प को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है.

बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) समाशोधन प्रणाली के तहत कवर किए जानेवाले सभी केन्द्रों पर लागू होने पर उपलब्ध करा दी जाएगी.

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges:

1)	Bombay Stock Exchange Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street Fort, Mumbai 400 001 BSE CODE : 532134
2)	National Stock Exchange of India Ltd. Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai 400 051 NSE CODE : BANKBARODA

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

10.1 Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2008 the Bank has – 187555 - Shareholders out of which – 64934 - Shareholders of the Bank have been holding their shares in physical form and - 122621 - Shareholders hold shares in demat form.

The Bank had forfeited -27,38,300- equity share in the year 2003 and had annulled – 4,700 - equity shares as at 31st March 2008 and – 27,33,600 -shares remain forfeited.

10.2 Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services (ECS) is a novel method of payment of dividend/interest etc., where the amount due to investor can directly be credited into his/her Bank account. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at the following – 15 - centers where ECS Credit Clearing System is managed by Reserve Bank of India.

Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad Jaipur, Kanpur, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna, and Thiruvananthapuram.

The ECS mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrars & Transfer Agent / DP. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time, at the instance of the Shareholder.

The ECS facilities at all the centers as may be covered under National ECS Clearing System shall be provided by the Bank on implementation.

10.3 शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों अन्तरण सम्बंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत् रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों और बांडों के अंतरण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर विचार करने के लिए निवेशक शिकायत निवारण समिति और शेयर अंतरण समिति गठित की है। ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करती हैं और निवेशक शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त शेयरों और बांडों के अंतरण की पुष्टि की जाती है।

बैंक ने मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बांड अंतरण, लाभांश/ ब्याज भुगतान को प्रॉसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियां सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतें निम्न पते पर रजिस्ट्रार को भिजवा सकते हैं :

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.

(इकाई : बैंक ऑफ बड़ौदा)

प्लॉट सं. 17 से 24, इमेज अस्पताल के पास विठ्ठलराव नगर, माधापुर हैदराबाद - 500 081

फोन : (040) 23420815 से 820 तक

फैक्स : (040) 23420814

ई-मेल mailmanager@karvy.com

बैंक ने निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में भी की है। जिसके प्रभारी कम्पनी सचिव हैं। जहां शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं: वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, वड़ोदरा के निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं।

<p>बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य प्रबंधक (केवाईसी - एएमएल) बैंक ऑफ बड़ौदा आठवीं मंजिल, सूरज प्लाजा -I, सयाजीगंज, वड़ोदरा 390 005. टेलीफोन : 0265 - 2362225 फैक्स सं. : 0265 - 2362225 ई - मेल : investorcell.ho@bankofbaroda.com</p>	<p>बैंक ऑफ बड़ौदा निवेशक सेवा विभाग 8वीं मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी - 26, जी - ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 टेलीफोन : (022) 66985000, 6698 5846 फैक्स : (022) 2652 6660 ई - मेल: investorservices@bankofbaroda.com (उक्त ई-मेल स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध होने के करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसार निवेशकों की शिकायतों हेतु विशेषरूप से बनायी गई है।)</p>
---	---

10.4 कार्पोरेट गवर्नेन्स रेटिंग :

हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है जिसे जुलाई, 2004 में रेटिंग एजेन्सी, आईसीआरए लि. द्वारा सीजीआर -2 कार्पोरेट गवर्नेन्स रेटिंग प्रदान की गई है, जो सीजीआर -1 से सीजीआर -6 के रेटिंग पैमाने में कार्पोरेट गवर्नेन्स के उच्च स्तर को दर्शाता है। इसी क्रम में आईसीआरए लि. ने अपने दिनांक 17.08.2007 के पत्र तथा प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14 सितम्बर 2007 के द्वारा सीजीआर -2 की उक्त रेटिंग की पुनः पुष्टि की है।

10.3 Electronic Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted Investors' Grievances Committee and Shares / Bonds Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances besides confirming transfer of Shares and Bonds.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Private Limited as its Registrars & Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/S Karvy Computershare Private Limited

(Unit : Bank of Baroda)

Plot No.17 to 24, Near Image Hospital Vittalrao Nagar, Madhapur Hyderabad - 500 081

Phone : (040) 23420815 to 820,

Fax : (040) 23420814

E Mail : mailmanager@karvy.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai where the Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara :

<p>Bank of Baroda Chief Manager (KYC – AML) Bank of Baroda, 8th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 Telephone : 0265 – 2362225 Fax No. : 0265 – 2362225 E – mail : investorcell.ho@bankofbaroda.com</p>	<p>Bank of Baroda Investors' Services Department 8th Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051 Telephone : (022) 66985000, 6698 5812 / 5846 Fax : (022) 2652 6660 E – mail : investorservices@bankofbaroda.com (Exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)</p>
--	--

10.4 Corporate Governance Rating:

The Bank is the first Public Sector Bank to have been assigned a Corporate Governance Rating of 'CGR-2' indicating High Level of Corporate Governance in a rating scale of CGR-1 to CGR-6, in July 2004, by ICRA Limited. Further the ICRA Limited vide their letter dated 17.08.2007 and Press Release Dated September 14, 2007 have reaffirmed the said rating of "CGR-2".

वित्तीय कैलेंडर 2007 - 08

FINANCIAL CALENDAR 2007 - 08

खातों (एकल) एवं लाभांश संबंधी सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	20 मई 2008 (मंगलवार)	Board Meeting for considering of Accounts (Solo) and recommendation of dividend.	20 th May 2008 (Tuesday)
खातों (समेकित) पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	14 जून, 2008 (शनिवार)	Board Meeting for considering of Accounts (Consolidated).	14 th June 2008 (Saturday)
भारतीय रिजर्व बैंक को खातों की लेखा परीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना	18 जून, 2008 (बुधवार)	Submission of audited statement of accounts to RBI.	18 th June 2008 (Wednesday)
12वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान	सोमवार 28 जुलाई, 2008 प्रातः 10:30 बजे प्रो. सी.सी. मेहता जनरल एजुकेशन, ऑडिटोरियम, डीएन हॉल ग्राउण्ड, एम एस यूनीवर्सिटी, प्रतापगंज, बड़ोदरा - 390 002	Date, Time & Venue of the 12 th AGM	Monday, 28th July 2008 at 10.30 a.m. Prof. C.C. Mehta General Education Auditorium, D.N.Hall Ground, M.S.University, Pratapganj, Vadodara – 390 002
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	25 जून 2008 से 30 जून 2008	Posting of Annual Report	25 th June 2008 to 30 th June 2008
बहियां बंद करने की तारीख	19 जुलाई, 2008 (शनिवार) से 28 जुलाई, 2008 (सोमवार)	Book Closure dates	19 th July 2008 (Saturday) to 28 th July 2008 (Monday)
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	23 जुलाई, 2008 (बुधवार)	Last Date for receipt of proxy forms	23 rd July 2008 (Wednesday)
अंतिम लाभांश के लिए वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख	8 अगस्त, 2008 से पूर्व	Probable date of dispatch of warrants for Dividend	Before 08 th August 2008
लाभांश (अंतिम) भुगतान की तारीख	8 अगस्त, 2008 (शुक्रवार)	Payment date - Dividend	08 th August 2008 (Friday)

घोषणा-पत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार की धारा 49(I) (डी) के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से घोषणा

घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 (I) (डी) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी हैं। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है।

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

एम. डी. मल्ल्या

एम. डी. मल्ल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 जून, 2008

DECLARATION

Declaration of the Chairman and Managing Director pursuant to clause 49 (I) (D) of Listing Agreement with Stock Exchanges.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year Ended on 31st March 2008 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

M. D. Mallya

M. D. Mallya
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai
Date : 14th June 2008

अनुलग्नक - ए
Annexure-A

बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा)
BANK OF BARODA (HEAD OFFICE : MANDVI, BARODA)

31 मार्च 2008 को शेयरधारिता पैटर्न
SHARE HOLDING PATTERN AS ON 31.03.2008

S.No	विवरण	Category	शेयरधारकों की संख्या No. of Cases	कुल शेयर Total Shares	इक्विटी का प्रतिशत % To Equity
1	प्रवर्तक	Promoters	1	196000000	53.806774 %
2	विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	100	72028389	19.773547 %
3	म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	97	41888712	11.499472 %
4	निवासी व्यक्ति	Resident Individuals	176481	22449088	6.162821 %
5	बीमा कंपनियां	Insurance Companies	6	18396624	5.050321 %
6	भारतीय वित्तीय संस्थाएं	Indian Financial Institutions	10	4728023	1.297957 %
7	बॉडी कॉर्पोरेट	Bodies Corporates	1603	4442632	1.219611 %
8	अ-निवासी भारतीय	Non Resident Indians	3181	2276835	0.625047 %
9	कर्मचारी	Employees	4306	888966	0.244043 %
10	बैंक	Banks	31	696548	0.191219 %
11	हिन्दु अविभक्त परिवार	H. U. F.	1524	264825	0.072701 %
12	समाशोधन सदस्य	Clearing Members	188	157354	0.043198 %
13	विदेशी कार्पोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	4	26200	0.007193 %
14	न्यास	Trusts	22	22104	0.006068 %
15	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	Unit Trust Of India	1	100	0.000027 %
	कुल	TOTAL	187555	364266400	100.00%

अनुलग्नक - बी
Annexure-B

शेयरधारकों का वर्गीकरण - 31.03.2008 को संवर्गवार स्थिति
DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS - CATEGORYWISE AS ON 31.03.2008

संवर्ग (राशि) Category (Amount)	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का % % of Cases	कुल शेयर Total Shares	राशि Amount	राशि का % % of Amount
1 - 5000	183669	97.928078 %	20879246	208792460	5.731862 %
5001 - 10000	2375	1.266295 %	1912387	19123870	0.524997 %
10001 - 20000	696	0.371091 %	1079083	10790830	0.296235 %
20001 - 30000	213	0.113567 %	545104	5451040	0.149644 %
30001 - 40000	97	0.051718 %	348955	3489550	0.095797 %
40001 - 50000	86	0.045853 %	419084	4190840	0.115049 %
50001 - 100000	134	0.071446 %	1038991	10389910	0.285228 %
100001 & Above	285	0.151955 %	338043550	3380435500	92.801189 %
कुल / Total	187555	100 %	364266400	3642664000	100 %

अनुलग्नक : सी
Annexure-C

बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा)
BANK OF BARODA (HEAD OFFICE : MANDVI, BARODA)

31.03.2008 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्य-वार) वर्गीकरण
GEOGRAPHICAL (STATE WISE) DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS AS AT 31.03.2008

क्रम सं. Sr. No	राज्य का नाम	Name of State	शेयरधारकों की संख्या No. Of Holders	शेयरों की संख्या No. Of Shares Held
1	आंध्र प्रदेश	ANDHRA PRADESH	7554	1124061
2	अरुणाचल प्रदेश	ARUNACHAL PRADESH	13	1793
3	असम	ASSAM	523	65000
4	बिहार	BIHAR	2952	350787
5	चंडीगढ़	CHANDIGARH	540	95932
6	दिल्ली	DELHI	8589	198135595
7	गोवा	GOA	1479	218123
8	गुजरात	GUJARAT	47082	6399038
9	हरियाणा	HARAYANA	2072	267003
10	हिमाचल प्रदेश	HIMACHAL PRADESH	277	31708
11	जम्मू एंड कश्मीर	JUMMU & KASHMIR	246	28604
12	कर्नाटक	KARNATAKA	7770	887250
13	केरल	KERALA	2851	433424
14	मध्यप्रदेश	MADHYA PRADESH	5412	786201
15	महाराष्ट्र	MAHARASHTRA	43140	145357134
16	मेघालय	MEGHALAYA	207	44783
17	मिजोरम	MIZORAM	2	398
18	नागालैंड	NAGALAND	116	26060
19	उड़ीसा	ORISSA	1173	127393
20	अन्य	OTHERS	7695	2197468
21	पंजाब	PUNJAB	1896	262400
22	राजस्थान	RAJASTHAN	13023	1614486
23	तमिलनाडु	TAMIL NADU	12639	2422620
24	त्रिपुरा	TRIPURA	157	20654
25	उत्तरप्रदेश	UTTAR PRADESH	14273	1961449
26	पश्चिम बंगाल	WEST BENGAL	5874	1407036
	कुल	TOTAL:	187555	364266400

अनुलग्नक : डी
Annexure-D

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर कीमत
SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES
(FROM 01- 04-2007 TO 31- 03-2008)

माह	Month	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
		उच्चतम (रु.) Highest (Rs.)	निम्नतम (रु.) Lowest (Rs.)	सौदों की मात्रा Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (रु.) Highest (Rs.)	निम्नतम (रु.) Lowest (Rs.)	सौदों की मात्रा Volume Traded (Nos.)
अप्रैल	April 2007	250.70	185.85	11320431	251.00	193.00	4076650
मई	May 2007	293.45	225.00	11448449	292.50	234.40	3912327
जून	June 2007	310.00	247.40	8151779	284.10	247.10	2346649
जुलाई	July 2007	348.50	265.00	19539198	319.40	265.10	6590076
अगस्त	August 2007	330.00	245.35	14252538	322.00	245.10	4294415
सितंबर	September 2007	339.00	270.00	11857027	331.00	267.80	3960160
अक्टूबर	October 2007	354.00	251.85	19992111	353.00	260.00	8203250
नवंबर	November 2007	408.00	322.40	18294889	407.85	332.00	6024714
दिसंबर	December 2007	467.60	379.05	10760964	465.00	380.00	3710204
जनवरी	Jan 2008	501.00	310.00	12734197	501.00	300.05	3541989
फरवरी	Feb 2008	428.25	338.65	11438729	434.80	341.25	5140646
मार्च	Mar 2008	365.80	261.20	20552502	360.00	255.55	4870448

**वर्ष - 2007-08 के दौरान नियुक्त निदेशकों का व्यक्तिगत विवरण
PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE YEAR 2007-08**

नाम	: श्री सतीश सी. गुप्ता	Name	: Shri Satish C. Gupta
पता	: बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	Address	: Bank of Baroda Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai. 400 051.
जन्मतिथि	: 26.02.1950	Date of Birth	: 26.02.1950
आयु	: 58	Age	: 58
योग्यता	: बी.एससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एलएलबी तथा सीएआइआइबी	Qualifications	: B.Sc., Mech. Engg., LLB and CAIIB
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत दिनांक 6 जून, 2007 से पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त	Nature of appointment as Director	: Whole time Director appointed by Government of India under section 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 w.e.f. 06 th June 2007.
अनुभव	: 34 वर्ष का बैंकिंग अनुभव प्राप्त श्री सतीश सी.गुप्ता 6 जून, 2007 से बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित पूर्णकालिक निदेशक हैं. उन्होंने 1 नवम्बर, 1972 को परीवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण किया तथा उन्हें भारत तथा विदेश में शाखा परिचालन का अनुभव है. उन्होंने बैंक के वाराणसी, ग्वालियर तथा दिल्ली क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में तथा लखनऊ, चंडीगढ़ तथा कोलकाता अंचलों के अंचल प्रबंधक के रूप में कार्य किया है. उन्होंने प्रधान कार्यालय में वसूली विभाग के विभाग प्रमुख का कार्य भी किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक का कार्यभार संभालने से पूर्व वे बैंक ऑफ इंडिया के लंदन कार्यालय में यूरोपीय शाखाओं के टेरिटोरियल हैड के रूप में कार्यरत थे.	Experience	: Shri Satish C. Gupta, with 34 years of banking experience, is a whole time director designated as Executive Director since 6th June, 2007. He joined Bank of India as Probationary Officer on 1 st November, 1972 and has experience in branch operations in India and abroad. He has worked as Regional Manager of Varanasi, Gwalior and Delhi Regions and also as Zonal Manager of Lucknow, Chandigarh and Kolkatta Zones of the Bank .He also headed the Recovery Dept at Head Office. Prior to joining the Bank of Baroda as Executive Director he was working as Territorial Head of European Branches at London Office of Bank of India.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	: (i) वे बैंक के ओवरसीज संयुक्त उपक्रम - इंडो जांबिया बैंक लि. के निदेशक हैं. (ii) वे इंडो जांबिया बैंक की "लेखा परीक्षा समिति" तथा "ऋण अनुमोदन समिति" के सदस्य हैं.	Directorship or Committee Positions held in other Companies	: (i) He is Director on the Bank's Overseas Joint Venture i.e. Indo-Zambia Bank Ltd. (ii) He is member on "Audit Committee" and "Credit Approval Committee" of Indo Zambia Bank Limited.
बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या	: शून्य	No. of Shares held in Bank of Baroda	: NIL

वर्ष - 2007-08 के दौरान नियुक्त निदेशकों का व्यक्तिगत विवरण
 PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE YEAR 2007-08

नाम	: श्री मिलिन्द नाडकर्णी	Name	: Shri Milind N. Nadkarni
पता	: 1/1 कृष्णा बिल्डिंग, जी.एस. लेन, मुंबई - 400 012	Address	: 1/1 Krishna Building G S Lane, Mumbai 400 012
जन्मतिथि	: 07.05.1952	Date of Birth	: 07.05.1952
आयु	: 55	Age	: 55
योग्यता	: एस एस सी	Qualifications	: S.S.C.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तर्गण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (इ) के तहत वर्कमेन स्टाफ के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त	Nature of appointment as Director	: Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing workmen. He was appointed as Director on the Board from 1st May, 2007 for a period of 3 years.
अनुभव	: श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी ने दिनांक 1 नवम्बर, 1971 में बैंक के लिपिकीय संवर्ग में कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1971 में उन्हें स्टाफ कल्याण निधि की प्रबंधन समिति के वर्कमेन प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया तथा वे आज की तारीख तक उक्त पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 1990 में मुंबई यूनियन के महासचिव बने तथा वर्ष 1992 में उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा इम्प्लायज़ फेडरेशन की बागडोर संभाली। उन्होंने भारत तथा विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया तथा उन्होंने यू एन आई इंडियन लायजन काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है।	Experience	: Shri Milind N. Nadkarni, joined the Bank on 1st November, 1971 in clerical cadre. In 1973 he was appointed as workmen representative on the Managing Committee of the Staff Welfare fund and continue to hold the position till date. In the year 1990 he became the General Secretary of the Mumbai Union and in 1992 he took over the reins of the Bank of Baroda Employees' Federation. He has undergone various training programmes both in India and abroad and has participated in international conferences of employees working in the Finance Sector in his capacity as the President of UNI Indian Liaison Council.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	: शून्य	Directorship or Committee Positions held in other Companies	: NIL
बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या	: 390	No. of Shares held in Bank of Baroda	: 390

वर्ष - 2007-08 के दौरान नियुक्त निदेशकों का व्यक्तिगत विवरण
 PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE YEAR 2007-08

नाम	: श्री रंजीत कुमार चटर्जी	Name	: Shri Ranjit Kumar Chatterjee
पता	: बैंक ऑफ बड़ौदा आसनसोल शाखा, उमा भवन, प्रथम तल, आसनसोल - 713 301	Address	: Bank of Baroda, Asansol Branch, Uma Bhawan, 1st floor, Asansol 713 301.
जन्मतिथि	: 25.12.1956	Date of Birth	: 25.12.1956
आयु	: 51	Age	: 51
योग्यता	: एम.एस सी (कृषि)	Qualifications	: M.Sc (Ag)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एफ) के तहत और गैर वर्कमेन स्टाफ के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त	Nature of appointment as Director	: Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing non-workmen. He is appointed on the Board of the Bank with effect from 20th December, 2007 for a period of 3 years.
अनुभव	: श्री रंजीत कुमार चटर्जी एम एस सी (कृषि) ने 19 अगस्त, 1981 को बैंक में अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. उन्हे शाखा परिचालन तथा प्रशासनिक कार्यालयों में 26 वर्ष का अनुभव प्राप्त है. वर्तमान में वे आसनसोल शाखा, जिला वर्धवान, पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं.	Experience	: Shri Ranjit Kumar Chatterjee, M.Sc. (Agriculture) joined the Bank as an Officer on 19th August, 1981. He has 26 years of banking experience in both branch operations as well as in administrative offices. At present he is Senior Branch Manager of Asansol Branch, Dist. Burdwan, West Bengal.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	: शून्य	Directorship or Committee Positions held in other Companies	: NIL
बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या	: 710	No. of Shares held in Bank of Baroda	: 710

वर्ष - 2007-08 के दौरान नियुक्त निदेशकों का व्यक्तिगत विवरण
 PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE YEAR 2007-08

नाम	: डॉ. अतुल अग्रवाल	Name	: Dr. Atul Agarwal
पता	: 510-11 सिटी सेंटर, 63/2 दि माल, कानपुर - 208 004	Address	: 510-511 City Centre, 63/2 The Mall, Kanpur 208 004.
जन्मतिथि	: 02.08.1960	Date of Birth	: 02.08.1960
आयु	: 47	Age	: 47
योग्यता	: बी कॉम, एलएलबी, एफसीए, पीएचडी आइएसए (आइसीएआइ)	Qualifications	: B.Com., LL.B, FCA, Ph.D, ISA(ICAI)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तर्ण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत दिनांक 23 नवम्बर, 2007 से नियुक्त	Nature of Appointment as Director	: Appointed by Govt. of India u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 w.e.f. 23rd November, 2007.
अनुभव	: डॉ.अग्रवाल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआई) के सदस्य (फैलो मेंबर) हैं तथा उन्हें कार्पोरेट परामर्श नीति कौशल, व्यावसायिक पुनर्निवेश एवं विकास तथा लेखा प्रणाली के क्रियान्वयन के क्षेत्र में सनदी लेखाकार के रूप में दो दशकों से अधिक का व्यावसायिक अनुभव है. वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केन्द्रीय परिषद् के सदस्य रहे हैं तथा वे 1993-94 के दौरान सेबी द्वारा नामित पब्लिक प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसियेशन के निदेशक पद पर भी रहे. इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज की विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सदस्य भी रहे हैं.	Experience	: Dr. Agarwal is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and has over two decades of professional experience as a Chartered Accountant in the areas of corporate consulting, strategic thinking, business reengineering and development and implementation of accounting systems. He has been the Central Council Member of the Institute of Cost and Works Accountants of India and was a Director of U.P. Stock Exchange Association Limited as SEBI nominated public representative during 1993-94 as well as member of various expert committees of the U.P. Stock Exchange.
31.03.2008 को अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	: डॉ.अग्रवाल निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसीआइ) के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा उक्त निगम की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत है.	Directorship or Committee Positions held in other Companies as on 31.03.2008	: Dr. Agarwal is also Government of India nominated Director on the Board of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) as well as the Chairman of Audit Committee of DICGC.
बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या	: 200	No. of Shares held in Bank of Baroda as on 31.03.2008	: 200

कार्पोरेट नियंत्रण की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

बैंक ऑफ बड़ौदा के सदस्यों के लिए

हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के, स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट नियंत्रण शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

To : The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended on 31st March 2008, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार
For Ray & Ray
Chartered Accountants
Sd/-
भागीदार / Partner

कृते जी. बासु एंड कं.
सनदी लेखाकार
For G. Basu & Co.
Chartered Accountants
Sd/-
भागीदार / Partner

कृते जी. पी. कपाडिया एंड कं.
सनदी लेखाकार
For G. P. Kapadia & Co.
Chartered Accountants
Sd/-
भागीदार / Partner

कृते बी. सी. जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
For B. C. Jain & Co.
Chartered Accountants
Sd/-
भागीदार / Partner

कृते गुप्ता नायर एंड कं.
सनदी लेखाकार
For Gupta Nayar & Co.,
Chartered Accountants
Sd/-
भागीदार / Partner

कृते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
For A. Sachdev & Co.,
Chartered Accountants
Sd/-
भागीदार / Partner


स्थान / Place : मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date : 14 जून, 2008 / 14th June 2008

नोटिस NOTICE

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA
 प्रधान कार्यालय : मांडवी, वड़ोदरा- 390 006
 Head Office : Mandvi, Vadodara – 390 006
 Corporate Office: Baroda Corporate Centre,
 C-26, 'G' Block, Bandra Kurla Complex
 Bandra (East), MUMBAI 400 051

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्रो. सी.सी. मेहता जनरल एजुकेशन ऑडिटोरियम, डी.एन. हॉल ग्राउण्ड, एम.एस. यूनीवर्सिटी, प्रतापगंज, वड़ोदरा - 390 002 में **सोमवार 28 जुलाई, 2008 को प्रातः 10:30 बजे** आयोजित होगी. इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे.

1. बैंक का 31 मार्च 2008 के तुलन-पत्र, 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण.
2. वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश की घोषणा.



स्थान: मुंबई
 तारीख: 25 जून 2008


(एम. डी. मल्ल्या)
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NOTICE is hereby given that the TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of BANK OF BARODA will be held on **Monday, 28th July 2008 at 10.30 a.m.** at Prof. C.C. Mehta General Education Auditorium, D.N.Hall Ground, M.S.University, Pratapganj, Vadodara – 390 002 to transact the following business: -

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2008, Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2008, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare Dividend for the year 2007-08.



Place : Mumbai
 Date : 25th June 2008


M. D. Mallya
 Chairman and Managing Director

टिप्पणियां NOTES

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी (बैंक के कर्मचारी या अधिकारीसे भिन्न व्यक्ति) नियुक्त करने हेतु पात्र होगा/होगी. और प्रॉक्सी का बैंक का शेयर धारक होना जरूरी नहीं है. प्रॉक्सी प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत इस पर हस्ताक्षर किया गया है अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र की एक प्रति जिसे नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट ने एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया हो, जब तक कि उस प्रकार का मुख्तारनामा अथवा कोई अन्य प्राधिकार पत्र पहले बैंक में न जमा और न ही पंजीकृत कराया गया हो, के साथ बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2008 को सायं 5:00 बजे तक या उससे पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक ऑफ बड़ौदा, केवाईसी एंड एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, चौथी मंजिल, सूरज प्लाजा -I सयाजीगंज, वड़ोदरा - 390 005 में स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए.

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति जिसे उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2008 को सायं 5:00 बजे या इससे पहले उक्त अनुसार स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दिया हो.

3. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भरकर और उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें. शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए.

4. शेयरधारक - रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार दिनांक 19 जुलाई, 2008 से सोमवार 28 जुलाई, 2008 तक (दोनों दिनों सहित) वार्षिक सामान्य बैठक तथा लाभांश पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेगा.

5. लाभांश का भुगतान :

बैंक के निदेशक मंडल ने 20.05.2008 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश 80% (रु.8/- प्रति पूर्ण संदत्त सामान्य शेयर) की दर से संस्तुत किया. ऊपर पैराग्राफ सं. 4 में उल्लिखित बुक बंदी के अनुसार ऐसे लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन शेयर धारकों के पास भौतिक रूप में शेयर उपलब्ध है, सोमवार दि. 28 जुलाई, 2008 को जिनके नाम बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर में दर्ज हैं तथा अभौतिक रूप में शेयर धारिताओं के बारे में लाभांश दि. शुक्रवार 18 जुलाई, 2008 को कारोबार की समाप्ति पर जमाकर्ताओं अर्थात् एनएसडीएल तथा सीडीएसएल द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं के अनुसार लाभकारी स्वामित्व के आधार पर वितरण किया जाएगा और वार्षिक सामान्य बैठक की दिनांक से 30 दिन के भीतर लाभांश वारंट भेज दिए जाएंगे/जमा कर दिए जाएंगे.

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Annual Report. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday, 23rd July 2008, together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above at para 1, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday, 23rd July 2008.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS:

For convenience of the Shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders are requested to fill-in and affix their signatures at the space provided therein so as to save time and hand over the same at the venue of the Meeting. Proxy / Representative of the shareholder should state on the attendance slip as "Proxy" or "Representative", as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS :

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday, 19th July 2008 to Monday, 28th July 2008 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of Dividend for the year 2007-08.

5. PAYMENT OF DIVIDEND :

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 20th May 2008 has recommended Dividend @ 80% (Rs.8/- per equity share fully paid up) for the F.Y ended 31st March 2008. Pursuant to the Book Closure Dates as mentioned at point no. 4 above, such dividend is payable to the shareholders, holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on Monday, 28th July 2008 and in respect of those holding shares in dematerialized form, as per the details to be furnished by the Depositories i.e. NSDL & CDSL as at the end of business on Friday, 18th July, 2008. The Dividend will be distributed to the eligible shareholders with in 30 days from the date of the Annual General Meeting.

6. डाक पता / लाभांश अधिदेश में परिवर्तन :

शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने पते, लाभांश अधिदेश, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को तत्काल सूचित कर दें जिससे कि बाद में कोई असुविधा न हो। ऐसे शेयरधारक जो अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखते हैं वे अपना अनुरोध रिकार्ड करने के लिए अपने डिपोजिटरी सहभागी डीपी से संपर्क कर सकते हैं।

7. फोलियो का समेकन :

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं। उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सकें। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण-पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे।

8. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण :

शेयर प्रमाण-पत्रों को अंतरण विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए :

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.

(इकाई : बैंक ऑफ बड़ौदा)

प्लॉट सं. 17 - 24, विठ्ठलराव नगर,

माधापुर, हैदराबाद - 500 081

टेलीफोन : 040 2342 0815 से 820,

फैक्स : 040 2342 0814

ई-मेल - mailmanager@karvy.com

9. दावा न किये गये लाभांश, यदि कोई हो.

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट से पैरा 8 में दिए गए पते पर हैदराबाद में अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें.

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ बड़ौदा

8वीं मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी -26, जी - ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,

बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970/1980 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 (26 सितम्बर, 2006 से प्रभावी) के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि उक्त अधिनियम लागू होने के बाद पूर्व वर्षों के भुगतान हेतु / दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अप्रदत्त लाभांश खाता" में अन्तर्गत कर दी जाए। उपरोक्त "अप्रदत्त लाभांश खाते" में अन्तर्गत की गई राशि को अन्तरण की तारीख से -7- वर्ष की अवधि तक भुगतान हेतु / दावा हेतु शेष है को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा व संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अन्तर्गत की जानी आवश्यक है। इस राशि का उपयोग कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 265 सी यथानिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात् इस संबंध में भुगतान हेतु कोई भी दावा बैंक को या आईईपीएफ को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

10. सदस्यों से अनुरोध :

कृपया नोट करें कि किफायत की दृष्टि से वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएँ।

6. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE: -

Shareholders holding shares in physical form, are requested to intimate change of their address, dividend mandate, Bank particulars, etc., to Bank's Registrars & Transfer Agent, immediately after such changes to avoid inconvenience at a later date. The shareholders holding their shares in electronic form should approach only their Depository Participant (DP) for recording such requests.

7. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The Shareholders who are holding shares in physical form and in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Registrars & Transfer Agent, the ledgerfolio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

8. LODGEMENT FOR TRANSFERS:

Share Certificate along with transfer deed should be forwarded to the Registrars & Share Transfer Agent of the Bank at the following address.

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,

(Unit :- BANK OF BARODA)

Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Near Image Hospital,

Madhapur, Hyderabad - 500 081

Phone No. 040 2342 0815 to 820,

Fax No. 040 2342 0814

E - mail : mailmanager@karvy.com

9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY.

The Shareholders who have not encashed / received their dividend warrants for the previous years are advised to approach the Registrars & Transfer Agent at Hyderabad (contact details as above) or at Bank's Investors' Services Deptt. at Mumbai on the following address :

Investors' Services Deptt

Bank of Baroda,

8th Floor, Baroda Corporate Centre,

C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), MUMBAI - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

Shareholders are requested to note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970/1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, (effective from 26th September, 2006), Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in Dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also Dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account". The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (l) of section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in section 205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the bank or to the IEPF.

10. REQUEST TO MEMBERS:

Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting as an austerity measure. Hence, shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the meeting.

सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण CEO / CFO CERTIFICATION

निदेशक मण्डल
बैंक आफ बड़ौदा
मुम्बई
प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2007-08 के लिए सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण-समेकित

सूचीबद्धता करार की धारा 49 की अनुपालना हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने वर्ष 2007-08 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संवीक्षा की है तथ्य हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :


- इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.
- ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.


ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियन्त्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन / आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियन्त्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित है, की जानकारी दे दी है.

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स / टिप्पणियों में कर दिया गया है
- हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग भी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो


एन.आर. बद्रिनारायण
महाप्रबन्धक
(कार्पोरेट खाते, कराधान एवं
अनुपालना अधिकारी - भारतीय रिजर्व बैंक)
दिनांक : 14 जून 2008
स्थान : मुंबई



एम. डी. मल्ल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक


Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai
Dear Sirs,

Re: CEO/CFO certification for the year 2007-08-Consolidated.

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreements, we here by certify that:

- We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2007-08 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
 - these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the Auditors and the Audit committee:
 - significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.


N.B. Badrinarayanan
General Manager
(Corporate Accounts, Taxation
& Compliance Office- RBI)


M.D. Mallya . .
Chairman and
Managing Director

Date : 14th June 2008
Place :: Mumbai



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निवेशक सेवाएं विभाग
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ईसीएस अधिदेश

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. डी. पी. आईडी संख्या
शेयरधारक की फोलियो संख्या / ग्राहक आईडी संख्या :
4. बैंक खाते का विवरण :
 - क. बैंक का नाम :
 - ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :
 - ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :
 - घ. खाते का प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक चालू नकद उधार
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-ऋण)
 - ड. बैंक खाते की लेजर फोलियो संख्या :
(यदि चेक बुक पर अंकित किया जा रहा हो)
 - च. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में दिया गया :
बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. :
5. कृपया कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी या कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अधूरी जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही है.

स्थान :

दिनांक :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

बैंक खाता विवरण

डी.पी. आईडी संख्या :
फोलिओ / ग्राहक आईडी संख्या :
धारित शेयरों की संख्या :

मैं/हम.....

इसके द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने/हमारे लाभांश-पत्र पर निम्नलिखित विवरण मुद्रित करने के लिए अधिकृत करता/ती हूँ/करते हैं।

- बैंक का नाम : शाखा का नाम :
- खाते का प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक चालू नकद ऋण
- खाता संख्या :

सदस्य के हस्ताक्षर.....

टिप्पणी : कृपया इस फार्म को भरकर एवं हस्ताक्षर करके बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, आठवाँ तल, बड़ौदा कारपोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 या रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, हैदराबाद के पते पर भेजें.

BANK OF BARODA

Electronic Clearing Service (Credit Clearing)
ECS Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :
2. Address :
3. Shareholder's Folio number/ Client ID number :
D. P. ID number :
4. Particulars of Bank Account :
A. Bank Name :
B. Branch Name & City Pin Code :
C. Account No. (as appearing on the cheque book) :
D. Account Type (please Tick) : SB Current Cash Credit
SB Current Cash Credit
E. Ledger Folio number of Bank Account (if appearing on the cheque book) :
F. 9 Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank :
5. Please attach a photocopy of a cheque leaf or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place:

Date:

Signature of the First Holder

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place:

Date:

Signature of the Manager of the Bank concerned

BANK OF BARODA

BANK ACCOUNT PARTICULARS

Folio No
D.P.ID No
Client ID No
Number of shares held

I / We

do hereby authorize Bank of Baroda to print the following details on my/ our Dividend Warrant.

- Bank Name : Branch Name:
- Account type (please tick) : SB Current Cash Credit
- Account Number :

Signature of the Member

Note : Please complete the form, sign and mail to Bank of Baroda, Investors' Services Deptt. 8th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 or at the address of RTA, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. (BOB-Unit), Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081.



बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

फार्म बी

प्रॉक्सी - फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक

दिनांक: 28 जुलाई, 2008

डीपी आईडी क्र. _____

पंजीकृत फोलिओ / ग्राहक आईडी क्र. _____

मैं/हम _____ निवासी _____

_____ जिला _____

राज्य _____ बैंक ऑफ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा

श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को 28 जुलाई, 2008 को प्रातः 10.30 बजे प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेंटर, एम.एस. यूनिवर्सिटी, डी.एन. हॉल ग्राउंड, प्रतापगंज, वड़ोदरा-390002 में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी/हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख _____ माह _____ 2008 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता : _____

कृपया 1 रु.
का राजस्व
टिकट यहां
लगायें

प्रथम शेयरधारक / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी की कोई लिखत तब तक वैध नहीं जाएगी जब तक कि :
(क) यह वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(ख) संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(ग) निकाय कार्पोरेट के मामले में, विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं और उसके अंगूठे का निशान वहां लगा है, तो इसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यकित होना चाहिए.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक इस पर विधिवत् राजस्व टिकट न लगी हो और इसे बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 23 जुलाई, 2008 को सायं 5:00 बजे बैंक की कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो. इसके साथ उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, को जमा न कराया गया हो, बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.
4. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी.
5. विकल्प के तौर पर दो स्वीकृत व्यक्तियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
6. प्रॉक्सी की लिखत को निष्पादित करने वाला शेयरधारक संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान का हकदार नहीं होगा.
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.
8. प्रॉक्सी फार्म में किये गए सभी परिवर्तन निष्पादनकर्ता द्वारा यथाविधि आद्याक्षरित होने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक वह फार्म - बी में न हो.
10. प्रॉक्सी फार्म, मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार-पत्र निम्नलिखित पते पर जमा कराये जा सकते हैं.
बैंक ऑफ बड़ौदा,
केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय,
चौथा तल, सूरज प्लाजा -1, सयाजीगंज, वड़ोदरा 390 005

Form B

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Twelfth Annual General Meeting

Date: 28th July 2008

DP.ID No. _____

Regd.Folio No./Client ID No. _____

I / We _____ resident of _____

_____ in the district of _____

in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Bank of Baroda, Vadodara hereby appoint

Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Shareholders of BANK OF BARODA to be held on Monday, 28th July 2008, at 10.30 A.M. at Prof. C.C. Mehta General Education Auditorium, D.N.Hall Ground, M.S.University, Pratapganj, Vadodara – 390 002 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2008

Signature of Proxy _____

Name _____

(In Block Letters)

Address _____

Please Affix
Re 1/-
Revenue
Stamp

Signature of first named/sole Shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:

a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney, duly authorized in writing.

b) In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register or his/her attorney, duly authorized in writing.

c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government gazetted officer or an officer of Bank of Baroda.

3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank not less than –4- days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday, 23rd July 2008, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or any other authority is previously deposited and registered with the Bank.

4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.

9. No instrument of proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.

10. The proxy form, power of attorney or other authority can also be deposited at the following address:

Bank Of Baroda,
KYC & AML Department,
Head Office, 8th Floor, Suraj Plaza – I,
Sayajigunj, Vadodara - 390005.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

उपस्थिति पर्ची

बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, जुलाई 28, 2008

(कृपया इस फार्म को रजिस्ट्रेशन काउंटर पर विधिवत भर कर लाएं ताकि समय की बचत हो सके)

दिनांक	जुलाई 28, 2008
स्थान	प्रो. सी.सी. मेहता जनरल एजुकेशन ऑडिटोरियम, एम.एस. यूनिवर्सिटी, डी. एन. हॉल ग्राउंड, प्रतापगंज, वड़ोदरा - 390 002
नाम	
शेयरों की संख्या	
डी.पी.आई.डी.	
फोलिओ / ग्राहक आई.डी. संख्या	
उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

फोलिओ क्रमांक/डी.पी.आई.डी.	
ग्राहक आई.डी.	
नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारकों/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर जैसी यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेशपत्र एक साथ प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश, सत्यापन / जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.



ATTENDANCE SLIP

Twelfth Annual General Meeting - Monday, 28th July 2008
(Kindly bring it duly filled in to avoid loss of time at Registration Counter)

Date	28th July 2008
Place	Prof. C. C. Mehta General Education Auditorium, D.N.Hall Ground, M.S.University, Pratapganj, Vadodara – 390 002
Name (In Bock Letters)	
No of Shares	
DP ID	
Folio No / Client ID No	
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

DP ID No	
Folio /Client ID No	
Name (In Bock Letters)	
No. of Shares	

Shareholders / proxy or representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

यादगार क्षण Memorable Moments

MOU for Joint Venture Life Insurance business in India



Mr. Tim Breedon Group CEO Legal & General Plc., UK, Dr. Anil K. Khandelwal, the then CMD, Dr. K. Ramakrishnan, CMD, Andhra Bank signing MOU in the presence of Shri P. Chidambaram, Union Finance Minister and Shri P. K. Bansal, MOS Finance.

Unveiling of the Centenary Year issue of Bobmaitri



Shri P. K. Bansal, Hon'ble Minister of State for Finance unveiling the issue alongwith the then CMD, Dr. Anil K. Khandelwal, Executive Directors - Shri V. Santhanaraman, Shri S. C. Gupta and Shri M. B. N. Rao, Chairman - IBA during inaugural session of Bancon-2007 hosted by our Bank in Mumbai.

शताब्दी वर्ष ग्रामोत्सव - रायबरेली



20 फरवरी, 2008 को रायबरेली में आयोजित शताब्दी वर्ष ग्रामोत्सव में 1000 स्वयं सहायता समूह तथा 101 कृषक क्लबों का उद्घाटन करते हुए, यूपीए की अध्यक्ष, माननीया श्रीमती सोनिया गांधी, केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदंबरम, अमेठी के सांसद, श्री राहुल गांधी एवं अन्य. दायीं ओर विशाल महिला समूह.

Bank of Baroda Centenary cake



Present and past CMDs of the Bank accompanied by Directors and others cutting the centenary cake on 20th July, 2007 at Corporate Office, Mumbai.

Entering the Centenary Year...



Dr. Y. V. Reddy, Governor, Reserve Bank of India lighting the inaugural lamp on Bank's Foundation Day on 20th July, 2007 alongwith the then CMD, Dr. Anil K. Khandelwal in the presence of Srimant Ranjeet Singh Gaekwad, Maharaja of Baroda.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank